राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का चौंतीसवां दिवस [संख्या: 16

सोमवार,

15 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री संयम लोढ़ा।

आदर्श मदरसा योजना में बजट का आबंटन

262. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):- क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

मदरसों के आधुनीकरण के लिए आदर्श मदरसा योजना में प्रदेश में विगत तीन वर्षों में कितना बजट आबंटित किया गया? चयनित मदरसों का जिलेवार तथा अब तक किये गये कार्यों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): मदरसों के आधुनीकरण के लिए आदर्श मदरसा योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में राजस्थान मदरसा बोर्ड को एक बार वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 2518.00 लाख का बजट आबंटित किया गया था, जिसके विरुद्ध राजस्थान मदरसा बोर्ड को राशि रुपये 2110.80 लाख प्राप्त हुए।

आदर्श मदरसा योजनान्तर्गत चयनित मदरसों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। योजनान्तर्गत प्राप्त राशि से अब तक किये गये कार्यों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाह रहा हूं कि आपके 3258 रजिस्टर्ड मदरसे हैं, इसमें से कितने मदरसे आदर्श बन गये? नम्बर वन।

नम्बर टू, आपका स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट 1 लाख 79 हजार 665 है, इसके बावजूद आपने बैग सिर्फ 44 हजार 16 स्टूडेंट्स को क्यों दिये?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे आदर्श मदरसों के लिए जो यह योजना आयी थी, इसमें हमने 260 मदरसों को आदर्श मदरसे बनाये थे, जो जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित थी, उस कमेटी ने जिलेवार चयन किया था इसलिए 260 मदरसों को इसमें चयन किया गया। बाकी जो हमने अलग-अलग सूचना जिलेवार दी है, आपने कहा है कि कुछ बच्चों को बैग नहीं मिले, कई जगह तो नामांकन की संख्या घटती-बढ़ती रहती है और कहीं पर नामांकन शून्य भी हो जाता है तो जहां पर नामांकन होता है, उसी के अनुसार हम बैग वगैरह सामग्री बांटते हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, खुद आपकी साइट पर यह फिगर है कि आपके 1 लाख 79 हजार 665 बच्चे एनरोल हैं, उसके बाद भी पिछले तीन साल में आपने खाली 44 हजार 16 बच्चों को बैग दिये।

नम्बर टू, 2013 में 3500 कम्प्यूटर पैराटीचर्स की नियुक्ति का ऐलान हुआ था बजट के अन्दर, आप कह रहे हो कि हमने इतने मदरसे आदर्श बना दिये। जब आपके पैराटीचर ही नहीं हैं और पिछले आठ साल में भर्ती ही नहीं हुई है तो कहां से आपके मदरसे आदर्श बन गये? इसके अलावा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रश्न ही पूछ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष: कहां, चार प्रश्न हो गये। दो पूछ चुके हैं, please, be precise. मंत्री जी का जवाब आने दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले का ही जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: जवाब देने दें न, आप एक साथ चार प्रश्न पूछेंगे, जवाब कैसे आयेगा। माननीय मंत्री जी।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि हम जो पैराटीचर्स और संविदाकर्मी लगाते हैं, उनकी पिछले पांच साल से भर्ती नहीं हुई, न संविदाकर्मी लिये गये क्योंकि 2013 की जो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब की घोषणाएं थीं, उसमें लगभग ढाई हजार पैराटीचर, कम्प्यूटर पैराटीचर थे और कुछ संविदाकर्मी और शिक्षाकर्मी भी लिये गये थे पर जैसे ही हमारी सरकार चली गयी तो 2013 में जो पांच साल पिछली सरकार रही, उसमें बजट उन्होंने दिया नहीं, इसकी वजह

(श्री शाले मोहम्मद)

से नयी भर्ती हुई नहीं। हम प्रयास करेंगे, जब भी अगली बार भर्ती आएगी उसमें इन पैराटीचर्स के पद भरे जाएंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक आखिरी, माननीय अध्यक्ष महोदय। आपके ज्यादातर मदरसे जो हैं वे मिड-डे मील से कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप इन सारे मदरसों को मिड-डे मील योजना से कब तक जोड़ देंगे?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हमारे 3256 कुछ मदरसे हैं, उसमें 909 मदरसे ऐसे हैं जहां पर पैराटीचर नहीं हैं और हम हमारे सभी जो अल्पसंख्यक अधिकारी हैं उन सबको निर्देश दे रहे हैं कि जहां पर 20 से ज्यादा बच्चे हैं उन सब जगह आप मिड-डे मील लें तो जहां-जहां मिड-डे मील नहीं मिल रहा है तो वहां पर हम सबके चालू करें। जैसे आपके सिरोही में है, तो अभी तक 27 मदरसे हैं, उसमें 9 मदरसे ऐसे हैं जहां पर आपके पैराटीचर लगे हुए हैं, उसमें हम पांच मदरसों में मिड-डे मील दे रहे हैं। चार मदरसे ऐसे हैं जहां मिड-डे मील नहीं मिल रहा है। हमने हमारे अल्पसंख्यक अधिकारी को कहा है कि जहां-जहां मिड-डे मील नहीं मिल रहा है वहां पर, क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, जो हमारा डीएमओ है, जो सम्बन्धित डीईओ है या बीईओ है उसको एप्लीकेशन देगा, वो आगे मिड-डे मील स्वीकृत करायेगा तो हमने कहा है कि इसकी कार्यवाही शुरू कर दें, जहां-जहां मिड-डे मील नहीं मिल रहा है उस जगह हम पुन: चालू करवाएं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

आशा सहयोगिनियों का स्थायीकरण

263. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि आशा सहयोगिनी मानदेय के आधार पर कार्य कर रही हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उनके मानदेय में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यरत आशा सहयोगिनी व कार्यकर्ताओं को स्थायी करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास के स्थान पर): (1) जी हां। आशा-सहयोगिनी को आईसीडीएस की ओर से प्रतिमाह नियत मानदेय राशि 2700 रुपये का भुगतान किया जाता है, जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान (परफोर्मेंस बेस्ड इन्सेन्टिव) किया जाता है, जिनका विवरण परिशिष्ट-''अ'' पर संलग्न है।

आशा सहयोगिनियों का मानदेय वृद्धि बजट की उपलब्धता पर कर दिया जाएगा।

(2) आशा सहयोगिनी/कार्यकर्ता मानदेय सेवा पर कार्यरत हैं, ये संविदा पर कार्यरत नहीं होती हैं। आशा सहयोगिनी/कार्यकर्ता स्वैच्छिक सेवा भावना से समुदाय में कार्य करने वाली स्थानीय महिला होती हैं। इन पर राज्य सेवा के कार्मिकों की भांति सेवा नियम लागू नहीं हैं और न ही श्रमिकों के बराबर इनके कार्य के घंटे तय होते हैं। मानदेय कार्य समय के उपरांत ये किसी भी प्रकार के निजी कार्य हेतु स्वतंत्र रहती हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय मंत्री जी, यह आपने जो 2700 इनका मानदेय तय कर रखा है, यह शुरुआत से ही 2700 रुपये है या इसमें कभी बीच-बीच में वृद्धि भी की गयी है? की गयी है, तो कितनी और कब-कब की गयी है और मिनिमम वेजेज से भी कम, यह अन्याय है, क्या सरकार मंशा रखती है कि इसको मिनिमम वेजेज के बराबर किया जाएगा?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मिनिमम वेजेज का तो मैंने बता दिया कि यह मानदेय आधारित है और इसके अन्दर कोई सरकारी सेवा नियम लागू नहीं होते, इसलिए इस पर मिनिमम वेजेज लागू नहीं होता।

दूसरा, वृद्धि की मैं बात करूं तो 01.09.2009 को 500 रुपये से इनकी शुरू हुई थी, उसके बाद 01.04.2011 को इसको 1000 किया गया, 01.04.2012 को 1100 किया गया, 01.04.2013 को फिर 1600 किया गया, 01.06.2016 को 1850 किया गया, 01.04.2018 को 2500 किया गया और अभी पिछले वर्ष 19.08.2019 को 2700 रुपये किया गया।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, इसी तरह के प्रश्न पर माननीय सदस्य का जवाब देते हुए 8 मार्च को महिला दिवस पर महकमे की

(श्री बिहारीलाल)

मंत्री महोदय ने कहा था कि इस पर मानदेय के लिए, हम राज्य सरकार से दे रहे हैं, केन्द्र सरकार को भी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को दिया जाता है, सहयोग दिया जाता है 60:40 के रेशो से, उस तरह से हमें केन्द्र से नहीं मिल रहा तो राज्य सरकार ने इस बारे में कभी केन्द्र से कोई पत्राचार किया है? किया है, तो कब-कब किया और क्या जवाब आया?

श्री अध्यक्ष: आंगनबाड़ी और आशा-सहयोगिनी अलग-अलग हैं, क्यों कन्फ्यूज कर रहे हैं आप? ...(व्यवधान)

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप जो 60:40 की बात कर रहे हो केन्द्र की और राज्य की और जो आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हैं, उनका भी केन्द्र को जो 60 परसेंट देना चाहिए वो 38 परसेंट दे रहे हैं, राज्य सरकार उनका 62 परसेंट दे रही है।

आपने जो पत्राचार की बात कही, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा इनके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इनको, यह 02 जनवरी, 2021 को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा मोदी जी को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि आप इसको भी 60:40 के अन्दर लीजिए क्योंकि 2,700 रुपये भी सिर्फ राज्य सरकार ही दे रही है, भारत सरकार का इसके अन्दर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती शोभा चौहान।

सोजत में खेल मैदान विकसित करने की कार्ययोजना

264. श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):- क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र सोजत में विभाग को 5 गांवों में खेल मैदान के लिए भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो उक्त कौन-कौनसे गांवों में? क्या सरकार उक्त खेल मैदानों को विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस योजना से कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम- 2015 के तहत सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सोजत में खेल मैदान विकसित नहीं करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सोजत में युवा मामले एवं खेल विभाग के नाम से 5 गांवों में खेल मैदान के लिए भूमि आबंटित नहीं है।

सरकार द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर खेल मैदान निर्माण का कार्य किया जाता है।

(2) सरकार द्वारा बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल मैदान का निर्माण किया जाता है।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगी कि दूसरे सत्र में अतारांकित प्रश्न संख्या 392 में युवा मामले एवं खेल विभाग ने उत्तर दिया कि विधान सभा क्षेत्र सोजत में पांच गांवों में खेल विभाग की भूमि आबंटित है एवं विभाग ने 21 लाख रुपये की राशि स्वीकृत भी की है, यह खेल मैदान और राशि कहां गयी?

मैं आपको यह पढ़ कर सुनाती हूं, मंत्री महोदय, ध्यान से सुनिये। विधान सभा क्षेत्र सोजत में युवा मामले एवं खेल विभाग को पांच गांवों में खेलों के लिए भूमि आबंटित है। आबंटित भूमि का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट- 'क' पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र सोजत की तहसील सोजत में युवा मामले एवं खेल विभाग की...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): सर, प्रश्न ही कर रही हूं।

श्री अध्यक्ष: डिटेल की जरूरत नहीं है, आपने प्रश्न कर दिया।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत): प्रश्न की डिटेल बता रही हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न की डिटेल की जरूरत नहीं है, प्रश्न हो गया। माननीय मंत्री जी।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो क्रीड़ा परिषद् के नाम पर सोजत विधान सभा के अन्दर पांच खेल मैदान नहीं हैं और यह जो अतारांकित प्रश्न के बारे में आप बता रहे हैं, तो आप मुझे दें, यदि ऐसा कोई जवाब दिया है तो उसकी मैं जांच कराऊंगा और गलत जवाब की कार्यवाही होगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, बहुत अफसोस है कि वही विभाग और वही उत्तर दे रहा है। यह द्वितीय सत्र का 392 नम्बर का इन्होंने क्वेश्चन दिया उसका जवाब आया, विधान सभा क्षेत्र सोजत में युवा मामले और खेल विभाग को पांच गांवों में खेलों के लिए भूमि आबंटित है।

यही प्रश्न इन्होंने इस बार जो पूछा है कि क्या विधान सभा क्षेत्र सोजत में विभाग को 5 गांवों में खेल मैदान के लिए भूमि आबंटित है? आप कह रहे हो, नहीं। दूसरी तरफ आप ही कह रहे हो, है। मैं सोचता हूं कि इससे बड़ा इस सदन का अपमान क्या हो सकता है जो आपके अधिकारियों ने किया है। मैं आपसे रिक्वैस्ट करता हूं।

श्री अध्यक्ष: आप जानते हैं, कटारिया जी, तरीका है, आप लिखकर भेजें। इसके खिलाफ जो कार्यवाही करनी है, उसके संबंध में कार्यवाही करेंगे।

प्रश्न संख्या 265

अगला प्रश्न। सुश्री दिव्या मदेरणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मंत्री को डांटें साहब।

श्री अध्यक्ष: आप ही डांट खा लेते हो, काफी है। मंत्री को डांटने ... (व्यवधान).

अगला प्रश्न। श्री ओम प्रकाश हुड़ला।

दौसा में बीज किट का वितरण

266. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में किसानों को बीज किट बांटने का क्या आधार है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला दौसा में विगत पांच वर्षों में कितने किसानों को बीज किट का वितरण किया गया व बीज किट वितरण के क्या आधार रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त जिले के सभी किसानों को बीज किट का वितरण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार सभी किसानों को बीज किट का पर्याप्त मात्रा में

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

वितरण हो, इस हेतु समुचित व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में किसानों को बीज मिनी किट वितरण प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लघु एवं सीमान्त तथा गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले तथा अन्त्योदय परिवारों एवं गैर-खातेदार/खातेदार कृषकों को मिनी किट की कीमत का 10 प्रतिशत टोकन राशि वसूल करते हुए महिला कृषकों को वितरण किये जाते हैं।

साथ ही, वर्ष 2020-21 में प्रदेश में जनजाति, गैर जनजाति बीपीएल एवं अन्त्योदय परिवार के किसानों को उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से मक्का फसल की संकर किस्मों के बीज मिनी किट्स निःशुल्क वितरित किये गये हैं एवं बाजरा फसल उत्पादित जिलों में लघु व सीमान्त कृषकों को उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य से बीज मिनी किट्स निःशुल्क वितरित किये गये हैं।

(2) जिला दौसा में विगत पांच वर्षों में बीज मिनी किट वितरण से लाभान्वित कृषकों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। बीज मिनी किट वितरण बिन्दु संख्या 1 में उल्लिखित आधार पर किया गया।

(3) जी नहीं। मिनी किट उपलब्धता एवं जिले को आबंटित लक्ष्य अनुसार पात्र महिला कृषकों को वितरण किये गये है।

(4) जी हां। समय-समय पर भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अनुरूप कृषकों को लाभान्वित करने हेतु मिनी किट वितरण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

एल्युमिनियम, लैड व जिंक के भण्डार

267. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रफीक खान)

(1) सरकार को किस-किस खनिज संपदा से कितनी-कितनी आय प्राप्त होती है? खनिजवार आय का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में एल्युमिनियम व लैड-जिंक के कितने भंडार कहां-कहां हैं? उक्त को अब तक किस-किस को आबंटित किये गए हैं?

(3) क्या यह सही है कि लैड-जिंक को निजी हाथों में दे दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) राज्य सरकार को प्रधान एवं अप्रधान खनिजों से खनिज राजस्व के रूप में आय प्राप्त होती है। विगत दो वर्षों में, प्रधान खनिज से वर्ष 2018-19 में 3221.98 करोड़ व वर्ष 2019-2020 में 2595.53 करोड़ तथा अप्रधान खनिज से वर्ष 2018-19 में 1953.41 करोड़ व वर्ष 2019-20 में 1837.69 करोड़, इस प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल खनिज आय 5175.39 करोड व वर्ष 2019-20 में 4433.22 करोड़ रही। इन्हीं दो वर्ष में प्रधान व अप्रधान खनिजों से प्राप्त खनिजवार आय का विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर उपलब्ध है।

(2) प्रदेश में एल्युमिनियम (बॉक्साइट) के भण्डार बारां व उदयपुर जिले में तथा लैड-जिंक के भण्डार उदयपुर, राजसमन्द, भीलवाड़ा, अजमेर, सिरोही, सवाई माधोपुर एवं चित्तौड़गढ़ जिले में हैं। इन खनिजों के भण्डार की मात्रा सहित विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है। उक्त भण्डारों के आबंटन सम्बन्धी विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(3) प्रधान खनिजों के अन्वेषण व खनन में निवेश को बढ़ावा देने हेतु लैड व जिंक सहित अन्य प्रधान खनिज जो वर्ष 1993 से पूर्व अन्वेषण व खनन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 में निजी क्षेत्र हेतु खोल दिया गया। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की प्रथम अनुसूची के भाग-स में उल्लिखित खनिज लेड एवं जिंक की खनिज रियायतें उक्त अधिनियम की धारा 5 (1) के प्रावधान अनुसार भारतीय नागरिक अथवा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के अनुच्छेद (20) के अन्तर्गत परिभाषित कम्पनी को आबंटित की जा सकती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, इसमें क्रूड ऑयल और गैस की जानकारी नहीं है। खनिज पदार्थों में क्रूड ऑयल और गैस की

(श्री रफीक खान)

जानकारी क्यों नहीं है? जिंक से जो रेवेन्यू दिखाई गई है वह सबसे बड़ी रेवेन्यू है। क्या सरकार इसको गवर्नमेंट लेवल पर एक्सप्लोर करने का मन रखती है?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): अध्यक्ष महोदय, खनिज से प्राप्त राजस्व में पैट्रोलियम और गैस संबंधी राजस्व को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि एमएमडीआर एक्ट, 1957 में खनिज तेल अर्थात् मिनरल ऑयल प्रत्यक्ष से परिभाषित है तथा उसे केन्द्रीय सूची 'अ' में शामिल किया गया है। परंतु फिर भी जो माननीय सदस्य ने पूछा है खनिज तेल के राजस्व के बारे में, पिछले 2 वर्ष में 7203.32 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। 2020-21 में फरवरी माह तक 1653.85 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है।

दूसरा, जो माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा है, लैड एवं जिंक के बारे में, 1956 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन में लेड एवं जिंक सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। अब 1993 में 13 खनिज निजी क्षेत्र में खोल दिए गए हैं। लैड और जिंक निजी क्षेत्र में अभी भी चालू हैं।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): 2018-19 की रेवेन्यू 3221 करोड़ और 2019-20 की 2595 करोड़, इसमें कम होने का रीजन?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन कम ज्यादा होता है तो उसके अनुसार रेवेन्यू भी कम ज्यादा होती रहती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

जिन्सों की खरीद

268. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु राज्य सरकारों को समय-समय पर अधिकृत करती है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने कब-कब कौन-कौनसी फसल क्रय करने की स्वीकृति राज्य सरकार को दी? वर्ष 2018 से 31.12.2020 तक का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2014 से 2020 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु राजस्थान व अन्य राज्यों को 22 जिन्सों को खरीदने की सूची में रखा गया है? यदि हां, तो प्रदेश में कब-कब किस-किस जिन्स की खरीद की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में देश का 41 प्रतिशत बाजरे का उत्पादन होता है? यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने प्रदेश से कितने बाजरे की खरीद की? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) जी हां। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु समय-समय पर राज्य सरकारों को अधिकृत किया जाता है। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 से राज्य में दलहन/तिलहन की खरीद हेतु निम्न जिन्सों की खरीद की स्वीकृति जारी की गई है:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**जिन्स**
1.	रबी 2018	सरसों व चना
2.	खरीफ 2018	मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफली
3.	रबी 2019	सरसों व चना
4.	खरीफ 2019	मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफली
5.	रबी 2020	सरसों व चना
6.	खरीफ 2020	मूंग, उड़द, सोयाबीन व मूंगफली

भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद हेतु राज्य सरकार को पृथक से स्वीकृति नहीं दी जाती है अपितु प्रत्येक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की व्यवस्थाओं के संबंध में भारत सरकार द्वारा बैठक आयोजित की जाती है जिसमें राज्य हेतु समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के लक्ष्य एवं खरीद की समयावधि निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 में राज्य में गेहूं की समर्थन मूल्य पर खाद्य विभाग द्वारा खरीद की गई है।

(2) जी हां। भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष रबी सीजन में गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, सनफ्लावर तथा खरीफ सीजन में पैडी(कॉमन), पैडी(ग्रेड ए), ज्वार (मालडण्डी), बाजरा, रागी, मक्का, तुअर (अरहर), मूंग, उड़द, मूंगफली, सनफ्लावर सीड, सोयाबीन(पीली), तिल, नाइजरसीड, कॉटन (मिडियम स्टेपल), कॉटन(लॉग स्टेपल) के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है।

प्रदेश में वर्ष 2014 से क्रय की गई जिन्सों का विवरण निम्नानुसार है:-

(सहकारिता मंत्री)

क.सं.	वर्ष	जिन्स
1.	2014-15	गेहूं, सरसों व चना
2.	2015-16	गेहूं
3.	2016-17	गेहूं व चना
4.	2017-18	मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली व गेहूं
5.	2018-19	सरसों, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली व गेहूं
6.	2019-20	सरसों, चना, मूंग, उड़द, सोयाबीन, मूंगफली व गेहूं

(3) राज्य में देश के लगभग 44 प्रतिशत बाजरे का उत्पादन होता है। खाद्य विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बाजरे की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद खरीफ विपणन वर्ष 2011-12 में की गई थी किन्तु बाजरे का बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक होने एवं नगण्य खरीद होने के कारण बाजरे की खरीद को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न कारणों (यथा बाजरे की सेल्फ लाइफ कम होने, आमजन व औद्योगिक क्षेत्र में बाजरे की मांग कम होने एवं बाजरे का भण्डारण हेतु विशेष व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने) के कारण खाद्य विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा की खरीद नहीं की गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने खंड 2 में उन जिंसों का जो केन्द्र सरकार समर्थन इनका मूल्य घोषित करती है, 22 ऐसी जिंस हैं जिन पर समर्थन मूल्य पर उन्होंने वृद्धि की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ये जो आपने खरीदी हैं, आपने यही क्यों खरीदी? इन 22 जिंसों में से दूसरी जिंसों को खरीदने का आपने अपनी तरफ से लिखा था क्या? या आपने अपनी तरफ से इच्छा ही जाहिर नहीं की जिसके कारण से खरीद नहीं पाये और केवल और केवल इन्हीं जिंसों को खरीदने के लिए आपने समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए लिखा, उसके एवज में खरीदी या उन्होंने चलाकर इनको खरीदने के लिए कहा?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): कौन-कौनसी दो जिंस हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा हूं कि ये 22 जिंसें हैं, जिनके समर्थन मूल्य में इन्होंने 2016-17 से लेकर 2020-21 तक बहुत अधिक बढ़ोतरी की है, 800 से लेकर 1,200 रुपये प्रति क्विंटल। मैं चाहता हूं कि आपने जो खरीदी है, 2014-15 की सूची से लेकर आप 2019-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

20 की दे रहे हैं, इन्हीं जिंसों को क्यों खरीदा? बाकी जिंसों को खरीदने के लिए आपने लिखा और केन्द्र ने आपको स्वीकृति नहीं दी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, स्वीकृति सबकी थी लेकिन जिनके भाव बाजार में समर्थन मूल्य से ऊंचे चल रहे थे, वे नहीं खरीदी गईं और जिनके भाव उससे कम थे, उनको सबकी खरीदी गई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप केवल एक सूची दे दें जो आपकी तरफ से आपने जिन जिंसों को खरीदने के लिए इच्छा जाहिर की, केन्द्र ने आपको स्वीकृति नहीं दी, या दी इन दोनों को स्पष्ट कर दें तो थोड़ा समझ में आ जाए।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): स्वीकृति देने का काम भारत सरकार का है, समर्थन मूल्य के साथ ही वह हमें खरीद के आंकड़े देती है कि आप इस जिंस को इतनी मात्रा में खरीदें जिसका भुगतान हो जाएगा। भारत सरकार हमें आदेश देती है, हम हमारी मर्जी से नहीं खरीदते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यही तो पूछ रहा हूं। मैंने कहा कि आपने अपनी तरफ से ये जो 22 जिंसें हैं जिनका इन्होंने खरीदने के लिए समर्थन मूल्य घोषित कर रखा है और आपको अधिकृत कर रखा है। आपने केवल इतनी ही क्यों खरीदी, इसके अलावा वाली फसलों को नहीं खरीदने के लिए लिखा और उन्होंने आपको स्वीकृति नहीं दी या आपने लिखा ही नहीं?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): इसमें से बहुत-सी फसलें तो ऐसी हैं जो अपने राज्य में नहीं होती हैं। ये 22 जिंसें तो ऐसी हैं जो पूरे भारतवर्ष में समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही हैं, उनके नाम दिए गए हैं लेकिन जो राजस्थान में पैदा होती हैं और जिनकी मांग आती है उनके भाव बाजार में कम चल रहा हैं और किसानों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, वही हमें खरीदना होता है। अगर बाजार भाव ऊपर है तो नहीं खरीदते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं, आपने क्वेश्चन के भाग 3 में कहा कि 44 प्रतिशत बाजरा राजस्थान में पैदा होता है, यहां जो बाजरे का समर्थन मूल्य घोषित किया है वह 2016-17 में किया है इन्होंने 1330 और अभी 2020-21 में है 2150, इतना बड़ा डिफरेंस है और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या आपने बाजरा खरीदने के लिए अपनी तरफ से केन्द्र सरकार से मांगा था या आपने कोई एफिडेविट यह दिया है कि हम बाजरा नहीं खरीद सकते।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): अगर भारत सरकार हमें अधिकृत करती है बाजरा खरीदने के लिए तो हमारे संसाधन पूरे तैयार हैं, हम खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार इसकी स्वीकृति नहीं दे रही है। उन्होंने यह कह दिया कि आप अपने विवेक से खरीदें। राजस्थान सरकार के आर्थिक हालात ऐसे नहीं हैं कि इतनी मात्रा में खरीद सकें। हम राजस्थान के इतने सांसद बैठे हैं, वे बाजरे की चिंता करते हैं। बार-बार हरियाणा की बातें भी सामने आईं, अगर हरियाणा में जिस प्रकार से खरीद रहे हैं, अगर इस प्रकार का प्रयास किया जाता तो राजस्थान सरकार भी खरीद कर बताती। हमने 2014 से 2018 तक के आंकड़े निकाल रखे हैं, हमारे इन तीन सालों से सबसे ज्यादा जिंसों की खरीद हुई तो राजस्थान सरकार की हुई है इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे भाषण नहीं पूछ रहा हूं। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि बाजरे की खरीद के लिए आपने केन्द्र सरकार को अपना पत्र कब लिखा? कब उन्होंने आपको ना कर दिया?...(व्यवधान).

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको प्रश्न पूछने की कहां जरूरत पड़ रही है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बाजरा खरीद के बारे में बताना चाहता हूं कि जितनी भी जिंसें हम खरीदते हैं समर्थन मूल्य पर उसकी..

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल बाजरे की पूछ रहा हूं बाजरे की।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बाजरे की खरीद की स्वीकृति हमें भारत सरकार से ...(व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने पत्र कब लिखा और उसका ना जवाब कब आ गया?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): पत्र की आपको बता देंगे लेकिन हमें बाजरा खरीद की परमिशन नहीं मिली है, इस कारण से नहीं खरीदा गया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। (व्यवधान) अगला प्रश्न, श्रीमती सफिया जुबेर। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): ...(व्यवधान) तैयारी करके नहीं आए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अलाउड नहीं हैं। कृपया बैठें नीचे बैठें । I'll not allow it. यह कौनसा तरीका है, आप भी खड़े हैं और ये भी खड़े हो रहे हैं। अगला प्रश्न। I'll not allow it. माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपको पूरा अधिकार है, आप दूसरे ढंग से इसको लेकर आएं। I'll allow it. क्वेश्चन की लिमिटेशन है।

अगला प्रश्न, श्रीमती सफिया जुबेर।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): प्रश्न संख्या 269.

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। I'll name you. ...(Interruption)Mr. Kataria Ji, I'll not allow it. I'll not tolerate it. I'll name you. Last time, I'm warning you. Next time if you intervene, I'll name you. यह कोई तरीका है क्या आपका? अपने आपको सीनियर समझ रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़े हैं और आप खड़े हो जाते हैं। बहुत गलत परम्परा डालना चाहते हैं आप।

रामगढ़ में रोडवेज बसों का संचालन

269. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में गोविन्दगढ़ से भरतपुर तक किसी भी प्रकार की रोडवेज बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार गोविन्दगढ़ (अलवर) से भरतपुर तक के लिये रोडवेज बस चलाये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अलवर, रामगढ़, नौगांवा, पाटा, रघुनाथगढ़ पर बस संचालित करने का विचार रखती है?

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां।

(परिवहन मंत्री)

(2) जी नहीं। निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल गोविन्दगढ़ (अलवर) से भरतपुर तक के लिये राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सीधी बस सेवा चलाये जाने का कोई विचार नहीं है।

(3) प्रश्नगत मार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा निम्नानुसार संचालन किया जा रहा है:-

क्र. सं.	आगार	मार्ग मय वाया	समय
1.	मत्स्य नगर	अलवर-रघुनाथगढ़ वाया रामगढ़, नौगांवा, पाटा	17.30
2.		रघुनाथगढ़-अलवर वाया पाटा, नौगांवा, रामगढ़	06.30

निजी वाहनों को जारी परमिट निम्नानुसार है:-

(1) अलवर से रामगढ़ उपनगरीय श्रेणी मार्ग खुला हुआ है जिस पर वर्तमान में 25 परमिट जारी है।

(2) नौगावां से सीकरी ग्रामीण मार्ग खुला हुआ है जिस पर वर्तमान में एक परमिट जारी है।

(3) किशनगढ से नौगावां ग्रामीण श्रेणी मार्ग खुला हुआ है जिस पर वर्तमान में 7 परमिट जारी है एवं इसी मार्ग पर मुबारिकपुर स्थान है, जिससे पाटा, रघुनाथगढ़ लगभग 3 किलोमीटर दूरी पर है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री अविनाश।

वक्फ बोर्ड में वक्फ की सम्पत्ति दर्ज करने की कार्ययोजना

270. श्री अविनाश (जैतारण): क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वक्फ बोर्ड में वक्फ की सम्पत्ति दर्ज करने की क्या प्रक्रिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वक्फ सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड में दर्ज करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों व अधिकारियों के पदनाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वक्फ में दर्ज होने वाली सम्पत्तियों की सम्पूर्ण प्रक्रिया में धर्म विशेष के अधिकारी ही नियुक्त होते हैं?

(श्री अविनाश)

(4) क्या सरकार उक्त प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु कोई संशोधन कर सभी धर्मों के अधिकारियों को नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

वक्फ मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) वक्फ बोर्ड में किसी सम्पत्ति को दर्ज कराने हेतु आवेदक द्वारा निर्धारित फार्म रजिस्ट्रेशन औकाफ के साथ स्वामित्व सम्बन्धित सम्पूर्ण दस्तावेजात प्रस्तुत होने पर सम्पत्ति वक्फ रिकार्ड में दर्ज की जाती है। फॉर्म की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वक्फ सम्पत्ति को वक्फ बोर्ड में दर्ज करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान वक्फ बोर्ड अधिकृत है।

(3) वक्फ में दर्ज होने वाली वक्फ सम्पत्तियों की सम्पूर्ण प्रक्रिया में मुस्लिम समाज के अतिरिक्त व्यक्ति अधिकारी भी नियुक्ति हो सकते हैं, किन्तु वक्फ बोर्ड में सम्पत्ति के पंजीयन के आदेश प्रदान करने एवं पंजीयन रजिस्टर में इन्द्राज को प्रमाणित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही अधिकृत है।

केन्द्रीय वक्फ अधिनियम-1995 की धारा 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मुस्लिम होना आवश्यक है। प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। केन्द्रीय वक्फ अधिनियम, 1995 में किसी प्रकार का संशोधन केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं।)

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानकारी करना चाहता हूं कि आपने इस परिशिष्ट-1 में जो उत्तर दिया है और जो प्रोफॉर्मा आपने दिया है, क्या वक्फ में सम्पत्ति दर्ज करने के लिए सिर्फ यही प्रोफॉर्मा काफी है? इसको भरने के बाद में क्या दर्ज करने के लिए किसी समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी होती है एनओसी के लिए?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे मैंने पूरा प्रोफॉर्मा इनको उपलब्ध कराया है, मान लो किसी सम्पत्ति के अंदर किसी को आपत्ति है तो हमें जब मालूम पड़ता है कि किसी सम्पत्ति में झगड़ा है आपस में तो उसको हम जरूर अखबारों में प्रकाशित

(श्री शाले मोहम्मद)

करते हैं। जहां पर कोई झगड़ा या आपत्ति नहीं आती है तो उसको हम डाइरेक्ट ही कर लेते हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जब सम्पत्ति एक बार दर्ज हो जाती है तो उससे पहले क्या एनओसी के लिए आप दर्ज करने से पहले किसी सक्षम अख़बार के अंदर प्रकाशित करते हैं ताकि उस क्षेत्र के लोगों को पता लगे कि यह फलां सम्पत्ति वक्फ में दर्ज हो रही है? मैं यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इसमें आपने यह उत्तर दिया है कि जो पंजीयन का अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वक्फ बोर्ड राजस्थान का होता है और वह मुस्लिम होता है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत से विवाद ऐसे हैं, बिना समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के कारण न्यायालय में विवाद चलते हैं, उसके बाद में कोई झगड़ा होता है तो मेरा सीधा-सा सवाल यह है कि उसमें आप समाचार-पत्रों में प्रकाशित करेंगे? दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या आपने लिखा कि पंजीयन के लिए सिर्फ मुस्लिम अधिकारी राजस्थान वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, लेकिन शुरू से लेकर आखिरी प्रक्रिया तक...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं आप, केवल बोल रहे हैं।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। जो मुस्लिम अधिकारी का आपने कहा है, क्या शुरू से लेकर आखिरी पंजीयन तक जितने भी अधिकारी, कर्मचारी हैं, क्या वो सारे ही मुस्लिम समाज के हैं या किसी और समाज के भी हैं?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पूरा प्रोफॉर्मा दिया है। पहले का कोई भी व्यक्ति यदि किसी सम्पत्ति पर आपत्ति करेगा तो हम उसका जरूर अखबारों में प्रकाशन करेंगे। मान लें, किसी को कोई आपत्ति भी नहीं है तो प्रकाशन करने की जरूरत भी नहीं है।

आपने कहा कि एक्ट की धारा 23 में यह लिखा है कि वक्फ अधिकारी मुस्लिम ही होगा, विभाग में जो बाकी लोग हैं, उनमें दूसरी कौम के कर्मचारी भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम ही हैं। मैं आपको सूची दे सकता हूं जिसमें हमारे वक्फ में काम करने वाले अधिकारी हैं उनके नाम हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने कह दिया, दूसरे समाज के भी हैं, हो गयी बात। अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

कोटा में पूरक पोषाहार सामग्री वितरण में अनियमितताओं की शिकायतें

271. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला कोटा में आंगनबाड़ी केन्द्रों के सही संचालन नहीं होने एवं पूरक पोषाहार सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध नहीं करवाये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभागीय कार्मिकों के विभिन्न पद रिक्त होने एवं कुशल कार्मिकों का अभाव होने तथा अनेकों आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए स्वयं की भूमि व भवन व्यवस्था नहीं होने के उपरान्त सरकार के समक्ष अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं करने से आधारभूत संसाधनों के अभाव के कारण उक्त केन्द्रों की व्यवस्थाएं भली-भांति नहीं चल रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विभिन्न केन्द्रों में वितरित होने वाली पूरक पोषाहार सामग्री स्वयं सहायता समूहों के नाम पर संवेदकों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति की जाकर भुगतान प्राप्त करने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या बाल विकास परियोजना अधिकारी, सुल्तानपुर के आदेश क्रमांक 996 दिनांक 19.08.2020 की अनुपालना में तथा इसी प्रकार से अन्य स्थानों पर भी जांच कार्यवाही की गयी है? यदि हां, तो उक्त जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की गयी? जांच रिपोर्ट का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास के स्थान पर): (1) कोटा जिले में सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन विभागीय दिशा-निर्देशानुसार समय पर किया जा रहा है।

जी हां। पोषाहार सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध नहीं कराये जाने के सम्बन्ध में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जांच उपरान्त परियोजना कोटा शहर के आंगनबाड़ी केन्द्र संजय नगर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मानदेय सेवा से पृथक कर दिया गया है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभागीय कार्मिकों के रिक्त पदों का कार्य अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों को दिया जाकर परियोजना का कार्य/

(श्री टीकाराम जूली)

व्यवस्थाएं सुचारु रूप से संचालित करवायी जा रही हैं। उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत, रिक्त एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के अन्तर्गत 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: इटावा एवं सुल्तानपुर में संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों के संचालन की स्थिति का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों को सरकारी विद्यालयों के भवनों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों से भूमि आबंटन एवं नि:शुल्क पट्टे लिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं। पूरक पोषाहार की आपूर्ति स्वयं सहायता समूहों से प्राप्त नहीं की जा रही है और न ही किसी प्रकार का भुगतान किया जा रहा है। अत: संवेदकों एवं निजी व्यक्तियों द्वारा आपूर्ति की जाकर भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

वर्तमान में कोविड-19 के कारण आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सभी लाभार्थियों को खाद्यान्न के रूप में साबुत सामग्री में गेहूं व चावल भारतीय खाद्य निगम से व चना दाल NAFED से केन्द्रीकृत रूप में क्रय कर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से प्राप्त कर आंगनबाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

(4) बाल विकास परियोजना अधिकारी सुल्तानपुर के आदेश क्रमांक 996 दिनांक 19.08.2020 की अनुपालना में गठित कमेटी द्वारा धनवा आंगनबाड़ी केन्द्र की जांच रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। इसी प्रकार से अन्य बाल विकास परियोजनाओं में शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। यदि शिकायतें प्राप्त होती हैं तो जांच करायी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं। मैं मंत्री जी को खुद दे चुका हूं, एक विधायक दे चुका है, करप्शन की दे चुका है, 25 परसेंट वसूली की दे चुका है और सक्षम महिला जन कल्याण समिति की 18.11.2019 की क्र.सं. 236 की शिकायत है। इसी प्रकार से, माननीय मंत्री जी, 2020 की शिकायत है और कैंसर पीड़ित को आपने

(श्री रामनारायण मीना)

सीडीपीओ लगा रखा है, लेकिन अध्यक्ष जी, मैं इनसे जानकारी चाहूंगा कि जो जांच हुई है 996/19.08.2020 की, उस जांच के बाद भी उस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सस्पैंड क्यों नहीं किया गया, टर्मिनेट क्यों नहीं किया गया वहां से? डिप्टी डायरेक्टर है, जिसके खिलाफ एसीबी में केसेज रजिस्टर्ड हैं, उसने दोबारा से क्यों जांच रिपोर्ट डाली और ऐसी 50 शिकायतें हैं...

श्री अध्यक्ष: यह आपका प्रश्न है या सिर्फ एक्सप्रेशन है?

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): मैं यह जानना चाहता हूं कि क्रमानुसार उन शिकायतों की जांच क्यों नहीं की जा रही है और उसे पद पर क्यों रखा जा रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं। I have to do an unpleasant duty.

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की शिकायतें पहले निश्चित तौर पर आती रही हैं, लेकिन पिछले एक वर्ष से वह पूरा सिस्टम अब बंद हो गया है। अब कोविड-19 की वजह से वहां जो हमारे आंगनबाड़ी वर्कर हैं, सीधे दुकानों के माध्यम से ही खाद्यान्न उनके माध्यम से मिल रहा है, इसलिए आप जो बात कह रहे हैं, निश्चित तौर पर ठीक है, उस समय की शिकायत है, लेकिन पिछले एक वर्ष से वे हैं भी नहीं।

दूसरा, इन शिकायतों के निस्तारण के लिए माननीय सीएस की अध्यक्षता में एक कमेटी का भी गठन किया गया है, उसी के निर्देशानुसार ये डायरेक्ट खाद्यान्न वितरित कर रहे हैं। आने वाले समय में इसके अंदर और भी एक्शन लिये जाएंगे। दूसरी बात जो आपने कही 996 के अंदर कार्यवाही करने की, निश्चित तौर पर उसमें डिले हुआ है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहूंगा कि 7 दिवस के अंदर-अंदर इस पर कार्यवाही हो जाएगी।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): अध्यक्ष महोदय, जो करप्शन लॉकडाउन के पहले हुआ है, जो शिकायत विधायक कर रहा है और पब्लिक लिखकर दे रही है कि 25 परसेंट उप-निदेशक वहां कमीशन ले रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री जी ने कह दिया न, 7 दिन में कार्यवाही कर देंगे।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): लॉकडाउन के पहले की शिकायतों के बारे में आपने जांच करके उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की, उसका क्या कारण है? अब कब तक कर देंगे उन पर कार्यवाही और डिटेल्ड जांच कब तक कर लेंगे?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसा अवगत कराया है कि कोविड से पहले की जो शिकायतें हैं, जैसा कि माननीय सदस्य ने हमें शिकायतें दी हैं, उनकी एक-एक शिकायत की जांच करायी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में बेरोजगारी भत्ता

272. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने जन घोषणा पत्र में प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था? यदि हां, तो अब तक प्रदेश में कुल कितने युवाओं को कितनी राशि का प्रतिमाह भुगतान किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो जनवरी, 2019 से अब तक कितने युवाओं को प्रतिमाह कितना भुगतान किया गया? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवा वर्ग को 3500/- रुपये तक प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिये जाने की घोषणा की थी, जिसकी अनुपालना में दिनांक 01 फरवरी, 2019 से राज्य में मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना का संचालन किया गया और जिसके अन्तर्गत पुरुष आशार्थियों को 3,000/- रुपये एवं ट्रांसजैण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों को 35,00/- रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है।

प्रदेश में योजना प्रारम्भ तिथि 01 फरवरी, 2019 से 31 दिसम्बर,

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता)

2020 तक रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत स्नातक तथा योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले कुल 2,49,433 बेरोजगार आशार्थियों को कुल 786.54 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान बेरोजगारी भत्ते के रूप में किया गया है। उक्त अवधि में कुल लाभार्थी व कुल व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट अ-1 पर तथा प्रतिमाह किये गये भुगतान का जिलेवार विवरण परिशिष्ट अ-2 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। योजना प्रारम्भ तिथि 01 फरवरी, 2019 से 31 दिसम्बर 2020 तक ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के पंजीकृत स्नातक तथा योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले कुल 712 बेरोजगार आशार्थियों को कुल राशि 2.33 करोड़ रुपये के बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया गया है। इनमें से पुरुष आशार्थियों को 3000/- रुपये एवं ट्रांसजैण्डर, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों को 3500/- रुपये प्रतिमाह की दर से भुगतान किया गया है। लाभान्वितों को प्रतिमाह किये गये भुगतान की नाम सहित सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि यह जो 3500 रुपये के शिक्षित बेरोजगारी भत्ते की आपने घोषणा की थी, आपने स्वीकार किया, उसके लिए तो धन्यवाद है। मैं यह पूछ रहा हूं कि पुरुषों को 3000 और महिलाओं को 3500 रुपये, यह भी आपने बाद में संशोधन किया है।

दूसरा निवेदन यह है कि पंजीकृत स्नातक का जो मापदण्ड लगा है, यह भी आपके घोषणा पत्र में नहीं था तो अभी ये बाकी के जो शिक्षित बेरोजगार हैं, वे बेचैन हैं, क्या उन्हें भी आप इसमें जोड़ने की मंशा रखते हैं अथवा नहीं? यह बताएं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने कहा कि पुरुषों को 3000 और महिला, ट्रांसजैण्डर और विशेष योग्यजन को 3500 क्यों? घोषणा में लिखा हुआ है ''3500 तक'', इस शब्द के मायने हैं। 'तक' का मतलब इसके अंदर कितना भी हो सकता है तो इसीलिए हमारी घोषणा के अनुसार हम जो यह बेरोजगारी भत्ते का भुगतान दे रहे हैं, वह पूरी तरह से सही है।

(श्री अशोक)

दूसरा प्रश्न आपने किया कि केवल ग्रेजुएट लोगों को ही क्यों दिया जा रहा है? घोषणा में एक शब्द था, 'शिक्षित' बेरोजगार युवाओं को, शिक्षित का मापदण्ड क्या होगा, यह तय किया कि कम से कम ग्रैजुएट तो हो जिसे हम यह मानें कि शिक्षा पूरी प्राप्त कर ली गयी है और उसके बाद भी यदि बेरोजगार हैं तो उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या 10+2 को आप प्रशिक्षण नहीं मानते हैं? एक निवेदन तो यह था। दूसरा निवेदन यह है कि यह जो लिस्ट आपने दी है, इसमें कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा कि इस नाम का व्यक्ति कहां मिलेगा, उसका कोई गांव, पता वगैरह कुछ तो लिख देते तो हम कम से कम जानकारी तो कर सकें कि कितने सही हैं और कितने गलत। अब 1712 की सूची दी है, एक का भी कुछ पता नहीं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): यदि आपको इस सूची में विशेष जानकारी गांवों के बारे में चाहिए तो आप मुझे विशेष जानकारी के बारे में लिखकर दें, मैं पूरी जानकारी गांवों के अनुसार दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री गोपी चन्द मीणा।

भीलवाड़ा के कारखानों में बॉयलर्स रखरखाव एवं निरीक्षण

273. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला भीलवाड़ा में कपड़ा उद्योग से संबंधित कारखानों का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कारखानों में नियमानुसार कार्य होकर मशीनरी एवं विशेषकर बॉयलर्स के रखरखाव एवं उनके निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण हेतु क्या व्यवस्था है? औद्योगिक क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त जिले सहित प्रदेश के कई स्थानों से निर्धारित मानदण्डों में बॉयलर्स एवं अन्य मशीनरियों का उपयोग नहीं होने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण (श्री टीकाराम जूली): (1) जिला भीलवाड़ा में कपडा उद्योग से संबंधित कारखानों का संचालन हमीरगढ़,

(राज्य मंत्री, कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण)

माण्डल, गुलाबपुरा, बनेड़ा, रायसिंहपुरा, धुवालियां, सरेरी, चित्तौड़ रोड इत्यादि स्थानों पर किया जा रहा है। कारखानों की सूची परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) उक्त कारखानों में विभागीय अधिकारियों द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अन्तर्गत बने नियमों एवं बॉयलर्स अधिनियम, 1923 के तहत केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली द्वारा आबंटित कारखानों एवं बॉयलर्स का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के समय पाई गयी कमियों पर कारखाना प्रबन्धकों को नोटिस जारी कर कमियों को दूर करवाया जाता है। बॉयलर का निरीक्षण खुला व हाइड्रोलिक टैस्ट कर सन्तोषप्रद पाये जाने पर एक वर्ष के संचालन हेतु प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। बॉयलर की क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(3) विभाग में भीलवाड़ा जिले सहित प्रदेश के कई स्थानों से निर्धारित मानदण्डों में बॉयलर्स एवं अन्य मशीनरियों का उपयोग नहीं होने की शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(4) विभाग द्वारा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कारखाना व बॉयलर्स के निरीक्षणों को केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली से कम्प्यूटर द्वारा रेन्डमली (क्रमहीन) आबंटन किया जाता है। कारखानों व बायलरों का सम्भाग स्तर के 6 अधिकारियों द्वारा निरीक्षण सम्पादित किया जाता है एवं सुरक्षा प्रावधानों की प्रभावी अनुपालना करवाई जाती है।

अधिकारियों का विवरण निम्नवत है:-

1. उप मुख्य निरीक्षक - भीलवाड़ा
2. वरिष्ठ निरीक्षक - अजमेर, किशनगढ़
3. निरीक्षक - भीलवाड़ा, अजमेर, मकराना

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के कितने कारखानों में बॉयलर्स चालू हैं और कितने में बन्द हैं? साथ ही भीलवाड़ा शहर के कारखानों से गन्दा पानी कोठारी नदी व बनास नदी में डाला जा रहा है जिससे मेरे क्षेत्र की 20 ग्राम पंचायतों में किसानों के चर्म रोग, कैन्सर जैसी गम्भीर बीमारियां हो रही हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि शहर के कारखानों से दूषित पानी को रोकने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक दूषित पानी की बात है तो आप निश्चित रूप से हमारा जो पर्यावरण विभाग है उसमें बता सकते हैं और उसमें शिकायत करेंगे तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ वे कार्यवाही करेंगे।

दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो बॉयलर की जानकारी चाही है तो 2019 में हमने जो निरीक्षण किए हैं, उनमें भीलवाड़ा जिले के बॉयलर 121 हैं और फैक्ट्री के 166, टोटल 287 हैं। 2020 में जो हमने फैक्ट्री के निरीक्षण किए हैं, उनमें 191 हैं, बॉयलर के 153 हैं और टोटल 344 हैं।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): जो बन्द हैं और जिनमें कमियां पाई गई हैं, उनमें क्या सरकार कार्यवाही करना चाहती है?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी में भी कमियां नहीं पाई गई हैं और जिनमें कमियां पाई जाती हैं उनको 15 दिन का नोटिस देते हैं, उसको सुधारने का उसको मौका देते हैं और उसके बाद 15 दिन के बाद दुबारा जांच होती है और उसको चालू कर दिया जाता है। आज की स्थिति में ऐसा कोई नहीं है कि नोटिस के बाद में कमियां पूरी नहीं की गई हों।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, हमीर सिंह भायल।

सिवाना में नवीन पशु चिकित्सालयों की स्थापना

274. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत दो वर्षों में कहां-कहां पशु चिकित्सालय खोले एवं क्रमोन्नत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में प्रदेश के कितने पशु चिकित्सालय भवनविहीन हैं। उक्त चिकित्सालयों के भवन निर्माण हेतु सरकार द्वारा क्या प्रावधान किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिवाना के कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय पर नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोले गये हैं? उक्त में से कितने केन्द्रों पर कौन-कौनसे पद रिक्त हैं? कितनी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर अब तक पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हैं? उक्त वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा केन्द्र कब तक खोल दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हमीर सिंह भायल)

(4) क्या सरकार प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा हेतु मोबाइल यूनिट चलाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) प्रदेश में गत दो वर्षों में कोई भी पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है जब कि प्रदेश में 586 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र स्वीकृत किये गये हैं।

बजट घोषणा 2019-20 के तहत पशु चिकित्सालय निम्बार्क तीर्थ सलेमाबाद जिला अजमेर को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) वर्तमान में प्रदेश के 602 पशु चिकित्सालयों के राजकीय भवन नहीं हैं।

राजकीय भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण के लिए विभाग के नाम भू-स्वामित्व के पट्टे उपलब्ध होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार भवन निर्माण का कार्य करवाया जाता है।

(3) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र सिवाना की ग्राम पंचायत मुख्यालय गोलियां, नाकोडा, चाडों की ढाणी एवं लोहिडी में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोले गये हैं। वर्तमान में उक्त चारों पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के पशुधन सहायक एवं जलधारी के पद रिक्त हैं।

विधान सभा क्षेत्र सिवाना की 32 ग्राम पंचायतों में विभाग की कोई पशु चिकित्सा संस्था उपलब्ध नहीं है।

पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार खोली जाती हैं।

(4) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2021-22 अनुसार प्रदेश में मोबाइल वेटेरिनरी सेवा शुरू की जानी प्रस्तावित है।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि जो भवन विहीन पशु चिकित्सालय हैं उनमें कब तक भवनों का निर्माण करने के लिए कोशिश की जाएगी? सैकण्ड, जिन 32 पंचायतों में अभी नहीं खोले गए हैं, उनमें शीघ्र इस साल में खोले जाएंगे या समय लगेगा?

एक मेरा निवेदन था कि अभी जो नवीन चार पंचायतों में आपने खोले

(श्री हमीर सिंह भायल)

इसके लिए तो धन्यवाद है, परन्तु पशुधन सहायक और जलधारी यहां जल्दी लग जाएं तो पशुओं का इलाज आराम से हो सके।

अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन और था कि मेरे वहां बाड़मेर और जैसलमेर जिले में ऊँट पशु ज्यादा होने की वजह से मोबाइल टीम द्वारा उनके इलाज के लिए टीम बनाकर सही तरीके से किया जाए। इसके अलावा ऊंटनी जब बच्चे को जन्म देती थी तो उनको जो अनुदान मिलता था, वह वापस चालू हो जाए तब तो लोग इनको पालेंगे, नहीं तो ये बेकार हो जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न तो अपना कोई है ही नहीं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है और मैंने जैसे उत्तर में बताया है कि इनके चार उपकेन्द्र खोले थे और चारों में पद खाली हैं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि 31 मार्च से पहले-पहले ये चारों पद भर दिए जाएंगे। दूसरा इन्होंने ऊँट की बात कही है, आप मुझे लिखकर दे दें, जहां-जहां आप कैम्प लगाना चाहें, वहां मैं शीघ्र ही आपके क्षेत्र में कैम्प लगवा दूंगा। एक जानकारी मैं आपको और दूंगा कि आपके यहां एक थापना उपकेन्द्र है उसका 12 लाख रुपये का काम चल रहा है। दूसरा, आपके समदड़ी की 35 लाख रुपये की कार्ययोजना बनाकर हमने वित्त विभाग में भेज दी है, उसमें जैसे ही बजट की स्वीकृति मिलेगी, वह भी आपके चालू करवा दिया जाएगा। अगले वर्ष हम 400 नये उपकेन्द्र खोल रहे हैं, आप लिखकर देना और जो प्राथमिकता में होंगे, उनमें खोले जाएंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री रामलाल जाट।

भीलवाड़ा की पंचायत समितियों में नन्दीशाला की स्थापना

275. श्री रामलाल जाट (माण्डल): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 से 2021 में जिला भीलवाड़ा की समस्त पंचायत समितियों में नंदीशालाएं स्थापित करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में नंदीशालाएं स्थापित की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त नंदीशालाओं के लिए सरकार द्वारा भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम पंचायत में सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी जिसमें भीलवाड़ा जिले की समस्त पंचायत समितियां भी सम्मिलित हैं।

बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दीशालाएं स्थापित करने बाबत योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किया जाएगा। अत: जिला भीलवाड़ा में वर्तमान तक पंचायत समिति स्तर पर स्थापित नंदीशालाओं की संख्या शून्य है।

(2) जिला भीलवाड़ा में केवल बदनौर पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोलने हेतु कार्यालय जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा के आदेश क्रमांक एफ 12-3(2)( )/आरए/ 2020/2119 दिनांक 29.01.2021 द्वारा ग्राम बदनौर तहसील बदनौर में 5.00 है. भूमि आरक्षित की गयी है।

ग्राम पंचायत स्तरीय नंदीशाला खोलने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया कि 2019-20 में बजट में सभी पंचायत समितियों पर नन्दी गौशाला खोलने की घोषणा की गई और अब तक कोई खुली नहीं है। यह भी जवाब इन्होंने दिया और उसमें कई कारण हो सकते हैं, कोरोना का भी कारण है पर अब कब तक स्थापित कर दी जाएंगी? कोई टाइमबाउंड बताया जाए।

माननीय अध्यक्ष जी, गौशाला की स्थापना और अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि जो जमीनी स्तर पर लोगों को फायदा देना है वह फायदा नहीं आ पाता तो क्या सरकार इस प्रक्रिया में सुधार करने का कोई काम करेगी? यह बता दें, फिर तीसरा एक और है।

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, हम पंचायत समिति स्तर की नन्दी गौशालाओं के लिए व्यावहारिक मॉडल बनाना चाहते थे जिसके लिए मैंने और विभाग के अधिकारियों ने कई नन्दी गौशालाओं की विजिट की, कई दौरे किए, गौशालाओं की संस्थाओं से बातचीत की, विचार-विमर्श किया। संत समाज, जो गौशालाओं से, संस्थाओं से जुड़े हुए हैं उनसे भी विचार-विमर्श किया और इस विचार-विमर्श से जो मॉडल बना, उसमें एक पंचायत समिति स्तर की नन्दी गौशाला की लागत लगभग डेढ़ करोड़ रुपये की घोषणा इस बजट में की गई है और इसके लिए 111 करोड़ रुपये का बजट में

(श्री प्रमोद भाया)

प्रावधान रखा है। विलम्ब का एक कारण कोरोना भी रहा है। अब पंचायत समिति स्तर पर नन्दी गौशालाओं की स्थापना का कार्य जल्दी ही प्रारम्भ होगा, यह मैं सदन को आश्वस्त करता हूं।

दूसरा, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने दूसरी बात गौशालाओं की स्थापना एवं अनुदान की प्रक्रिया की जटिलता का जो जिक्र किया वह समस्या मेरे संज्ञान में भी है इसलिए नियमों को सरल करने की प्रक्रिया पर विचार चल रहा है। इसके लिए भी हमने इससे जुड़ी कई संस्थाओं के प्रतिनिधियों से कई चरणों में बैठक की है और जिन-जिन समस्याओं से उन्होंने अवगत कराया है, हमारा प्रयास है कि हम जल्दी से जल्दी इसके भी संशोधित आदेश जारी करने वाले हैं, ताकि संस्थाओं को अधिक-अधिक से लाभ मिलें और अधिक से अधिक प्रक्रिया का सरलीकरण हो।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): माननीय अध्यक्ष जी, आपकी यह बात तो ठीक है, लेकिन मेरा सुझाव भी है और प्रश्न भी है कि स्पर्श ट्रस्ट, राजस्थान डेयरी को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 2005 से स्थापित की है। मैंने भीलवाड़ा का एक प्रस्ताव भेजा तत्कालीन गवर्नमेंट को भी, क्या मंत्री जी उस प्रस्ताव को, मैंने यह कहा था कि हम एक भी पैसा आपसे नहीं लेंगे, नि:शुल्क जमीन लेंगे, ट्रस्ट में आप नि:शुल्क जमीन दें, एक भी आवारा जानवर होगा तो हम हैल्पलाइन के माध्यम से, उसको तुरन्त गांव से उठा लेंगे। क्या मंत्री जी उस प्रक्रिया को दुबारा हमारी रिव्यू मीटिंग करके, कोई ऐसा आश्वासन दें, मैं आपको भरोसा देता हूं कि.

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न-प्रश्न।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): पूछ रहा हूं साहब, क्या मंत्री जी एक भी आवारा पशु जिले में नहीं रहें, उस प्रस्ताव को अगर आप मानते हो, तो राजस्थान में भी फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न-प्रश्न।

श्री रामलाल जाट (माण्डल): दूसरा, एक सर पहले जो ये मेले भरते थे, उनमें नसबंदी करते थे। क्या आप एक सघन अभियान चलाकर, जो इतने आवारा जानवर घूम रहे हैं, उसको पाँच-सात साल लगातार करें तो उनकी संख्या 10-20 परसेंट हो जाएगी, उनका बंध्याकरण करके..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछ लें, आप। माननीय मंत्री जी।

श्री रामलाल जाट (माण्डल):, माननीय मंत्री जी, आप राजस्थान में एक अभियान के रूप में बंध्याकरण करने का अभियान चलाएंगे क्या?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, गोशाला, नंदीशाला का जो नियम है, वह संस्था कम से कम दो वर्ष पुरानी पंजीकृत हो, ये पंजीकरण सोसायटी एक्ट में भी होता है और गोशाला एक्ट में भी होता है और ट्रस्ट एक्ट में भी होता है। दूसरा, गोशाला कम से कम दो वर्ष चली हुई हो और उसमें भौतिक सत्यापन के समय पशुओं, गोवंश की संख्या 200 हो।

दूसरा, जो माननीय सदस्य जी ने जो बात रखी भीलवाड़ा के प्रस्ताव के बारे में तो मैं माननीय सदस्य जी से इस बारे में अलग से चर्चा कर लूंगा और इस संबंध में जो समस्या है, उसका समाधान करने का हम जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे।

तीसरा, जो बंध्याकरण वाली जो बात रखी है तो इसके लिए पशुपालन विभाग के द्वारा समय-समय पर अभियान चलाये जाते हैं और प्रतिवर्ष यह अभियान सतत प्रक्रिया है, फिर भी यदि भीलवाड़ा जिले में कोई कमी है तो उसके लिए पशुपालन मंत्री जी और हम आपस में चर्चा करेंगे। वहां विशेष अभियान, माननीय सदस्य जी की भावना के अनुरूप चलाने का जल्दी से जल्दी से प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, दो साल का जो राइडर है, उस राइडर को जब तक आप नहीं हटाएंगे, तब तक प्रभावशाली ढंग से पंचायत समिति पर यह प्रारम्भ नहीं हो पाएगा। इस पर भी रिव्यू करने का काम करें।

अगला प्रश्न, हीराराम।

बिलाड़ा में नवीन ग्राम सहकारी समितियों की स्थापना

276. श्री हीराराम (बिलाड़ा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में वर्तमान में किस-किस स्थान पर क्रय विक्रय सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं एवं उनके अधीन कौन-कौनसी ग्राम सेवा सहकारी समितियां व अन्य सहकारी संस्था कार्य कर रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि दिसम्बर, 2019 से 20 जनवरी, 2021 तक उक्त विधान सभा क्षेत्र में नई क्रय विक्रय सहकारी समितियां व ग्राम सहकारी

(श्री हीराराम)

समितियों की स्वीकृति जारी की गई है? यदि हां, तो कब व कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): (1) विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में बिलाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति एवं पीपाड़ क्रय विक्रय सहकारी समिति कार्य कर रही हैं।

बिलाड़ा क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधीन 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

पीपाड़ क्रय विक्रय सहकारी समिति के अधीन 15 ग्राम सेवा सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में ग्राम पंचायत रियां, पंचायत समिति पीपाड़सिटी में रियां ग्राम सेवा सहकारी समिति के गठन बाबत कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक प.15(22) सविरा/योजना-2/08/जोधपुर/पार्ट-2 दिनांक 05.11.2020 द्वारा स्वीकृति जारी की गई है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री हीराराम (बिलाड़ा): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, गोपाल लाल मीना।

जमवारामगढ़ में बंद बसों का पुनः संचालन

277. श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) कोरोनाकाल की वजह से पहले से चल रही परिवहन बसों को बंद किया गया है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में तथा उक्त के बंद करने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जिन गांवों में परिवहन सेवा बन्द की गई है, उनमें पुन: परिवहन बसें चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। विवरण मय कारण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के जिन ग्रामों में निगम

(परिवहन मंत्री)

की परिवहन सेवा को बन्द किया हुआ है, वहां वर्तमान में निगम के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल निगम बसें चलाये जाने का कोई विचार नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खंड-2 में आपने सीमित संसाधनों के कारण निगम बसें चलाने से इन्कार किया है। सीमित संसाधन की क्या सीमा है और विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में परिवहन की बहुत ज्यादा समस्या है, इसको देखते हुए क्या सरकार परिवहन बसों की सेवा से वंचित गांवों में रोडवेज की बसों का संचालन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों तथा किन कारणों से, पूर्ण विवरण सहित मेज पर रखें। दूसरा, जमवारामगढ़ विधान सभा...

श्री अध्यक्ष: ये तो दूसरा प्रश्न हो गया, माननीय सदस्य हो गया, ये नया प्रश्न लिखकर देना।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की चिंता वाजिब है। जमवारामगढ़ जयपुर से जुड़ता हुआ क्षेत्र है और आपके यहां पर कोरोनाकाल में आपके यहां ही नहीं, पूरे राजस्थान में रोडवेज की बहुत बसें बंद की गई हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। जो जवाब डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दिया है, उसके अलावा भी काफी बसें आपके यहां चल रही हैं। जो बसें आपके यहां नई बंद हुई हैं आप मेरे साथ बैठना, विभाग के सब अधिकारियों को बुलाएंगे रामगढ़ की समस्याओं के समाधान के लिए, जो जयपुर से जुड़ते हुए हैं, उन रूटों को चालू करने के लिए और अब हम नई नीति ला रहे हैं ग्रामीण परिवहन सेवा, उसमें आपके यहां से मेरे पास पत्र आया है, उसमें आपको जोड़कर आपकी समस्या का समाधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती जाहिदा खान।

जयपुर में मेवात क्षेत्र के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास

278. श्रीमती जाहिदा खान (कामां): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार जयपुर में मेवात क्षेत्र के अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं के लिए रहकर पढ़ने के लिए छात्रावास खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): जी नहीं। जयपुर में मेवात क्षेत्र के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए रहकर पढ़ने के लिए अलग से छात्रावास खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभाग द्वारा अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदाय के पात्र छात्र/छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा दिए जाने का प्रावधान है। जयपुर में 100 शय्याओं का एक बालिका छात्रावास संचालित है, जिसमें सभी अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की छात्राओं (मेवात क्षेत्र की अल्पसंख्यक छात्राएं सहित) को नियमानुसार प्रवेश दिया जाता है। साथ ही, 100 शय्याओं के बालक छात्रावास के निर्माण हेतु टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार इसके लिए उचित प्रचार-प्रसार करती हैं, जिससे स्टूडेंट्स को पता हो कि उनको वहां पर एडमिशन मिल जाएगा? मेरे ख्याल से तो नहीं है।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी एक साल कोविड का रहा, इसकी वजह से छात्रावास बंद थे। इसके अलावा जब भी शिक्षण संस्थाएं चालू रहती हैं, उस समय हम अख़बार में निकालते हैं, इसका प्रकाशन भी कराते हैं और समय-समय पर यहां पर बच्चों का एडमिशन भी होता है। अभी जैसे ही कोविड खतम हुआ तो जयपुर में हमारा जो बालिका छात्रावास चालू हैं, उसमें 67 बालिकाओं ने एडमिशन भी ले लिया है।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां): आपका परसेंटेज रेशो क्या है स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए, माइनोरिटी के?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें मूल रूप से छह जातियां हैं, मुस्लिम, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध, उसमें जो जनसंख्या का प्रतिशत है, उसके अनुसार अलग-अलग लिया जाता है। इसमें जितनी सीटें हैं, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है तो उसके अनुसार उनकी संख्या ज्यादा रहती है, जिनकी जनसंख्या कम है, उनकी कम रहती है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कन्हैया लाल।

आंगनबाड़ी केन्द्रों के पोषाहार का लम्बित भुगतान

279. श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री कन्हैया लाल)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले पोषाहार का भुगतान पिछले कई महीनों से लम्बित है? यदि हां, तो कब से, कितना और क्यों? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार लम्बित चल रहे पोषाहार का भुगतान जल्द करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम) (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास के स्थान पर) : (1) जी हां। यह सही है प्रदेश में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित किये गये पोषाहार का भुगतान कई महीनों से लम्बित है। लम्बित भुगतान की जिलेवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। बकाया दायित्वों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बकाया भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है यह कब तक चलेगी? इसकी कोई तारीख बता सकते हैं क्या? दूसरा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो पैकिंग का पैसा साल भर से नहीं मिल रहा है और उनको तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है तो इस पैसे का भुगतान उनको कब तक हो जाएगा? यह बताने की कृपा करें।

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि पिछले कोविड की वजह से बजट संबंधी कुछ दिक्कतें रही हैं लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही जल्दी माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करके इसका भुगतान कराने का हम प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री धर्मनारायण जोशी।

उदयपुर में खेल स्टेडियम से वंचित उपखण्ड मुख्यालय

280. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

उदयपुर जिले के किन-किन नगरपालिका/उप खण्ड व तहसील

(श्री धर्मनारायण जोशी)

मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के लिये भूमि आबंटित नहीं है? क्या सरकार उक्त वंचित मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम के लिए भूमि आबंटन व स्टेडियम निर्माण का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): उदयपुर जिले के निम्नलिखित नगरपालिका/उपखण्ड व तहसील मुख्यालय पर खेल स्टेडियम के लिए भूमि आबंटित नहीं हैः-

1. खेरवाड़ा, 2. सलूम्बर, 3. भुल्लारा, 4. ऋषभदेव, 5. सायरा, 6. कोटड़ा, 7. बड़गांव, 8. लसाड़िया, 9. भीन्डर, 10. वल्लभनगर, 11. फलासिया, 12. बम्बोरा, 13. सराड़ा, 14. मावली।

सरकार द्वारा बजट की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर खेल स्टेडियम निर्माण का निर्णय किया जाता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें आप। माननीय मंत्री जी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): मेरा पूरक प्रश्न है। आपने अपने बजट में खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा की थी और मुझे आपने जवाब दिया है कि बजट की उपलब्धता पर इस पर विचार किया जाएगा। मेरा पहला प्रश्न है, ये बजट उपलब्धता का आधार क्या है और कब तक हो जाएगा?

दूसरा मेरा प्रश्न है, 14 उपखंडों में बजट नहीं होने के कारण खेल स्टेडियम नहीं है, उसके अलावा भी ऐसे उपखंड छूट रहे हैं, जैसे गोगुंदा है, गिर्वा है, जहां खेल स्टेडियम नहीं है, उसमें नाम नहीं है। क्या अधिकारियों की गलती के कारण सदन को गुमराह नहीं किया गया है?

(12.00 बजे)

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका पहला प्रश्न था कि इस बार की बजट की घोषणा में जो योजना है उसके तहत स्टेडियम बनाने की मानसिकता रखते हैं कि नहीं रखते हैं? मैं आपको बता दूं बजट घोषणा वर्ष 2021-22 के तहत प्रदेश में युवाओं एवं बच्चों के शारीरिक विकास हेतु आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किए जाने हेतु मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य में प्रत्येक ब्लॉक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाए जाने हेतु विधायक, सांसद निधि, जन प्रतिनिधि, जन सहयोग, सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। अतः विधान सभा में पारित होने के

(श्री अशोक)

उपरांत मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे। यह तो हो गया कि जो आपने पहला प्रश्न पूछा कि किस योजना के तहत भविष्य में निर्माण करना चाहते हैं। आप जितना विधायक कोष से, जन सहयोग से, सीएसआर से, पार्लियामेंट कोष से लेकर आएंगे, उतनी ही बराबर की राशि खेल विभाग देकर आपके ब्लॉक्स के अंदर, हर ब्लॉक के ऊपर जो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, वह हम निर्माण करवाएंगे।

दूसरा प्रश्न आपने पूछा, यदि कोई ऐसा ब्लॉक है कि जिसके अंदर स्टेडियम नहीं है लेकिन नाम छूट गया है, निश्चित रूप से यदि कोई ऐसा ब्लॉक है कि जिसका नाम छूट गया है और नहीं है, आप मुझे उसकी सूचना दें, मैं निश्चित रूप से विभाग के कर्मचारी से उसका जवाब तलब करके यदि गलती हुई है तो उसकी सजा मिलेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें। प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित तथा समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें।)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में मेहंदी की फसल के अलावा अन्य फसलों के खराबे से हुए नुकसान का मुआवजा किसानों को नहीं दिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा शहर में चंबल नदी में आए तेज बहाव से हुए मिट्टी के कटाव को रोके जाने के संबंध में।

(3) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में बीएड योग्यताधारियों का निजी स्कूलों में हो रहे शोषण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री जब्बर सिंह सांखला एवं 04 अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य का पद शाला दर्पण पर पुन: मैपिंग करवा कर विषयवार निर्धारित नहीं किया जाकर सामान्य किए जाने के संबंध में।

(5) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा में 11,000 वोल्टेज लाइन के तार आबादी क्षेत्र में नीचे होने से दुर्घटना घटित होने की संभावना के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में चाकन डैम स्कीम व बालापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का अपूर्ण कार्य एवं मोतीपुरा व इंद्राणी बांध सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्वार नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(7) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर में ट्रोमा/अस्थि रोग विभाग में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना अंतर्गत रोगियों का इलाज नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री बिहारीलाल एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से बीकानेर में बजरी खनन व्यवसायियों को पट्टे जारी नहीं किए जाने से बढ़ रहे अवैध खनन एवं सरकार को हो रही राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमंडी में तेज हवाओं के साथ हुई ओलावृष्टि, अतिवृष्टि एवं बेमौसम हुई बरसात से किसानों की नष्ट हुई फसलों के नुकसान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(3) श्री पुखराज, सदस्य की ओर से थाना खुनखुना जिला नागौर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आजडोली की अध्यापिका का अपहरण कर लूट एवं बलात्कार का प्रयास करने एवं उसे निर्वस्त्र कर फेंक दिए जाने की घटना की जांच में पुलिस की भूमिका संदिग्ध होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से 'स्पेशल इन्वेस्टीगेशन यूनिट आफ क्राइम्स अगेंस्ट वूमेन' के प्रभारी द्वारा फरियादी महिला के प्रकरण के निस्तारण के बदले अस्मत मांगने एवं बलात्कार के प्रयास किए जाने की घटना से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(5) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर की आनासागर झील

(श्री अध्यक्ष)

में रोजाना मर रही हजारों मछलियों के कारण वातावरण प्रदूषित होने से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री बिहारीलाल, श्री मदन दिलावर, श्री पुखराज, श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं श्री वासुदेव देवनानी को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अंतर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती संतोष, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में घड़साना नई मंडी को नगरपालिका बनाए जाने के संबंध में।

(2) श्री रामस्वरूप लाम्बा, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के ग्राम मांगलियावास की सरकारी भूमि खसरा नंबर-1,162 08 बीघा 07 बिस्वा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन के निर्माण हेतु आबंटित किए जाने के संबंध में।

(3) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में सिंचाई हेतु नये माइक्रो डैम, एनिकट एवं तालाब निर्माण कराये जाने के संबंध में।

(4) श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बड़ीसादड़ी में सीता माता अभयारण्य में लगने वाले प्रवेश शुल्क को समाप्त किए जाने के संबंध में।

(5) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से इटावा (कोटा) के सिविल न्यायालय को एसीजेएम में क्रमोन्नत करने एवं एडीजे न्यायालय का कैंप कोर्ट प्रारंभ किए जाने के संबंध में।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन पैरों पर।

श्री अध्यक्ष: (6) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में अवैध शराब के व्यापार को छोड़ चुके बंजारा समाज के व्यक्तियों को नवजीवन योजनान्तर्गत रोजगार उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

40] नियम 295 के अन्तर्गत-15 मार्च 2021-प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री अशोक डोगरा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बूंदी के तालेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने के संबंध में।

(8) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से माही परियोजना में स्वीकृत सब माइनर खमेरा का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(9) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से प्रदेश में डोडा पोस्त का अवैध व्यापार होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(10) श्री रामप्रताप कासनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक नंदी शाला का निर्माण कराकर किसानों को बेसहारा पशुओं से राहत दिलाए जाने के संबंध में।

(11) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल के सभी राजस्व ग्रामों में श्मशान घाट व मृत पशु डालने की जगह आबंटित किए जाने के संबंध में।

(12) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में।

(13) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नगर परिषद् अलवर द्वारा रोड लाइट कंपनी को भुगतान नहीं करने तथा शहर की रोड लाइटें खराब होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(14) श्री फूल सिंह मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में खातेदारी जमीनों का मुआवजा दिए बगैर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर माइंस, उदयपुर द्वारा अवैध कब्जा कर लिए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(15) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से इंदिरा गांधी नहर एवं भाखड़ा नहर प्रणाली में अनकमांड भूमि को कमांड क्षेत्र में परिवर्तित किए जाने पर लगी रोक से किसानों को हो रही परेशानी के संबंध में।

(16) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर में अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था कराए जाने के संबंध में।

(17) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के बड़े कस्बों के विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय खोले जाने के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(18) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से विधान सभा NH-11 पर पुलिस थाने के पास चौराहे पर एवं रामगढ़ शेखावाटी से गुजरने वाले NH-65 के रामगढ़ बाई पास चौराहे पर सर्किल या ओवरब्रिज बनाए जाने के संबंध में।

माननीय सदस्यों द्वारा दी गई सूचना को पढ़ा हुआ माना जाएगा।

(नियम 295 के तहत पढ़ी मानी गयी विशेष उल्लेख की सूचनाओं के लिए कृपया परिशिष्ट-01 देखें)

माननीय सदस्यगण, आप सब जानते हैं कि आज बहुत ज्यादा विवाह हैं। सभी माननीय सदस्यों को किसी न किसी विवाह में जाना होगा, इसलिए कोशिश यह करें कि हम समय पर अपनी चर्चा कर लें और वाइंड अप हो जाए। मैं दोनों पार्टियों के व्हिप से कहूंगा, कोशिश करें कि 6:00 बजे या 6:30-7.00 बजे तक वाइंड अप कर लें और 7.00 बजे मंत्री जी जवाब दे दें जिससे हम सारगर्भित चर्चा कर सकें। एक निवेदन तो यह है।

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी समान गंभीरता से दिए जाएं

दूसरा निवेदन जो मैं करना चाहता हूं वह माननीय मंत्रियों से निवेदन करना चाहता हूं कि अतारांकित प्रश्न को कृपा करके उसी सीरियसनैस से देखें जैसे तारांकित प्रश्न को क्योंकि अतारांकित प्रश्न पर यदि जवाब आता है और उसके और तारांकित प्रश्न के जवाब के बीच में अंतर रहता है तो कहीं न कहीं अतारांकित प्रश्न के जवाब को सीरियस नहीं ले रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न के संबंध में यह जरूर ध्यान रखेंगे।

माननीय धारीवाल साहब।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सर, मेरा अनुरोध है कि आज 6:00 बजे तक ही कार्यवाही करें क्योंकि 7:15 बजे कैबिनेट है और उसके बाद में कैबिनेट काउंसिल है, तो हमारी लाचारी है। आपने जैसा अभी फरमाया कि 7:00 बजे के करीब मंत्री जी जवाब दें, मंत्री अगर जवाब देंगे तो वहां हम अटैंड नहीं कर पाएंगे इसलिए 6:00 बजे तक खत्म कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आज तो सबके मन में है कि शादियों में जाना है इसमें कोई दो राय नहीं है, पर आज चर्चा का विषय कृषि है और हर व्यक्ति यह चाहता है कि वह अपने क्षेत्र के बारे में कृषि में जो कुछ भी और फिर इन 3 कानूनों को लेकर जिस प्रकार का चल रहा है असंतोष इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण मांग है। मैं सोचता हूं कि संख्या कम ज्यादा हो, कोई चिंता की बात नहीं है, पर निश्चित रूप से सब लोगों को, बोलने का समय घटा दीजिए भले ही, पर सबको अवसर मिले ताकि वह अपनी बात कह सकें।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता की बात का बीच में रास्ता निकालने के लिए ज्यादा सदस्य बोलें, 5 से 7 मिनट तक अपनी बात समाप्त कर लें। जो पहले दो-तीन स्पीकर हैं वह जितना पार्टी समय दें, उस संबंध में मैं रैस्ट्रिक्शन नहीं कर रहा हूं लेकिन बाकी सदस्य रिपीट नहीं करें। कोई नई बात कह रहे हों जो 5-7 मिनट में कर सकें, तो मैं समझता हूं कि सारगर्भित डिबेट हो जाएगी और हम कोशिश करें कि 6:30 बजे मंत्री का रिप्लाई हो जाए और 7:00 बजे तक सदन की कार्यवाही समाप्त हो, तो मैं समझता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री की भावना और प्रतिपक्ष के नेता की भावना को हम इनक्लूड कर पाएंगे।

श्री बिहारीलाल।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर में अवैध बजरी खनन

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष जी, बजरी पूरे प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण इश्यू है। लगातार सदन में इस पर कई बार चर्चा हुई है। बजरी खनन पर सुप्रीम कोर्ट की एन.जी.टी की रोक है। पर्यावरण के नुकसान को देखते हुए नदी नालों से जो बजरी का खनन होता है, उस पर रोक है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे बीकानेर जिले में और आस पास चूरू जिले में भी कई....

अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन

शून्य काल में सदस्यों की बात को गंभीरता से सुना जाना चाहिए

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं फिर निवेदन करूंगा, I'm very touchy. जीरो आवर में कृपया मंत्री जी को पूरे ध्यान से उनकी बात सुननी

(श्री अध्यक्ष)

चाहिये, इसलिए माननीय सदस्य चैम्बर में जाकर मंत्री जी से बात करें। 30 दिन हाउस चलता है और एक डेढ़ घंटा अगर जीरो आवर में माननीय सदस्य की बात को मंत्री जी ध्यान से नहीं सुनेंगे तो फिर स्थगन प्रस्ताव की महत्ता ही खतम हो जायेगी। कृपया मुझे क्षमा करें पर मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि आप मंत्री जी से उनके चैम्बर में जाकर चर्चा करें। जीरो आवर में कृपया मंत्री भी यहीं रहें और सदस्य भी उसकी गंभीरता को देखते हुए माननीय सदस्य जो उठा रहे हैं उस विषय की गंभीरता को समझते हुए सुनने की कोशिश करें।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

बीकानेर में अवैध बजरी खनन

श्री बिहारीलाल (नोखा): धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। बीकानेर जिले में कहीं भी नदी-नालों से बजरी का खनन नहीं होता क्योंकि पूरे जिले में कहीं भी नदी-नाले नहीं हैं। बीकानेर में बजरी का खनन भूमिगत होता है और अथाह भूमिगत बजरी का भंडार बीकानेर में है। बीकानेर में जो लीज पहले से सेंक्शन है, उनमें अभी भी बजरी का खनन हो रहा है। 2019 में 6 माह के लिये बंद कर दिया गया था। बीकानेर के खनन पट्टाधारक, रायल्टी ठेकेदार हाई कोर्ट में भी गये, सुप्रीम कोर्ट में भी गये। सुप्रीम कोर्ट से बीकानेर को 2020 में छूट भी मिल गई। खनिज विभाग ने 80 एप्लीकेंट को LOI भी जारी कर दी, मंशा पत्र भी जारी कर दिये जिसमें नोखा, कोलायत, बीकानेर और लूणकरणसर तहसील के लोग हैं पर स्टेट लेवल एन्वायर्नमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट अथॉरिटी जिसको सीया कमेटी कहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सीया कमेटी की कैसी सियासत है कि उनको अभी ईसी जारी नहीं हुई है, इस वजह से अवैध खनन बढ़ रहा है। हजारों लोग बेरोजगार हो गये जो बजरी की खदानों पर रोजगार पाते थे और प्रतिमाह 20 करोड़ रुपये का राजस्व का नुकसान राज्य को हो रहा है। बीकानेर की बजरी सबसे सस्ती है। बीकानेर संभाग के चारों जिलों सहित सीकर, जयपुर, नागौर, जोधपुर और हरियाणा के सीमावर्ती जिलों तक भी सप्लाई होती है। रोक के कारण महंगी हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, बजरी की रायल्टी का ठेका भी नहीं है। पिछली बार 54 करोड़ का था, इस बार पूरा साल निकल गया। सरकार को 54 करोड़ के राजस्व का नुकसान भी हुआ है और जिप्सम का रायल्टी ठेका नहीं है। माननीय मंत्री जी प्रमोद

(श्री बिहारीलाल)

जी किस प्रमोद में व्यस्त थे कि राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। राज्य का राजस्व बढ़े। क्या भाया जी को यह भाता नहीं है? इस पर सरकार गंभीर चिंतन करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन दिलावर।

रामगंज मण्डी में फसलों को कारित क्षति

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, रामगंज मण्डी क्षेत्र सहित कोटा जिले में जबरदस्त ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और हवा चलने के कारण से व बरसात होने के कारण से फसलें चौपट हो गई हैं। अधिकांश फसलें या तो खराब हो गई हैं या नीचे गिर गई हैं। इससे पैदावार होने की कोई संभावना अब बचती नहीं है, इसलिए किसान बड़े परेशान हैं और वह चाहते हैं कि इसका नियमानुसार सर्वे हो और उनको मुआवजा मिले। माननीय अध्यक्ष महोदय, परंतु वहां जब पटवारी सर्वे करने जाते हैं तो पटवारी है ही नहीं, कौन सर्वे करेगा? क्योंकि वहां कानून कोई जानता नहीं है, तहसीलदार घूम कर आ जाता है, सर्वे रिपोर्ट वह खुद बनाता नहीं है। सर्वे रिपोर्ट पटवारी को बनानी होती है इसलिए पटवारी बनाता नहीं है। मेरे रामगंज मण्डी क्षेत्र में मनोहरपुरा, नया गांव, खेड़्या, ढाणी खेडली, खेडली कंवरपुरा, गोडाला, कोटडी, झोपडिया, चेचट, इंटर कॉलोनी, फाण्दा, देवलीकलां, जालीमपुरा, सांड्याखेडी...

श्री अध्यक्ष: और कोई बाकी है क्या, रामगंज मण्डी पूरा क्षेत्र आ गया न।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): गोविन्दा, भूरनखेडी,....

श्री अध्यक्ष: नहीं प्लीज। माननीय सदस्य, नहीं समझना है? रामगंज मण्डी क्षेत्र में सब आ गया।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं अब लाडपुरा का निवेदन कर रहा हूं। लाडपुरा विधान सभा क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें नहीं समझ में आए तो। अगला, श्री पुखराज। नहीं प्लीज बैठें, आई विल नोट अलाउ इट। यह तरीका नहीं है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष: होगा किसान का, बैठें प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा। माननीय पुखराज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा, रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज, कटारिया जी, कटारिया जी, आई विल नोट अलाउ इट। इस तरह की बात मैं अलाउ नहीं करूंगा कि शिड्यूल्ड कास्ट का आदमी है इसलिए ...(व्यवधान). कोई कारण नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट या जनरल कास्ट का हो, प्लीज नीचे बैठें, नीचे बैठें। अंकित नहीं होगा। नीचे बैठें। माननीय कटारिया जी, आसन पर आरोप लगा रहे हैं। माननीय कटारिया जी, मैं फिर कह रहा हूं, आसन पर आरोप मैं सहन नहीं करूंगा। आप अनुसूचित जाति के हो लेकिन मेरे लिये माननीय सदस्य हैं। माननीय सदस्य को अध्यक्ष का पालन करना जरूरी है। आप इसका संरक्षण लेकर कानून का उल्लंघन करेंगे, मैं टोलरेट नहीं करूंगा। कटारिया जी, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, अध्यक्ष पर यदि आरोप लगेंगे तो मैं सहन नहीं करूंगा। यह एक्सेप्ट करें कि मैं अनुसूचित जाति का हूं इसलिए रोक रहा हूं मैं, यह आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। मैं इस परम्परा को अलाउ नहीं करूंगा। आप मेरे लिये सीनियर लीडर हैं। मदन दिलावर जी सदन के सदस्य हैं, मेरे लिये कास्ट इंपोर्टेंट नहीं है, इसलिए मेहरबानी करके इस तरह का आर्ग्यूमेंट देकर सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। I'll not allow it and I'll name you next time. And I'll not allow you to speak even जो मेरी discretion पावर है। इस तरह का मैसेज देना चाह रहे हो आप। पूरे राजस्थान में मैसेज देना चाहते हैं कि अध्यक्ष 'discriminate' कर रहा है, शिड्यूल्ड कास्ट के हो इसलिए बोलने नहीं देते हो। अनफार्च्युनेट है, आप जैसा सीनियर आदमी इस तरह के शब्द यूज करता है। श्री पुखराज जी। ...(व्यवधान) अच्छा है सीख कर आइए अंग्रेजी, फिर हाउस में आना।

नागौर में अध्यापिका के साथ लूट व बलात्कार

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन संबंधी नियम 50 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

माननीय, जिला नागौर के डीडवाना में, अध्यक्ष महोदय, गला खराब है आप इन्हें अलाउ कर दें।

श्री अध्यक्ष: नहीं, गलत बात। आप आराम से जितना बोल सकते हैं, उतना बोलिए।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): जिला नागौर के डीडवाना क्षेत्र के थाना खुनखुना क्षेत्र में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय आजडोली की अध्यापिका को ब्लॉक मोलासर स्कूल समय के पश्चात् घर वापस लौटते समय मारूति वैन गाड़ी में अपहरण कर लूट एवं बलात्कार का प्रयास करके बिना कपड़ों के नग्न अवस्था में एक गड्ढे में फेंक दिया। स्थिति इतनी गंभीर है कि पीडिता सवाई मानसिंह ट्रोमा सेंटर में उपचाराधीन है। मुख्य अभियुक्त अभी भी फरार है। घटना होने के बाद खुनखुना थानाधिकारी को अपराधी की पुख्ता जानकारी देने के बावजूद भी थानाधिकारी ने एक मात्र सिपाही को अभियुक्त के घर भेजा जिसका फायदा उठाकर अपराधी भाग छूटा। इससे पुलिस की भूमिका संदिग्ध है। प्रकरण की जांच शीघ्र की जाए एवं थानाधिकारी खुनखुना के विरुद्ध तुरंत कार्यवाही की जाए, उनको सस्पेंड किया जाए। अध्यक्ष महोदय, बहुत शर्मनाक घटना है और पुलिस का जो व्यवहार रहा है, पुलिस के कार्य करने की जो शैली रही है, मैं समझता हूं बड़ा दुख हो रहा है, उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। श्री राजेन्द्र राठौड़। प्लीज, बैठें। आई विल नोट अलाउ इट। बैठें नारायण जी, रिकार्ड नहीं होगा। बैठें प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा, रिकार्ड नहीं होगा। मैं आपको फिर गंभीरता से कह रहा हूं, बैठें आप प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा। माननीय राजेन्द्र राठौड़। कुछ भी रिकार्ड नहीं होगा। राजेन्द्र राठौड़, अपनी बात बोलें।

फरियादी महिला के प्रकरण के निस्तारण के बदले बलात्कार का प्रयास

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत लोमहर्षक घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कल रविवार को राजस्थान शर्मसार हुआ। राजस्थान की रखवाली करने वाली पुलिस की खाकी वर्दी शर्मसार हुई जब राजस्थान की राजधानी में कमिश्नरेट में महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिये बनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वूमेन के प्रभारी एक अधिकारी ने एक महिला जिसने जुलाई से एक एफआईआर दर्ज करा रखी थी, उससे न केवल पाँच महीने तक 10-10 हजार रुपये रिश्वत ली बल्कि रिश्वत में उसकी अस्मत भी मांग ली। अध्यक्ष महोदय, खेड़ली की घटना की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, राजस्थान में इस प्रकार की घटना मैं समझता हूं आज जिस जगह न्याय की उम्मीद के साथ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई परिवादी जाता है, कोई महिला जाती है, अगर उसी जगह पर उसकी अस्मत मांगी जाती है, रिश्वत मांगी जाती है, रिश्वत ले ली जाती है तो किस जगह कौन जायेगा, कहां सुरक्षित रहेगा? मैं समझता हूं निश्चित तौर पर सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिये। आपके जो कैलाश बोहरा हैं, यह ऐसे ख्यातनाम अधिकारी हैं, 2010 में आर्म्स एक्ट में एक मामला दर्ज हुआ, सीबीआई में जांच चल रही है। जिस अधिकारी के विरुद्ध सीबीआई में जांच चल रही हो और जिस अधिकारी के विरुद्ध बजाज नगर में एसएचओ रहते हुए न्यायालय में मुकदमा चल रहा हो, उसको इस प्रकार के पद पर बैठाकर, अध्यक्ष महोदय, मानवता तब शर्मसार होगी जब रिश्वत में अस्मत मांगने वाली उस पीडिता ने जिसको 16,000 रुपये वेतन मिलता था, पांच महीने तक अपने वेतन से 10-10 हजार रुपये उसको दिये।

मैं समझता हूं कि जो सर्कुलर जारी किये, ऐसी सेंसिटिव जगह पर नहीं लगाना। मेरी मांग है कि जब तक थाने में सीसी टीवी कैमरे नहीं होंगे और इस प्रकार से दुष्कर्म करने वाले अधिकारियों को सदन बर्खास्त नहीं करेगा, तब तक न्याय नहीं होगा। मंत्री महोदय, कल ही आपने देखा था कि सदर थाने में, राजस्थान की राजधानी में मामला दर्ज होता है। बारां के अंदर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं। आप जवाब नहीं देंगे, पर मैं समझता हूं कि राजस्थान का अवाम जवाब मांगेगा कि इस प्रकार अगर थानों के अंदर वह भी स्पेशल इनवेस्टिगेशन यूनिट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वूमेन का प्रभारी अगर इस तरह करेगा तो इससे ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। मेरी प्रार्थना है, मैं समझता हूं कि बाकी मामलों में आप जवाब दिलवायें या नहीं दिलवायें, मंत्री महोदय पूरे राजस्थान में यह मैसेज जायेगा कि आपने उनके खिलाफ कार्यवाही की है, इसलिए आपको इसके बारे में संज्ञान लेने के लिए, सदन में जवाब देने के लिए अनुमति मांगनी चाहिए, आपसे मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं सोचता हूं कि यह पक्ष और विपक्ष का मामला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। इस प्रकार की घटना घटी है और पुलिस के थाने में घटी है। अगर इस सदन में चर्चा होने के बाद में इसका कोई एक्शन नहीं होगा तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान की जनता न तो आपको माफ करेगी, न

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमें माफ करेगी। मैं बहुत विनम्र भाव से कह रहा हूं कि अगर कहीं और जगह घटना होती तो चलती है, पुलिस का अधिकारी इस प्रकार की घटना करे, निश्चित रूप से चाहे वह खेड़ली हो या और कहीं की घटना हो, पुलिस के द्वारा हो। मैं सोचता हूं कि मंत्री जी द्वारा इस बात का आश्वासन राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए कि निश्चित रूप से इस प्रकार के दाग़ी व्यक्तियों के खिलाफ जिस प्रकार से भी फाइल चलनी चाहिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी, इस तरह से मैं अलाउ नहीं करूंगा, इस तरह से माननीय सदस्य हाथ खड़ा करें और आप बोलें। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज। चर्चा समाप्त। समझ में नहीं आ रहा?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें। आपके लीडर खड़े हैं। No. I'll not allow it. I'll not tolerate it. I'll not allow it. Kartaria Ji, I'll not allow it. मैंने आपको बोलने का कहा है। गलत तरीका है। I'll not allow it. यह गलत तरीका है। मैंने लीडर को अलाउ किया है, मैंने आउट-आफ-वे जाकर अलाउ किया है। Kataria Ji, I'll not tolerate it. मैंने विषय की गंभीरता को देखते हुए आपको अलाउ किया है। माननीय सदस्य इस तरह से करेंगे तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी, इसमें आपको कुछ कहना है या बाद में इस पर स्टेटमेंट देंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप ही के आदेश थे कि स्थगन प्रस्तावों पर मंत्री नहीं बोलेंगे। मैंने तब भी आपसे अनुरोध किया था कि मंत्री को कम से कम जवाब देने दें, लेकिन आप ही के डायरेक्शन थे।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, बैठें। स्थगन प्रस्ताव पर बाद में मंत्री जी इस पर स्टेटमेंट देंगे। मैं आपकी बात को गंभीरता से देखते हुए, मैंने स्थगन प्रस्ताव पर खुद ने निर्णय दिया है कि इस पर मंत्री जी नहीं बोलेंगे। दो घंटे बाद मंत्री जी इस घटना के बारे में वक्तव्य देंगे। श्री वासुदेव देवनानी।

आनासागर झील में मछलियों के कारण प्रदूषित वातावरण

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में आनासागर एक ऐतिहासिक झील है, उसमें कई नाले गिरते हैं। पानी में प्रदूषण एवं गर्मी बढ़ने के साथ जब आक्सीजन की कमी हो जाती है तो मछलियां मरने लगती हैं। उससे भयंकर दुर्गंध होती है कि उसके किनारे पर स्थित जितनी भी आवासीय कालोनियां हैं, वहां पर निवासियों का जीना दूभर हो जाता है। वहां से सड़क पर से भी कोई व्यक्ति गुजर नहीं पाता है। पूर्व में झील के पानी का स्तर बनाये रखने हेतु एस्कैप चैनल में पानी छोड़ रहे थे, जिसके कारण से मछलियां भी बाहर जा रही थीं लेकिन अचानक इस चैनल में पानी छोड़ना बंद किया, जिसके कारण से कुंड में हजारों मछलियां पानी के अभाव व आक्सीजन की कमी के कारण मर गयीं। सर्किट हाउस, सुभाष उद्यान के सामने जे.एल.एन. हास्पिटल की ओर जाने वाले मार्ग पर दुर्गंध है, इसकी क्षेत्रवासियों ने और नगरवासियों ने कई शिकायतें कीं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उसके पूर्व में एलीवेटर सिस्टम लगाया गया था, जिसकी मेंटीनेंस नहीं होने के कारण वे खराब होकर बंद पड़े हैं, इसके स्थायी समाधान का प्रयास नहीं होता है। पानी के ट्रीटमेंट की कोई मुख्य व्यवस्था नहीं है, इसलिए सरकार से मेरी मांग है कि एलीवेटर सिस्टम चालू रहे, इसकी व्यवस्था हो। वर्तमान में जो स्मार्ट सिटी योजना चल रही है, उससे शुद्धिकरण हेतु एक स्थायी संयंत्र हो, ताकि मछलियां नहीं मरें और आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध से जूझना नहीं पड़े, वे अपना जीवन जी सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: 131, श्री संयम लोढ़ा।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 131 के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के अधिकारियों की 11 वर्ष के बाद भी पदोन्नति न होने के संबंध में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत जो प्रस्ताव माननीय

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

संयम लोढ़ा साहब ने रखा है, मैं उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान ग्रामीण सेवा का गठन 2007 में किया गया था और 2007 के बाद समय-समय पर इसमें अधिकारियों की भर्ती भी की गयी। गठन के समय इस सेवा के पदोन्नति के अवसर पदवार थे। यानी विकास अधिकारी के पदोन्नति विकास अधिकारी सीनियर, प्रोजेक्ट आफिसर, एडिशनल चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर-कम-डिप्टी सैक्रेटरी/डिप्टी कमिश्नर, यहां तक उसको पहुंचना था, यहां तक की पदोन्नति थी।

राजस्थान ग्रामीण सेवा का प्रथम बैच 2010 में आया। 2010 में आने के बाद कम से कम पांच वर्ष के बाद पदोन्नति स्टार्ट होती है। यानी कि 2015 के बाद इसमें पदोन्नति स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन ग्रामीण सेवा के अधिकारियों के द्वारा 2017 में हड़ताल कर दी गयी और वह लंबी हड़ताल हुई। हड़ताल में जो उनकी मुख्य मांग थी, वह सरकार के द्वारा मान ली गयी और मानकर 19 मार्च, 2020 को उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है और अधिसूचना जारी करके पदोन्नति को पदवार के स्थान पर वेतन श्रृंखला के अनुसार कर दिया गया जिसके अनुसार Junior Scale, Senior Scale, Selection Scale, Super-time Scale देने का प्रावधान रखा गया। अब यह सवाल आता है कि यह तो सब कुछ हो गया।

दूसरा आपका यह सवाल था कि वर्तमान में ग्रामीण विकास सेवा परिषद् की पदोन्नति हेतु निर्धारित वेतन श्रृंखलाओं में पदों का निर्धारण करने हेतु प्रकरण क्या हैं, प्रकरण में क्या हुआ? इस पर विचार चल रहा है, विचार होते ही इस पर फैसला हो जाएगा।

आपने तीसरी बात यह कही कि 68 आदमियों ने इस्तीफा देकर इस नौकरी को छोड़ दिया, यह गलत है। कई लोग तो दूसरी सेवाओं में चले गये, कई लोगों ने पदोन्नति ले ली, कई ने कुछ कर लिया। कुल मिलाकर तीन आदमियों ने इस्तीफा दिया है, इस्तीफा भी उन्होंने किस कारण से दिया है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन इस सेवा से इस्तीफा दिया है। वे कहां गये, कहां नहीं गये, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसमें पदों के निर्धारण का जहां तक सवाल है, वह सरकार के विचाराधीन है और निर्णय होते ही यह काम भी सम्पन्न हो जाएगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान राजस्थान लोक सेवा आयोग के उप सचिव श्री

(श्री संयम लोढ़ा)

के.एल.धारू के 8 सितम्बर, 2006 के पत्र संख्या 364 की ओर दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने कमिश्नर, पंचायती राज को लिखा था। इसमें राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा के नियम के ड्राफ्ट के संबंध में यह पत्र लिखा था और इस पत्र के जवाब में आपके कमिश्नर, पंचायती राज श्री खेमराज जी ने जो जवाब भेजा, वह 20 अक्टूबर, 2006 को पत्र क्रमांक 4051 के जरिए भेजा। अब मैं पूरा ड्राफ्ट तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन लास्ट का पैरा सुनाकर मंत्री जी एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं - "Now in compliance of the latest cabinet decision, the revised draft of Rajasthan Rural Development Service Rules, 2006 has been approved by DoP, and law department. Draft approved by the law department and DoP is enclosed herewith page No. 24 to 44. You're kindly requested to approve the enclosed draft of Rules of Rajasthan Rural Development Services, enclosed at page No. 24 to 44." यह खेमराज जी ने लिखा है अक्टूबर, 2006 में। इसमें आपने जो अभी पद बताये। 2020 में आपने नोटिफिकेशन किया है, जिसमें आपने सीनियर स्केल, सलेक्शन स्केल और सुपर टाइम का जिक्र किया है। सैक्रेटरी पंचायती राज और ग्रामीण विकास ने 2006 में जब आरपीएससी को भेजा, उसमें आपने सीईओ, जिला परिषद् भी दिया हुआ है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर के छह पद दिये हुए हैं डिप्टी सैक्रेटरी (पीआर) के तीन पद दिये हुए हैं, डिप्टी कमिश्नर (पीआर, हैडक्वार्टर) के दो पद दिये हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, टू-द-पाइंट। 2010 में पहला बैच आया, उन्होंने हड़ताल की, हड़ताल करने के बाद उन्होंने पे-स्केल दे दी और कैडर-रिव्यू अंतर्गत है, इसलिए मैं समझता हूं कि आप जो कोट कर रहे हैं वह इर्रिलेवेंट है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2006 की बात है, इस सेवा का तो गठन ही 2007 से चालू हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये जितना कोरसपोंडेंस 2007 में हुआ है, आरपीएससी और आपके बीच में जो कोरसपोंडेंस हुआ है, उसमें ये सब बातें, पद वगैरह सब लिखे हुए हैं। 2015 में उनका प्रमोशन ड्यू था, आपने प्रमोशन दिया नहीं। कितने साल इंतजार करेंगे? उनमें फ्रस्ट्रेशन नहीं आती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं अर्ज करता हूं आपसे, हड़ताल हो गयी, मांगें रख ली गयीं, उन मांगों को सरकार ने मंजूर कर लिया। अब सवाल सिर्फ इतना-सा आता है कि पद जो हैं, वह कहां-कहां किस-किस पोस्ट के कितने-कितने पद होंगे? सिर्फ निर्णय होना बाकी है और सवाल भी आपका यही है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये निर्धारण भी आपको किये हुए एक साल हो गया माननीय मंत्री जी। आपने 2020 में ही नोटिफिकेशन किया है और मैंने ये लिस्ट..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण में क्वेश्चन-आंसर नहीं है। आपकी बात समझ में आ गयी ध्यानाकर्षण में। जब मंत्री जी ने कह दिया कि प्रक्रियाधीन है कैडर के संबंध में तो वेट करें। अब इसका अंत नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रक्रियाधीन है, अध्यक्ष महोदय, जिन नौजवानों का 2015 में प्रमोशन होना था...

श्री अध्यक्ष: समझ में आ गया। माननीय सदस्य, आप बैठिए। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। अंकित नहीं होगा। माननीय, आपको तकलीफ है क्या? हॉस्पिटल है यहां पर। आपको तकलीफ है क्या? आप ही को तकलीफ है, बाकी किसी को नहीं है। कटारिया जी, last time I am saying it, I'll not tolerate it. I'll not tolerate it, I'm, saying this, ये बैठे-बैठे बोलना अधिकार नहीं है। आप कौन हैं बोलने वाले? मेरा काम मैं करूंगा। कटारिया जी, मैं लास्ट टाइम कह रहा हूं, I'll not tolerate it. आप क्या आसन का सम्मान कर रहे हैं? यह सम्मान सीखा है आपने? आपने संस्कार ये लिये हैं? संस्कारित आदमी हैं आप, संस्कारित पार्टी के आदमी हैं। यह सम्मान कर रहे हैं आप? अच्छे संस्कार लिये हैं आपने, ऐसे संस्कार दूसरों को मत देना। माननीय सदस्य, प्लीज आप बैठिए। मैंने उनको भी कहा, please बैठिए, I'll not record. प्लीज, बैठिए आप।

आय-व्ययक पर चर्चा। माननीय मंत्री जी।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37- कृषि की प्रस्तुति

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 37 - कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,56,94,11,000/- (सैंतीस अरब छप्पन करोड़ चौरानवे लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 37 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-02 देखें।)

मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,29,58,64,000/-(अठारह अरब उनतीस करोड़ अट्ठावन लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए।

(मांग संख्या 39 पर प्राप्त कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-03 देखें।)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन पर चर्चा हो रही है। जब कभी भी नई विधान सभा का गठन होता है, हम सभी चुने हुए सदस्यों की एक परिचय पुस्तिका विधान सभा सचिवालय प्रकाशित करता है। हम इस वक्त में 196 माननीय सदस्य हैं। उस परिचय पुस्तिका में एक कालम है, व्यवसाय क्या है?, 141 माननीय सदस्यों ने अपने व्यवसाय के आगे कृषि लिखा है। मंत्री महोदय, आपने भी अपने जीवन परिचय में कृषि व्यवसाय लिखा है। यह दीगर बात है कि आप राजस्थान की राजधानी के कृषक हैं और आजकल आपके खेत में फसल की जगह मकान उग रहे हैं। यह अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, उसका अनुभव लिये इस सदन के अंदर अधिकांश माननीय सदस्य विराजे हैं। आज अगर हम देखें 1952 के अंदर, 1953 के अंदर जो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, जो प्रदेश का खुशहाली का प्रतीक है, उसमें कृषि का योगदान 54.6 प्रतिशत था और आज जब मैं आपके द्वारा दी गई पुस्तिका की आर्थिक समीक्षा को देखता हूं, उसमें आपने लिख रखा है कि कृषि में जीएसटी में योगदान 29.45 परसेन्ट रह गया। कृषि हमारी लोक संस्कृति है। हमारे जीवन जीने की पद्धति के अंदर हम रोज कृषि का प्रभाव देखते रहते हैं। अभी पिछले दिनों मकर संक्रान्ति और वैशाखी गयी। किसान की फसल पकी, एक उल्लास का वातावरण बना। इसी प्रकार हमारे सारे तीज-त्यौहार, चाहे वे फसल की बुआई के वक्त में हो, चाहे फसल की कटाई के संबंध में हो, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक संस्कृति इस कृषि पर जिन्दा है और इसका कारण भी है।

(12.35 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

सभापति महोदय, यह जो किसान धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करता है, इसको अन्नदाता तो कहते हैं, परंतु इसमें जीवटता भी है। अभी कोरोना वैश्विक महामारी की गिरफ्त में प्रदेश आया। आपके द्वारा दी हुई पुस्तिका यह कहती है कि प्रदेश की जीएसडीपी, उसमें औसतन पिछले वर्ष 2019-20 से 6.02 परसेंट की गिरावट आयी। प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय के अंदर भी 7.77 प्रतिशत की गिरावट आयी, परंतु देखिए इस किसान का कमाल, इसी राजस्थान के किसान का कमाल, चाहे उसे किसी भी प्रकार से आप बरगलाने की कोशिश करें, आज उसने प्रदेश की जीएसटी के अंदर घनात्मक रूप से 3.53 की कृषि वृद्धि दर दर्ज की है।

सभापति महोदय, यह सही है कि आज हमारा प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, परंतु इसके साथ ही आज राजस्थान के अंदर 29.3 परसेंट लोग शहर में रहते हैं। शहरीकरण की रफ्तार बढ़ती जा रही है। 70.7 परसेंट लोग आज गांवों में रहते हैं। अभी जो आपकी पुस्तिका है, आर्थिक समीक्षा 2020-21, पृष्ठ 43, इसके अंदर इकोनोमिक इंडिकेटर दे रखे हैं। मैं उन इकोनोमिक इंडिकेटर को देख रहा था, उसमें मंत्री महोदय, राजस्थान में किसान की औसत जोत का आकार दे रखा है। आपकी पुस्तिका ने दे रखा है। औसत जोत का आकार है 2.73 हैक्टेयर, यानी आज राजस्थान का आम किसान सीमांत और लघु सीमांत की श्रेणी में खड़ा है और इसीलिए

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

वह बात जो हमारे पूर्वज वर्षों से कहा करते थे कि 'उत्तम खेती, मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान', सभापति महोदय, यह बिलकुल उलटी हो गयी। मैं निवेदन करूं कि आज जो औसत जोत मैंने बतायी, उसके अंदर भी जो हमारे 72 परसेन्ट शुष्क और अर्द्ध शुष्क इलाके हैं, बारहमासी नदी के नाम पर हमारे पास अगर कमांड एरिया है तो आईजीएनपी का है, चंबल का है, थोड़ा-सा नर्मदा का है।

सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि जब 1952-53 के अंदर हमारी आजादी प्रारंभिक अवस्था में थी तो हमारे शहरों में रहने वाली जनसंख्या थी 17 परसेन्ट और आज वह जनसंख्या बढ़कर हो गयी है 29.3 परसेन्ट। इसका अर्थ यह रहा कि खेत बंटता चला गया, किसान की जोत बंटती चली गयी, जनसंख्या बढ़ती चली गयी, परिवार बढ़ते चले गये, धरती पर बोझ बढ़ता चला गया और कल का काश्तकार मजदूर बन गया। उसके पश्चात् भी हमारे यहां एक कहावत है जब कभी-भी, शायद स्वास्थ्य मंत्री जी, आप तो खेत की मेड़ पर भी कभी चले नहीं और अब आप चल नहीं सकते। चलें तो मेड़ बिलकुल दब जाएगी। जब कभी किसान गया खेत में, वह प्रार्थना करता है, सभापति महोदय, आपके आदिवासी इलाके में तो विशेष तौर पर कि इस पर मेरे द्वारा पैदा किये गये अन्न से सभी जीवों का पेट भरना और जो बच जाए उससे मेरे बच्चों का पेट भरना। कभी अतिवृष्टि, कभी अल्प वृष्टि, कभी आंधी, कभी तूफान, कभी टिड्डी, कभी किसी कीड़े की बीमारी, इसके नाम पर ये किसान बर्बाद होता चला गया। यह भी शाश्वत सत्य है कि इस किसान के कंधे पर जब कभी भी राजनीतिक बंदूक हमें लगानी थी, हमने कभी जाति के नाम पर किसान को बांटा, हमने कभी कर्ज माफी के नाम पर किसान को लोक-लुभावनी बात कही, हमने किसी कानून को काला बताकर किसान को भ्रमित करने की कोशिश की।

मैं समझता हूं दुनिया के अंदर पहला व्यक्ति किसान है, जो अपने उत्पाद का विक्रय मूल्य स्वयं तय नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा 73 वर्ष की आजादी के बाद किसान जब बर्बाद होता चला गया, खर्चे बढ़ते चले गये, उत्पादकता कम होती चली गयी, देश के पहले किसी प्रधान मंत्री ने इस बात को सोचा कब किसान की आमदनी को दोगुना होना चाहिये, 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी हो, ये संकल्प लिया देश के 56 इंच सीने वाले प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने। यही नहीं, कभी किसी ने सोचा नहीं कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

किसान के सम्मान के लिए किसान को सम्मान निधि, ये कोई वजीफा नहीं, कोई खैरात नहीं, किसान को सम्मान निधि के रूप में 6 हजार रुपये हर वर्ष, चाहे छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो। केकड़ी से आने वाले माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, हमारे प्रधान मंत्री जी के लिए कई तरह की टीका टिप्पणी करते हैं, मैं बचपन से जानता हूं, इनके पास भी केकडी में पुश्तैनी एक जमीन है। स्वास्थ्य मंत्री जी, 6 हजार रुपये हर महीने, डीबीटी से आते हैं, आपके खाते में आते हैं, आप भी उसी प्रधान मंत्री के दिए हुए 6 हजार रुपये को ले रहे हो। सभापति महोदय, अगर मैं दिसम्बर 2021, इस साल की बात करूं...

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मेरे पास कोई पैसा नहीं आता है। यह रिकार्ड पर दर्ज करा रहे हैं, या तो मुझे पैसा दिलाओ या अपनी बात वापस लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इसके लिए मैं आसन के पास आऊंगा। मैं यह प्रमाणित कर दूंगा। ...(व्यवधान) जिसे आप भूल गए हो, वह दिन याद करो। आपके और मेरे बीच में, सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हो। आप मेरे खेत में नहीं गए क्या?

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): राठौड़ साहब, आपने शुरुआत ही उन दिनों से की है। कृषि मंत्री जी आजकल कृषि नहीं करते, मकानों की बात कर रहे हो। आपने शुरुआत ही उन दिनों से की है, जो आपके हमारे पुराने दिन हैं। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कह रहा था, इसी वर्ष, दिसम्बर तक, इस देश के 10 करोड़ 59 लाख किसानों के खाते में सीधा डीबीटी से 95 हजार 979 करोड़ रुपये गए हैं मुख्य सचेतक महोदय। यूपीए के अंदर 72 हजार करोड़ के कर्ज को लेकर आप कई बार छाती भी थपथपाते हो और मेज भी थपथपाते हो, यह हर साल का आंकड़ा है।

सभापति महोदय, आज मौसम की तब्दीली के साथ किसान बर्बाद होता है। पहली बार देश के प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा मौसम तब्दीली के कारण, किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा। मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लागू उन्होंने किया। हमारे देश के प्रधान मंत्री जी ने अब फसल बीमा योजना लागू की। अगर मैं 2020-21 का आंकड़ा बताऊं, यह मैं नहीं कह रहा। मैं सारी बातें वह कह रहा हूं यूनियन बजट के अंदर जिनका

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उल्लेख किया गया है। 2020-21 के अंदर 6 करोड़ 6 लाख किसानों को 87 हजार करोड़ रुपये का भुगतान हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में।

सभापति महोदय, यही नहीं, आप जिस ऋण माफी की बात करते हो, इस मुल्क में पहली बार, इसी 2021-22 के बजट में 16.50 लाख करोड़ रुपये के किसान ऋण का प्रावधान किया गया। यूपीए के अंदर, आपके समय, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब 2013-14 में 7 लाख 30 हजार करोड़, आप आंकड़ा देखिए। एक साल में, 2013-14 में 7 लाख 30 हजार करोड़ का ऋण मिले, आज 16.50 लाख करोड़ का मिले, कितना बड़ा फर्क है। नीम कोटेड यूरिया ने किसान को यूरिया की लाइन लगाने से अलग कर दिया। किसान की जमीन का भी स्वास्थ्य मालूम हो, आदमी के स्वास्थ्य की तरह। 22.50 करोड़ रुपये मृदा कार्ड और वन ड्रॉप मोर क्रॉप, यह कांसेप्ट किसने दिया? ...(व्यवधान)... हाथ यूं करने से नहीं, कुछ स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप क्या बोल रहे हो, वह बता दो। ...(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मेरे भाषण की चिंता मत करो। आज अगर किसान की बहबूदी के लिए किसी ने सोचा है तो देश की केन्द्रीय सरकार ने सोचा। 2013-14 में आपके यहां जो बजटीय प्रावधान था, यूनियन गवर्नमेंट का, वह 21 हजार 933 करोड़ रुपये था। 2020-21 में बढ़कर हो गया 1 लाख 34 हजार 299 करोड़ रुपये, यह हालत है।

सदन के नेता सत्ता के अंदर, चार बार इस बात को कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने जो कानून पारित कर दिया, वह काला कानून है। सभापति महोदय, कई वर्षों से विधान सभा में हूं। मैंने हर कानून के, काले अक्षरों में लिखी इबारत तो देखी है, पर कोई कानून काला कैसे हो गया। विधान सभा में मामला आया। यहां हमारे मित्र शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। कल ही भाषण देकर आए हैं, जान दे देंगे, कानून लागू नहीं होने देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं इस पर बहस होनी चाहिए। इन दोनों-तीनों कानून में कौनसी वह लाइन है जिससे किसान का अहित है, तब तो समझ में आए। कितना आप लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। ...(व्यवधान)...

आज एमएसपी की खरीद खतम हो जाएगी। भाषण दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी दोहरे चरित्र में हैं। वहां जाकर कहते हैं एमएसपी खरीद बंद हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जाएगी। देश के प्रधान मंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने, मैं आगे बताऊंगा, एमएसपी की खरीद के अंदर और ज्यादा वित्तीय प्रावधान किया। एपीएमसी की मंडियां बंद हो जाएगी। मुझे यह बताओ कि एपीएमसी मंडियों में, इस कानून की परिधि से बाहर हैं, चूंकि यह वैकल्पिक कानून है, किसान की जमीन खतरे में हैं। आज एग्रीमेंट में, किस जगह पर, फसल के साथ एग्रीमेंट कांट्रेक्ट खेती में जरूर है, पर किस जगह फसल का एग्रीमेंट हो रहा है, जमीन का एग्रीमेंट हो रहा है? यह बताओ।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं, इन सारी बातों को जब मैं करूं, जब मैं देखता हूं 2018-19 के अंदर, लोक सभा के अंदर, आप अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह कहें कि आज वह समय आ गया है, किसान को कृषि मंडी की ज़ंजीरों से मुक्त करने का। आप उन्मुक्त बाजार की बात करो, कोई बात नहीं। 2005 में कृषि शिखर सम्मेलन में मनमोहन सिंह जी कहें, कोई बात नहीं। 2007 में आप एपीएमसी एक्ट रूल बनाओ, उसमें कोई बात नहीं। 2010 के अंदर आपके समय, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री अनुशंसा करें कि कानून में आमूलचूल परिवर्तन हो, कोई बात नहीं। आज जब पैरेलाइज पॉलिसी, सरकार तो चली गई, अब 56 इंच सीने वाला प्रधान मंत्री फैसला करे तो आप बरगलाने चले हो।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान बजट स्टडी 2021-22 के पेज 50 की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्री महोदय आप देखें, आपका बजट एस्टीमेट 2021-22 का, टोटल बजट एस्टीमेट 1 लाख 32 हजार 251 करोड़ का है। इसी तालिका में क्रम संख्या एक पर कृषि और संबंधित सेवाओं में आप इतना पैसा खर्च करते हैं, उनका उल्लेख किया गया है, वह है 9 हजार 818 करोड़ रुपये।

सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फरमाएं। राजस्व मद, रेवेन्यू अकाउण्ट में तनख्वाह जाती है। दफ़्तरों के रख-रखाव जाते हैं। छोटी-मोटी ऑन गोइंग स्कीम में पैसा जाता है। राजस्व मद में 9 हजार 153 करोड़, कैपिटल अकाउण्ट, जिसमें आप आधारभूत संरचाएं और नई योजनाओं के लिए पैसा रखते हो, वह 524 करोड़ रुपये है। क्या देना चाहते हैं उस राजस्थान के किसान को, जो राजस्थान के गांव में बैठा है, राजस्थान की 70 परसेंट आबादी जिस किसान के धन-धान्य पर निर्भर करती है, उसके साथ यह मजाक, इससे बुरा नहीं हो सकता।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, 2020-21 का बजट, मैं यह पहली बार देख रहा हूं। उस समय आपने प्रावधान किया था, आपकी किताब यह कहती है 11 हजार 490 करोड़ का। इस बार 2021-22 में 9 हजार 818, यानी पूरे देश के अंदर आपकी पार्टी अलख जगा रही है। आप कभी राज भवन पधारते हो, कभी मार्च निकालते हो और अब 2 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कम कर रहे हो, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। यह आपका असली किसान चेहरा है।

इसी बजट स्टडी के अंदर पेज 48 पर तालिका है, आपने कितनी राशि व्यय की, 2019-20 में 9 हजार 147 करोड़ में से यह राशि व्यय करते हैं 4 हजार 412, यानी 800 करोड़ कम। 2020-21 में 11 हजार 490, उस दिन मुख्य मंत्री जी कह रहे थे कि दिसम्बर तक का आंकड़ा है, कह रहे थे 6 हजार 612, दिसम्बर के बाद, आप सदन को यह बताएं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मार्च में खड़े हैं, आपने कितनी राशि व्यय कर दी। मतलब प्रोजेक्शन कुछ करो, उसके बाद नतीजा कुछ दो और आप आलोचना कर रहे हो भारत सरकार की। सभापति महोदय, आजकल एक बात बहुत आती है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): बात को घुमा रहे हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं घुमाऊ, नहीं घुमाऊं, मैं सीधी बात आपसे यह कर रहा हूं, आप बताओ स्वामीनाथन आयोग कब बना, कब इसकी रिपोर्ट आई? आपको ज्ञान नहीं होगा। मैं बताता हूं दिसम्बर, 2004.

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप तो फायदे बता दो। आप तो आज लगे हाथ ही तीनों क़ानूनों के फायदे बता दो, आप हीरो हो जाओगे। ...(व्यवधान)...

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह बोलने नहीं दे रहे, बीच में बोल रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): यह बीच में बोल रहे हैं। ...(व्यवधान).

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...आपने यह बोला कि अच्छा काम करने पर छाती थपथपाई जाती है। छाती तो कूटी जाती है। ...(व्यवधान)....

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, विराजें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): पीठ थपथपाई जाती है। आपने खुद ने बोला, छाती थपथपाई जाती है। ...(व्यवधान)...

डॉ. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): आप नहीं बोलोगे बीच में ...(व्यवधान)... प्रेम खतम थोड़े ही हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): दमदमे में दम नहीं ...(व्यवधान) खैर मांगो जान की। मंत्री महोदय, समय का कालचक्र घूम रहा है। समय का चक्र आपको आपकी हैसियत बता देगा। आप किस गुमान में हो?

सभापति महोदय, मैं कह रहा था, स्वामीनाथन आयोग है, इसने दिसम्बर 2004 से अक्टूबर 2006 तक यूपीए सरकार के अंदर पांच अलग-अलग प्रतिवेदन दिए। सात वर्ष तक उस वक्त की पॉलिसी पैरालाइज्ड सरकार इस पर विराजे रही, पूरी बैठी रही, और कुछ नहीं बोली। आपने स्वामीनाथन आयोग का नाम ही नहीं लिया। 2014-15 में इस देश के प्रधान मंत्रीजी ने पहली बार कहा कि कृषि लागत मूल्य आयोग की सिफारिश पर अब लागत के 50 परसेंट से अधिक समर्थन मूल्य घोषित करने का हम काम करेंगे। यह ऐतिहासिक निर्णय है।

इस बार जो केन्द्रीय बजट आया, उसका पैरा 96 लिख लें, उसमें उन्होंने फिर यह कहा, पूरे देश में एम.एस.पी. की खरीद की व्यवस्था बदस्तूर जारी रहेगी। इसके लिये जितनी भी वित्तीय व्यवस्था आवश्यक होगी, सरकार करेगी, और किया भी। आपको ध्यान होगा, इस बार रबी, 2020-21 के अन्दर, जो एम.एस.पी. घोषित की गई, गेहूं के अन्दर 1925 से बढ़ाकर 1,975, जौ में 1,525 से बढ़ाकर 1,600, चने में 1,875 से बढ़ाकर 5,100, देखें, सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है, और मसूर में 4,800 से बढ़ाकर 5,100, सरसों में 4,425 से बढ़ाकर 4,625 की है।

सभापति महोदय, अब इस सरकार की हालत देखें। मैं समझता हूं कि जो आपने खरीद की, आप ही के दिये हुए उत्तर से मैंने एक आंकड़ा निकाला है। आप पहले तो मुझे यह बताएं, क्या यह सही नहीं है कि इस देश के अन्दर 2013-14 में, यह मैं यूनियन बजट का पैरा 97 पढ़ रहा हूं, 2013-14 में गेहूं की खरीद के लिये, 33,874 करोड़ रुपये खर्च हुए थे व किसानों का जो गेहूं खरीदा गया था, 2013-14 में किसान को मिले थे 33,874, 2019-20 में बढ़कर 62,802 हो गया और इस बार, 2020-21 में यह 75,060 हो गया। इसी तरह धान के अन्दर 2013-14 में जब आप थे तो 63,928 करोड़ रुपये से किसान का धान खरीदा, 2019-20 में 1,41,930 करोड़ रुपये हो गये और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2020-21, सभापति महोदय, अब आंकड़ा देखें, आप जैसा विद्वान और जानकार आदमी आसन पर बैठा है, मेरा सौभाग्य है, आप आंकड़ा देखें, सभापति महोदय, ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आज कोई तैयारी नहीं है। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 1,72,752 करोड़, यह आप ही समझ सकते हैं, सभापति महोदय। जब मैं दालों की बात करूं, 2013-14 में 2,336 करोड़, पूरे देश के अन्दर एम.एस.पी. पर दाल खरीद रहे हैं, 2,236 करोड़ की और 2020-21 में 10,530 करोड़ से की है। सभापति महोदय, इसी तरह कपास में आपने 90 करोड़ की कपास खरीदी, इस बार 2020-21 के अन्दर, यह रिकॉर्ड पर जा रहे हैं, 27 जनवरी तक 25,974 करोड़ की कपास खरीदी है। अब आपने क्या किया, आप तो एम.एस.पी. के बड़े पक्षधर हैं। आपने कौनसे मीर मारे!

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप तो यह बता दें, एम.एस.पी. के पक्षधर नहीं हैं न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पक्का।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): बोल दें आज। आप अभी कह रहे हैं पक्षधर हूं, अब कह रहे हैं हम पक्षधर हैं। ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, मंत्रीजी को कहें कि बोलने दें। ...(व्यवधान)...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं कह रहा था, आपको सरसों के अन्दर 2020-21 में कितना लक्ष्य दिया था। क्या यह सही नहीं है कि आपके द्वारा दी हुई पुस्तक और आंकड़े यह कहते हैं कि सरसों का उत्पादन 2020-21 की रबी में 39,52,000 मैट्रिक टन, सर्वाधिक रहा देश में। आपको केन्द्र ने 10,86,000 मैट्रिक टन खरीदने का लक्ष्य दिया। आपने कितनी खरीद की, आपका कागज कह रहा है, 3,46,000 मैट्रिक टन सरसों खरीद की है। केन्द्र कह रहा है, खरीदो 10,46,000 टन, और आप 3,46,000 टन खरीद रहे हैं। वाह, आपका क्या कहना! उस समय एम.एस.पी. 4650 रुपये थी, जबकि किसानों ने सरसों बेची, सभापति महोदय, 4,000 और 3,800 के अन्दर।

इसी तरह, आपने चने के अन्दर क्या किया। हम सैकण्ड लार्जेस्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्टेट हैं। राजस्थान में 26,85,000 मैट्रिक टन चना पैदा हुआ। ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। ये आपकी किताब के आंकड़े हैं। उसके अन्दर केन्द्र ने लक्ष्य दिया कि आप 6,15,000 मैट्रिक टन चना खरीदो, जबकि आप 3,20,000 मैट्रिक टन खरीद रहे हैं, 50 प्रतिशत कम, क्यों गुमराह करना चाहते हैं।

इसी तरह सभापति महोदय, मूंगफली की बात करूं तो 12,18,000 मैट्रिक टन मूंगफली पैदा हुई। केन्द्र ने इनको 2,39,000 खरीदने के लिये लक्ष्य दिया, जबकि सिर्फ 74,000 मैट्रिक टन खरीदा। किस प्रकार की व्यवस्थाएं आप करते हैं, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ। यह तो उस समय, मैं सारा पढूंगा तो मेरा समय जाया होगा।

आपको किसने कहा था कि आप जन घोषणा पत्र में, आप तो नहीं थे, पर आपके पड़ोसी उस जन घोषणा पत्र के रचयिता थे। आपने पृष्ठ 3, पैरा 6 में लिखा था, किसान को फसल का उचित मूल्य दिलाने की पुख्ता व्यवस्था का वादा किया। वाह, क्या पुख्ता व्यवस्था है। आप क्या समझते हैं, राजस्थान का वह किसान नहीं रहा है, जो पहले साक्षर नहीं था। अब राजस्थान में साक्षरता 76 परसेंट है। राजस्थान का किसान भी पढ़ना जानता है, जब जवाब आपसे पूछेगा और जवाब नहीं बनेगा।

मैं आपसे निवेदन करूं कि आज देश में क्या हालत है, 1970 में देश के अन्दर किसान के पास 8.82 हैक्टेयर औसत जमीन थी, जो 2020-21 में घटकर अब 1.2 हैक्टेयर हो गई। कारण क्या रहा, जैसे जनसंख्या बढ़ती चली गई, शहर बढ़ते चले गये, औद्योगीकरण की होड़ में गांव की जमीन उसमें लगने लगी।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, अभी जो एन.एस.एस. का सर्वे हुआ है, देश के किसान की मासिक आमदनी, नेशनल सैम्पल सर्वे यह कह रहा है कि मासिक आमदनी 6,400 रुपये है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अभी एक पी.आर.एस. लैजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट है। यह पी.आर.एस. लैजिस्लेटिव रिसर्च रिपोर्ट हमेशा बजट पर, इस पर पहले करते हैं। मैं इनका आंकड़ा देख रहा था। इन्होंने कहा कि राजस्थान कृषि और सम्बन्धित सेवाओं के अन्दर व्यय करने वालों में, छह उन राज्यों में शामिल है जहां सबसे कम पूरे देश में कृषि और इसके लिये बजट का प्रावधान किया। 2019-20 और 2020-21, यह सर्वे रिपोर्ट कह रही है, कुल बजट का 4.5 प्रतिशत आपने कृषि और सम्बन्धित

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सेवाओं में आबंटित किया है। यह आपका असली चेहरा है, कहना कुछ और करना कुछ।

सभापति महोदय, मैं समझता हूं, आज सुबह चर्चा चली थी, प्रतिपक्ष के नेता ने बाजरे के बारे में एक सटीक सवाल लगाया। अभी जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय ने एक शोध किया। उस शोध में उन्होंने कहा कि गेहूं, दाल और चावल में जो पौष्टिकता है, उससे ज्यादा पौष्टिकता मोटे अनाज में है, जिसमें बाजरा शामिल है। इसके खाने से इम्युनिटी बढ़ती है, डायबिटीज में यह रामबाण है, कैंसर हो, कार्डियक प्रोब्लम हो। इसीलिये, सभापति महोदय, एक और बड़ी बात, जो आपने कही, मैं उसको दोहराना चाहता हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे भारत सरकार के प्रस्ताव पर इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब पूरे संसार के अन्दर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। अब आपने आज जिस प्रकार का उत्तर दिया, रेवदर से आने वाले माननीय सदस्य का सवाल था, तब भी आपने कहा, हां, एक बात आपने सही मानी कि 2019 में 5,052,000 टन बाजरा पैदा हुआ और 2020 में 58,28,000 टन, और यह भी आपने सही माना कि 44 परसेंट बाजरा आज पूरे देश का हम पैदा करते हैं। यह भी सही है कि पूरी हमारी जोत के अन्दर 66 परसेंट बाजरे की बुआई होती है। यह भी सही है, आज मंत्री महोदय बात को गोल कर रहे थे। पहली बार केन्द्र सरकार ने खरीफ, 2020-21 के अन्दर बाजरे को एम.एस.पी. पर खरीदने के लिये अधिसूचित किया। पहली बार बाजरे की 2,150 रुपये एम.एस.पी. तय की गई। आपने जो एफिडेविट दिया, मैं समझता हूं किसान वैलफेयर सोसायटी बनाम राजस्थान सरकार हिट हुई, किसानों ने कहा हमारा बाजरा खरीदो, आपने बाजरा खरीदने में असमर्थता जाहिर की। आज भी जिसकी पुष्टि की और कहा कि बाजरे की तुलनात्मक सैल्फ लाइफ कम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में बाजरे के उपयोग की स्वीकृति नहीं है, उसमें बाजरे की मांग नहीं है। 80 परसेंट राजस्थान के गांवों में बाजरा खाया जाता है। मैं समझता हूं कि जब हरियाणा बाजरा खरीद सकता है, जब मध्य प्रदेश बाजरा खरीद सकता है, हमारे किसान ने साढ़े तेरह सौ में, जहां से मैं आता हूं, सभापति महोदय, वहां बाजरा ही उत्पादित होता है, हमारे किसान ने साढ़े तेरह सौ, चौदह सौ रुपये क्विंटल में बाजरा बेचा।

मंत्री महोदय, आपने बजट घोषणाएं क्या-क्या करवाईं, आपने 10 जुलाई, 2019 को बजट पैरा 17 में यह कहा कि किसान के उत्पाद को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यथोचित मूल्य दिलाने के लिये 1,000 करोड़ का किसान कल्याण कोष स्थापित करने की घोषणा करता हूं। के-3, आपने बहुत जोर से मेजें थपथपाईं। अब दो वर्ष गुजर गये, इस बजट पर बहस चल रही है। इसमें पैरा 70 में आपने तीन साल बाद में क्या कहलवा दिया कि किसान कल्याण कोष से अनुदान आधारित मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना।

(13.00 बजे)

मतलब, आपने किसान को उसकी उपज का, उत्पाद का उचित मूल्य तो दिलवा ही दिया, एक काम तो आपने पूरा कर ही लिया? मेरा यह आरोप है कि एक रुपया आपने किसान कल्याण कोष से अगर किसान को एम.एस.पी. से कम पर जहां उसकी फसल बिक रही थी, उसमें एक रुपये की सहायता की हो तो आप बताओ। क्यों मजाक करते हो? मतलब, किसान कल्याण कोष बनाया आपने, ओरिएंटल बैंक से आपने बॉन्ड लिये, आज उस किसान कल्याण कोष के अंदर कुल मिलाकर 200 करोड़ रुपये ही हैं और आप इतना लंबी चौड़ी डींग हांक रहे हो। मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना, मैं समझता हूं कि इससे किसान गुमराह नहीं होगा।

आपने इस बार एक और कमाल किया, आपने इस बार 2021-22 के बजट पैरा 75 में यह कहा कि सरकार ने किसान को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए, माननीय सभापति महोदय, आप मुलाहिजा फरमाएं, बिजली खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए, अच्छे वित्तीय प्रबंधन के लिए कृषक विद्युत वितरण कंपनी खोलने की घोषणा की। मेरी यह समझ में नहीं आया, आपको याद होगा कि जब पहली बार बजट रख रहे थे यह मुख्य मंत्रीजी, उसमें मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा बजट पैरा-41 में कि हमारे पूर्ण प्रयासों से राजस्थान बिजली की दृष्टि से सरप्लस हो गया। सरप्लस स्टेट के अंदर यह बिजली खरीदने के लिए आप काहे को यह कंपनी बना रहे हो? पर मैं एक बात के लिए यह धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम इस बात को तो आपने स्वीकार कर लिया कि बिजली की खरीद के अंदर, बिजली कंपनियों से बिजली खरीद के अंदर जो चाँदी कूटी गयी है, वह किसी से छिपी हुई नहीं है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: कृपया, शांत रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप एक कंपनी से खरीदते हैं 3 रुपया 70

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पैसे पीक ऑवर्स में बिजली प्राइवेट कंपनी से और दूसरी कंपनी से खरीदते हैं 6 रुपये 75 पैसे, क्या है यह?

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अब 27 महीने बाद मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा कि पारदर्शिता रखेंगे, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको। यह तीन डिस्कॉम बने थे। यह तीन डिस्कॉम जब बने तो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 के प्रावधानों के अनुसार बने थे और आज इनका घाटा 1 लाख 16 हजार करोड़ रुपये को पार कर रहा है। क्या यह इससे संबंधित नहीं है? मतलब, आपके पेट में तकलीफ है?

माननीय सभापति महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आया कि किसान को बिजली मिले, अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो मैं समझता हूं कि शहरीकरण का दुष्प्रभाव है आप पर, गांवों में जाना आपने बंद कर दिया, गांवों की मेड़ पर आप चल नहीं सकते, इस कारण से मुझे यह रोकने की कोशिश हो रही है। माननीय सभापति महोदय, अभी तो मेरा समय है।

श्री सभापति: समय आपने ही लिखकर दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं यह समझता हूं कि इस बारे में भी सोचना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अब मेरा एक निवेदन है कि अभी पशुपालन पर मुझे दो-तीन चीजें और बोलना है।

श्री सभापति: प्लीज, आपका समय समाप्त हो रहा है। समय आपका ही समाप्त हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, पर मैं पशुपालन पर दो-तीन बात कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पशुपालन का जब मैं प्रगति प्रतिवेदन का पृष्ठ-2 पढ़ रहा था तो उसमें दो बातें लिखी थीं कि एक तो प्रदेश में जी.एस.डी.पी. में पशुपालन का 10 प्रतिशत का योगदान है, बिलकुल ठीक है। एक पशु, 19वीं पशु गणना में प्रदेश में पशुधन थे 5 करोड़ 77 लाख और यह घट कर हो गये 5 करोड़ 68 लाख।

माननीय सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात है कि ऊँट और गधे लुप्त हो रहे हैं। दोनों में 71.31 परसेंट की कमी है। 19वीं पशु गणना के अंदर गधे 81 हजार थे, 20वीं पशु गणना में यह 23 हजार हो गये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मंत्री महोदय, यह गधों की गणना जब हो रही थी तब आप कहां थे? यह गधों की गणना जब हो रही थी राजस्थान में तब सरकार सो रही थी? सो नहीं रही थी, आप कोई पांच सितारा होटल की कैद में अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए थे।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम गधों की चिंता करो आप। यह आपके इस जिले में हिंगोनिया में लगने वाला मेला आपने बंद कर दिया। आप गधे को क्या मानते हो? गधा वह है जो पूरे दिन अपने मालिक के कहने पर काम करता है, पीठ पर वह भार लादता है और रात को वापस चला जाता है, पर वापस लौट कर भी आ जाता है। वापस लौट कर जो अपने घर पर आता है, वह गधा संस्कृति के लोग हैं। आप इस संस्कृति को बचाने की कोशिश करो और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो घोड़े की बात हो रही है, घोड़े आपके यहां थे 19वीं पशु गणना में 38 हजार, अब 34 हजार रह गये। भाई, हॉर्स-ट्रेडिंग की बात तो मुख्य मंत्रीजी रोज करते हैं यहां पर।

श्री सभापति: कृपया, माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह हॉर्स-ट्रेडिंग की बात जो मुख्य मंत्रीजी रोज करते हैं तो आप मुझे यह बताओ कि यह हॉर्स की ट्रेडिंग में क्या कमी-खामी रह गयी? यह कौनसे घोड़े थे, जिसकी खरीद-फरोख्त के अंदर आपने इतनी खरीद-फरोख्त करवा दी कि उनकी संख्या में यह कम हो गये?

श्री सभापति: समाप्त करें। कृपया, समाप्त करें। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है, मैं एक बात कह कर अब बात समाप्त कर रहा हूं कि यह जो आपने भामाशाह पशु धन बीमा योजना, यह चलती थी न, पूर्ववर्ती सरकार ने जहां चालू की, आपने इसको बंद किया 2019-20 में और आपने क्या कहा? भारत सरकार से नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत राशि प्राप्त न होने के कारण से पशु बीमा नहीं हुआ और फिर अगली बार 2020-21 में आपने यह उत्तर दिया कि भारत सरकार द्वारा अनुमोदित अधिकतम प्रीमियम दर कम होने के कारण से बीमा कंपनियों में राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा जारी निविदाओं में भाग नहीं लिया, बीमा नहीं हुआ तो आपको यह किसने कहा था? आपने अपने जन घोषणा पत्र के पृष्ठ-5 के क्रम संख्या-3 में यह क्यों

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लिखा कि लघु और सीमांत किसानों के पशुओं का हम बीमा करेंगे? आप कहते हो कि पशुओं का मुफ्त में बीमा करेंगे और आप बी.जे.पी. की सरकार की भामाशाह पशुधन बीमा योजना बंद करते हो। इससे बड़ा गुनाह कुछ नहीं हो सकता।

श्री सभापति: कृपया, समाप्त करें। माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें। प्लीज, समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी मेरा टाइम है, देख लीजिए।

श्री सभापति: यह लो कागज। आप विराजिये-विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इतना तो बता दो राठौड़ साहब, राजस्थान में आप घोड़े खरीदने में विफल क्यों हो गये?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बाकी सब जगह सक्सेस हुए पर यहां पर विफल क्यों हो गये आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यक्ष प्रश्न यही है, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): घोड़ा खरीद के बारे में, माननीय सभापति महोदय, घोड़ा खरीद के बारे में ... (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यक्ष प्रश्न यही है। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप विराजें। आपके नेता को ही नहीं बोलने देंगे क्या आप? आप प्लीज, विराजिये। आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यक्ष प्रश्न यही है, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में घोड़ा खरीदने में भूमिका किसकी क्या रही, इसी पर तो है। +++ ने घोड़ा खरीदने में, भूमिका में क्या निर्वहन किया, कितने घोड़े खरीदे और अस्तबल में घोड़े ज्यादा बंधे तो नहीं हैं?

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अभी तो यह मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, यह विस्फोट होगा और घोड़े अपने-अपने अस्तबल में चले जाएंगे।

श्री सभापति: माननीय विराजिये। सुश्री दिव्या मदेरणा। आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे और भी बहुत सी बातें कहनी थीं पर माननीय सभापति महोदय, आप समय नहीं दे रहे हैं इसलिए मैं इतनी ही बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, पूरा राजस्थान राठौड़ साहब से उम्मीद करता था कि किसान आंदोलन पर यह बोलेंगे।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): 281 किसानों की मौत पर यह बोलेंगे, किसानों के धरने पर यह बोलेंगे। 281 किसानों की मौत के बाद एक शब्द भी नहीं बोला, दु:ख तो व्यक्त करते कम से कम।

श्री सभापति: माननीय मंत्रीजी। मंत्रीजी।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-37 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हूं। मैं स्वयं कृषक परिवार से आती हूं और जब कृषि की बात होती है आज की परिस्थिति के अंदर तो जब जज़्बात सीने से बाहर निकल कर आंखों से बाहर आ जाएं तो उन्हें आंसू कहते हैं। आधी मध्य रात्रि को किसान की पीड़ा के आंसू जब ढाई बजे बाहर निकले तो पूरे भारतवर्ष के स्वाभिमान के प्रतीक और संघर्ष के प्रतीक बन गये। अभी मेरे से पूर्व माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि किसान की बहबूदी अगर किसी ने सोची तो मौजूदा भारत सरकार ने सोची तो क्यों आज किसान को अपने बारे में इतनी अनिश्चितता हो रही है? माननीय सदस्य श्री संयम लोढ़ाजी ने पूछा कि हॉर्स-ट्रेडिंग में घोड़े क्यों नहीं खरीद पाए? इसलिए नहीं खरीद पाए क्योंकि गधे ज्यादा इंटेलिजेंट थे और मैं और मंत्रीजी उसमें इसके पक्षधर हैं। ... (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप गधा किसको कह रही हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। इनको तो बोलने दो। माननीय सदस्य, इनको तो बोलने दो। ... (व्यवधान) ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, नहीं-नहीं, यह जिस भाव भंगिमा में, एतराज इस बात का है, माननीय सभापति महोदय, निश्चित तौर पर गधों और घोड़ों पर चर्चा होनी चाहिए।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): निश्चित होनी चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पर जिस भाव भंगिमा में इन्होंने इशारा किया, उस पर मेरे को एतराज है।

श्री सभापति: आप विराजें। प्लीज, आप विराजें। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): पर आप अपनी तरफ इशारा करें, अंगुली करें तो इधर करो। ... (व्यवधान) ...

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं इस बात का समर्थन करती हूं कि निश्चित रूप से गधे और घोड़े के अंतर में यहां पर चर्चा होनी चाहिए।

कृषि जो क्षेत्र है उसमें बड़ी अनिश्चितताएं हैं और उसके बहुत सारे कारण हैं। उत्पाद, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, उसमें कमी आ रही है। खेती की जमीन का आकार घट रहा है। किसान मानसून पर निर्भर रहता है जो आजकल बहुत ही अनिश्चित है, जिसका पैटर्न बदल चुका है। जो बरसात पहले तीन महीने में होती थी, दस महीने में होती है और जितनी सर्दी पड़नी चाहिए उतनी सर्दी पड़ती नहीं है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है। कीटनाशक भी मिलते नहीं हैं। असंतुलित उसका प्रयोग भी होता है। मिट्टी भी उसके कारण उपजाऊ कम हो जाती है। तकनीक जो बहुत अच्छी मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल पाती है। ऋण की जो असमानताएं हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जो कृषि क्षेत्र के अंदर, जिसके ऊपर हमें काम करने की यह जरूरत है।

लॉकडाउन के अंदर अभी यह कह रहे थे कि किस तरीके से राजस्थान के किसान के अंदर उसको सलाम करते हैं, उसने श्रम किया। यह श्रेय भी आप लेना चाहते हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि जितनी बड़ी चुनौतियां लॉकडाउन की हमने इस वर्ष में देखीं, लॉकडाउन लगा, उस वक्त सारी सुविधाएं, सारा एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक रुक गया लेकिन यह गर्व से कहते हुए, सैल्यूट करती हूं मैं किसानों को कि 2020 की रबी और खरीफ दोनों के अंदर रिकार्ड उच्चतम अनाज दलहन पैदा हुआ। खरीफ में भी तिलहन के अंदर उत्पादन का रिकार्ड बनाया गया। इतनी गंभीर कोविड की चुनौतियां थीं और उससे पहले टिड्डी का भयावह आक्रमण था। उसके बावजूद भी कृषि के अंदर, कृषि क्षेत्र राजस्थान में सुरक्षित रहा और अग्रणी राज्यों में आया। मैं इसके लिये माननीय मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

चाहती हूं कि कोविड और टिड्डी के इस प्रबन्धन से हम इस स्तर को छू पाये और कृषि में नुकसान नहीं हुआ।

लॉकडाउन के अंदर सरसों और गेहूं की फसल की जब कटाई की तैयारी हो रही थी और खड़ी थी, अनाज निकालने की दिक्कत हो रही थी, तब मुख्य मंत्रीजी ने मशीन, थ्रेशर वगैरह सब कुछ उपलब्ध करवाये और सुनिश्चित कराया कि नजदीक से नजदीक स्थान पर खाद और बीज उनको मिल सके। 40 से अधिक क्रय-विक्रय सहकारी मंडियों के अंदर, मंडी प्रागंण को उपज मंडी घोषित करके उनके अनाज को वहां पर लिया जा सके, इसकी सुविधा उपलब्ध करायी और इन्हीं मंडियों को आज आप बंद कर रहे हैं।

मैं देख रही थी, आपके बजट के अंदर भी कहा गया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंदर हजार और ई-नेम की इलेक्ट्रिकल मंडियां आप करेंगे। एक तरफ तो आप तीन काले कानून लेकर आते हैं, जिसमें आप मंडियां हटा देना चाहते हैं और उद्योगपतियों के हाथ में कृषि को देना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप अपने बजट में खुद विरोधाभासी बातें करते हैं। प्रोसेसिंग यूनिट्स खरीद के लिये उनको भी अनुमति दी गयी ताकि समय पर सीधे किसानों को लाभ मिल सके। रबी की फसल निकालने तथा खरीफ की फसल की बुआई में कोरोना के चलते आर्थिक संकट के अंदर मुख्य मंत्रीजी ने 27 हजार से अधिक किसानों को अप्रैल-जुलाई के अंदर एक लाख घंटे से अधिक अवधि के लिये ट्रैक्टर और कृषि उपकरण नि:शुल्क उपलब्ध करवाये।

इसी प्रकार से 8 लाख 21 हजार से अधिक संकर बाजरा मिनी किट तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 5 लाख मक्का मिनी किट नि:शुल्क उपलब्ध करवाये गये और यह आज तक का कोरोना लॉकडाउन के होते हुए भी सबसे उच्चतम कीर्तिमान स्थापित किया गया है। यह मैं पुन: मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी की लीडरशिप के लिये कहूंगी।

पन्द्रहवें वित्त आयोग की एक रिपोर्ट में उन्होंने एग्रीकल्चर रिफोर्म्स के अंदर ग्रांट्स के अंदर 45 हजार करोड़ का प्रावधान किया कि परफोर्मेशन बेस ग्रांट होगी और उसके अंदर चार मापदंड दिये कि land leasing suitable and efficient water use for promotion, export and contribution towards Atmanirbhar Bharat. अब कौनसे आत्मनिर्भर भारत की यह बात करते हैं? कोरोना काल के अंदर एक तरफ पूरे तरीके से जब सब कुछ रूका

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

हुआ था तो अंधेरे के अंदर, जो कि एग्रीकल्चर स्टेट का भी सब्जैक्ट है, अभी कह रहे थे, किसी से बहस नहीं की, बिना किसी बहस के ऐसी कौनसी आपदा, ऐसी कौनसी इमरजेंसी थी कि रातों-रात यह तीनों काले कानून लेकर आ गये। वह जिसने कृषि के सैक्टर में कोरोना काल में भी किसान ने भारत को आत्मनिर्भर बनाया। दूसरी तरफ आप तीन काले कानून लेकर उसको आत्मनिर्भर बनाने से पूरे भारत को तोड़ने के लिये दो पूंजीपतियों को, सिर्फ पूंजीपतियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिये आप काम कर रहे थे। यह विरोधाभासी आपका चाल, चरित्र और चेहरा पूरे हिन्दुस्तान ने देखा।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहूंगी कि हम जब कृषि की बात करते हैं तो हमें एक होलिस्टिक व्यू रखने की आवश्यकता है। हमें क्लाइमेट चेंज के लैंस से कृषि को देखना पड़ेगा और हमारी पॉलिसीज को बनाना पड़ेगा और यह बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है। टैम्प्रेचर बढ़ रहा है, बारिश कम हो रही है और क्रॉप का पैटर्न बदल रहा है और इसका बहुत व्यापक असर खेती पर पड़ रहा है।

हमारे यहां दस एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स राजस्थान में बंटे हुए हैं। क्लाइमेट चेंज का इन पर क्या असर होता है, इसका अध्ययन करने की जरूरत है और इसके अकोर्डिंग हमें योजना बनानी चाहिए। 2010 से 2019 सबसे गर्म दशक रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। एक प्रतिशत टेम्प्रेचर बढ़ा है और कह रहे हैं कि अगर डेढ़ प्रतिशत टैम्प्रेचर बढ़ गया तो तबाही मच जाएगी इसलिए, बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि हम हमारी नीतियों को इसके अनुरूप देखें।

हम मानसून से प्रभावित रहते हैं। कहीं पर बारिश की अनिश्चितता होती है। राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन बढ़ रहा है और इसी टैम्प्रेचर के बढ़ने से पशु पर भी असर होता है, दूध का उत्पादन भी कम होता है और डेयरीज के उत्पादन भी कम होते हैं। जो एक यह सोच हो गयी है कि मैं बड़े गर्व से कहती हूं कि मैं किसान की बेटी हूं और उस वर्ग की यहां पर आकर उसकी आवाज बनती हूं और यही भावना पूरे हिन्दुस्तान के किसान में होनी चाहिए। लेकिन, एक दूसरी भावना है कि मेरा बेटा खेती न करे। आज शहरीकरण की तरफ जा रहे हैं और वह इसलिए माइग्रेट करते हैं और सिक्योरिटीज जॉब या दूसरे छोटे-मोटे जॉब्स करते हैं, खेती से पलायन हो रहा है। शहरों में आते हैं तो शहरीकरण की दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। हाइजीन हो, परिवार को छोड़कर आते हैं, उनके बच्चों की एजुकेशन की प्रॉब्लम है। अगर महिलाओं को लेकर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आते हैं तो उनकी सिक्योरिटी की प्राब्लम होती है। शहर से जब गांव जाते हैं तो शहर का कल्चर लेकर जाते हैं टी.वी., फ्रिज वगैरह और देखते हैं कि वैसे-वैसे संसाधन हम घर में उपलब्ध करायें और उसके लिये लोन लेते हैं तो लोन के चक्कर में फंस जाते हैं। पहले एक कहावत थी, 'उच्चतम खेती, मध्यम व्यापार' मुझे लगता है, हमें उस भावना को, उस सोच को खतम नहीं होने देना चाहिए, उसके अनुरूप हमें नीतियां बनानी चाहिए और आपके यह तीनों काले कानून बिलकुल इसके विपरीत हैं।

मुझे नहीं पता, कौनसे चश्मे से हमें इन कानूनों को देखने की जरूरत है। जब पूरे हिन्दुस्तान का किसान रोड पर आया हुआ है और कह रहा है कि नहीं, हमारे हकों की लड़ाई के खिलाफ है, तो आपकी हठधर्मिता इस तरीके से है कि आप मानने को तैयार नहीं हैं और कह रहे हैं कि नहीं, ये उनके फेवर में हैं।

फिर एक बड़ी चीज आयी टिड्डी की, और हमने देखा कि किस तरीके से टिड्डी का प्रकोप रहा। वैस्टर्न राजस्थान में बहुत ज्यादा रहा और केन्द्र के राज्य मंत्री हैं, वह भी बाड़मेर से आते हैं। बार-बार अनर्गल बयान देते हैं और टिड्डी पर ऐतिहासिक काम हमने किया। 1993 के बाद, मुझे लगता है कि बहुत सालों बाद यह टिड्डी आयी होगी। मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार इस locust को देखा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिये त्रि-स्तरीय व्यवस्था बनाकर कृषि और राजस्व विभाग का एक सामंजस्य बिठाकर बहुत बढ़िया काम टिड्डी नियंत्रण में हमने किया। बांसवाड़ा के अलावा 32 जिलों में टिड्डी का प्रकोप था। 6 लाख 41 हजार हजार हैक्टेयर को प्रभावित किया, जिसके अंदर टिड्डी चेतावनी संगठन भारत सरकार के समन्वय से 5 लाख 21 हजार हैक्टेयर में टिड्डी नियंत्रण किया गया। कृषि विभाग द्वारा 70 हजार से अधिक किसानों को 94 हजार लीटर कीटनाशक रसायन नि:शुल्क दिलवाया गया। बाद में हैलिकॉप्टर और ड्रोन से भी इसका छिड़काव किया गया और हमने मांग की कि विशेष आपदा पैकेज किसानों के लिये इसके अंदर भारत सरकार दे, जिसको आपने नहीं दिया। आप कहते हैं - 'हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और' वह बात आपकी बार-बार दिखती है। किसानों के प्रति आप कितना गंभीर हैं, क्या सोचते हैं, यह बार-बार हमें देखने को मिलता है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

एक चीज आगे और देखने की है, जैसेकि मैं कह रही थी कि क्लाइमेंट चेंज से, एनवायर्नमेंट चेंज से हमें खेती को देखने की आवश्यकता है। जब हैलिकॉप्टर और ड्रोन से ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव किया गया, तो वह वाटर बॉडीज में भी गया और केरल का एक उदाहरण है, वहां पर काजू की खेती के अंदर कोई कीड़ा लग गया था, वहां पर इस तरह कीटनाशक का उपयोग किया था, उससे आज भी लंग कैंसर और कितने प्रकार की बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। इसलिए, आवश्यक हो गया है कि क्लाइमेंट कंडीशंस और इस आपदा के अनुसार हमारी नीतियां बनें।

दूसरी बात मैं करना चाहूंगी फसल बीमा योजना की। अभी बजट का बहुत सारा आंकड़ा पी आर एस और दूसरी रिपोर्ट्स का यहां पर बता रहे थे। आपने 10 हजार करोड़ की कटौती की है फसल बीमा योजना में। इसके आंकड़े मेरे पास भी हैं यहां पर। आपको 75 हजार करोड़ से इसका एलोकेशन 65 हजार करोड़ कर दिया है। आपको पिछले साल इसके ऊपर जो स्पेंडिंग करनी थी, उसमें भी आपने स्पेंडिंग सिर्फ 48 हजार 714 करोड़ आपने की, 35 परसेंट लोअर आपकी स्पेंडिंग रही और कहते हैं कि नहीं, हम किसानों के लिये बहुत काम करते हैं। फसल बीमा योजना की स्थिति को मैं आपके सामने सदन में रखना चाहती हूं। इसके क्रियान्वयन के लिये हमारा राज्य पहले बहुत पिछड़ा हुआ था। प्रीमियम का जो स्टेट शेयर का भुगतान था करीब 2017 के बीमे का, वह लंबित पड़ा था और इसका क्लेम और इसका जो फायदा किसान को मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा था। हमारी सरकार ने बीजेपी का जो प्रीमियम स्टेट था, जो लंबित था, उसके लिये प्राथमिकताएं रखीं, बात कीं और उसका स्टेट का डेटा मैं आपको बताती हूं। 1035 करोड़ रुपये का जो प्रीमियम स्टेट शेयर की जमा पिछली सरकार के लिये लंबित था, खरीफ और रबी की फसल का राज्यांश प्रीमियम जमा करवाया, ऑनलाइन फसल कटाई के लिये प्रयोग की गति दी गयी। 2016 में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के प्रारंभ में और 2018-19 तक 2,536 करोड़ रुपये का प्रीमियम स्टेट शेयर जमा करवाया गया। अब 3,483 करोड़ रुपये से 40 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। हमने पिछला बकाया शामिल करते हुए 3,795 करोड़ रुपये का प्रीमियम स्टेट शेयर जमा करवाया है और 55 लाख से अधिक किसानों को 7,998 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम यहां पर मिला है। अभी आप जो आंकड़े बता रहे थे, उन आंकड़ों की मैं पोल खोल रही हूं। दो वर्ष की छोटी अवधि में

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

फसल बीमा योजना को हम सुचारु ट्रैक पर लेकर आये हैं और अग्रणी राज्यों में शामिल किया है। आपके कार्यकाल में आपने इस फसल बीमा योजना की भद्द पीट दी थी जिसके कारण किसान को सफर करना पड़ा था।

भारत सरकार अपनी इस भूमिका के अन्दर भी किसान विरोधी है, जो यह कहते हैं, किस तरीके से परिलक्षित हो रहा है वह आप इस तरीके से इसमें देखेंगे। वह अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए जो आधा-आधा प्रीमियम भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच में इनको वहन करना था, उसमें भी इन्होंने एक गाइडलाइन लाकर परिवर्तन कर दिया और अब कहते हैं कि निविदा प्रक्रिया में प्रीमियम दर सिंचित जिलों के लिये 25 प्रतिशत, असिंचित जिलों के लिए 30 प्रतिशत, इस कैपिंग में प्रीमियम आधा-आधा वहन किया जाएगा और इस कैपिंग को लागू करके इन्होंने राज्य के ऊपर दोहरी मार मार दी है और फिर कहते हैं कि आप कितना एक्सपेंडिचर और बजट करना चाहते हैं, यह सुनिये आप। डेढ़ सौ करोड़ का अधिक प्रीमियम हमको देना पड़ रहा है। यह अधिक भार हम पर आ गया है लेकिन आप कहेंगे कि आप किसानों के प्रति बहुत रहम दिल हैं।

मैं इसके अन्दर एक दूसरी बात और कहना चाहूंगी जो हम रात दिन फेस करते हैं। मेरा एक सुझाव है कि जब बारिश होती है तो किसी खेत के ऊपर पूरी सौ प्रतिशत फसल को नष्ट कर देती है, किसी को 30 परसेंट करती है लेकिन उस पूरे गांव का एक एवरेज निकाला जाता है और कहा जाता है कि अगर इतना एवरेज क्रॉस करेगा तो ही इसको इस योजना का फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि फसल खराब होने का असेसमेंट करने के लिए खेत की जो यूनिट है, इकाई है, इस खेत को ही इकाई और यूनिट मानना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को जिसको नुकसान हुआ है उसे लाभ मिल सके।

खाद और बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने में भी हमारी बहुत योगदान की भूमिका रही है। सरसों, बाजरा, पौष्टिक अनाज, ग्वार में हम देश में प्रथम हैं; तिलहन, चना, मूंगफली में हम दूसरे हैं और सोयाबीन के उत्पादन में हम तीसरे हैं। गेहूं और कपास में हम प्रमुख राज्यों के अन्दर आते हैं और इस बार गेहूं व दलहन उच्चतम उत्पादन करते हुए हमें कृषि कर्मण अवार्ड भी मिल चुका है। मसालों में हम विश्व में प्रसिद्ध हैं। अच्छे उत्पादन के लिए

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आप, हम सब जानते हैं कि जैसाकि बात कर रहे थे बिजली की जरूरत है, खाद की जरूरत है और मैंने पहले शुरू में बताया कि क्या चीजें जो कृषि की अनिश्चितता को तय करती हैं, उन सबकी जरूरत है।

राजस्थान राज्य बीज निगम अच्छे बीजों को समय पर किसानों तक पहुंचाने की भूमिका निभाता है। पिछले दो वर्षों के अन्दर मैं आपको बी.जे.पी. के कार्यकाल के आंकड़े दे रही हूं, 6 लाख 23 हजार क्विंटल 2017-18, 6 लाख 60 हजार क्विंटल 2018-19 और मुझे गर्व है कहते हुए इसको 2019-20 में बढ़ा कर 7 लाख 70 हजार क्विंटल हो गया है, यह हमारी प्राथमिकता को बताता है और हमारे कर्तव्यपरायणता को बताता है। गुणवत्ता के बीज बिलकुल पास में मिल सकें, इसलिए हमने ग्राम सेवा सहकारी समिति के जरिए बीजों के वितरण का काम किया। प्राइवेट डीलरों की कठिनाइयों को बंद करने का काम किया और हम अनेकों काम बीज टैस्टिंग के कर रहे हैं ताकि उनको गुणवत्ता भरे बीज मिल सकें।

अभी बात कर रहे थे, कोई यूरिया की बात कर रहे थे, हमारे कार्यकाल में यूरिया पुलिस के संरक्षण के अन्दर नहीं गयी जिस तरीके से आपके कार्यकाल के अन्दर जाती थी। हमने यूरिया मुहैया कराने के लिए, किसान जो यूरिया की किल्लत फेस करता था, पर्याप्त रूप से सिस्टमैटिक रूप से यूरिया बांटने का काम हमारी सरकार में किया।

86 परसेंट किसान 5 हैक्टेयर से कम भूमि को जोतते हैं। अभी यह कह रहे थे इन तीनों काले कानूनों में आप कौनसा ऐसा देखते हैं, आप मुझे बताइये कि यह जो कह रहे हैं कि आप इंटर राज्य जाकर बेच सकते हैं, वह जो एक-दो बीघा के ऊपर किसान अपनी खेती करके लाएगा, वह अपनी खेती इंटर राज्य जाकर कहां बेचेगा?

दूसरी चीज मैं यह कहना चाह रही थी कि हमने माइग्रेंट लेबर्स की पीड़ा को देखा और हमने देखा कि कैसे मध्य प्रदेश की सरकार को उलट करने के लिए जीवन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हुए आपने टाइमली लॉकडाउन नहीं लगाया और जब लगाया तो आपने प्लाण्ड लॉकडाउन नहीं लगाया। एक इस तरीके से किया कि पूरे देश का माइग्रेंट लेबर आ गया, उसकी व्यथा पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने सदन में कही भी थी लेकिन वह माइग्रेंट लेबर सर्वाइव कैसे किया, जो उसके पास में पीछे एक या

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

दो बीघा जमीन थी उसमें जाकर खेती करी और वह भूखा नहीं मरा, इस तरीके से वो सर्वाइव कर पाया।

अभी जल की बात कर रहे थे। मैं मानती हूं कि जल एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है खेती में और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो कि एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें फव्वारा और डिग्गी के निर्माण के लिए फंडिंग की जाती है, इसका भी मैं आपको डाटा बताना चाहती हूं। बजट में सूक्ष्म सिंचाई को प्राथमिकता देने के लिए 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि को सूक्ष्म सिंचाई में लाने के लिए निर्धारित किया गया। 2019-20 में इसका प्रावधान 120 करोड रुपये किया, 2017-18 में आपके कार्यकाल में मात्र 83 करोड़ था, 2018-19 में यह 97 करोड़ था और हमने अभी सिर्फ दिसम्बर तक 90 करोड़ का एक्सपेंडिचर कर दिया, यह हमारी कर्तव्यपरायणता को झलकाता है। इसके अन्दर भी हमने नवाचार लाने की कोशिश की है। हमने आटोमेशन इन फर्टिलाइजेशन तकनीक को लाने की कोशिश करी है और मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें 30 हजार डिग्गी व पौंड, 1 लाख 20 हजार किसानों को स्प्रिंकलर दिये जाने का प्रावधान किया है, 4 लाख 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को सिंचाई जिसके लिए 732 करोड़ रुपये का हमने प्रावधान किया है।

दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं इसमें कहना चाह रही थी कि आपने इसके अन्दर भी अपनी गाइडलाइन को बदला है और बी.जे.पी. की पिछली सरकार के अन्दर, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 2018 के अन्दर 6800 अतिरिक्त डिग्गी बनाने के लिए बिना किसी बजट के, बिना किसी प्रावधान के आपने यह कह दिया और इसका 208 करोड़ का वित्तीय भार सरकार पर आ गया। केंद्र को हमने लिखा, इस पीड़ा को हमने समझा और केंद्र ने इसके लिए कोई अनुदान नहीं दिया, इसको कुछ नहीं दिया और आप कहते हैं कि हम किसान के लिए बहुत सोचते हैं और यह तो बजट का काम था, आपका चुनावी वर्ष था इसलिए लोक लुभावने बिना बजट के, अब यह पी.डब्ल्यू.डी. पर चर्चा आयेगी तब आप फिर यह कहेंगे कि ठेकेदारों को पेमेंट नहीं होते हैं, तब भी आप यही करके गये बिना प्रावधान, बिना बजट के। आप कितने किसान हितैषी हैं, यह दिखता है। 4020 डिग्गियों का शेष अनुदान 90 करोड़ रुपये हमने वहन करने का निर्णय लिया है।

भर्तियों की बात कर लीजिए, 2018 के अन्दर जो लंबित भर्तियां थीं उसको भरने का काम हमने किया और 882 नई भर्तियां चयन के लिए हमने

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

लिख दिया है, 302 सहायक कृषि अधिकारी, 102 कनिष्ठ सहायक की भर्ती भी पूरी कर ली गई है और न्यायालय में जो मामले पेंडिंग है उनके लिए भी हम काम कर रहे हैं।

कृषि उच्च शिक्षा की बात करूंगी। जैसे मेडिकल कॉलेजेज के अन्दर हमने प्रत्येक जिले के ऊपर मेडिकल कॉलेज पर व्यापक रूप से बढ़ाया, उसी तरीके से समान रूप से हमने कृषि शिक्षा को भी व्यापक रूप से एक्सपेंड किया। मैं पुनः मंत्री जी से यही आग्रह करूंगी कि हम इन्फ्रास्ट्रक्चर तो बना रहे हैं लेकिन हमें इसमें गुणवत्ता और क्वालिटी भी देनी पड़ेगी और रिसर्च बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है और कृषि की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है तो रिसर्च हमारे एजुकेशन में पैरेलल एस्टैब्लिश करनी पड़ेगी कि हम बायोपेस बनाकर, जैसे कि कोई कीटनाशक दवाइयां नहीं डालकर टिड्डी के लिए और कुछ इस तरीके का ईजाद करें।

आपके कार्यकाल में पांच या छह नये कृषि महाविद्यालय आये थे। हम पहले दो वर्ष में पांच कृषि महाविद्यालय लाये और अब आठ नये लेकर आये हैं और आप यह कहेंगे कि इसके लिए कोई बजट का प्रावधान किया है तो बताइए, कहां पर इसका क्रियान्वयन करेंगे? निश्चित रूप से लेकर आये हैं तो आपको इस बात के लिए सुनिश्चित करते हैं कि इसी साल के अन्दर इनको होराइजन ...(व्यवधान). लागू करेंगे।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि बहुत सारी बातें थीं, मैं केंद्र की बहुत सारी बातें कहना चाहती थी पर समय की पाबंदियां हैं। एक क्लाइमेट चेंज डायरेक्टरेट बनानी चाहिए, इसके लिए मैं आपसे विशेष अनुग्रह करूंगी ताकि इस लैंस से इसको देखा जाए।

एक और मेरा सुझाव है कि हम उच्च शिक्षा में तो कृषि के लिए नये काम कर रहे हैं लेकिन जैसे हमने बताया कि एक सोच हम में बचपन से पैदा होती है कि हम किसान परिवार से आते हैं और हम उस बात का गर्व महसूस करते हैं, इसलिए एलीमेंट्री एजुकेशन के अन्दर हमें इसको इंट्रोड्यूस करने की आवश्यकता है, छोटे बच्चों को वहां से पढ़ाया जाए कि किचन गार्डन क्या होता है, उसका रुझान दिया जाए, उसका परिचय दिया जाए ताकि कृषि के प्रति झुकाव को डवलप किया जा सके।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि यह जो तीन काले कानून लेकर आये हैं, वह सिर्फ हम दो हमारे दो की नीति पर है, पूंजीपतियों के लिए है, जमाखोरी बढ़ाने के लिए है। ओनियन के ऊपर, प्याज पर क्या हुआ आपने देखा। एम.एस.पी. की बात करते हैं तो आपने क्यों नहीं लिखा एम.एस.पी. को कि हम वहां पर एम.एस.पी. देंगे, गारंटी प्राइस क्यों लिखी? किस तरीके से आप काले कानून लेकर आये हैं, आधी रात को लेकर आये हैं, बिना डिस्कशन के लेकर आये हैं। कोरोना में लेकर आये हैं, आपका यह चेहरा सबने देखा।

मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगी कि किसान के प्रति आप कितने हितैषी हैं, यह आप सबने देखा है। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि सदन में किसी की रुखसती पर आप अश्क से रुखसती देते हैं, तो वह 260 के करीब जो किसान संघर्ष करते हुए चले गए, उनकी संवेदना में आप एक बात नहीं कह सकते। बजट के आंकड़ों के फेर में आप उलझाना चाहते हैं। उत्पादन कितना हुआ, कितना नहीं हुआ, इसमें उलझाना चाहते हैं। कृपया कुछ न करें तो उनके लिए संवेदना में दो शब्द कहें। धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कन्हैया लाल।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं पाइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के तहत आपको अवगत कराना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें। अभी विराजें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): शुक्रवार को जो बरसात हुई, उससे पूरे खेत भर गए। हाड़ौती का किसान बरबाद हो गया।

श्री सभापति: आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): हाड़ौती में पटवारी हड़ताल पर हैं। वहां सर्वे हो नहीं पा रहा है।

श्री सभापति: आप विराजें। विराजें माननीय सदस्य। अंकित नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, आप विराज जाएं।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री सभापति: माननीय कन्हैया लाल जी। आप विराज जाएं।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में सबसे ज्यादा 70 प्रतिशत किसान रहते हैं। खेती करते हैं। उनकी मांग संख्या 37 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

सभापति महोदय, मैं इस सदन में सबसे पहले हमारे पूर्व प्रधान मंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने पहली बार किसानों की दशा और दिशा सुधारने के लिए काम किया। पहले किसान अपने खेती संबंधी कामों के लिए, पैसे के लिए सेठ-साहूकारों के पास जाता था। वह अपनी जमीन गिरवी रखकर के पैसे लेकर आता था। लास्ट में उसका इतना ब्याज हो जाता था कि वह जमीन सेठ ही रख लेते थे। पहली बार किसानों की आय बढ़ाने के लिए, अपना धंधा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड लाने का काम अगर किसी ने किया तो हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। मैं आज उनको सदन में श्रद्धांजलि भी देता हूं और किसानों की तरफ से धन्यवाद भी देता हूं कि वह ऐसा कानून लेकर के आए।

इसके साथ जब किसान अपना माल मंडियों में लेकर आते थे तो रास्ते इतने खराब थे कि उनको बहुत तकलीफ होती थी। उनके लिए प्रधान मंत्री सड़क योजना बनाकर के किसानों का भला करने का काम पहली बार किसी ने किया तो हमारे देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने किया।

इसके साथ 2014 से हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी आए, इन्होंने किसानों की आय दुगुनी करने का एक लक्ष्य लिया कि मैं 2022 तक किसान की आय दुगुनी करूं। इसके तहत जिस धरती माता के अंदर हम अन्न बोते हैं, उसका स्वास्थ्य कैसा है, इसकी चिंता करने का काम किया है तो हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। इन्होंने सोइल हैल्थ कार्ड, जिससे उस किसान को पता लगे कि मेरी इस जमीन में कौनसे तत्व की कमी है। मैं इसमें कितना खाद डालूं, कौनसे खाद की कमी है? जमीन के स्वास्थ्य का और किसान के स्वास्थ्य का ध्यान रखने का काम किया तो हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया।

जहां पहले किसान का 100 परसेंट यूरिया लगता था, आज उसकी खपत 70 प्रतिशत रह गई है। लगभग 30 परसेंट यूरिया नीम कोटेड की वजह

(श्री कन्हैया लाल)

से बचता है। पहले जो यूरिया के लिए लाइन लगी रहती थी, किल्लत रहती थी, नीम कोटेड यूरिया की वजह से 50 परसेंट यूरिया की बचत हो रही है। पहले आधा यूरिया ब्लैक के जरिए किन्हीं दूसरे कामों में जाता था। आज उसको बचाने का काम किया। किसान की मदद करने का काम किया तो हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। 50 किलो का डीएपी का कट्टा जो पहले 4 सौ रुपये का था और यूपीए की सरकार के समय बढ़ते-बढ़ते 12 सौ का कट्टा मिलने लग गया था, उसकी रेट घटाकर 1050 करने का काम हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। पहली बार किसान के लिए खाद की रेट कम करने का काम किया है। उन्होंने आमदनी बढ़ाने के लिए केवल एक ही काम नहीं किया, 50 काम किए हैं।

प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना चालू की, जिसमें किसानों का बीमा के रूप में साढ़े 6 परसेंट और 7 परसेंट रबी और खरीफ का अलग-अलग दर से लिया जाता था। पहले किसी गिरदावर हलके में नुकसान होता था, उसमें अगर पूरा नुकसान नहीं होता था और पर्टिकुलर 50 परसेंट खेतों में ही नुकसान होता था तो उसका इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता था। क्रोप कटिंग के आधार पर वह नुकसान दिखाया नहीं जाता था कि इतने एरिये में हुआ है कि नहीं हुआ है। इन्होंने खेत को इकाई बनाने का काम किया। अगर किसी एक खेत में भी किसान के नुकसान होता है तो उसे इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा। प्रीमियम को घटाकर, जहां पहले साढ़े 6 और 7 परसेंट था, उसको डेढ़ परसेंट और 2 परसेंट करने का काम किया। आज 40 परसेंट पैसा केन्द्र सरकार, 40 परसेंट पैसा राज्य सरकार देती है। पिछले 5 साल में लगभग 90 हजार करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने किसानों के प्रीमियम का पैसा दिया।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने जब भी किसानों के बीमे की बात आई, तुरंत एक्शन लिया। मेरे क्षेत्र में पिछले 2 साल में जहां-जहां भी कोई तकलीफ आई, यहां से तुरंत टीमें गईं। अभी जो चने की फसल में 'उगाला' नाम का रोग लगा था, उसके अंदर भी काम किया। पिछले साल भी किसानों के लिए इन्होंने प्रोपर गाइडलाइन देकर इंश्योरेंस कंपनियों पर दबाव बनाया जिससे आज किसानों को अच्छा बीमा का पैसा मिल रहा है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं। किसान जब किसान क्रेडिट कार्ड के लिए बैंकों में जाता है तो गिरदावरी में कुछ भी लिखाकर आ जाता है। उसको बाद में पता नहीं रहता है

(श्री कन्हैया लाल)

कि कौनसे खेत में क्या फसल बोई है। मैंने बीमा किसका कराया है। इसके लिए हर ग्राम पंचायत पर एग्रीकल्चर अधिकारी और बीमा कंपनियां कैंप लगाकर किसानों में जागरूकता लाएं जिससे उनको पता लगे कि हर बार जो भी फसल बोते हैं, उसके आधार पर बैंक में जाकर उसमें सुधार कर सकें कि कौनसी में गिरदावरी करें जिससे किसान को प्रोपर गाइड मिल सके। इसके अलावा टोल फ्री नंबर पर वह कॉल करे।

माननीय सभापति महोदय, आपके डिपार्टमेंट वाले तो फिर भी क्रोप कटिंग ईमानदारी से करते हैं लेकिन राजस्व वाले या तो बीमा कंपनी से मिल जाते हैं या घर बैठे कर देते हैं। क्रोप कटिंग में किसान का पूरा नुकसान बताते नहीं हैं। जब 100 परसेंट नुकसान होता है तो वह 20 परसेंट या 33 परसेंट से कम भेजते हैं जिससे 20 परसेंट का ही उनको मिल पाता है। यह भी आप देखने की व्यवस्था करें जिससे कि उसको पूरा फायदा मिले।

दूसरी चीज, पहले ओलावृष्टि या कहीं भी शीत लहर आ जाती थी, शीत लहर को पहले उसमें जोड़ा नहीं गया था, मोदी जी के आने के बाद में शीत लहर को भी जोड़ा गया। किसान को 50 परसेंट नुकसान हो और वह भी पूरे उपखंड में कहीं पूरा नुकसान हो, तब उसको जाकर के मिलता था। 2014 से पहले कभी भी किसान के खाते में 500 रुपये से ज्यादा नहीं आए। मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। 500 रुपये से ज्यादा कभी भी मुआवजे की राशि नहीं आई। यह 50 परसेंट से हटाकर उसको 33 परसेंट लेकर के आए और राशि किसी की 27 हजार रुपये आती है, किसी को 13 हजार आती है। पहली बार बीमा का पैसा देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है। यह जो बात कहते हैं कि आमदनी दुगुनी कैसे बढ़े।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ अभी बातें चल रही थी कि जब किसान आंदोलन चालू हुआ तो सबने कहा कि एमएसपी का इस कानून में हवाला नहीं दिया जबकि इस तरह का 1965 में ही, पूर्व की जो गवर्नमेंट थी, किसानों का समर्थन मूल्य पर खरीदने का कानून बना हुआ था। सिर्फ यह बात करनी चाहिए थी कि यह खरीददारी इतनी कम थी, इसको ज्यादा की जाए। एमएसपी पर कम पैसा मिलता है तो इसको ज्यादा बढ़ाया जाए।

(श्री कन्हैया लाल)

माननीय सभापति महोदय, अगर 2009 से 2014 की बात करें तो कभी भी समर्थन मूल्य किसी भी जिंस का मैक्सिमम 100 रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ा। चाहे चना ले लो, चाहे सरसों ले लो, चाहे गेहूं ले लो। गेहूं का समर्थन मूल्य 2014 के अंदर 1450 रुपये था, उसको हर साल 100 रुपये बढ़ाया। आज 1975 रुपये हो गया। जो सरसों 3050 रुपये थी, आज 4650 रुपये सरसों खरीदने का काम किया है। इसके साथ-साथ जो 3000 रुपये चने का समर्थन मूल्य था, हर साल 300 रुपये बढ़ाकर के आज 5100 रुपये चने का समर्थन मूल्य करने का काम किया है। ऐसे में मैं देश के प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। इसके साथ-साथ दलहन की बात करें, मूंग की बात करें, मूंग जो 3250 रुपये आज से 5 साल पहले था, आज 7 हजार रुपये ले जाने का काम किया है। केवल समर्थन मूल्य ही ज्यादा नहीं बढ़ाया बल्कि खरीदने का काम किया। लगभग 4 गुना समर्थन मूल्य इन 5 सालों के अंदर किया। ऐसे प्रधान मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

सबसे बड़ी योजना किसान के लिए लेकर आए, किसान को किस तरीके से मदद मिले। मैं ऐसे-ऐसे किसान मेरी विधान सभा क्षेत्र में बताना चाहता हूं कि किसी परिवार में 6 बीघा जमीन है और उसके परिवार में 5 लोगों के नाम हैं तो लगभग 30 हजार रुपये हर साल उस परिवार को पैसा मिलता है जबकि 6 बीघा की निकालें तो उसके 10 हजार से ज्यादा खर्चा निकालकर के पैदावार नहीं है, 30 हजार रुपये उस परिवार को किसान सम्मान निधि के रूप में खाते में पैसा जाता है। ऐसा काम हमारे देश के प्रधान मंत्री ने किया है। अभी मार्च तक की बात करें तो लगभग एक लाख करोड़ से ज्यादा रुपये किसानों के खातों में डालने का काम किया है। यह किसानों का सम्मान बढ़ाने का और संबल देने का काम किया है। यह प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है।

इसके साथ-साथ उन्होंने आर्गेनिक फार्मिंग करने का भी काम किया। अभी बात चल रही थी कि पीएमकेएसवाई, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना, मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि इसमें मैं मानूंगा कि पिछली हमारी सरकार की भी कमी रही। हमने खूब कोशिश की, इसकी नोडल एजेंसी कृषि विभाग है। इसके अंदर जितने भी 300 हैक्टेयर के तालाब हैं, जो पहले

(श्री कन्हैया लाल)

सिंचाई विभाग में हुआ करते थे, लेकिन एक ही आदेश से वह प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में जोड़े। पहले ग्राम पंचायतों में ट्रांसफर कर दिया। उनकी न तो ग्राम पंचायतें देखरेख कर पा रही है और न सिंचाई विभाग ही देखरेख कर पा रहा है क्योंकि ग्राम पंचायत के अंडर में हैंडओवर हो चुके हैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नोडल एजेंसी आपकी है तो प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना में वाटरशैड है, इर्रिगेशन के छोटे तालाब हैं, जो ग्राम पंचायतों के हैं, एनिकट्स हैं उनका सब बनाकर क्रियान्वित करें। इसी योजना के तहत आज मध्य प्रदेश में जाकर देखो तो लगभग 20 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से बेनिफिट ले चुके हैं जबकि राजस्थान में न तो पिछली सरकार इसका बेनिफिट ले पाई और न यह सरकार ले पा रही है। इसमें योजना बनाकर केन्द्र सरकार का भी बेनिफिट मिले।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): इसके साथ-साथ फार्म पोंड, पोलीहाउस, ग्रीन हाउस, ड्रिप इर्रिगेशन, इन पर अनुदान बढ़ाने का काम करें। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी लगभग 500 कच्चे फार्म पोंड में आपने अनुदान देने का काम किया है। इसमें अभी और 60 हजार रुपये का अनुदान है, वह देने की कृपा करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): माननीय सभापति महोदय, अभी समाप्त कहां, मेरा समय 15 मिनट था, आप रुकें तो सही, 2 मिनट बोलने दो।

श्री सभापति: 8 मिनट ही हैं दोनों पक्षों के, मैं सबको बता रहा हूं। आप समाप्त करें प्लीज।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): मेरे क्षेत्र के अंदर कुछ काम रह गए हैं।

श्री सभापति: अपने क्षेत्र की बात नहीं करेंगे, पहले दूसरी बात करेंगे। कृपया समाप्त करें। ...(व्यवधान). श्री बाबूलाल नागर। ...(व्यवधान). कृपया समाप्त करें। ...(व्यवधान). विराजें।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): हमारे यहां कृषि महाविद्यालय में 200 बीघा जमीन है, वहां पर इन्फ्रास्ट्रक्चर कोई किसी तरह का नहीं है।

श्री सभापति: ...(व्यवधान). कोई अंकित नहीं होगा। श्री बाबूलाल नागर।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा): 000

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे, मांग संख्या 37 और मांग संख्या 39 पर पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले प्रदेश के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि केन्द्र की सरकार जो 3 काले कानून लेकर आई, इसी सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तीन विधेयक उन काले कानूनों से किसानों को कैसे बचाया जाए, रक्षा हो सकती है, वे इसी हाउस में लेकर आए, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, कॉआपरेटिव बैंक थे, पूरे प्रदेश के एक भी सहकारिता का जिसका कर्जा था, वह उधार नहीं ले सकता था, राजस्थान में सारे के सारे कॉआपरेटिव के कर्जे माफ किए, 20,89,000 किसानों के कर्ज माफ किए, 8,000 करोड़ रुपये सरकार ने दिये। माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार ने 50,000 रुपये किसानों का कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, उसमें भी 6,000 करोड़ रुपये की देनदारी छोड़ दी, वह भी इस सरकार ने चुकाई। इस तरह से 14,000 करोड़ रुपये का किसानों का कर्जा माफ किया। मुख्य मंत्रीजी से पहली बार कृषि बजट की बात की है। निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है कि कर्जा माफी कोई अंतिम इलाज नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, यूपीए गवर्नमेंट में जब मनमोहनसिंह जी प्रधान मंत्री थे, हमारी सोनिया गांधीजी उसकी चेयरपर्सन थीं, इस देश में 72,000 करोड़ रुपये के कर्जे माफ किए थे। माननीय सभापति महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि किसान के किस बात का कर्जा है। किसान के कर्जा होता है बुआई, जुताई का, बीज का, कहीं अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अगर किसान को कर्ज से बचाना है तो प्रतिवर्ष चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, बुआई की गिरदावरी होती है। अगर किसान को बुवाई की गिरदावरी में पर बीघा का पूरे राजस्थान में अनुदान दे दिया जाए, चाहे अतिवृष्टि हो, चाहे अनावृष्टि हो, इसी को भरने के लिए तो किसान को लोन लेना पड़ता है। निश्चित मात्रा में अगर किसान को

(श्री बाबूलाल नागर)

पर बीघा का अनुदान बुवाई का मिल जाता है तो मैं समझता हूं कि किसान कर्ज से बच सकता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार को कि 2012-13 में भी आपने ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू की और इस बार भी प्रदेश में कोरोना महामारी थी, मुल्क में और पूरे प्रदेश में कोरोना महामारी थी, उसके बावजूद भी आपने 16,000 करोड़ रुपये ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बार आपने 2021-22 में 3 लाख किसानों को, मत्स्यपालकों और पशुपालकों को आपने सम्मिलित करने की बात की है।

माननीय सभापति महोदय, यह निश्चित रूप से आज कभी बरसात समय से पहले चली जाती है, कभी बीच में गायब हो जाती है, आपने ड्रिप और फव्वारा सिंचाई को बढ़ाने का जो काम किया, उसके लिए निश्चित रूप से कृषि मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, आपने आगामी तीन वर्षों में भी 4,30,000 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल करने की बात की है, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को निरंतर बिजली मिले, 50 हजार किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराने की बात आपने की और कभी पानी सूख जाता है, कभी पानी की वजह से उपयोगी नहीं रहती है बिजली, 15 साल का समय निर्धारित था, 15 साल बाद किसान दुबारा कनेक्शन लेना चाहता है तो किसान का कनेक्शन का मामला खतम हो जाता है। आपने इसको बढ़ाकर 15 से 20 साल की, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आपने इस बजट में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में पशु विज्ञान, डेयरी विज्ञान विषय खोलने की बात की है। बस्सी में भी आपने डेयरी और खाद्य प्रौद्योगिकी के लिए महाविद्यालय खोलने की बात की है। कृषि मंत्रीजी तो जयपुर जिले के किसान हैं, इनको अच्छी तरह से पता है कि दूदू में तो एकमात्र मजदूरी और खेती के अलावा कोई रोजगार की व्यवस्था ही नहीं है। मैं आग्रह करूंगा कृषि मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि मेरे दूदू में तो किसान ही किसान हैं, बरसात होती है तो खेती हो जाती है, पानी है नहीं जमीन में, तो ऐसी स्थिति

(श्री बाबूलाल नागर)

में मैं चाहूंगा कि मेरे यहां कृषि महाविद्यालय या डेयरी महाविद्यालय पशुपालन महाविद्यालय खोला जाए क्योंकि दूदू में तो पशुपालन ही मुख्य व्यवसाय है, आज खेती तो घाटे का सौदा हो गया है। पशुपालन ही है जिससे किसान अपने गृहस्थी के काम कर लेता है, पशु रखता है, गाय भैस रखता है, उनके दूध को बेच देते हैं और उससे अपना गुजारा चलाता है तो मैं निवेदन करूंगा कि मेरे दूदू में डेयरी महाविद्यालय खोला जाए।

माननीय सभापति महोदय, पिछली सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी नि:शुल्क दवा योजना लेकर आए, पशुओं के लिए नि:शुल्क दवा योजना लेकर आए, आप इस बजट में 102 मोबाइल वेटरिनरी सेवा आपने राजस्थान में देने की घोषणा की है। निश्चित रूप से आज आपके पशु को हॉस्पिटल में ले जाना बहुत मुश्किल है यह आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। माननीय मंत्रीजी बैठे हैं। आप कच्चा फार्म पोंड, जयपुर जिले के बारे में आप जानते हैं, यहां की जमीन के बारे में आप जानते हैं कि कभी पानी है, दो महीने रुकता है, कभी बरसात आती है, ये फार्म पोंड एक अच्छी योजना है। केन्द्र सरकार भी इसमें अनुदान देती है। एक अच्छा फार्म पोंड इसमें 1200 घन मीटर, 12 लाख लीटर, आप 63 हजार रुपये का अनुदान देने का काम कर रहे हैं। आप प्लास्टिक लाइनिंग युक्त फार्म पोंड इसमें 90 हजार रुपये अनुदान देने की बात कर रहे हैं। प्रदेश में तीन-चार जिलों में डिग्गी निर्माण का काम होता है, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि उनकी अनुदान राशि बढ़ाई जा सकती है तो और डिग्गी निर्माण का काम बढ़ाया जाए, लेकिन राजस्थान के 27-28 जिले ऐसे हैं जहां फार्म पोंड बनता है और वहां पर कृषि के लिए उनकी आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, डिग्गी निर्माण में जैसे 3 लाख रुपये तक का अनुदान है, पहले 1.5 लाख रुपये अनुदान था, अब 3 लाख रुपये का अनुदान है, प्लास्टिक लाइनिंग युक्त फार्म पोंड में 3 लाख रुपये तक का अनुदान है। वहीं और उतना ही पानी का आकार है, उतना ही वह चौड़ा है तो सेम चौड़ाई और सेम आकार है और उतना ही पानी इकट्ठा किया जाता है तो फार्म पोंड पर आपको पैसे बढ़ाने चाहिए। फार्म पोंड पर अनुदान देते हैं, स्टेट फंड देता है उसको बढ़ाना चाहिए। अगर एक किसान फार्म पोंड बना लेगा तो आज यह फव्वारा सिस्टम आ गया तो निश्चित रूप से उससे उसको लाभ मिलेगा।

(श्री बाबूलाल नागर)

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन करूंगा, जो प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसमें 'बूंद-बूंद सिंचाई', 'ड्रिप सिंचाई पद्धति' जल का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थापित की है। इसमें फर्टीगेशन का समावेश नहीं है जिससे उत्पादन की मात्रा और गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार इसमें फर्टीगेशन का समावेश करे तो निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, मांग संख्या - 39 के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, देश में बहुत-से ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने एनिमल फीड एक्ट बना रखा है। आज किसान की ऐसी दुर्दशा हो जाती है, आज यह जो आपका बीज है, इसमें कहीं नियंत्रण नहीं है, सिंचाई विभाग के जो नियम हैं, उनके अनुसार कार्यवाही होती है। मैंने अभी देखा, मैं अपने खेत में प्याज के बीज 3-4 हजार रुपये किलो में लाया, वे बीज उगे ही नहीं। उसकी बुवाई-जुताई तो गयी जो गयी, बीज का पैसा और लग गया, इसलिए मैं चाहूंगा, राजस्थान के किसानों के लिए एनिमल फीड एक्ट हमारे प्रदेश में लागू करना चाहिए। जवाबदेही ठहरानी चाहिए। गुणवत्तापूर्ण बीज मिलेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ेगा, किसान के साथ धोखा नहीं होगा। उन पर नियंत्रण रहेगा। यह प्रभावी कदम होगा। मैं समझता हूं राजस्थान में तो किसानों के भले की सरकार है। सभापति महोदय, इसके अलावा मैं आज कृषि मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय सभापति जी, कृषि और पशुपालन की मांग पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मंत्री जी से मेरे क्षेत्र की कुछ बातों पर चर्चा करूंगा। माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में जितने भी 14 अस्पताल हैं, उनमें आधे से ज्यादा अस्पतालों में डॉक्टर नहीं हैं। एक भी अस्पताल का खुद का भवन नहीं है, इसलिए आपसे आग्रह है कि सभी अस्पतालों का खुद का भवन हो, उनका स्वामित्व हो। एक भी अस्पताल में खुद का भू-स्वामित्व नहीं है। मैंने मेरे विधायक कोटे से एफएमडी में कोल्ड चेन मेंटेन करने के लिए पैसे देने की बात की तो एक भी डॉक्टर ने हाथ नहीं खड़ा किया। कहते हैं, "बिना बिजली के फ्रिज कहां रखेंगे?" ऐसी स्थिति मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी अस्पतालों की है।

(श्री बिहारीलाल)

नोखा के नोडल हॉस्पिटल की भी यही स्थिति है। आरपीएससी में आपने डॉक्टरों की भर्ती भेज रखी है, उसे जल्द से जल्द पूरा करवाएं। जिस तरह एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती अटकी पड़ी थी, हमने और आप सबने प्रयास किये, एजी साहब को स्वयं कोर्ट में पैरवी के लिए खड़ा किया और वह भर्ती कोर्ट से निकली, जिससे 1800 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिला और क्षेत्र में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर्स की भर्ती हुई। इसी तर्ज पर पशुपालकों के हित के लिए भी वैटेरिनरी डॉक्टर्स की भर्ती को जल्दी से पूरा करके खाली पदों को भरने का काम किया जाए। नये सब-सैंटर्स और हॉस्पिटल्स की जहां-जहां आवश्यकता है, वह हमने आपको लिखकर भेजा है, उन्हें खुलवाने का काम करें।

नोखा में पशु चिकित्सा में कृत्रिम गर्भाधान के लिए "सैक्स सॉर्टेड सीमन" के उपयोग की योजना प्रारम्भ की जाए ताकि नस्ल सुधार हो सके, हमारी राठी, थारपारकर जैसी देसी नस्लों का संवर्धन हो सके और उच्च गुणवत्ता का बहुतायत में दुग्ध उत्पादन हो सके। पशुपालकों के पशुधन की सुरक्षा के लिए जैसा राजेन्द्र राठौड़ साहब ने कहा, नि:शुल्क बीमा योजना या मात्र सौ रुपये की प्रति पशु बीमा योजना लागू करने की पशुपालकों के हित में बहुत बड़ी कारगर बात होगी। इसे भी लागू करने का काम करें।

नोखा में एएओ की आधी से ज्यादा पोस्ट रिक्त पड़ी हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के भी काफी पद रिक्त हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है। आधे क्षेत्र ट्यूबवैल इर्रिगेटेड हैं। नोखा मोठ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एएओ के पद भी सृजित किये जाएं। नोखा की पीएम फसल योजना के बकाया क्लेम भी जारी करने का कार्य करें। बाजरे की एमएसपी पर खरीद पर आज आदरणीय कटारिया जी ने बात की, सरकार के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था।

मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि नोखा में दुनिया की सबसे बड़ी मोठ मण्डी है। दुनिया में बीकानेरी भुजिया का स्वाद उसी मोठ के दम पर है जिसका उत्पादन सबसे ज्यादा नोखा में होता है। मोठ एमएसपी में शामिल नहीं है। जिस प्रकार बंगाल में जूट शामिल नहीं है एमएसपी में, लेकिन जूट कमीशन बंगाल में स्टेट लेवल पर बना हुआ है, वैसे ही एक मोठ कमीशन के गठन पर राजस्थान सरकार विचार करे। सरकार नोखा में कृषि विज्ञान केन्द्र

(श्री बिहारीलाल)

खोलने का कार्य करे। माननीय मंत्री जी, नोखा कृषि उपज मण्डी में यार्ड पर्याप्त संख्या में बने हुए हैं और यार्ड की मद में जो पैसा है, उसे कृषि मण्डी की सड़कों के लिए काम में लिया जाए। ऐसा अपने अधिकारियों को निर्देशित करें और हमारी जो सड़कें हैं, उन्हें स्वीकृत करें।

कॉलेज में आने के बाद 'एग्रीकल्चर' सब्जैक्ट मिलता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। आजादी के बाद जीडीपी में भले ही ग्रोथ धीरे-धीरे कम होती चली गयी, लेकिन आज भी जो सबसे बड़ा रोजगारदाता क्षेत्र है तो वह कृषि है। प्राइमरी एजुकेशन से दसवीं -बारहवीं की क्लासों में भी एग्रीकल्चर का सब्जैक्ट हमारे नोखा के विद्यालयों में उपलब्ध हो। माननीय मंत्री जी, राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर में स्थित है और बीकानेर गुरु जम्भेश्वर भगवान की धरती है जो कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। उन्होंने 27 वर्षों तक गायें चरायीं। बीकानेर में महाराजा गंगा सिंह जी जो हमारे संस्थापक हैं, उनके नाम से एक विश्वविद्यालय है। शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले स्वामी केशवानन्द जी के नाम से बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय है। मैं चाहूंगा कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का नामकरण भी गुरु जम्भेश्वर भगवान के नाम पर किया जाए। यह मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा।

माननीय मंत्री जी, कृषि और पशुपालन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और जब अभी सदन में चर्चा हुई कि जो 8 हैक्टेयर तक हमारी लैण्ड होल्डिंग की एवरेज औसत थी, वह आजादी के बाद आज के वर्तमान समय में डेढ़ हैक्टेयर से भी कम आ गयी है, इसलिए कृषि और पशुपालन, हमारे पश्चिमी राजस्थान की तो रीढ़ की हड्डी रहा है पशुपालन। बरसात पर खेती निर्भर है। बरसात होगी तो फसल लेंगे, वरना हम पशुधन पर ही निर्भर हैं, इसलिए कृषि और पशुपालन को बराबर का महत्त्व दिया जाए। जब लैण्ड होल्डिंग छोटी होती जा रही है तो भले ही आज कृषि रिफॉर्म्स के जो बिल केन्द्र सरकार लायी है, उन पर सामने बैठे सत्ता पक्ष के लोग कैसी भी बात करें, लेकिन इस हकीकत को स्वीकार करना पड़ेगा कि जब लैण्ड होल्डिंग इतनी छोटी हो गयी है, 85-86 प्रतिशत किसान जो मात्र सवा हैक्टेयर के मालिक हैं, उन

(श्री बिहारीलाल)

किसानों को उनकी लागत का मूल्य मिले, उसकी समृद्धि बढ़े, इसके लिए कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग लाना बहुत लाजिमी है। समय की आवश्यकता है।

ये कांग्रेस की आपकी सरकारें, चाहे पंजाब की हो या हरियाणा की, कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग के नियम लायी हैं। आज किसान की बहबूदी के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए केन्द्र सरकार जो कृषि रिफॉर्म्स लायी है, उनकी वकालत आपकी सरकारें भी करती रही हैं। तत्कालीन प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी भी बराबर जिक्र करते रहे हैं। आपकी सरकारों के पड़ोस के मुख्य मंत्री जो 2017 में चुनाव में गये थे, चाहे कैप्टन साहब हों पंजाब में, चाहे हुड्डा साहब हों हरियाणा में, उन्होंने लगातार इस बात की वकालत की है कि एपीएमसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए और कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

आज अडाणी और अम्बानी का नाम लेकर इस बात को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या अडाणी और अम्बानी जैसी कम्पनियां आज ही पैदा हुई हैं हिन्दुस्तान में? पंजाब में पिछले 3-4 दशकों से पैप्सिको और नैस्ले जैसी मल्टी नेशनल कम्पनीज किसानों के बीच काम कर रही हैं। क्या किसानों की जमीनें खा गयीं पंजाब की? ये तीनों बिल ऐच्छिक हैं, मैंडेटरी नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। आप पंजाब में इसे रोकने के लिए प्रावधान ले आये। एमएसपी की बात करने वाले कान खोलकर सुनें, यूपीए के अंतिम वर्ष में आप 26 हजार करोड़ रुपये की खरीद करते थे, आज एमएसपी पर खरीद 1 लाख 26 हजार करोड़ रुपये पर हो रही है। हमारी नीयत किसान की मदद करने की है।

जितनी भी योजनाएं देश में किसान के हक और हकूक के लिए लागू हुई हैं, वे देश के पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी नेतृत्व में और वर्तमान में हमारे मजबूत प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में हुई हैं, चाहे वह फसल बीमा योजना हो, चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड हो, चाहे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना जो किसान को मजबूती और ताकत देती है, ये सारे प्रयोग, चाहे खराबे की सीमा को 33 प्रतिशत पर लाना हो, खराबे की इकाई को तहसील से गांव और गांव से खेत तक लाना हो, ये सारे भागीरथी प्रयास भारतीय जनता पार्टी के प्रधान मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किये। इस बात को समझना होगा।

(श्री बिहारीलाल)

(13.59 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

किसान को कृषि रिफॉर्म्स बिलों पर बरगलाना बंद करना होगा, क्योंकि जो बात आप सत्ता में रहते किया करते थे, जो बात आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आये थे, या तो कह दें कि वह झूठ थी, आपने गलत बयानी की। उसके लिए आपके मनमोहन सिंह जी बात करें। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अभी थोड़े दिन पहले गंगानगर-हनुमानगढ़ में आये, किसान की खाट तोड़कर चले गये। किसान की कमर तोड़ने का काम आपकी सरकार कर रही है।

(14.00 बजे)

सदन में हमारे साथियों ने लगातार बात की है। आईजीएनपी फर्स्ट और सैकण्ड फेज का किसान, सैकण्ड फेज का किसान तो पानी की कमी से खून के आंसू रोते हुए बर्बाद हो गया उसकी सरसों, गेहूं, चने की फसल बर्बाद हो गई और फर्स्ट फेज का किसान भी एक अंतिम बारी का इंतजार करते हुए गिड़गिड़ाता रहा राजस्थान की सरकार के सामने, राजस्थान की आपकी कांग्रेस सरकार के मुखिया गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आए और किसान आपसे मिलना चाह रहे थे, ज्ञापन देना चाह रहे थे, पर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ज्ञापन लेना मुनासिब नहीं समझा। किसान पानी के लिए धरने पर बैठे थे, पर आपके मुखिया ने मिलना मुनासिब नहीं समझा। पोंग डैम में पानी का लेवल 1280 फीट तक भी लाया गया है किसान को बचाने के लिए, पर आज 1309 और 1308 फीट, उसको 1280 तक लाकर आप किसान को बचा सकते हैं। जब सदन में इस बात को उठाया, मात्र अनूपगढ़ में 1200 क्यूसेक पानी छोड़कर इतिश्री कर दी गई। आधी क्षमता की नहर भी नहीं चलाई गई। सैकण्ड फेज का किसान बर्बाद, फर्स्ट फेज का बर्बाद हो गया और खून के आंसू रो रहा है।

बीबीएमबी, भाखड़ा-ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, जिसमें लम्बे समय से हमारी मांग है कि राजस्थान का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आज राजस्थान की सरकार में जो मुखिया बैठे हैं वे जोधपुर से आते हैं, केन्द्र में जलशक्ति मंत्री जोधपुर से बैठे हैं। अगर राजस्थान के मुखिया की इच्छाशक्ति मजबूत हो तो आपके कैप्टेन साहब पंजाब में सरकार चला रहे हैं, राजस्थान का प्रतिनिधित्व बीबीएमबी में हो तो हमारे हक की बात पुरजोर तरीके से वहां रखी जा सके।

(श्री बिहारीलाल)

इसलिए किसान के हित की बात करने वाली सरकार किसान को बरगलाना छोड़े। कृषि सुधार में, जो रिफॉर्म केन्द्र की सरकार ने पास किए हैं, एक्ट बने हैं, उन पर किसानों को षड्यंत्रपूर्वक ले जाकर बरगलाकर धरने पर बिठाने का जो काम कर रहे हैं उनसे माफी मांगने का काम करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बिहारीलाल (नोखा): जो पहले बात की है उस पर माफी मांगने की बात करे। देश के प्रधान मंत्री ने जो नियम बनाए हैं वे किसान के हित में बनाए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने आज तक जो भी फैसले किए हैं वे सारे किसान के हित में किए हैं। माननीय मंत्री जी, आप बहुत अच्छे काम एग्रीकल्चर में कर रहे हैं। चाहे हमारे विपक्ष के कटारिया जी हों, चाहे सत्ता पक्ष के कटारिया जी हों, दोनों महानुभावों से हमें सीखने को मिलता है। कटारिया जी, आपको बरगलाने वाले बीच में बैठने वाले मंत्री जी अभी चले गए, आपके सामने गुजारिश है कि आपने पहले भी किसान की बात सुनी है और मैंने क्षेत्र के लिए, पशुपालक और किसान के लिए बात की है, उनको पूरा करने का काम करें। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।

श्री सभापति: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

शासकीय वक्तव्य

फरियादी महिला के प्रकरण के निस्तारण के बदले बलात्कार का प्रयास

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मुझे आसन की तरफ से यह आदेश हुआ था कि जो घटना आज राठौड़ साहब ने यहां पर बयान की थी उसका दो बजे के करीब जवाब दूं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पुलिस की स्थापना रक्षा के लिए की गई थी कि वह सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन दु:ख की बात यह है कि कई बार ऐसे केसेज देखने को मिलते हैं जहां पर पुलिस खुद इन्वाल्व होती है। क्राइम में भी इन्वाल्व होती है, बल्कि क्रिमिनल के साथ दोस्ती भी रखती है और दोस्ती भी रखकर बड़े-बड़े काम करती है। अभी लेटेस्ट केस मुम्बई का आ रहा है जिसमें मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो गाड़ी निकली।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आप तो राजस्थान का बताओ, राजस्थान की बात करो।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये। कुछ भी अंकित नहीं होगा। जब मन हो तो आप खड़े हो जाओ।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसमें भी एक पुलिस ऑफिसर इन्वाल्व था। इस तरीके के कई केसेज आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यह जो आपने केस बताया, यह रेयरेस्ट ऑफ द रेअर है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मानते हैं कि इस तरीके की जबरदस्त घटना घटना पूरी पुलिस ही नहीं, पूरी सरकार के खिलाफ और पूरी व्यवस्था के खिलाफ कलंक है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले जैसे खेड़ली, अलवर में जो केस हुआ था उसमें भी बात यही थी। लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में जब उस लड़की का मेडिकल करवाने के लिए गए तो मेडिकल करवाने से मना कर दिया, उसके कपड़े मांगे गए तो कपड़े देने से मना कर दिया, फिर आखिर में हॉस्टाइल होकर नतीजा यह होता है कि मुल्जिम बरी हो जाता है। यह आदमी बोहरा, जिसके बाबत आपने आज बताया, सीबीआई ने इसके खिलाफ केस रजिस्टर किया, वहां से भी बरी हो गया, बरी होकर आ गया। इस प्रकार के पचासों केस आपको राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में मिलेंगे जहां पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं।

मैं आपको इस घटना के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पीड़िता के द्वारा विभिन्न घटनाओं के सम्बन्ध में तीन प्रकरण दर्ज करवाए गए थे और तीनों प्रकरणों का अनुसंधान सहायक पुलिस आयुक्त, महिला सेल, जयपुर पूर्व के द्वारा किया जा रहा था। प्रकरणों का जो विवरण है वह भी मैं आपको बता देता हूं। एक प्रकरण 2020 का है जिसको धारा 323, 341, 384 में दर्ज किया गया था जवाहर सर्किल में, दूसरा प्रकरण 2021 का है जिसको 195ए आईपीसी में दर्ज किया गया था वह भी जवाहर सर्किल में और तीसरा प्रकरण है 123, 420, 406, 467, 468, 471 और 120बी जवाहर सर्किल में किया गया था। इन तीनों केसों के बाबत जिस औरत ने ये केसेज दर्ज करवाए थे उनकी तथाकथित जांच वह कर रहा था। आरोपी पुलिस अधिकारी एएसपी द्वारा तीनों प्रकरणों में परिवादिया के पक्ष में कार्यवाही हेतु पहले परिवादिया से पैसों की मांग की गई तथा बार-बार अनुसंधान के लिए बुलाकर अन्त में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

रिश्वत के रूप में अस्मत भी मांगी गई। आरोपी एएसपी द्वारा परिवादिया को अनावश्यक रूप से कार्यालय में बुलवाये जाने पर एसीबी के द्वारा 14.03.2021 को कार्यवाही की गई और आरोपी को वहीं पर गिरफ्तार कर उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया। आरोपी अधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा 15.03.2021 को निलम्बित कर दिया गया। यहां तक तो बात हो गई। अब आखिर में आता है कि आरोपी पुलिस अधिकारी कैलाश बोहरा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विस (क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एण्ड अपील) रूल्स, 1958 के नियम 19 (2) के अन्तर्गत सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपको कि आपने उनको सेवा से पृथक् करने की कार्यवाही शुरू की। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार की बात जब कभी भी विभाग को ध्यान में आती है, चाहे वह खेड़ली की हो या कहीं की भी हो, चलाकर हमको कार्यवाही करनी चाहिए, मतलब हम बोलें या हम उस विषय को उठाएं। कारण यह है कि इस प्रकार की घटना सारे राजस्थान को शर्मसार करती है और सबसे ज्यादा पुलिस के ऐसे कुछ दागी लोग हैं जिनके कारण से सारी पुलिस की छवि खराब होती है। मैं सोचता हूं कि जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, समय देते हैं, पूरा अपना समय लगाते हैं, सब प्रकार की रिस्क लेते हैं, पर 10-15 ऐसे दागी लोग सारे डिपार्टमेंट को घटिया स्थिति में ला देते हैं। मैं सोचता हूं कि यह प्रक्रिया अगर हम प्रारम्भ से लेकर अभी तक इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को देने में सफल हो गए कि इस प्रकार की घटना जब भी घटित होती है तो तुरन्त कानून की पूर्ति तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 244 (2) के तहत नौकरी से बाहर निकालोगे तो उसकी एक प्रक्रिया जरूर करनी पड़ेगी, उसको सुनने का मौका देना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को जरूर करें, लेकिन जैसे ही उसको निलम्बित किया, इस प्रक्रिया को चालू कर दें और उस व्यक्ति को तब तक नौकरी में नहीं आने दें जब तक उसके बारे में कोई न कोई कोर्ट से फैसला होकर उसके खिलाफ मुकदमा न हो जाए। हम चाहते हैं कि इस प्रकार के केसेज का कोर्ट में भी पीछा करें। कारण क्या है, मैं सोचता हूं कि साल में ऐसे 10-15 प्रकरण होंगे, लेकिन अगर 10-15 प्रकरणों को भी हमने बहुत मजबूती के साथ दबाया तो बाकी जगह घटना

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

घटेगी तो फर्क होगा। मैं सोचता हूं रक्षक भक्षक हो जाता है और जिस प्रकार से इस चीज को पढ़ने के बाद सारे राजस्थान की जो एक तरह से तौहीन हुई है उसमें आप और हम, सब लोग शरीक हैं। मैं सोचता हूं कि आपने जो प्रक्रिया प्रारम्भ की, यह खेड़ली में करिये। बाकी जहां पुलिस का व्यक्ति इस प्रकार के कामों में जुट जाता है, जिस प्रकार से पैसे खाने में जुटता है, जिस प्रकार से वह रेत माफिया में जुटता है, उसमें मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस डिपार्टमेंट की छवि बनाने के लिए ऐसे 5-50 को साल में तुरन्त नौकरी से बर्खास्त करो। जीतकर आ जाएगा तो पूरी तनख्वाह दे देंगे, कोई चिंता की बात नहीं, पर एक बार उसको सड़क पर ला दो जिसके कारण से उसको देखकर बाकी लोग सीख सकें कि वास्तव में इस प्रकार का अपराध, अपराध ही होगा, चाहे वह कोई भी करें। आज आपने जो जवाब दिया, मैं आपको इस बात के लिए कि जिस मंशा से दिया है, ये मंशा बाकी सब केसेज, जो इसी प्रकार के हुए हैं, केवल एक के कारण से नहीं, इसी प्रकार के 10-15 केसेज और जो हुए हैं, उनको भी उसी लाइन में लाकर उनके खिलाफ इसी प्रकार की कार्यवाही करें, ताकि राजस्थान की जो छवि खराब हुई है, उसको हम वापस बहाल कर सकें। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, धन्यवाद दूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय मंत्री जी, मेरा भी एक साथ ही जवाब दे देना, मेरा भी एक ही सवाल है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप भी बता दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने रूल 1958 के 19 (2) में बर्खास्तगी की कार्यवाही चालू की। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी आपका ध्यान आपके विभाग द्वारा जारी सर्कुलर 2003, 2005, 2007 की ओर दिलाना चाहूंगा, जिसमें साफ लिखा था कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में किसी न्यायालय में मामला लंबित हो या 16सीसीए में कार्यवाही हो, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी, आपने खुद ने स्वीकार किया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आप भटकाओ मत इस बात को, यह पोस्टिंग का सवाल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिएगा। इधर-उधर ले जा रहे हो, पोस्टिंग पर आप जा रहे हो...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): नहीं तो, इसको पोस्टिंग किसने दी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): नहीं-नहीं, गलत बात। सभापति महोदय, पोस्टिंग का मामला नहीं है यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपने खुद ने माना, सीबीआई के अंदर इसके विरुद्ध मामला था। इसको पोस्टिंग दी थी तो किसने दी इसको?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। श्री अमीन खां।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: चर्चा समाप्त।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): साहब, जवाब देना है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट आप विराजिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप मेरी बात सुन लें।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, एक मिनट महेन्द्र जी, आप विराजिए। माननीय नेता, प्रतिपक्ष, प्लीज सहयोग करें, विराजिए आप। माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, कारण क्या है कि इसमें जिस व्यक्ति पर इस प्रकार के आरोप पहले भी लगे चुके हैं, जैसा आपका रिकार्ड बता रहा है। इतना गंभीर आपके ध्यान में पहले से ही था तो इस व्यक्ति को इस पोस्ट पर, वह भी महिलाओं के अपराधों का ही यह देखभाल करेगा, दुर्भाग्य नहीं है? हां, वह बताओ न।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सभापति महोदय, मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया था

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

कि this is the rarest of the rare cases. एक प्रोसीजर होता है। किसी को भी बर्खास्त करने से पहले एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है, जैसा आपने बताया कि 244 में आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा, उसको ये करना पड़ेगा, फिर उस पर फैसला करना पड़ेगा, रीजन्स रिकॉर्ड करने पड़ेंगे फाइल पर, ये होगा, वो होगा। इन सब बातों को छोड़ दिया हमने, हमने न तो नोटिस दिया और न उससे कुछ पूछा, न ताछा और सीधा उसको बर्खास्त किया और बर्खास्त किस कानून के तहत किया, यह भी मैं बताना चाहता हूं आपको। 311 आर्टिकल, कांस्टीट्यूशन का यह कहता है कि अगर ऐसे मामलों में, अगर अपाइंटिंग अथोरिटी यह समझता है कि यह मामला अत्यन्त गंभीर है तो उसको सारे प्रोसीजर को भूलकर, उसको अपनी कार्यवाही कर देनी चाहिए।

मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, "where the Disciplinary Authority is satisfied for reasons to be recorded in writing that it is not reasonably practicable to follow the procedure prescribed in the said rules; or where the Governor is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to follow such procedure." उस प्रोसीजर को फॉलो करना कहीं आवश्यक नहीं है और आपने जैसा कहा कि तुरन्त सरकार को कार्यवाही कर देनी चाहिए, आज सुबह से इसी बात पर मंथन चल रहा था। कुछ अधिकारी हमारे यह कह रहे थे कि प्रोसीजर यह है, कुछ कह रहे थे कि नहीं, इस प्रोसीजर को फॉलो करना कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए जरूर थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन कल की घटना में, आज अगर कोई बर्खास्त कर देता है तो यह सरकार की संवदेनशीलता ही है, और है क्या, एक बात। रहा सवाल इस बात का कि साहब, वह क्रिमिनल था, उसके खिलाफ पुराने केसेज थे, सब कुछ थे, फिर भी उसको पोस्टिंग दे दी गई। इसकी भी जांच करवा ली जाएगी कि किस प्रकार से, उसको इस जगह पर लगाया गया, किस तरीके से लगाया गया, कौन अधिकारी जिम्मेदार है इसका, उसकी जांच कर ली जाएगी, उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी, खतम हुई बात।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): कम से कम आज आप इस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सदन को यह आश्वस्त कर दें कि जिस व्यक्ति के खिलाफ भी इस प्रकार के केसेज हों, अगर वह आज भी कहीं फील्ड पोस्टिंग में है तो उन सबको हटा दें और भविष्य में भी इस प्रकार के दागी लोगों को कभी भी फील्ड पोस्टिंग नहीं देंगे, इतना आश्वस्त कर दें।

श्री सभापति: जवाब देना है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निश्चित तौर पर, मोटे तौर पर जो बात आपने कही है, मैं तो सहमत हूं, पर मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मोटे और छोटे मत करो। परमानेंट इसका इलाज करो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता, नहीं आप कमिटमेंट करवाना चाहते हैं। आप अपनी बात मेरे गले में डालना चाहते हैं, यह नहीं होगा, नहीं होगा। नहीं-नहीं, नहीं होगा। निश्चित तौर पर..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सरकार की (..व्यवधान..)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, विराजिए, बैठ जाओ। अभी आपके नेताओं ने कोई निर्णय नहीं लिया है, विराजें आप एक मिनट। माननीय नेता प्रतिपक्ष, ये गलत है, बिलकुल नहीं, तरीका गलत है ये। आप फरमाएं। विराजिए, आपके नेता बोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): अपने नेता को नेता नहीं मान रहे हो आप। उप नेता को नेता मान रहे हो। नेता बोलना चाह रहे हैं और आप खड़े हो।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। चर्चा समाप्त। श्री अमीन खां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल एक ही बात कहना चाह रहा हूं।

श्री सभापति: प्लीज-प्लीज। नेता प्रतिपक्ष, यह जो बार-बार जब भी आपने कहा मैंने आपको अलाउ किया। आपने अपनी बात कह दी, माननीय मंत्री महोदय ने जैसा कि आपने फरमाया, जिस तरह से सरकार ने तत्काल आज का निर्णय लिया है, यह सराहनीय कदम है और सरकार को आपने इसके लिए धन्यवाद भी दे दिया। इसके बावजूद बाकी सारी चीजों को आप

(श्री सभापति)

यदि समाहित करके, पूरे गृह विभाग पर आप यदि आज चर्चा करना चाहेंगे, यह संभव नहीं है। जिस तरह से जिस भावना से इस सदन ने जो आज चर्चा की और माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिस भावना से मंत्री को निर्देश दिये कि आज आप 2 बजकर 20 मिनट पर इस पर जवाब देंगे और जिस भावना से सरकार ने जवाब देकर संबंधित जो अपराधी, जो अधिकारी था, उसको जिस प्रकार से दंडित किया गया, आपने स्वयं ने इसकी सराहना कर दी। इसके बाद बाकी सारे विषयों को यदि हम एक दिन में समाहित करना चाहेंगे...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक सैकण्ड।

श्री सभापति: सिर्फ आप अपनी बात कहेंगे, बाकी सारे सदस्य, एक मिनट, आप विराजिए। बाकी सारे सदस्यों को आप कम से कम इतना अनुशासित तो करिए, आप जब बोल रहे हैं, तब भी केवल सदन को हाईजैक करने के हिसाब से यदि वे सारे सिस्टम को मैनेज करते हैं, आप बोलिए, आपको अधिकार है, आप बोलिए, लेकिन सारे इकट्ठे होकर यदि इस तरह से करेंगे तो सदन कैसे चलेगा। आप फरमाएं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपसे यह कह रहा हूं मैंने बहुत ही, आज आपने जो जवाब दिया, 100 परसेंट आपने उसको आज ही बर्खास्त कर दिया, यह एक अच्छा उदाहरण बना राजस्थान के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं केवल आज आपसे यह चाह रहा था, इस प्रकार के जिनकी सर्विस इतनी दागी है, आप जिनको मानते हैं, उनकी फील्ड पोस्टिंग नहीं हो सकती, अगर किसी को दे रखी है राजस्थान में तो उनको सबको वापस दफ्तर दाखिल कर दो और भविष्य में भी इस प्रकार के दागी लोगों को फील्ड में नहीं लगाओ, इतना ही तो आश्वासन चाह रहे हैं और क्या, हम आपसे कोई नई बात तो नहीं मांग रहे हैं।

श्री सभापति: इसमें आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी भावनाओं से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी अवगत करा देंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, अगर ये कहेंगे, तो अच्छा होगा।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, स्वयं इस मामले में मुख्य मंत्री को..

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

आवासन मंत्री): आपने जो बात कही है, मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि मैं इस बात के लिए सिद्धान्ततः सहमत हूं, लेकिन सवाल यह आता है कि अगर किसी के खिलाफ अदालत में कोई केस चल रहा है तो during the pendency of the case, आप उसको यह मान लेंगे कि इसको तो सज़ा होगी ही होगी, इसलिए इसको कभी पोस्टिंग ही नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): एक मिनट, मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं, जो पैंडिंग केस हैं और जिस पैंडिंग केस के कारण से, अभी वह न सजायाफ्ता है, न वह मुक्त है, ऐसे व्यक्ति को फील्ड पोस्टिंग आप नहीं दें, एक अच्छा उदाहरण बनेगा। आप जिस बात को सैद्धान्तिक मान रहे हो, मैं केवल आपसे आग्रह कर रहा हूं, इसकी बदनामी, केवल आपके अकेले की नहीं हुई, सारे राजस्थान की, मैं चाहता हूं चाहे कोई भी व्यक्ति हो, एक्स, वाई, जेड, मेरा बच्चा ही क्यों न हो, जिसकी इस प्रकार की दागी सर्विस है, जिसको फील्ड पोस्टिंग आपके नियमों के तहत नहीं दी जा सकती है और अगर गलती से दे रखी है, उन सबको आज दफ्तर दाखिल करो और भविष्य में भी ऐसे लोगों को फील्ड पोस्टिंग नहीं देना, इतना ही तो आपसे कह रहा हूं और क्या कह रहा हूं मैं आपको।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आपके तो मंत्रीजी (..व्यवधान..)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हमारे खिलाफ हो, बेकार की बातें करते हो, क्या मतलब है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री जी, प्लीज। नो, अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा):000

श्री सभापति: माननीय नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट विराजिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा):000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। किसानों से संबंधित विषय पर आज चर्चा है, गंभीर चर्चा है और हम और आप सब चाहते हैं कि इस पर सदन में चर्चा हो। मैं आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि कोई ऐसा कारण नहीं है, जिस भावना से माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, जिस भावना से सदन में यह चर्चा हुई, जिस भावना से माननीय मंत्री महोदय ने सरकार का अपना पक्ष रख कर के संबंधित अधिकारी को बर्खास्त किया, मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा उत्तम भावना कोई नहीं हो सकती। इस सारे परिप्रेक्ष्य में मेरा आप सभी से अनुरोध है यह विषय कभी भी हम चर्चा कर सकते हैं, सरकार के संज्ञान में आपने अपनी बात ला दी। मंत्री महोदय, मेरा भी आपसे व्यक्तिगत आग्रह है कि इस संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष की जो भावना है आप माननीय मुख्य मंत्री महोदय को इस भावना से अवगत करायें और इस मामले में जो भी बात हो, आप और माननीय नेता प्रतिपक्ष दोनों बैठ करके इस पर चर्चा कर लें।

आगे इस बात को जो है मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आज सभी आप जल्दी जाना चाहेंगे, शादी का दिन है, आप सभी की मंशा यह है कि समय पर सदन अपनी कार्यवाही समाप्त करे। मेरा सभी से आग्रह है, गंभीरतापूर्वक चर्चा होने दें। सार्थक चर्चा हो रही है। अब बीच-बीच में आप इंटरवीन करके कम से कम इस सारे सिस्टम को दोबारा आप बाधित न करें। मेरा आप सभी से आग्रह है, माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं आप से भी आग्रह करूंगा कि अपने माननीय सभी सदस्यों से आप भी यह कहें कि समय पर अपनी सारी कार्यवाही समाप्त करें और मैं माननीय इधर भी आप लोगों से आग्रह करूंगा, संसदीय कार्य मंत्री महोदय से भी कि आज जिस तरह से, जिस भावना से आज आपने जो पक्ष रखा है, मैं समझता हूं कि न केवल सदन के सभी माननीय सदस्य बल्कि पूरा राजस्थान आज गर्व से एक बात को कह सकता है कि सरकार संवेदनशील है और प्रतिपक्ष जिस भावना से इस मुद्दे को उठा रहा है, यह पूरी की पूरी भावना यह जो 200 माननीय सदस्यों के लिए जो यह सदन बना है, हम सभी को इस बात के लिए अपने आप में तसल्ली होनी चाहिए कि जिस मकसद से हम जनप्रतिनिधि बन करके इस सदन में पहुंचे हैं आज हम सब ने अपने कर्तव्य का, अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आप सभी बधाई के पात्र हैं। कृपया अब सदन को शांतिपूर्वक चलने दें। मेरा आप सब से यही आग्रह है।

श्री अमीन खां।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, पशुपालन एवं कृषि की मांग पर मैं बोलना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे बाड़मेर जिले में बायतु पंचायत समिति हैडक्वार्टर पर मुख्य मंत्री जी ने एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। हम लोग अधिकांश खेतिहर लोग हैं और खेतिहर लोगों के लिए एक एग्रीकल्चर कॉलेज बड़ी बात है। हम यह भी चाहते हैं मंत्री जी, कि हायर सैकंडरी स्कूलों में भी, कम से कम ग्रामीण इलाका जो है उसमें कृषि विषय आवश्यक कर देना चाहिए। आज के जमाने में कृषि से अनभिज्ञ हैं और यह आधुनिक युग है। पुराने जमाने में तो लोग अपने हिसाब से खेती करते थे लेकिन आज जमाना बदल गया है। खेती में भी आधुनिकता और आधुनिक दिमाग की जानकारी हर किसान को होनी चाहिए तब किसान अपनी खेती में तरक्की कर पाएगा। जैसलमेर जिला क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है और इसमें इतना बड़ा जंगल पड़ता था कि पुराने जमाने में चलते-चलते किसी काम के लिए लोग मार्ग में पीने का पानी नहीं मिलने से खतम हो जाते थे। आज उस जमीन पर इंदिरा गांधी नहर के पहुंचने के कारण हजारों बोरी सरसों हो रही है, हजारों बोरी गेहूं और चने पैदा हो रहे हैं। इसी जमीन में कई किसानों ने जो अपने मुरब्बे ले चुके हैं और उनकी किश्त भी अदा कर चुके हैं लेकिन कई किसानों के सीएडी के जो खाले हैं वह अभी तक नहीं बने हैं। यह उन किसानों के साथ अन्याय है। उन किसानों के पक्के खाले बना देने चाहिए।

पशुपालन के बारे में निवेदन है, सभापति महोदय, मैं 10 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक पशुओं में ही ग्वाला रहा हूं। भेड़बकरी में ग्वाला रहा, गाय में रहा, ऊंट के पीछे खेती की, बैलों की जोड़ी के पीछे खेती की। आज पशुपालन मंत्री महोदय, हमारे को समझा दो, मेरे यह बात समझ नहीं आई कि पशु को आपने राज्य पशु घोषित कर दिया और राज्य पशु घोषित होने के बाद हमने तो यह देखा है कि उस ऊंट को और सांड को कोई हाथ नहीं लगाता है। वह पशु एकदम आवारा हो गए। लोगों के घरों से बाहर निकल गए और घर वाले लोग उस को हाथ नहीं लगाते हैं क्योंकि जुर्म हो जाएगा। अब हमारे उधर की भाषा में तो बड़ी बीमारी इन पशुओं में है वह उसको पांव कहते हैं और आम आदमी उसको खुजली मानते हैं। यह खुजली

(श्री अमीन खां)

की बीमारी ऊंट में बहुत खतरनाक होती है और इसका इलाज नहीं होता है तो वह मर जाता है। मेरे ख्याल में हमारे जिले का हमको अनुमान है कि आज की तारीख में बीजेपी की गवर्नमेंट ने जब से यह पशु राज्य का बनाया है, 50 प्रतिशत पशु बाड़मेर, जैसलमेर के खतम हो चुके होंगे और यह पशु बेकार नहीं थे। ऊंटनी का दूध जिसके लिए सभी आयुर्वेद, वैद्य, हकीम और डॉक्टर मानते हैं कि जिसने उम्र भर यह दूध पीया है उसको हड्डी का रोग कभी नहीं होता है। उम्र भर यह दूध जिन्होंने पीया है उसके शुगर की बीमारी कभी नहीं होती है और इस ऊंट से लोग अपनी खेती का काश्त करते थे और इस ऊंट से खेती का अनाज बाजार ले जाते थे। इस ऊंट से बाजार का सामान अपने घर ले आते थे। इस ऊंट से लकड़ी अपने घर लाते थे। इस ऊंट से खेत में जो घास होता है वह घर ले आते हैं। इस ऊंट से पानी की टंकी ला करके अपने पीने का पानी पीते हैं और इस ऊंट से ग्रामीण इलाके में बड़े शौक से लोगों की बारातें एक से दूसरे गांव जाती थी और पुराने जमाने में जो साधन सम्पन्न लोग थे उनके पास एक दूसरे के दूर के रिश्तेदारों, भाई, संबंधियों से मिलने के लिए सवारी का दो ही जरिया था, एक तो था घोड़ा और दूसरा था ऊँट। आज यह ऊंट गायब होने से और ऊंट को हाथ नहीं लगाने से यह सारे जानवर खतम हो जाएंगे और यह पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा धोखा है और यह कानून जिन्होंने बनाया है माफ करना, हम तो उनको मूर्ख कहते हैं उनके पास दिमाग ही नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, 2 मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री अमीन खां (शिव): नंबर दो - इन पशुपालकों का एक और बड़े पूंजीपतियों ने नुकसान किया है। दो चार साल पहले हमारी जो भेड़ थी गांव में, उस भेड़ की कच्ची ऊन बाड़मेर या चौहटन के बाजार में लेकर के पशुपालक बेचता था, 160 रुपये किलो उसकी कीमत मिलती थी। आज उस ऊन का कोई 15 रुपये किलो ही नहीं देता है। इसी प्रकार इस ऊंट की जट और बकरी की जट कीमती थी और इन दोनों की जट को लोग अपने हाथ से कताई करते थे और इसका जो सूत था उस सूत की दरियां बनाते थे तो दो किस्म के लोगों को रोजगार मिलता था। एक तो जो बुनकर थे उनको इन दरियों से रोजी मिलती थी और एक जो यह हाथ से कात कर के अपने घर की शानदार दरियां बनाते थे। यह दरियां इतनी शानदार और मजबूत थी कि 40- 40 साल तक एक टूटती नहीं हैं और इसी सूत से घरों में डोरी बनती

(श्री अमीन खां)

थी। इसी सूत से लोगों के चारपाइयां बनती थी, उन चारपाइयों के वराण होते थे। मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार का फर्ज है वह सोचे कि यह ऊन की जट की कीमत बिलकुल जीरो पर क्यों आई है।

जहां तक हमारा अंदाज है यह पूंजीपति लोग जो बड़े-बड़े व्यापार करते हैं, वह बाहर से, चाइना से मेरूना की ऊन मंगाते हैं और ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): यह जैकेट वगैरह ऊन से सस्ता पड़ता है और उससे गरीबों की भेड़ों का, पशुओं के धंधे का इन्होंने सत्यानाश कर दिया और इनका कोई टका ही नहीं देता है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): सभापति महोदय, मैं पशुपालक हूं, थोड़ी पशुओं की बात सुनो। इन्होंने कानून बनाया है।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री अमीन खां (शिव): पशु को राज्य पशु घोषित किया और जंगल में जाकर मर जाओ। अपन को बाहर अनपढ़ लोग भी क्या कहेंगे कि यह कानून बनाने वाले इंसान है या जानवर है? हमारे वहां डीएफओ, बाड़मेर बता रहा था कि साहब ऊँट के बारे में पता नहीं क्या, मेनका गांधी का फोन आ गया। मेनका गांधी भी जानवरों की रक्षा के लिये कहती हैं या खतम करने का कहती हैं। मंत्री जी, मेरा आपसे बहुत अदब के साथ अर्ज है इस ऊँट के मामले का बचाव करो। दूसरा, ऊँट की जट का, बकरी की जट का जो मैंने हवाला दिया है, यह गरीबों का एक उद्योग था, गरीबों के घर की यह खूबसूरती थी, इनका एक धंधा था। इस धंधे को क्यों बंद किया है और इसकी कीमत क्यों खतम हुई है, इसका राजस्थान सरकार को इंतजाम करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री सभापति: सुरेश रावत।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि व पशुपालन...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। मैं सभी बोलने वाले वक्ताओं से आग्रह करूंगा कि माननीय उप नेता महोदय और माननीय चीफ व्हिप साहब के बीच में अभी सदन की कार्यवाही समय पर पूरी हो, उसके लिये सहमति बनी है और सभी माननीय सदस्य 7-7 मिनट बोलेंगे। इसके

(श्री सभापति)

लिये मैं पाँच मिनट में आपको सूचित कर दूंगा, सात मिनट में आप अपनी बात समाप्त करेंगे। सभी सहयोग करेंगे क्योंकि आज सभी माननीय सदस्य चाहेंगे कि आज अबूझ सावा है, आप सभी समय पर अपनी बात समाप्त करेंगे। प्लीज सहयोग करेंगे।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): माननीय सभापति महोदय, कृषि व पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आपने बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश में सबसे ज्यादा कोई दुःखी है तो वह हमारे किसान भाई हैं क्योंकि खेती की बुआई से लेकर जब वह अपना अनाज मंडी में ले जाता है तब तक हर समय उसको किसी न किसी संकट से सामना करना पड़ता है। कभी बरसात देरी से आती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी पाला पड़ जाता है, कभी लू चल जाती है, कभी पाकिस्तान के रास्ते से टिड्डी आ जाती है, कभी खेत में रोजड़ा घुस जाता है, कभी आवारा पशु फसल को नष्ट कर देता है। साथ ही कभी बिजली के बिल वीसीआर के माध्यम से, कभी बिजली के बिल बढ़ाकर, इन सभी संकटों से गुजर कर जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है तो उसका उचित मूल्य उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस पर उसको हमेशा संशय बना रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र भाई मोदी जी को जिन्होंने पहली बार एमएसपी में उचित बढ़ोतरी की और नये कृषि सुधार बिलों के माध्यम से हमारे देश का किसान कहीं भी अपनी फसल को बेच सके, इसके लिये उन्होंने कानून बनाया। माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार किसानों को दिखाने के लिये सिर्फ हमदर्दी कर रही है क्योंकि कर्ज माफी का असत्य वादा करके सत्ता में आई लेकिन कर्ज माफी का वादा अधूरा का अधूरा ही रह गया। आज अगर हम औसत निकालें तो हमारे देश का प्रति किसान एक लाख रुपये के कर्ज से दबा हुआ है। माननीय वसुन्धरा जी की जब पिछली सरकार थी तब राजस्थान के प्रति किसान को दस हजार रुपये प्रति वर्ष कृषि के बिलों में अनुदान के रूप में देने की घोषणा की थी। ऐसे लाभ लेने वाले लगभग 13 लाख किसान थे, लेकिन जैसे ही आपकी सरकार आई, आपने वह अनुदान बंद कर दिया। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में, अजमेर ही नहीं, राजस्थान में बाजरे की बहुत बड़ी तादाद में खेती

(श्री सुरेश सिंह रावत)

होती है, बहुत बड़ा उत्पादन है। उसके लिये कोई न कोई अलग से अनुसंधान केन्द्र होना चाहिये क्योंकि भेड़ बकरियों के लिये भी अलग से अनुसंधान केन्द्र बना रखा है लेकिन बाजरे जैसी महत्वपूर्ण फसल के लिये अलग से कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है। इसके लिये कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय, किसानों की आमदनी बढ़े, इसके लिये तो हम सब बात करते हैं लेकिन अगर जैविक खेती के साथ साथ खेती और पशुपालन को मनरेगा से जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसान भाइयों की आमदनी बढ़ेगी। माननीय सभापति महोदय, देश में किसानों की स्थिति पर 1879 में पहला अध्ययन हुआ, आज 2021 है। लगभग 211 सालों में किसानों की समस्या ज्यों की त्यों है। 41 वायसराय, 14 प्रधान मंत्री और हमारे देश की 17 सरकारें बदल गईं, लेकिन किसानों की समस्या ज्यों की त्यों रही। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी को कि उन्होंने किसानों के सुधार के लिये एमएसपी को बढ़ाया, एफईओ का गठन किया। किसान सम्मान निधि के रूप में किसानों के खातों में सीधा पैसा ट्रांसफर किया। फसल बीमा की उचित पॉलिसी बनाई और जो फसल खराबा 50 परसेंट पर मिलता था, उसको घटाकर उन्होंने 33 परसेंट किया और हाल ही आपने देखा कि 18 हजार करोड़ रुपये की भारी भरकम बीमा राशि किसान निधि के रूप में देश के लोगों को माननीय प्रधान मंत्री जी ने दी।

माननीय मंत्री महोदय, मेरे पुष्कर विधान सभा क्षेत्र में गुलाब, आंवला, आम, मक्का और बाजरे का भारी मात्रा में उत्पादन होता है और विशेष तौर से गुलाब, आंवला और आम का उत्पादन पुष्कर के आस-पास के क्षेत्र में बहुतायत में होता है। इसके लिये कोई न कोई एग्रो इंडस्ट्री सरकारी सहायता के माध्यम से अगर वहां स्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे किसानों को फायदा मिलेगा।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, आपकी लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से इस बार जीरे की खरीद अगर आप चाहते, बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत अगर आप केन्द्र से आग्रह करते तो निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के हजारों किसानों की जीरे की फसल को आपके माध्यम से केन्द्र सरकार खरीदती तो हमारे किसानों की निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति में सुधार होता। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हरीश चन्द्र।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): धन्यवाद महोदय, आपने मुझे कृषि की मांग पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मैं इन मांगों को तीन भागों में बांटना चाहूंगा, कृषि, पशुपालन एवं कृषि उपज मंडी। महोदय, सर्वप्रथम मैं शुरू करूंगा कृषि उपज मंडी से। सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन कृषि उपज मंडी हैं, देवली, दूनी, उनियारा एवं रामथला, नासरदा, गुराई, ककोड़, अलीगढ़, सोप, चांदली में गौण कृषि उपज मंडी है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि बनेठा, नगर फोर्ट में भी गौण कृषि उपज मंडी खोलने की आवश्यकता है। महोदय, यह नई कृषि उपज मंडियों की मांग है। मंत्री महोदय, एक विचित्र बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, घाड़ की गौण कृषि उपज मंडी बने हुए दस वर्ष हो गये, मगर आज तक एक भी दाना फसल की खरीद वहां नहीं हुई है। अगर आप फसल खरीदते ही नहीं तो कृषि उपज मंडी खोलने का क्या लाभ है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस मंडी में अविलंब आप खरीद शुरू कराएं।

महोदय, इसी तरह से मंडी विकास कोष से पिछले दो वर्ष में मेरे क्षेत्र में एक किलोमीटर की रोड आपने स्वीकृत नहीं की। मेरे प्रस्ताव आपके पास पैंडिंग है। कृषि विपणन बोर्ड ने आगे भेज दिये हैं, सरकार के पास वह पैंडिंग हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि मेरे जो प्रस्ताव हैं भीमगंज से तुंगीपुरा और गांधीग्राम खरोई से माधोराजपुरा, सांवदगढ से जाल का झोंपड़ा, राष्ट्रीय राजमार्ग से सरकावास का प्रस्ताव जो आपके पास पैंडिंग है, उनको अविलंब मंजूरी दें ताकि लोगों को इसका लाभ मिले।

महोदय, इसी तरह से राजस्थान स्टेट सीड्स कारपोरेशन के दूनी स्थित केंद्र में देवली के डूब क्षेत्र के किसानों से वर्ष 2004 से मूंग की रॉ बीज खरीद का प्रोग्राम था और किसानों द्वारा उत्पादित बीज को वापस राज.-सीड्स के केंद्र द्वारा खरीदा जाता था, लेकिन वर्ष 2017 से डूब क्षेत्र के लोगों को उक्त प्रोग्राम का फायदा नहीं मिल रहा है, प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। सर, बंद की गयी इस योजना को दोबारा चालू किया जाए ताकि हमारे किसानों को इसका पूरा लाभ मिले।

महोदय, इसी तरह से देवली कृषि उपज मंडी का निर्माण हो चुका है, मगर अभी तक वहां नीलामी प्लेटफार्म, आंतरिक सड़क और पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण नहीं हुआ है। देवली शहर के बीचोंबीच स्थित पुरानी

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

कृषि उपज मंडी में ही फसल खरीद का कार्य किया जा रहा है, जिससे किसानों को अपनी फसल को मंडी लाने में अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि नवीन कृषि उपज मंडी अविलंब शुरू की जाए।

महोदय, पशुपालन, जैसा कि आपको विदित है, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह सिंचित क्षेत्र है, डबल क्रॉप एरिया है। महोदय, कृषि के साथ-साथ पशुपालन भी बहुत ही महत्वपूर्ण आजीविका का साधन है। मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने बहुत सारे पशु चिकित्सा उप केंद्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में खोले हैं, पर महोदय मेरी एक डिमांड है कि इसमें कुछ गांव रह गये हैं, जहां नये पशु चिकित्सा उप केंद्र खोलने की आवश्यकता है। इनमें भोसरिया, सोरोजपुरा ग्राम पंचायत ऐसी है, जिसमें एक भी पशु चिकित्सा उप केंद्र नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अविलंब ये भी खोले जाएं।

महोदय, आपकी एक योजना है, कामधेनू डेयरी योजना। योजना सुनने और देखने में बहुत अच्छी लगती है, पर जब इसको ध्यान से पढ़ा तो आपने टारगेट दे रखे हैं कि एक जिले में दो ही आदमियों को देंगे। अगर मैं टोंक की बात करूं तो टोंक में चार विधान सभा क्षेत्र हैं। एक विधान सभा क्षेत्र में साल में एक आदमी भी इस योजना में आप लाभान्वित नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि कम से कम एक-एक विधान सभा क्षेत्र में एक-एक तो दे दें। किसी को तो लाभ हो। योजना बहुत अच्छी है और किसानों के लिए उपयोगी है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसको और व्यापक बनाया जाए।

अब कृषि में, कृषि एवं पशुपालन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि जहां पर भी हायर सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें कृषि एवं पशुपालन विषय अनिवार्य रूप से खोला जाए, ताकि जो हमारे बच्चे इसमें रुचि रखते हैं, हमारे किसानों के बच्चे जो इसमें रुचि रखते हैं, उनको ये विषय पढ़ने से लाभ मिले और वे आधुनिक किसान और पशुपालक बन सकें।

सर, टोंक जिले में किसानों के विकास हेतु कुछ मेरे सुझाव हैं, जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। रबी के सीजन में यूरिया और उर्वरक की एक साथ मांग आती है तथा टोंक जिले में आपूर्ति एक साथ करने के लिए उर्वरक रैक पाइंट नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि टोंक जिले में एक

(श्री हरीश चन्द्र मीना)

इलाके में ट्रेन की व्यवस्था है, उसमें वनस्थली या निवाई रेलवे स्टेशन पर उर्वरक रैक पाइंट की स्थापना हो, जिससे किसानों को समय पर यूरिया मिल सके।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): सर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सरसों की फसल का क्षेत्रफल अत्यधिक है तथा उत्पादकता भी अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है। इस हेतु किसानों को लघु तेल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करने हेतु अनुदान दिया जाए एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों की अधिक मात्रा में खरीद की जाए। सर, बीसलपुर बांध की भराव क्षमता 315.50 मीटर निर्धारित की गयी है, इसको और अधिक बढ़ाया जाए एवं नहरों से पानी छोड़ने के कम से कम दो माह पूर्व कमेटी की बैठक आयोजित कर नहरों की सफाई करायी जाए ताकि बांध के पानी का समुचित उपयोग किया जा सके।

सर, टोंक जिले में बनास नदी बहती है, इसमें एनिकट बनाने की आवश्यकता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में बंथली के पास अगर आप एक एनिकट बना दें तो पूरे क्षेत्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और आस-पास के जिन लोगों के कुएं हैं, उनको भी लाभ होगा।

अंत में, मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की व्यवस्था करें। एक तो दूनी में और एक अलीगढ़ में, ताकि किसानों को आधुनिक कृषि का लाभ मिल सके। सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 37 - कृषि और मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा पर चर्चा हो रही है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसानों और पशुपालन विभाग से जुड़ा हुआ है। आज प्रदेश का प्रत्येक परिवार किसान परिवार से और कृषि विभाग से लगता है। आप भले ही इस सदन में विराजमान हैं, आपने चाहे शौक के माध्यम से हो, आपने कृषि करने का प्रयास जरूर किया होगा। देश के प्रधान मंत्री जी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने का काम किया है, वह पूरे देश के लिए अच्छा एवं सराहनीय काम किया है, लेकिन प्रदेश की कांग्रेस सरकार इनको लागू न कर नजरअंदाज कर रही है।

(श्री जगसी राम)

सभापति महोदय, मैं सीधा-सीधा कहूंगा, क्योंकि समय का अभाव है। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र रेवदर और आबू रोड की बात करना चाहूंगा। यह क्षेत्र गुजरात से लगता हुआ है। किसानों की जब बात कहें तो समर्थन मूल्य की बात मैंने पिछली बार भी कही थी और आज भी मैं आपके माध्यम से सरकार की जानकारी में लाना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर जब खरीदने की बात आती है तो भले ही मूंगफली हो या रायड़ा हो, उनको टाइम पूरा होने के बाद जो ये खरीदने का प्रयास करते हैं या उनको अनुमति देते हैं, मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें, उस समय निश्चित तौर पर बताएं कि सिरोही जिले में समर्थन मूल्य पर रायड़ा, मूंगफली या चना खरीदने का आदेश कब दिया और कितने क्विंटल या कितनी मात्रा में खरीदा गया?

मैं इस मौके पर, जब हम किसानों की बात कर रहे हैं। रेवदर में टमाटर, तरबूज और खरबूजा अत्यधिक होते हैं तो मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके भंडारण और कोल्ड स्टोरेज के लिए अन्य राज्यों की तुलना में और गुजरात राज्य की तुलना में उसमें अनुदान देकर किसानों के लिए भंडारण या कोल्ड स्टोरेज के लिए की व्यवस्था की जाए, क्योंकि वहां टमाटर, तरबूज और खरबूजा की अत्यधिक पैदावार होती है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि यह सीमावर्ती क्षेत्र है, जो कि गुजरात से लगता हुआ है और किसान वहां पर तकनीक से खेती कर रहे हैं। सरकार इसमें ये लागू करेगी तो मैं समझता हूं कि यह किसानों के हित में होगा।

सभापति महोदय, कृषि विभाग की तरफ से जो बीज वितरण होता है। उसमें भी समय पर बीज का वितरण नहीं किया जाता है, यह मैं कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा। किसानों के लिए प्रधान मंत्री जी ने जो भी नियम लागू किये हैं, वे इस प्रदेश में लागू करेंगे तो आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण रहेगा। किसानों के लिए अभी जो कृषि कनेक्शन दिये जाते हैं, आबू रोड क्षेत्र की एससी, एसटी कैटेगरी हो या सामान्य हो। मैं चाहूंगा कि सभी काश्तकारों के लिए, सभी वर्गों के किसानों को यदि विद्युत कनेक्शन दिये जाएंगे तो उनके ऊपर न तो कोई चोरी का आरोप लगेगा, न वीसीआर भरी जाएगी और उनको नियमों के अनुसार लेकर कनेक्शन दिये जाएंगे तो प्रदेश के किसान अच्छा काम कर पाएंगे।

(श्री जगसी राम)

मैं इस अवसर पर पशुपालन विभाग की बात करना चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व वक्ताओं ने काफी बात की। गोशालाओं के लिए बात की और नंदीशालाओं के लिए भी कहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि हम गोशालाओं को जो अनुदान दे रहे हैं, सरकार क्यों नहीं राजस्थान के किसानों को भी जो पशुपालक हैं, प्रत्येक किसान को जो अच्छी नस्ल की गाय पालते हैं, गिर गाय, देशी गाय है, थारपारकर की है, उस पशुपालक को अनुदान दें। मैं समझता हूं कि प्रत्येक किसान को अनुदान देने की योजना यदि लागू होती है तो प्रदेश का किसान अधिक लाभ ले पायेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, आज प्रदेश का जो पशुपालक है, जालौर, सिरोही और पाली, जब बारिश नहीं होती है तो उनके मवेशियों को लेकर अन्य राज्यों के अंदर चराने के लिए जाते हैं तो अन्य राज्यों में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है। अन्य राज्यों में उनके साथ कई प्रकार की घटना-दुर्घटना भी होती है। मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि पशुपालकों की बोर्डर पर गणना कर यदि उनको अनुदान दिया जाता है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के अंदर जो नन्दी हैं, जो हम आवारा मानते हैं, उनकी सब रक्षा करेंगे। पशुपालकों को यदि इसमें राहत हम देंगे तो आने वाले समय के अंदर किसानों के हित में रहेगा।

सभापति महोदय, दुग्ध उत्पादन में राजस्थान के अंदर विशेष तौर से गुजरात की तुलना में सिरोही जिले का सारा दूध, मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि सारा दूध गुजरात में जाता है। इसके अंदर भाव का डिफरेंस है। इस राशि में काफी डिफरेंस है। डिसिप्लीन के अंदर, मापदंड के अनुसार और नियमों के अनुरूप दूध का व्यवसाय करेंगे, डेयरी का काम सुचारु रूप से होगा तो सिरोही जिले का जो पशुपालक है, वह आने वाले समय में हर तरह से आगे बढ़ेगा, नहीं तो सारा दूध, हजारों लीटर में गुजरात में जा रहा है। मैं आज इस अवसर पर क्योंकि बार-बार नाम पुकार रहे हैं। मैंने पशुपालकों और किसानों के हित की जो बात की है, आप निश्चित तौर पर इसको देखिए। अंत में मैं किसानों की एक बात और कहना चाहूंगा कि नरेगा के अंदर, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप यदि इसको गहनता से देखेंगे तो क्योंकि मैं विपक्ष का हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री जगसी राम (रेवदर): अभी नरेगा के अंदर किसानों की तारबंदी वाला जो है, उसमें किसानों के खसरा नंबर के अंदर यदि समुचित तारबंदी की योजना लागू करते हैं तो मैं समझता हूं कि रात भर किसान जो चौकीदारी करता है, वह चौकीदारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसान से संबंधित विषय है, इसलिए मैंने आपकी जानकारी में दिया है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पानाचन्द मेघवाल।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन पर बोलने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का जो बिंदु है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। कृषि व पशुपालन, जिससे प्रदेश ही नहीं पूरा देश जुड़ा हुआ है। देश का 75 परसेन्ट, चाहे वह आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, कृषि से जुड़ा हुआ है और किसान से जुड़ा हुआ है। सरकारें कितनी ही आईं और कितनी ही गयीं, लेकिन आज भी किसान की दिशा और दशा जिस प्रकार से है, वह किसी से छिपी नहीं है। आज किसान अपने हक के लिए राजधानी की बोर्डर पर लड़ रहा है, गांव की चौपाल पर लड़ रहा है या पहले लड़ा हो, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, चाहे पशु की बात करो या कृषि की बात करो, ये आदि, अनादिकाल से एक दूसरे का पर्याय बना हुआ है। अनादिकाल में भी पशु या पक्षी हो, उनकी सवारियां देवी-देवताओं के द्वारा की जाती थीं। आज जिस प्रकार से पशु और पक्षियों की दशा हो रही है कि प्रकृति का जो नियंत्रण है, ईश्वर ने जब सृष्टि का निर्माण किया, हर वर्ग के लिए पशुओं के लिए इतना प्रतिशत, पक्षियों के लिए इतना प्रतिशत, पानी के लिए इतना प्रतिशत और मनुष्य के लिए इतना प्रतिशत आरक्षित किया गया लेकिन पिछले लंबे समय से प्रकृति के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ किया, उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। समय पर बारिश नहीं हो रही है, तापमान बढ़ता जा रहा है, सर्दी जितनी पड़नी चाहिए थी, उतनी नहीं पड़ रही है, फसल जो पैदा होनी चाहिए थी, वह नहीं हो रही है। आज देश का और प्रदेश का किसान आवारा जानवरों से, आवारा पशुओं से जिस प्रकार परेशान है, क्योंकि उसका जो घर था, उसका जो अधिकार क्षेत्र था, उस पर हम लोगों ने कहीं न कहीं अधिकार किया है, अतिक्रमण किया है। आज नील गाय से

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

किसान परेशान हैं, आज हिरण से किसान परेशान हैं, आज सुअर से किसान परेशान हैं, किसान लाइट से परेशान है, किसान प्रकृति से परेशान है, किसान सरकार से परेशान हैं। आखिर किसान जाएगा तो कहां जाएगा?

माननीय सभापति महोदय, किसान जिस दिन खेत पर जाता है, रात को जाता है, दिन को जाता है, अपनी जान को हथेली पर लेकर जाता है। कभी उसकी मौत लाइट से होती है, कभी बिजली पड़ने से होती है, कभी खेत से फसल तैयार करके घर पर लाता है ट्रैक्टर पलटी खाता है, उससे होती है या कभी घर से फसल को लेकर मंडी जाता है, वहां पर एक्सीडेंट से उसकी मौत होती है। सरकार के जो नियम और कानून बने हुए हैं, वह परे हैं। आज खेत पर जो राजीव गांधी कृषक साथी योजना है, उसमें किसान की मृत्यु पर कृषि कार्य करते हुए दो लाख रुपये मिलते हैं लेकिन उसमें भी मापदंड है कि वह एक्सीडेंट हो। अब यदि रात के बारह बजे किसान अगर खेत पर पानत करता है, दो डिग्री टेम्प्रेचर है और उस दो डिग्री टेम्प्रेचर में उसके हार्ट अटैक आ जाता है या अधिक ठंड से उसकी मौत हो जाती है, उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। किसान अगर किसी के यहां मजदूरी करता है तो वह किसान नहीं है। उसके एक बिस्वा जमीन नहीं है, वह मजदूरी करता है तो उसको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। अगर वह फसल बेचने जा रहा है और बोली लगाते समय उसके अटैक आ जाता है, उसको आर्थिक सहायता नहीं दी जाती है। माननीय सभापति महोदय, मेरा माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन है कि इन नियमों में शिथिलता दी जाए क्योंकि इसके उदाहरण मैंने अभी हाल ही में देखे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक व्यक्ति लहसुन बेचने गया, उसको भाव बढिया नहीं मिला, उसके अटैक आ गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गयी। दूसरा व्यक्ति गेहूं लेकर गया, उसको भाव लगा नहीं, उससे पहले उसके अटैक आ गया। उसको कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस प्रकार के नियमों में शिथिलता की जाए। इसी प्रकार से एक और नियम है कि 18 साल से कम उम्र का बच्चा, चाहे बालक हो या बालिका हो, अगर कृषि कार्य करते हुए उसकी मौत होती है तो उसमें मुआवजा नहीं दिया जाता है। माननीय सभापति महोदय, किसान का बेटा जब पैदा होता है, जब घुटने के बल चलना सीख जाता है, उसके बाद वह किसान के साथ खेत पर जाता है, चाहे वह रखवाली की बात हो, चाहे कटाई की बात हो, चाहे पिलाई की बात हो, इस प्रकार के

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

नियमों में जो बाध्यता है, उनमें कहीं न कहीं कोई शिथिलता की जाए। हमारे शास्त्रों में पुराने जमाने से यह लिखा हुआ है कि जब घर में चूल्हा जलता है तो पहली रोटी गाय की निकाली जाती है और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकाली जाती है। यह संस्कार थे हमारे इस देश की सभ्यता के, संस्कृति के, लेकिन आज वह सभ्यता और संस्कृति खतम हो चुकी है। न गाय की रोटी निकाली जा रही है और न कुत्ते की रोटी निकाली जा रही है। उन दोनों का हक कौन खा रहा है? आप और हम सब परिचित हैं।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से, मंत्री महोदय से निवेदन है कि जब किसान खून पसीना बहाकर अपनी फसल को तैयार करता है, मंडियों में जाता है तो मंडियों में उसके लिए टीनशैड नहीं है। बरसात आती है, बरसात में उसकी फसल भीग जाती है या बह जाती है। फसल भीगने व बहने के बाद उसका भाव डाउन हो जाता है इसलिए ये नियम बनना चाहिए, जब फसल तैयार होकर खेत से मंडी में पहुंच जाए तो चाहे वह भीगे या बहे, उसका उचित मूल्य किसान को मिलना चाहिए। अभी प्रतिपक्ष के नेता बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे कि राजस्थान सरकार ये नहीं कर रही है, केन्द्र सरकार ये कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि..

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): आज इस देश के 75 परसेन्ट लोगों के पास, किसी के पास 8 बीघा जमीन है, किसी के पास 7 बीघा जमीन है, किसी के पास 9 बीघा जमीन है और उसके ऊपर पूरा परिवार निर्भर करता है। वह बच्चे की पढ़ाई कराता है, बच्ची की शादी करता है, हारी-बीमारी का इलाज कराता है और समाज में स्वाभिमान बनाकर रहना चाहता है लेकिन अगर उसकी उपज और उसकी लागत दोनों को देखा जाए तो वह उसमें अपना जीविकोपार्जन नहीं कर पाता। पहले छोटे मकान हुआ करते थे, लेकिन दिल बड़े हुआ करते थे। आज मकान बड़े हैं और दिल बहुत छोटे हो चुके हैं। संस्कार खतम हो चुके हैं। हम केवल किसान के ऊपर भाषण दे सकते हैं लेकिन जो किसान की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो किसान को जरूरत है, उन चीजों पर हम विचार नहीं करना चाहते हैं।

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, फसल बीमा योजना, जो हमारे देश के प्रधान मंत्री महोदय ने लागू की थी, वह इंश्योरेंस कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए, 2016 और 2017 में जो बीमा कंपनियों के द्वारा प्रीमियम वसूला गया, वह है 76 हजार करोड़ रुपया और जो किसानों को मुआवजे के रूप में दिया गया, 60 हजार करोड़ रुपया, 16 हजार करोड़ रुपये का मुनाफा इंश्योरेंस कंपनियों ने वसूला। जब इसका ध्यान आया तो चाहे पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर हो, मेघालय हो, जम्मू कश्मीर हो, आंध्र प्रदेश हो, यहां की सरकारों ने इसका विरोध किया। अभी हाल ही में जब यह चीज धीरे-धीरे समझ में आयी तो चाहे गुजरात की बात करो, हरियाणा की बात करो, केरल की बात करो, महाराष्ट्र की बात करो, तमिलनाडु की बात करो, तेलंगाना की बात करो या उत्तर प्रदेश सरकार की बात करो, यहां की सरकारों ने भी प्रीमियम देने से इन्कार कर दिया। समय पर प्रीमियम नहीं दिया। उन्होंने जब इसका मंथन किया कि ये किसानों के साथ कुठाराघात है, केवल इंश्योरेंस कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया।

(15.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, साथ ही, जब फसल खराब होती है, सरकार निर्देश जारी करती है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): पटवारी और कृषि पर्यवेक्षक रिपोर्ट देता है। पटवारी की रिपोर्ट अलग आती है और कृषि पर्यवेक्षक की, राजस्व विभाग की रिपोर्ट अलग आती है। दोनों की भिन्नता के कारण बीमा कम्पनियां किसान को मुआवजा नहीं दे पाती हैं। कई बार तो यह देखने को मिलता है कि जब किसान केसीसी लोन लेने जाता है, उसका क्लेम बीमा कम्पनी द्वारा काट लिया जाता है...

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): बैंक के द्वारा काट लिया जाता है।

श्री सभापति: विराजिए। श्रीमती कल्पना।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): नियमों में शिथिलता दी जाए। किसानों का भला करने के लिए हम सब लोगों को सोचना चाहिए। जय हिन्द, जय भारत।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37-कृषि पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, आज हम इस मांग पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, ताकि हम अपने क्षेत्र में कृषि के लिए बेहतर सुविधा बना सकें। थोड़े दिन पहले बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। इस विषय में मैं कृषि मंत्री जी से भी मिली। आपके माध्यम से मैं उनका धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने तुरंत सर्वे के आदेश जारी किए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से एक और निवेदन करना चाहती हूं कि वह यह देखें कि इनके आदेशों की पालना तुरंत हो और सर्वे के अलावा मुआवजा भी तुरंत मिले।

माननीय सभापति महोदय, आप देख रहे हैं कि किसान कितने संघर्ष और विपरीत स्थिति में अपनी फसल तैयार करता है। अब ऐसे समय में बिजली विभाग वीसीआर भर रहा है और किसान के डीपी हटा रहे हैं। किसान बिजली बिल का भुगतान समय पर नहीं कर पा रहा है, इसलिए यह परेशानी आ रही है। मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि जब तक किसान को अपनी फसल की कीमत नहीं मिल जाती, तब तक बिजली विभाग किसानों को बिल के भुगतान में समय की मोहलत दें।

सभापति महोदय, एक और गंभीर समस्या के बारे में अवगत कराना चाहती हूं। जैसे ही फसल तैयार होती है, फिर कटाई व तुलाई के लिए किसान का एक और संघर्ष शुरू हो जाता है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे हर पंचायत में एक तुलाई केन्द्र चालू करें और टोकन की भी पर्याप्त व्यवस्था की जाए।

वर्तमान में पूरे राज्य में पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इससे किसान को नकल लेने में, गिरदावरी में परेशानी आ रही है। इसके ऊपर यह सर्वे करेंगे, इसमें भी विलम्ब होगा। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि इसका भी कोई समाधान निकले।

राजफैड और तिलम संघ फसल के भुगतान में बहुत ज्यादा समय लेते हैं। इससे किसान को बहुत परेशानी होती है। एक तरफ तो सरकार किसान को चेतावनी देती है कि अगर समय पर बिजली का बिल जमा नहीं कराया तो विलम्ब शुल्क लगाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर किसान को उनकी राशि समय पर नहीं दी जाती है। यह कैसा न्याय है?

(श्रीमती कल्पना देवी)

माननीय सभापति जी, कृषि कार्य के लिए सिंचाई का पानी बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मंडाना डार्क जोन है। यहां चंबल नदी के अलावा और कोई पानी का स्रोत नहीं है। परन्तु आप देखें, चंबल नदी से दूसरे इलाक़े में पानी दिया जा रहा है, पर जो किसान चंबल नदी के किनारे ही है, वह इस पानी से वंचित है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे मंडाना के डार्क जोन में भी सिंचाई का पानी दिया जाए।

सभापति महोदय, इसी के साथ मैं बालापुरा और किशनपुरा लिफ्ट योजना की बात करूं, तो यह ऐसी योजना हैं जो किसान खुद अपने आप चलाते हैं। इसका खर्चा भी वह स्वयं उठाते हैं। इसमें इनको टूटे पाइप की परेशानी आ रही है। बिजली के बिल भी बहुत भारी हैं। अभी इस योजना के किसान मेरे पास आए थे। उनका बिजली बिल 30 लाख रुपये का था, यह इतनी रकम कहां से इकट्ठा करेंगे? मेरा आपसे निवेदन है कि इस बिजली बिल से राहत देने के लिए अगर सोलर पैनल लगाए जाए, तो उनको थोड़ी राहत मिलेगी।

किशनपुरा लिफ्ट योजना की बात करूं तो एक और क्षेत्र मेरे ध्यान में आता है। किशनपुरा लिफ्ट योजना, सीएडी, परवन, इन सबके बीच में एक छोटा सा हिस्सा गलाना का है, जो हर सिंचाई योजना से वंचित है। सरकार की मंशा अगर हो तो इनके लिए एक अलग योजना बनाई जाए, करीब 1,000 -1,200 हैक्टेयर की जमीन है, इनके लिए अलग योजना दें नहीं तो गलाना से एक किलोमीटर दूर ही, टूंडा से पाइप लाइन आ रही है, अगर उनको वहां से जोड़ दिया जाए, तो उनको भी सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा।

सभापति महोदय, सिंचाई की बात करूं, आलनिया बाँध से आलनिया माइनर चलती है। यह लेफ्ट और राइट, दोनों ही कच्चे हैं। इनको पक्का करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा सीपेज हो रहा है। इसके अलावा, जहां इसका डिवाइडेशन होता है, जो पिकअप वेयर असेम्बली पाइंट है, वहां भी बहुत सीपेज हो रहा है। वहां इसकी ग्राउटिंग की जरूरत है। अगर इसकी ऊँचाई भी बढ़ाई जाए, तो जब पानी छोड़ते हैं, ओवर फ्लो होकर, वापस नदी में व्यर्थ बहने से वह माइनर में बह सकेगा और इसका पानी काम आएगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): जी। माननीय सभापति महोदय, आज

(श्रीमती कल्पना देवी)

कृषि पर चर्चा का लक्ष्य है कि हम किसान के लिए कृषि संबंधी सुधार करें और किसानों को लाभ पहुंचाएं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि इस विषय पर गंभीरता से विचार करके मेरे विधान सभा क्षेत्र की इन सब माँगों को पूरा करने का श्रम करें, ताकि हमारे प्रयासों से किसान सशक्त हो सके और हमारा भारत, हमारे किसानों के माध्यम से, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके और नई ऊँचाई को हासिल कर सके।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी इन माँगों को सदन में बहुत उम्मीद के साथ रखा था, पर आज तक इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। आज एक बार फिर उम्मीद के साथ रख रही हूं। मुझे उम्मीद है कि इस बार मेरी सुनवाई होगी। I hope, I'll be lucky this time. धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनिया।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि, 39-पशुपालन पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं कृषि, केन्द्र के क़ानूनों पर चल रहे किसान आंदोलन में करीब 280 लोग शहीद हुए, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा।

राष्ट्रीय बहस छिड़ी हुई है, इस सदन में भी चर्चा हुई थी कि इसमें काला क्या है। पहले तो मैं इस बात की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा में तीन कानून हमने पास किए थे लेकिन केन्द्र का कानून यह बात कह रहा है कि राज्य के कानून केन्द्र के क़ानूनों को परिलब्ध नहीं कर पाएंगे।

सभापति महोदय, नीयत का यहीं पता चल जाता है कि राजस्थान में जो कानून पास किए गए, +++ नीयत का यहां भी पता चल जाता है कि पाँच एकड़ तक की जमीन पर जिसने कर्ज लिया है, उसकी जमीन कर्ज के पेटे कुर्क नहीं की जाएगी। वह कानून भी...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: प्लीज विराजिए। आपको तो पता ही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल का नाम नहीं लिया जा सकता। डिलीट करा दीजिए।

श्री सभापति: जो भी नियमों में है, प्रक्रिया में है, आदेश दिए हुए हैं, जो भी हो, आप विलोपित कर दें। यह माननीय अध्यक्ष महोदय के स्टैंडिंग आर्डर है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, ...(व्यवधान). जब आपके नेता बोले, मैं बीच में नहीं बोला। अगर आप यह चाहते हो कि आप मेरे बीच में बोलो ...(व्यवधान).

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें। ...(व्यवधान).

श्री बलवान पूनियां (भादरा): ममता तो आपको भी याद कर रही है। पर आप सुनो एक बार, कह रहे थे कि काला क्या है, गौर से सुनो। सभापति महोदय, केन्द्र के जो कृषि कानून है, मैं किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं बता रहा, मैं सैक्शन वाइज बात करूंगा।

सबसे पहले आवश्यक सेवा वस्तु अधिनियम, जो खतम हु आ, उससे काला बाज़ारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। यह 1955 में इसलिए लाया गया था कि देश में एक जगह कोई संग्रहण नहीं करे। जो भी उत्पादन की चीज़ें हैं, उस पर सत्ता का कब्जा रहे, न कि किसी आदमी का। उस कानून के टूटने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वह संग्रहण का होगा, जिससे कालाबाजारी और महंगाई बढ़ेगी।

नम्बर दो, अगर हम फार्मिंग और कांट्रेक्ट एक्ट की बात करें, तो उसके सैक्शन पाँच (ए) में स्पष्ट लिखा है कि गारंटेड प्राइस, क्वालिटी, स्टैण्डर्ड के नाम पर कांट्रेक्ट किया जाएगा। अगर किसी आदमी की फसल में कम्पनी यह नहीं मानेगी कि उस स्टैंडर्ड की फसल पैदा की है तो जो गारंटेड प्राइस उसने लिखा था, वह प्राइस उस किसान को नहीं मिलेगी। इसलिये किसान इस बात से सन्देह के घेरे में हैं। अगर कोई यह बात करे कि किसान को देना पड़ेगा, तो ही किसान मांग कर रहे हैं कि एम.एस.पी. फिर क्यों नहीं लिख देते। एम.एस.पी. कांट्रेक्ट फार्मिंग में नहीं लिखी, इसलिये किसान सन्देह में है। कांट्रेक्ट फार्मिंग, जो नया एक्ट आया है, उसका सैक्शन (9) कहता है कि जो कम्पनी किसान के साथ कांट्रेक्ट करेगी, वह उस पर क्रेडिट भी ले सकेगी, जिस तरीके से हम हमारी खातेदारी पर ऋण लेते हैं, कम्पनी भी उस पर क्रेडिट ले सकेगी, उसके साथ-साथ उसका इंश्योरेंस करवा सकेगी, उसके साथ-साथ उस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकेगी। हां, उसमें यह बात लिखी है कि जिस दिन कांट्रेक्ट खतम होगा तो वह अपना कंस्ट्रक्शन तोड़ कर जाएगी, लेकर जाएगी लेकिन, सभापति महोदय, अगर किसी जगह पर 5-10 साल कोई कंस्ट्रक्शन स्थाई रह जाता है, 2 एकड़ तक की जमीन पर कंस्ट्रक्शन रह जाता है, वह जमीन अनुपजाऊ हो जाएगी। वहां से कंस्ट्रक्शन हटाने का कोई

(श्री बलवान पूनियां)

मतलब नहीं बचेगा, इसीलिये किसान यह मान रहे हैं कि जमीन हमारे हाथ से छिन जाएगी।

सैक्शन (7) कहता है कि कोई भी स्टेट अगर अलग से कानून बना लेगा तो कांट्रेक्ट फार्मिंग पर वह कानून केन्द्र के कानून पर लागू नहीं होगा। सभापति महोदय, इसलिये किसान डर रहे हैं कि ये तीनों काले कानून हैं, काले।

सभापति महोदय, इसके अलावा मैं बात करूं मंडी कानून की, तो यही स्थिति मंडी कानून में है कि किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो जाएगा, वह कोर्ट नहीं जा सकेगा, एस.डी.एम. के कोर्ट में जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद भी केन्द्र की सरकार इस कानून को वापस नहीं ले रही है तो फिर किसान क्या उम्मीद कर सकता कि एक एस.डी.ओ. उसका और व्यापारी का फैसला कर देगा। इसलिये यह कानून काला है।

सभापति महोदय, यही फार्मिंग एक्ट में भी लागू है कि फार्मर और कम्पनी के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट नहीं जा पाएगा। वह एस.डी.एम. के पास जाएगा, इसलिये किसान डरा हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ये लोग जो कह रहे हैं कि इन तीनों कानूनों में किसान के पक्ष के लिये सोचा गया। यह कानून बनाने की साजिश आज नहीं की गई थी। यह बात अक्टूबर, 2017 की है। अक्टूबर, 2017 में यह तय किया गया था कि ...(व्यवधान).

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): किसान के लिये एक मीटिंग का आयोजन किया गया। उस मीटिंग में कुछ किसान संगठनों को, जो सरकार के पक्ष के थे, उन संगठनों को बुलाया गया और बुला करके यह बात की गई कि कैसे किसान की खेती को घाटे से उभारा जाए। उभारने के नाम पर जब उन्होंने चर्चा शुरू की तो पहले उनका अफसर खड़ा होकर बोलता है कि खेती में निजी दखलंदाजी करनी पड़ेगी, निवेश करना पड़ेगा तो वहां खड़ा एक व्यापारी, जो मीटिंग में उपस्थित था, उसने कहा, बिलकुल तैयार हैं, लेकिन हमारी तीन शर्तें हैं। शर्त नम्बर एक, कि हमारे पास जमीन के लिये कम से कम 50 साल का कांट्रेक्ट हो; शर्त नम्बर दो, कोई भी किसान परिलब्ध नहीं

(श्री बलवान पूनियां)

करेगा, उसको घेरेगा नहीं, उस चीज के खिलाफ खड़ा नहीं होगा, जैसा आज लोग खड़े हो गये। यह महत्वपूर्ण शर्त थी। उस समय मामला जंचा नहीं, ठंडे बस्ते में चला गया। तब ये कानून, यह कहने के लिये लोकसभा के चुनाव में गये कि आय दुगुनी करेंगे, कब, 2022 में, लक्ष्य 2022 का है, ये बता रहे थे। सही कह रहे हैं, आय दुगुनी करेंगे क्योंकि उस कानून में लिखा है, 5-5 हजार हैक्टेयर जमीन, 10-10 हजार हैक्टेयर जमीन के फार्म हाउस बनेंगे, बड़े पूंजीपति के, आय दुगुनी होगी। किसान ने गलत इंटरप्रिटेशन कर लिया!

श्री सभापति: समाप्त करें अब।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): साहब, अभी तो, थोड़ा सा और।

लोगों ने यह समझा कि देश के प्रिय प्रधान मंत्री हमारे पक्ष में बोल रहे हैं। प्रिय प्रधान मंत्री हमारे पक्ष में नहीं बोल रहे थे, बड़े पूंजीपति के पक्ष में बोल रहे थे, इसलिये तीनों काले कानून हैं। साहब, आज कह रहा हूं मैं आपको, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सारी जगह आंदोलन खड़ा हो गया। आंदोलन के सौ दिन की अगर मैं उपलब्धि बताऊं, सभापति महोदय, तो यह उपलब्धि है, क्षेत्रवाद, जातिवाद, नक्सलवाद, फलाणा, ढिमका, पंजाबी, हरियाणवी पता नहीं क्या-क्या आरोप लगाये, सब आरोप मिट्टी में मिल गये। किसान की एकजुटता ने जाति-धर्म की इनकी राजनीति को नंगा कर दिया। वे लोग एकजुट हो गये। सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा, दो मिनट ही, लास्ट दो मिनट।

श्री सभापति: प्लीज, सहयोग करें, विराजें। श्री अशोक खण्डार।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं फसल बीमा की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। फसल बीमा में इन्होंने

श्री सभापति: श्री अशोक खण्डार। ...(व्यवधान). अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: श्री अशोक खण्डार। ...(व्यवधान). विराजिये, विराजिये।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय सभापति महोदय ...(व्यवधान).

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये, सहयोग कीजिये। अंकित नहीं होगा। विराजिये। प्लीज, विराजिये। ...(व्यवधान).

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, विराजिये। श्री अशोक खण्डार।

श्री अशोक (खण्डार): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और 39- पशुपालन पर आज चर्चा हो रही है। मुझे आपने समय दिया, उसके लिये आपका धन्यवाद। कृषि का बजट शानदार है और माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रदेश के किसानों के लिये शानदार सौगातें दी हैं। किसान को उठाने के लिये, किसान के कल्याण के लिये, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिये, किसान की खुशहाली के लिये जो बजट पेश किया, उसके लिये मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

बजट में लिखा था कि गांधीजी ने कहा था कि "भारत को शांतिपूर्ण सच्ची प्रगति करनी है तो पैसे वाले यह समझ लें कि किसानों में ही भारत की आत्मा बसती है।" पर, माननीय सभापति महोदय, आज देश में क्या हो रहा है। केन्द्र सरकार किसानों की सुन नहीं रही है। कोई उनके हितों की बात सुन नहीं रहा। देश के अन्नदाता को भी बरबाद करने की साजिश पैसे वाले, बाहुबली, पूंजीपति कर रहे हैं। किसानों की आमदनी दुगुनी करने वाली केन्द्र की जुमला सरकार आज देश के किसानों की दुर्गति करने पर तुली हुई है। किसानों ने कोई कानून बनाने की मांग नहीं की थी। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं, इस काले कानून के कई उदाहरण आपने दे दिये हैं, पर कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहां तक कि मीडिया को भी हाईजैक कर रखा है। बॉर्डर पर सौ दिन से ज्यादा से किसानों का आंदोलन चल रहा है। कई किसान शहीद हो गये, अपना बलिदान दे दिया परन्तु उनको सुनने के लिये कोई तैयार नहीं है। 'हम दो और हमारे दो' ने देश का हाल खराब कर रखा है। दो अनमोल रत्नों के लिये, उनके लाभ के लिये, पूंजीपतियों के लाभ के लिये ये काले कानून बनाए गये हैं। किसानों को बरबाद करने के लिये, किसानों को गुलाम करने के लिये कानून हैं। पता नहीं, क्यों ये प्रशंसा कर रहे हैं। बाद में इनको भी याद आएगा कि किसानों को बरबाद करने में इनकी भी भागीदारी रही है। आज दिल्ली के बॉर्डर पर लाखों किसान आंदोलनरत हैं, पर कोई उनकी सुन नहीं रहा है। केन्द्र की गूंगी-बहरी सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही है। मैं सदन से आग्रह करूंगा कि हम सर्वसम्मति से संकल्प लें कि किसान विरोधी जो कानून हैं, पुनर्विचार करके इनको वापस लेने का काम करें।

(श्री अशोक)

हमारी सरकार ने किसानों के हित में आगामी वर्ष में अलग से कृषि बजट की घोषणा की है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय का यह महत्वपूर्ण सराहनीय कदम है। हमारी सरकार ने 20 लाख से ज्यादा किसानों के 14 हजार करोड़ के कृषि ऋण माफ करने का काम किया है, उनका भी मैं धन्यवाद देता हूं। हमारी सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू की गई। आगामी वर्ष में करीबन 16 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से दिये जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने कृषकों एवं पशुपालकों की आय में वृद्धि और समग्र विकास के लिये कृषि कल्याण कोष के माध्यम से आगामी तीन वर्षों में अनुदान आधारित मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना लागू की, जिससे हमारे प्रदेश के 3 लाख किसानों को नि:शुल्क बायोफर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किट उपलब्ध कराएंगे। 5 लाख किसानों को उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। ये भी सराहनीय प्रयास हैं।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई हेतु 1,20,000 किसानों को स्प्रिंकलर व मिनी स्प्रिंकलर दिये जाएंगे। प्रदेश में ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली हेतु आगामी वर्षों में लगभग 4,30,000 हैक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया जाएगा। प्रदेश में फार्मर प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन (FPO) का गठन व सुदृढ़ीकरण करने, किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलवाने के लिये यह गठन किया जा रहा है। इसके लिये 2,000 करोड़ रुपये होंगे। यह भी हमारे किसानों की बहबूदी के लिये, खुशहाली के लिये बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कृषि जिंसों के उत्पाद के व्यवसाय व निर्यात को बढ़ावा देने के लिये दस जिलों में मिनी फूड पार्क बनाये जाएंगे, ऐसी घोषणा की है। हमारे सवाई माधोपुर जिले में भी प्रथम चरण में मिनी फूड पार्क स्थापित किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय व मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि सवाई माधोपुर में मेरा खण्डार क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है और बागवानी भी काफी होती है। यहां पर टमाटर, अमरूद और मिर्ची का बहुतायत उत्पादन होता है। मेरा आग्रह है कि यह मिनी फूड पार्क खण्डार में खोला जाए ताकि हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिले।

(श्री अशोक)

किसानों को और विशेष तौर से सेवाएं देने के लिए राजीव गांधी सेवा केन्द्र खोले जाएंगे। एक हजार किसान सेवा केन्द्रों का निर्माण करवाया जाएगा, यह भी किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसके लिए भी मैं मंत्री महोदय आपकी और मुख्य मंत्री महोदय की प्रशंसा करता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बी.पी.एल., छोटे घरेलू उपभोक्ता एवं समस्त कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल प्रत्येक माह के बजाय दो माह में भेजे जाएंगे, ऐसी घोषणा की है। यह भी किसानों के हित में एक शानदार प्रयास है। मैं इसका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों को निरंतर बिजली मिल सके, इसके लिए 50 हजार किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध करवाने की घोषणा की है तथा 50 हजार किसानों को कृषि विद्युत कनेक्शन दिये जाएंगे, इसकी घोषणा की है। यह भी किसानों के कल्याण के लिए, उनकी खुशहाली के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास है। इसके लिए भी मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं।

हमारी सरकार ने बस्सी, जयपुर में डेयरी महाविद्यालय एवं डूंगरपुर, हिण्डौली व हनुमानगढ़ में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से और मंत्रीजी, आपसे यह आग्रह करूंगा कि खण्डार क्षेत्र हमारा बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है डांग क्षेत्र है, कृषि आधारित क्षेत्र है और वहां पर आपका हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा केन्द्र है। मेरा यह आग्रह है कि वहां पर भी एक कृषि महाविद्यालय खण्डार में खोलने की कृपा करें ताकि मेरे वहां के युवाओं को कृषि संकाय पढ़ने का मौका मिले और उनको कृषि से जोड़ा जा सके, उनको आत्मनिर्भर बनाया जा सके।

प्रदेश में पशुपालकों एवं हमारी गौशालाओं में उनके, घर पर ही गौशालाओं में आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने हेतु 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा शुरू करने की जो घोषणा की है, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय की जीव दया की इस करुणा भावना की प्रशंसा करता हूं। कोविड महामारी के दौरान भी इंसानों को भूखा मरने नहीं दिया और न ही भूखा सोने दिया, उसी प्रकार पशुओं, गायों के लिए भी समुचित खाने हेतु चारे की व्यवस्था की गयी।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार किये जाएंगे, ऐसा इसमें यह वर्णन किया गया है। इस बजट की मैं

(श्री अशोक)

प्रशंसा करता हूं कि पशुपालन पर भी आपने काफी जोर दिया है। वर्तमान में संचालित 200 पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को और 198 पशु औषधालयों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आपने घोषणा की है। मेरा यह आग्रह है कि खण्डार क्षेत्र में चौथ का बरवाड़ा उप खंड में पशु चिकित्सालय क्रमोन्नत करने का मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में आप समाप्त करें।

श्री अशोक (खण्डार): दो मिनट लूंगा, साहब।

श्री सभापति: हां, दो मिनट में समाप्त करें।

श्री अशोक (खण्डार): पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसायटी का गठन किया जाएगा, यह भी एक सराहनीय प्रयास है।

प्रदेश में सभी जगह पर संचालित गोशालाओं एवं नंदी गोशालाओं को समुचित अनुदान दिया जा रहा है। गायों की सेवा की राजनीति वाली पार्टी यह समझे कि यहां हमारे प्रदेश में सच्ची गौ सेवा हो रही है। पंजीकृत गोशालाओं को घरेलू दर पर विद्युत कनेक्शन दिये जाएंगे। यह भी एक बहुत बड़ा अनूठा प्रयास है और यह सच्ची गौ सेवा है।

प्रदेश के प्रगतिशील किसानों की तरह प्रगतिशील पशुपालकों को राज्य स्तरीय पशुपालक सम्मान समारोह आयोजित करके सम्मानित किया जाएगा। यह भी पशुपालकों के लिए एक शानदार सौगात है।

हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार भाइयों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधान सेवक की मन की बात को मैं आज यहां पर साझा करना चाहूंगा ताकि हमारे प्रदेश और देश के युवाओं को रोजगार देने एवं आत्मनिर्भर बनने हेतु हमारे युवा कामयाब हो सकें। मेरा तो यह मानना है कि जैसा कि प्रधान सेवक चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने, लोकल फॉर वोकल बने तो गायें पालें, भैंस पालें, बकरी पालें, मुर्गी पालें, मछली पालें और अपना आत्मनिर्भर व्यवसाय प्रारंभ करें और बाद में गाय पाल कर, पोल्ट्री पाल कर अंडे बेचें शहर में आकर ताकि वह आत्मनिर्भर बन सकें और गाय के गोबर से गैस बनाएं ताकि यह महंगी गैस का यह मामला खतम हो। साहब, गैस बहुत महंगी हो गयी है, 900 रुपये का सिलेंडर हो गया है, कोई भरा नहीं पा रहा है। वह उज्ज्वला योजना के जो सिलेंडर हैं, लोगों ने उनको ताक पर

(श्री अशोक)

रख दिये और लोगों ने उसको काट-काट कर सिगड़ी बना ली तो गोबर गैस बनाएं ताकि महंगी गैस से छुटकारा पाएं और गोबर गैस के बाद में दूध बेचें, छाछ बनाएं, छाछ को शहर में आकर बेचें, अंडे बेचें और यह पकोड़े तो आप मत तलना, बाकी यह सीधा सच्चा पशुपालकों को मजबूत करने का काम है।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कालूराम।

श्री अशोक (खण्डार): गाय का मूत्र बेचें। वह बाबा की दुकान पर बेच आएं और अपने आप को मजबूत बनाएं और अपने आपको आत्मनिर्भर बनाएं ताकि देश के युवाओं का सपना साकार हो सके और हमारे प्रधान सेवक यह चाहते हैं कि हर आदमी आत्मनिर्भर बने तो गाय का गोबर बेचें, दूध बेचें, गाय के गोबर से पेस्ट बनाएं, पेंट बनाएं और बाकी बचे जो मूत्र बेचें बाबा रामदेवजी को और बाकी आत्मनिर्भर बनें। जय हिंद, जय श्रीराम।

श्री सभापति: विराजिये-विराजिये।

श्री कालूराम (डग): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37- कृषि एवं मांग संख्या 39- पशुपालन एवं चिकित्सा पर आपने बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र में अभी 12 तारीख को जो ओलावृष्टि हुई, उससे मेरे क्षेत्र में सभी फसलें नष्ट हो गईं। भयंकर ओलावृष्टि एवं बारिश से गेहूं, धनिया, चना, सरसों और इसके साथ ईसबग़ोल, लहसुन की सारी फसल नष्ट हो चुकी है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि पटवारी लोग हड़ताल पर हैं इसलिए आप कलेक्टर को यह निर्देशित करें और कृषि विभाग के अधिकारी व बीमा कंपनी के अधिकारी जाकर फसल का सर्वे करें और जो किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन किसानों का मुआवजा व प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत उनको क्लेम दिलाये जाएं क्योंकि किसानों की हालत बहुत खराब है। हमारे क्षेत्र में पहले भी अल्प बारिश हुई थी। अल्प बारिश के कारण मैंने पहले भी आपको अवगत कराया था। मैं कृषि मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने उसके लिए कलेक्टर को पाबंद कराया और मेरे क्षेत्र में सर्वे करवाकर पूरे विधान सभा क्षेत्र में जो मुआवजा पास करवाया, बाकी वह मुआवजा दिलवाने की आप कृपा करें, इसकी आप घोषणा करें कि जल्दी से

(श्री कालूराम)

जल्दी किसानों को मुआवजा मिले और फसल बीमा का क्लेम मिले क्योंकि एस.बी.आई. जो बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी द्वारा अभी तक किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया गया है। पिछले वर्ष का बीमा क्लेम भी अभी बाकी है और इस वर्ष जो नुकसान हुआ है, उसका किसानों का बीमा क्लेम दिया जाए और फसल का मुआवजा भी दिलवाया जाए।

किसानों की क्षेत्र में हालत बहुत ही खराब है। यहां पर यदि बिजली मंत्रीजी बैठे हों तो बिजली मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं, ऊर्जा मंत्रीजी, क्योंकि किसानों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं और बिलों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। यह फ्लेट रेट पर बिल दिये जा रहे हैं जो किसान को बिल उनको मीटर के आधार पर यह बिल मिलने चाहिए, वह बिल उनको फ्लेट रेट से बिजली अधिकारी वहां पर बैठकर, बिल भर दिये जाते हैं और अनाप-शनाप एक-एक साल के बीस-बीस हजार रुपये, तीस-तीस हजार रुपये बिल के आते हैं तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बिल में भी सुधार किया जाए।

कृषि उपज मंडी में हमारी कृषि उपज मंडी डग को गौण मंडी से स्वतंत्र मंडी के लिए आपने पिछले बजट में यह घोषणा की थी। बाकी अभी तक कृषि उपज मंडी में कोई काम शुरू नहीं हुआ है और कृषि उपज मंडी में होने वाली सड़कें, मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन कृषि उपज मंडियां हैं, भवानी मंडी, डग और चौमहला, इनमें जो राजस्व प्राप्त हुआ है, दो साल में अभी एक भी काम स्वीकृत नहीं हुआ है तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि उपज मंडी में किसानों के लिए कृषि उपज मंडी से धान लाने के लिए मंडी तक सड़कों को जोड़ा जाए। यह छोटी-छोटी सड़कें हैं। एक किलोमीटर या आधा किलोमीटर की जो सड़कें हैं, उनको जोड़ा जाए।

एम.एस.पी. के बारे में मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंन्द्र मोदीजी ने, आज हमारे कई साथियों ने यह कहा है कि यह तीन काले कानून लेकर आये हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रधान मंत्रीजी ने 2013-14 में जो गेहूं का भाव 1,400 रुपये प्रति क्विंटल था, उसको बढ़ाकर 1,975 रुपये प्रति क्विंटल आज किया है। हमारे चने का भाव 3,100 रुपये था, उसको बढ़ाकर आज 5,100 रुपये किया है। मूंग का भाव 4,500 रुपया था, उसको बढ़ाकर 7,100 रुपया किया है।

(श्री कालूराम)

तुअर का भाव 4,300 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये किया है। ज्वार का भाव 1,520 रुपये से बढ़ाकर 2,600 किया है। धान का भाव 1,310 से बढ़ाकर 1,800 रुपये किया है। इस प्रकार से प्रधान मंत्रीजी किसान की आय को दुगुनी करने में लग रहे हैं।

प्रधान मंत्रीजी ने जो योजना चलाई और यह जो तीन बिल लेकर आये हैं, किसान कृषि उपज मंडी में ही पहले अपना माल बेच सकता था मगर जो किसान को इस बिल में छूट मिली है, उससे किसान स्वतंत्र हो गया है। हर आदमी, एक पेन बनाने वाला आदमी भी अपने पेन की कीमत निर्धारित करता है, बाकी किसान अपना मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता तो इस बिल के माध्यम से किसान अपने क्षेत्र में जाकर, अपनी कहीं पर भी, चाहे मंडी में, चाहे बाजार में, चाहे बाहर भी अपना माल बेच सकेगा इसलिए यह बिल बहुत ही अच्छा बिल है, इस बिल का विरोध नहीं करना चाहिए।

मैं आपसे यह मांग करना चाहता हूं कि पशुपालन में हमारे क्षेत्र में पशुपालन के ऊपर भी कोई किसानों को छोटे-छोटे कुटीर उद्योग के हिसाब से, पशुपालन के डेयरी के हिसाब से आपको ऋण देना चाहिए क्योंकि किसानों की स्थिति बहुत ही खराब है।

पानी के बारे में निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में अल्प बारिश के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण पानी की भयंकर समस्या है। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में कहीं पर भी एक बड़ा बाँध बनाया जाए ताकि उस बाँध के द्वारा किसानों को पानी मिल सकेगा।

नरेगा के तहत जो होने वाली तारबंदी, जो किसान की फसलें यह रोजड़ा या आवारा पशु नष्ट कर देते हैं तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि तारबंदी कराई जाए ताकि सम्पूर्ण किसान अपनी फसल को ले सकें। एक और बात, इस नरेगा को खेती से जोड़ा जाए क्योंकि अगर नरेगा को अपन खेती से जोड़ेंगे तो किसानों को इसका फायदा मिलेगा। नरेगा में लाखों, करोड़ों रुपये आते हैं, वह वैसा अपन कई कच्चा काम करवाते हैं तो वह बहकर चला जाता है, मिट्टी और उसका कोई फायदा नहीं मिलता है।

किसानों के लिये कोई पक्का निर्माण कार्य कराया जाए, जैसे फार्म पोंड हैं या जैसे मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि सरकार कुआं निर्माण करवाती

(श्री कालूराम)

है तो हमारे राजस्थान में भी किसानों के कूप निर्माण करवाने चाहिए ताकि किसानों को इसके साथ मजदूरी भी मिलेगी और किसानों के कूप निर्माण भी होंगे। नरेगा के तहत आने वाले कामों में किसानों को जोड़ना चाहिए।

इसके अलावा, हमारे क्षेत्र में किसान की स्थिति बहुत खराब है तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए किसान की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए और पिछले वर्ष में सहकारी के माध्यम से आपने घोषणा की थी कि किसानों को भी अवधिपार ऋण दिया जाएगा, पर अभी तक उन किसानों को ऋण नहीं मिला है और कई किसानों के पुराने जो खाते ओवरड्यू हो रखे हैं, भूमि विकास बैंक में कई किसानों के खाते ओवरड्यू हुए हैं, उन लोगों की मृत्यु हो गयी। उनके दस-दस, बीस-बीस लाख रुपये हो गये। उनको एकमुश्त समझौता करके मूल ऋण में ही ऋण की माफी की जाए। किसानों की समस्याओं को देखते हुए आप तुरंत किसानों के खाते में मुआवजा डलवाएं और कृषि उपज मण्डी से आने वाली सुविधाएं किसानों को दी जाएं तथा हमारे केन्द्र की जो स्कीमें हैं, वह किसान को मिलनी चाहिए।

आपने किसान कल्याण कोष बनाया था, उसके तहत भी अभी तक भी कोई फायदा नहीं मिल रहा है और आपने किसानों को पेंशन की योजना की बात कही थी कि प्रत्येक किसान को पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, मगर देखने में यह आ रहा है कि किसानों के लिये राजस्थान में अभी तक कोई पेंशन योजना शुरू नहीं की गयी है। मैं चाहता हूं कि किसानों को पेंशन योजना से जोड़ा जाए और उनको पेंशन दी जाए तथा जो आपने पेंशन में सिंचित जमीन चार बीघा और आठ बीघा असिंचित भूमि कर रखी है, इसको हटाकर सम्पूर्ण किसानों को इस पेंशन का फायदा मिलना चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: विराजिए। श्री चेतन चौधरी।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मांग संख्या 37 - कृषि पर मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय सभापति महोदय, गांधीजी का यह कहना था कि भारत गांवों में बसता है और जब भारत आजाद हुआ तो 75 फीसदी आबादी खेती-बाड़ी पर निर्भर थी और 60 परसेंट हमारी जी.डी.पी. में खेती का योगदान था। आज जब इतने सालों बाद आजादी के 60 परसेंट खेती पर

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

निर्भर है, लेकिन खेती का जी.डी.पी. के अंदर योगदान मात्र 18 परसेंट रहा है लेकिन, गंभीरता से मेरा यह मानना है कि अगर भारत को आत्मनिर्भर कोई बनाता है तो वह भारत का किसान बनाता है, भारत की खेती बनाती है, खेती करने वाले लोग बनाते हैं।

मुख्य मंत्रीजी ने अभी जो बजट पेश किया, उसके अंदर कृषि का अगली बार से एक अलग नया बजट हो, उसके लिये मैं साधुवाद देना चाहूंगा, मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि खेती-बाड़ी हमारी धुरी है और खेती एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से कितने ही सालों पहले यह कहा जाता था कि बाहर से गेहूं मंगाया जाता है। लाल रंग का एक गेहूं आता था, जिसको खाने से कुछ बीमारी होती थी। अगर उसमें कहीं न कहीं योगदान किसी ने किया है तो भारत के किसान ने किया है।

मुख्य मंत्रीजी ने बजट में मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा की, मैं उसके लिये उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, मैं उसके लिये भी उनका धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही साथ मैं मांग करना चाहूंगा कि मेरे डीडवाना के मोलासर में, जहां कृषि विज्ञान केन्द्र बना हुआ है, वहां पर कृषि महाविद्यालय की आने वाले वक्त में स्थापना की जाए। वहां पर एक नवीन कृषि महाविद्यालय बनाया जाए। इसके साथ ही साथ, मैं आपके समक्ष यह बात भी रखना चाहूंगा कि कृषि एक विषय के रूप में, एक सब्जैक्ट के रूप में स्कूल के पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। यह अत्यन्त जरूरी हो गया कि हमारे बच्चे, जो खेती की वैज्ञानिक पद्धति है, उसका ध्यान रखें, उसकी जानकारी रखें। आज से अब तक हमारी जो खेती-बाड़ी थी, वह परम्परागत जो ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पास आता था या हमारे पूर्वजों के पास था, वह आगे की तरफ चलता रहा और उसी के आधार पर हम खेती करते रहे लेकिन, अब वक्त बदल रहा है और उस वक्त के साथ हम चाहेंगे कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी बदलें।

माननीय सभापति महोदय, जब भी एक बात आती है कि खेती करने वाले किसानों को आप मुफ्त में बिजली दीजिए। यह बात रखें तो यह अक्सर सुनने में मिलता है कि बजट नहीं है, वित्त की प्रोब्लम है। मैं आपके समक्ष आर टी आई से निकाले हुए कुछ डेटा रखना चाह रहा हूं। 2006 से 2011 के दौरान जितने भी नये पॉवर जनरेटिंग प्लांट्स लगाये गये, कम से कम 50

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

मेगावाट और ज्यादा से ज्यादा 600 मेगावाट, यह बिजली उत्पादन की जो यूनिट्स लगायी गयी, इनके ऑपरेशन में या जब तक इनको कॉमर्शियल रन पर आ जाना चाहिए था, उसके अंदर डिले होता रहा और जो छोटे से छोटा डिले रहा, वह 32 दिन का था और ज्यादा से ज्यादा डिले था, वह 1,928 दिन का था। इस डिले की वजह से 5 लाख 48 हजार 403 यूनिट्स का लॉस राजस्थान के डिस्काम्स को सहना पड़ा और यह लॉस अगर रुपये के अंदर कन्वर्ट किया जाए, 3 रुपये एक यूनिट के हिसाब से राजस्थान के डिस्काम ने बाहर से बिजली खरीदी और उसका जो आंकड़ा आता है, वह लगभग 1600 करोड़ रुपये। अगर 1600 करोड़ रुपये, जो हमने अतिरिक्त दूसरे लोगों को दिये, वह हम अपने किसान भाइयों की तरफ दे दें तो उनको मुफ्त बिजली की जो बात हम लोग करते हैं, उसको कहीं न कहीं यथार्थ या सार्थक कर सकते हैं। मैं यह चाहूंगा कि इस तरह के जो पॉवर जनरेटिंग प्लांट्स डिले करते हैं वह कहीं न कहीं रूकें।

मेरे से पहले मेरे साथी, जो सामने वाली बैंच पर बैठे हुए हैं, वह बोल रहे थे कि मोदीजी ने बड़ा भारी काम किया। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एम.एस.पी. का बजट आधा कर दिया गया। आप बोल रहे हैं खरीद बढ़ गयी। जब बजट आधा कर दिया गया तो खरीद कहां बढ़ी? मेरे नागौर के अंदर इस बात की स्थिति बताता हूं। डीडवाना की मंडी में खरीद नहीं, खींवसर खरीद नहीं, नागौर खरीद नहीं, मेड़ता खरीद नहीं, लाडनूं खरीद नहीं, सिर्फ कुचामन और परबतसर, दो मंडियों में खरीद हुई।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): मैंने पूछा कि क्या कारण है, वहां खरीद क्यों नहीं हो रही? कलेक्टर साहब ने जानकारी दी कि दिल्ली के एफ.सी.आई. के अधिकारी आये और उन्होंने यह बोल दिया कि किसान का मूंग मत खरीद लेना, पेमेंट हम नहीं करने वाले हैं। इसके पीछे मैं आपको उदाहरण दूं कि जो दो बड़ी योजनाएं भारत सरकार की, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम एण्ड प्राइस सपोर्ट सिस्टम और दूसरा है प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, जिसको हम पी.एम. आशा भी बोलते हैं। पी.एम. आशा का जो बजट था पिछले वर्ष, वह 1500 करोड़ था, इस बार आपने 400 करोड़ कर दिया और जो यह एम.एस.आई.पी.एस. जो था, इसको आपने बजट 25 परसेंट

(श्री चेतन सिंह चौधरी)

कम कर दिया। जब आपने बजट कम कर दिया तो एम.एस.पी. पर खरीद कहां से होगी? यह लगातार आपकी सोची-समझी रणनीति है, जिसकी वजह से एलन मस्क नाम का आदमी, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे कमा रहा था, उससे ज्यादा अडाणी जी कमाने लग गये। मुझे इससे सरोकार नहीं कि अडाणी जी कमाएं, जितना मर्जी कमाएं लेकिन, कम से कम डीजल का जो दाम है, उसको तो कंट्रोल में रखें। आपके खुद के मंत्रीजी, धर्मेन्द्र प्रधान जी ने संसद में यह जवाब दिया कि साढ़े चार गुणा टैक्स बढ़ाये गये हैं और उस साढ़े चार गुणा टैक्स बढ़ाये जाने की वजह से 32 रुपये डीजल महंगा हो गया। खेती के लिये डीजल बहुत जरूरी इनपुट है। मेहरबानी करें, पैट्रोल बढ़ाते रहें, लेकिन डीजल पर कुछ रहम करो। किसान को डीजल रात-दिन चाहिए होता है लेकिन, यह बातें समझने की है, यह सोचने की है कि आप यह बोल दें कि हम किसान की आयु दुगुनी कर दें। दुगुनी कहीं नहीं हो रही है। किसान की आय लगातार घटती जा रही है। हमारे मोदीजी यह बोलते हैं कि Government has no business to do; to be in business. सरकार को कोई सरोकार नहीं है धंधे से, व्यापार से। अगर आप साढ़े चार गुणा टैक्स बढ़ा रहे हैं, तो आप व्यापार नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप व्यापारी की तरह व्यापार कर रहे हैं और किसान को लगातार लूटते जा रहे हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री रूपा राम।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना): मेरा आपसे निवेदन है कि एम.एस.पी. पर कुठाराघात न हों, किसान को एम.एस.पी., सस्ती बिजली, सस्ता ईंधन जैसे डीजल, खेती के लिये पानी उपलब्ध हो, ताकि किसान अपने परिवार को ठीक से चला सकें और भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आ सकें। अगर किसान ठीक रहा तो मेरा यह बहुत गंभीरता से मानना है और किसान अपने और अपने परिवार को पूरे सम्मान के साथ आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रूपा राम।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 पर बोलने का समय दिया, धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कृषि के बारे में, किसानों के बारे में कुछ जानकारियां दूंगा और मेरा अनुभव भी है। आज भी जैसे मुझ से पूर्व विद्वान वक्ताओं ने

(श्री रूपा राम)

खेती के बारे में कहा और खास तौर पर मुझ से पहले नागौर के ही मेरे भाई चेतन जी ने कहा कि खेती पुराने तरीके से, परम्परागत तरीके से हो रही है। इसमें आज भी राजस्थान का किसान, हिन्दुस्तान का किसान ज्यादातर बरसात पर निर्भर है और वही पुराने तरीके की खेती करता है। जब बरसात के दिन हों तो किसान लगातार आसमान की तरफ आशा भरी नजरों से देखता है, समय पर बारिश होगी, मैं खेत में जाऊंगा। मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे देश के लिए अन्न पैदा करके मैं परिश्रम करके और जो हो सकेगी सेवा करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, बरसात होते ही किसान खेत में जाता है, कुछ ऐसी लाइनें हैं जो मारवाड़ी में हैं लेकिन कहूंगा और वह परम्परागत तरीके से हल, बैल, जेली, गंडासी लेकर जाता है और गाता क्या है,

'लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे,

लगतोड़ो लाग्यो रे सावण भादवो',

तेजाजी के बारे में कहते हैं कि जेठ, आषाढ़, सावन, भादवा में बारिश आती है और जब यह बरसात आती है तो किसान खेत में जाता है और तेजा जी के ऊपर कहा है, तेजा जी हल लेकर, बैलों को लेकर खेत में गये। वह एक बहुत ही कठिन परिश्रम का समय आता है, माननीय सभापति महोदय,

'ओ जमीन रो धणी कि ओ जमीन रो धणी,

हाड़ मांस चाम गाल, खेत मं पसेव सींच,

लू, लपट, ठंड, मेह स सबै दांत भींच,

फाड़ चौक कर करै जोतणी कि बोवणी,

'ओ जमीन रो धणी कि ओ जमीन रो धणी,

बहुत ही कठोर परिश्रम होता है। तेजाजी या कोई भी आदमी, जब किसान खेत में काम करता है तो उसको चार बार खाना खाना पड़ता है, मैंने भी काम किया है तो उसमें एक लाइन फिर आती है। तेजाजी खेत में काम कर रहे थे, उनकी भाभी खाना देर से लायी तो वो क्या बोल रहे हैं,

'मोड़ी घणी जोर भातो लाई भावज म्हारी ए,

हो रांरी बंतवारिया पाछी बावड़ी,

भावज कैवे है, तेजा जी, मैं कोई घरां पोळी कोनी बैठी ही,

(श्री रूपा राम)

'मण पिस्यो मण पोयो कंवर तेजा रे,

मण को तो रांध्यो रे तळवा खीचड़ो,'

आखिर में तेजाजी की भावज के और उनके थोड़ी तकरार होती है तो तेजाजी की भावज कहती है,

'अतरो कांई गरव करियो कंवर तेजा रे,

कोई थाराली परण्योड़ी बैठी बाप कै,'

अब मैं किसानों के बारे में, खेती के बारे में...

एक माननीय सदस्य: आप तो गाते ही रहो।

श्री रूपा राम (मकराना): अब मेरा यही तो है। सभापति महोदय, मुझे 15-16 सदस्यों ने एक-एक मिनट दिया है कि हम काट लेंगे, अब जोड़-बाकी आपके हाथ में है और वे अपने आप ही कम कर देंगे और मुझे थोड़ा ज्यादा बोलने का...

श्री सभापति: आप 3 बज कर 47 मिनट पर विराज जाएंगे।

श्री रूपा राम (मकराना): सात मिनट ही बोलने दोगे क्या? सभापति महोदय, आप ज्यों ही कहोगे न बैठ जा, मैं बैठ जाऊंगा। थोड़ी दया तो रखना, हो सके एक-एक, दो-दो मिनट दे दें तो।

माननीय सभापति महोदय, किसान अपने कंधे पर हल लेकर अपने खेत में जाता है, खेत में जाते समय सबसे पहले बैल व हल के साथ में स्यावड़ माता को मनाता है। किसान आज भी स्यावड़ माता को मनाता है कि, हे स्यावड़ माता, हजार मण दीजे, मनै भी दीजे म्हारा पड़ोसी न भी दीजे और सब न दीजे, वो हजार मण दीजे और पड़ोसियों का भी ध्यान रखना।

माननीय सभापति महोदय, हमारे देश में पौराणिक काल से, द्वापर युग से भी भगवान श्रीकृष्ण के भाई दाऊजी हर समय अपने कंधों पर हल रखते थे, उनकी हलधर की पहचान थी, लोग देखते थे और हलधर को देखने के बाद में भगवान कृष्ण भी उनको इज्जत की नजर से देखते थे। इस समय अगर सबसे ज्यादा परेशान है तो किसान है। कहा जाता है कि किसान कर्ज में जन्म लेता है और कर्ज में ही मर जाता है।

माननीय कृषि मंत्री जी बैठे हैं, मेरी किसानों के पक्ष की पुरजोर बात है, वह यह है कि किसानों को अपने समय में जरूरत के हिसाब से बिजली

(श्री रूपा राम)

मिल जाए और लगातार बिजली मिल जाए और पावर में मिल जाए, आज भी अगर लगातार आठ-दस घंटे किसानों को बिजली मिल जाए, यह मेरा सुझाव है बाकी तो मैं बोलता रहूंगा, तो किसानों की हमारे जो नागौर जिले में है या मकराना में है, निश्चित रूप से उनकी जो मांग है, वो पूरी हो जाएगी।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे राज्य में राजस्थान के प्रत्येक जिले में आज भी परम्परागत खेती की जा रही है। अब समय आ गया है कि सरकारें किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जागरूक करें। माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार एवं कृषि मंत्री जी को सुझाव है कि आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा सुझाव देने जा रहा हैं, जिसमें आपकी सरकार अगर किसानों को यह नयी-नयी चीजें बताएं, नयी बात बताएं। प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक-एक मॉडल कृषि फार्म विकसित किया जाए। इस मॉडल कृषि फार्म में आधुनिक खेती से और स्थानीय जलवायु से सम्बन्धित सभी तरह की फसलें, सब्जियां और फलों के पेड़ उगाये जाएं और इस मॉडल कृषि फार्म में किसानों को उन्नत किस्म के बीजों से तैयार सब्जियां और फलों के बारे में जानकारी देकर जागरूक करें। श्रीमान् जी, मैं पहले भी सदन में अवगत करा चुका हूं कि आजकल सभी तरह की फसलों में, सब्जियों में, फलों में बहुत ही अधिक मात्रा में रासायनिक खाद देकर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग किया जाता है जिससे मनुष्य में कैंसर जैसे अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती जा रही हैं। मानव जीवन को इन बीमारियों से बचाने के लिए रसायनमुक्त खेती, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए गाय के गोबर और गाय के मूत्र के बारे में जैविक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग किया जाना चाहिए। गाय हमारी माता है। गाय एक ऐसा पशु है, गाय से पांच तरह के पंचगव्य, हमारे आयुर्वेद में पंचगव्य बताया गया है। मैं तो इस बात को कहते हुए गर्व महसूस करता हूं कि मैं सवेरे उठते ही आंवला, एलोवेरा, ग्वारपाठा और इसके साथ में गौ मूत्र लेता हूं, तुलसी के पत्ते भी लेता हूं और यह पिछले 15 साल से लेता हूं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपा राम (मकराना): इसलिए गाय माता के बारे में जैविक खाद एवं कीटनाशक का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

श्री सभापति: श्रीमती सफिया जुबेर।

श्री रूपा राम (मकराना): टाइम होग्यो कांई? साहब, दो मिनट तो और दे द्यो न। माननीय सभापति महोदय, म्हारै मं इयान की जिद है ही कोनी कि थे कहो और मैं बैठूं नहीं, अब मैं नहीं बैठूं तो ही खड़ो-खड़ो बोल तो कोनी पाऊं मैं। दो मिनट और दे द्यो, थे कहो तो बोल देऊं।

श्री सभापति: प्लीज विराजिए, सहयोग करें। ...(व्यवधान).

श्री रूपा राम (मकराना): इसी का एक उदाहरण है कि मेरे नागौर जिले में...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके बाद में जोराराम जी कुमावत को बोलना है तो मैं जोराराम जी कुमावत का टाइम आपको दे देता हूं, जोराराम जी कुमावत नहीं बोलेंगे फिर। आप अलाऊ कर रहे हैं क्या? विराजिए आप, सहयोग करिये। श्रीमती सफिया जुबेर। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37 पर आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूं।

'पैर हैं जिनके मिट्टी में, दोनों हाथ कुदाल पर रहते हैं,
सर्दी, गर्मी या फिर बारिश, सब-कुछ वे ही सहते हैं,
आसमान पर नजर हमेशा, वे आंधी-तूफां सब सहते हैं,
खेतों में हरियाली आये, दिन-रात लगे रहते हैं,
मेहनत कर वे अन्न उगाते, पेट सभी का भरते हैं,
वो है मसीहा मेहनत का, उनको किसान हम कहते हैं।'

हमारे भारत की संस्कृति में किसानों को बहुत महत्व दिया गया है अन्नदाता कहा गया है, मसीहा कहा गया है और निश्चित रूप से किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है कृषि क्योंकि यह न केवल लाखों-करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जी.डी.पी. के समग्र विकास में भी योगदान देती है। कृषि उन प्रमुख क्षेत्रों में से एक है जो उच्च सकल घरेलू उत्पाद के लिए जिम्मेदार है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कई देश इस पर निर्भर हैं। भारत के मामले में यह निश्चित रूप से कई परिवारों के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत है बल्कि मैं यह कहूंगा कि भारत की 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। जैसे कि हमारे शरीर में 70 प्रतिशत

(श्रीमती सफिया जुबेर)

पानी है, उसी प्रकार इस देश में 70 प्रतिशत किसान हैं। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो अनेक प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं और मुझे लगता है कि आज हमारे देश में जो दशा किसानों की है, तो अगर यह 70 प्रतिशत किसान बीमार हो गये या उनका कोई नुकसान करने की बात किसी ने सोची है, जो सोची है केन्द्र सरकार ने, तो मुझे लगता है यह देश आर्थिक रूप से और सामाजिक तौर से बहुत ही कमजोर हो जाएगा। केन्द्र सरकार यह जो काला बिल लेकर आयी है, जिसमें किसानों को खतम करने की बात कही गयी है तो मुझे लगता है यह देश खतम करने की बात कर रहे हैं और राष्ट्र के खिलाफ जाने की बात यह बी.जे.पी. की सरकार केन्द्र में कर रही है।

अब बात करें हम खेती-बाड़ी की तो मुझे लगता है कि बहुत साल हो गए, लेकिन हमने ऑर्गेनिक फॉर्मिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारा किसान शिक्षित नहीं है। वह इसका महत्व नहीं समझ पा रहा है। वह यूरिया और डीएपी के भरोसे ही अपनी खेती-बाड़ी में लगा रहता है। इस पर सरकार सब्सिडी भी देती है। यूरिया, डीएपी से ज्यादा फायदा उन फैक्ट्रियों को है, जहां यह बनता है। किसानों को मुझे लगता नहीं कि इसका कोई फायदा भी मिलता है बल्कि पिछली सरकार के टाइम तो मुझे ध्यान है कि यूरिया पर भी कालाबाजारी हो रही थी। बीजेपी की सरकार के समय थानों में यूरिया बांटा गया था। वहां कई जगहों पर लाठी चार्ज भी हुआ था। हालांकि इस बार भी हमारे अलवर जिले में प्याज के बीज में कालाबाजारी हुई। जब मंत्री जी को इसके बारे में सूचना दी गई तो मंत्री जी ने कमेटी गठित करके पूरी जांच कराई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एक्शन भी लिया। इसके लिए मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देती हूं।

अब बात करें अलवर जिले की तो वहां मेवात का बहुत बड़ा क्षेत्र है। वहां सिर्फ खेती-बाड़ी करते हैं क्योंकि वहां शिक्षा है नहीं। इस बार लगभग एक लाख बीघा प्याज बोई गई है। एक लाख बीघा का मतलब है कि 20 लाख किलो बीज प्याज का खरीदा गया। प्याज एक ऐसी चीज है जो रुलाती है, कभी खुशी के आंसू और कभी दुःख के आंसू। पिछले 2 सालों से तो प्याज का भाव अच्छा रहा है। किसानों ने अच्छा कमाया है इसलिए इस बार बहुत अधिक प्याज लगाई गई है लेकिन दुःख की बात यह है कि अगर नुकसान

(श्रीमती सफिया जुबेर)

हुआ तो अलवर जिले में प्याज की फसल का कोई बीमा नहीं होता। बीमा कंपनियों का यह कहना है कि इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है। बीमा है तो उन 15 जिलों में है जहां प्याज की खेती होती नहीं है लेकिन अलवर में इसका कोई बीमा नहीं है। मैं मंत्री जी से चाहूंगी कि अलवर जिले में भी प्याज की फसल का बीमा कराने की कृपा करें।

इसके अलावा अगर हम बात करें मंडी की तो मुझे धन्यवाद देना पड़ेगा हमारे मुख्य मंत्री जी का कि उन्होंने रामगढ़ में एक मंडी दी है, एक मंडी को क्रमोन्नत किया है लेकिन यह जो केन्द्र सरकार का काला बिल आया है उसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा फुल स्टॉप लग गया है। किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी जान भी गंवा रहे हैं। उन्होंने झौंपड़ियां तान ली हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें निश्चित रूप से जीत हासिल होगी और यह बिल केन्द्रीय सरकार वापस लेगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंडियों में एक बार गई तो देखने में मिला कि वहां 50 साल पुराने जो 50 किलो के बाट थे, उनसे प्याजों को तौला जा रहा था। यह बड़ी खेद की बात है। जमाना कहां पहुंच गया। नियम कायदे में है कि इलेक्ट्रोनिक वेइंग मशीन होनी चाहिए। कैमरेज होने चाहिए लेकिन वहां कुछ नहीं था। एक-एक किसान एक-एक बोरी पर कम से कम 60 रुपये का लोस खा रहा था। यह लोस जा कहां रहा है? पल्लेदारों के पैसे भी किसानों से लिए जा रहे थे। मंत्री जी, इन मंडियों पर ध्यान दीजिए। मंडी एक प्लेटफॉर्म है किसानों के लिए जहां वह फसल बेचते हैं और परेशानी के समय वहीं से उनको पैसा भी एडवांस में मिलता है। इस तरह की अव्यवस्थाएं अगर मंडियों में रहेंगी तो किसान को बचाने वाला मुझे लगता है कि कोई नहीं रहेगा।

मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस बार घोषणा की है कि वह किसानों के लिए अलग से एक बजट लाएंगे तो मुझे लगता है कि अब किसानों के अच्छे दिन आएंगे। खास तौर पर महिलाओं के लिए अच्छे दिन आएंगे क्योंकि लगभग 90 प्रतिशत किसान हमारी महिलाएं हैं। पुरुष तो ज्यादा काम नहीं करते। खेत जोत देते हैं, बाकी सारा काम हमारी महिलाएं ही करती हैं।

श्री सभापति: 2 मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): बहुत कम पुरुष काम करते हैं। 10 परसेंट में हो आप लोग।

(श्रीमती सफिया जुबेर)

माननीय सभापति महोदय, जो सब्सिडी की बात है तो मुझे लगता है कि पुराना ढर्रा चला आ रहा है। दरांती पर भी सब्सिडी है। अब दरांती जैसी 30 रुपये की चीज पर भी सरकार को सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं है। नए नियम बनने चाहिए। सब्सिडीज की प्रोपर मानिटरिंग होनी चाहिए। प्रोपर तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए।

अब हम बात करें पशुओं की तो यह सही है कि पिछली सरकार और इस सरकार, हमारी कांग्रेस की सरकार ने, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आंकड़ों की बात करेंगे तो जो जानवरों का टीकाकरण था, पिछली सरकार ने 2 करोड़ 94 लाख किया था। अब 8 करोड़ 73 लाख हो चुका है। नवीन भवन निर्माण थे तो 90 भवनों की स्वीकृति दी थी और हमने 388 भवनों की स्वीकृति की है।

पशु धन सहायक भर्ती में हमने लोगों को नौकरियां दी हैं। पिछली सरकार ने कोई नौकरी नहीं दी थी। जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी तो पशुओं का इलाज फ्री किया गया था। फ्री दवाई दी गई थी। हालांकि पशु कोई वोट नहीं देते हैं। हम कांग्रेसी वोट की राजनीति नहीं करते हैं। उस प्रकार की भावना बीजेपी की है कि कुछ भी करो लेकिन सरकार बनाओ। चाहे हॉर्स ट्रेडिंग करो चाहे काऊ ट्रेडिंग करो। इस बार मुख्य मंत्री जी ने बजट में 102 एम्बुलेंस की बहुत बड़ी घोषणा की है जिसके माध्यम से अगर कोई जानवर बीमार है तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। वही जाकर के उनका इलाज कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि यह किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है वरना इतने बड़े-बड़े जानवरों को किसान लोग उठाकर कहां तक लेकर जाएंगे जिनके पास खुद के पैसे नहीं होते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं चाहूंगी कि मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें कि आज की तारीख में गांवों में लोगों के घर का खर्च दूध बेचने से निकल रहा है। महिलाएं सुबह 4 बजे उठकर के सानी करती हैं। दूध निकालती है। सारा काम ही करती हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): दूध का भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना ही चाहिए।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): 25 रुपये किलो में दूध बिक रहा है। महिलाओं की मेहनत का उनको फल नहीं मिल रहा है। मैं चाहूंगी कि इस बारे में भी ध्यान दिया जाए। एंड में बस 4-5 लाइन,

'मुझे वह भले कहते रहें मैं कृषि प्रधान हूं,
देखो यह चिथड़े पहने हुए मैं ही हिन्दुस्तान हूं।
जाति, कर्म और धर्म से बस मैं किसान हूं,
हर नुमाइश में मिलूंगा अब मैं चिथड़े पहने हुए
कल भले ही शान था पर आज मैं कंगाल हूं।
पेट भर रहा हूं देश का पर अब परेशान हूं,
मुझे वह भले कहते रहें, मैं कृषि प्रधान हूं।
चिथड़ों में लिपटा हुआ मैं आज का हिन्दुस्तान हूं।
धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जोराराम कुमावत।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): सभापति महोदय, मुझे कृषि और पशुपालन की मांग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, पहले कृषि को सबसे उत्तम माना जाता था। कहावत थी, 'उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और निम्न नौकरी' लेकिन अब उलटा हो गया है। किसान खेती को छोड़ रहे हैं।

मैं मेरे क्षेत्र पाली, जालौर और सिरोही की बात करूंगा। वहां सबसे कम बरसात होती है। किसान परिवार खेती को छोड़कर के अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। मारवाड़ के किसानों की जीवन रेखा कहे जाने वाले जवाई बाँध पर किसानों का जीवन निर्भर है। इस बाँध से पाली और जालौर जिले के 57 गांवों के किसानों की 38,670 हैक्टेयर भूमि सिंचित होती है। यह बाँध बरसात आधारित है। 10 वर्ष में एक बार भरता है। ज्यादातर खाली रहता है। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसानों के लिए उपयोगी बाँध है। यह ज्यादातर खाली रहता है इसलिए कमांड क्षेत्र के जो किसान हैं उनकी उपज हो नहीं पाती है। वह किसान ज्यादातर खेती नहीं होने से बेरोजगार हो जाते हैं और धीरे-धीरे करके वह वहां से पलायन कर जाते हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर के बसते हैं।

(श्री जोराराम कुमावत)

पिछली सरकार ने 2017-18 में साबरमती बेसिन का अधिशेष जल जो गुजरात बहकर व्यर्थ जा रहा था, उस पानी को जवाई बाँध में लाने के लिए जवाई बाँध पुनर्भरण योजना बनाई थी। इसकी लागत 6500 करोड़ थी। वहां से सुरंग और पाइप लाइन के माध्यम से जवाई बाँध में पानी लाना था लेकिन सरकार बदल गई और वर्तमान सरकार ने वह योजना ठंडे बस्ते में डाल दी है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों की जीवन रेखा, मारवाड़ क्षेत्र की जीवन रेखा जवाई बाँध की उस पुनर्भरण योजना को त्वरित गति से लागू किया जाए। इससे सिर्फ सुमेरपुर को ही फायदा नहीं होगा बल्कि पाली, जालौर व सिरोही के सभी किसानों को फायदा होगा।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जवाई बाँध से पानी ले जाने की खूब सारी योजनाएं बन रही हैं। पहले भी 4 योजनाएं बनीं। अभी भी संयम जी ने एक योजना और बना दी, शिवंगज के 71 गांवों को पानी देने के लिए। पानी ले जाने के लिए आप योजनाएं बनाओ, लेकिन पहले पानी लाने की योजना तो बनाओ। वहां का किसान मृत अवस्था में है। किसानों की स्थिति खराब हो रही है। पहले जवाई में पानी लाने की योजना बनाओ। जवाई में पानी लाओ और फिर ले जाने की योजना बनाओ तो कोई तकलीफ नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, सेही बाँध की सुरंग को चौड़ी करने के लिए पिछले वर्ष मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी लेकिन वह घोषणा अभी पूरी नहीं हुई है और अभी तक उसके टेंडर भी नहीं हुए हैं। किसी तरह का काम चालू नहीं हुआ है। आप सरकार को निर्देशित करें कि उस योजना पर काम करना चालू करे। किसानों के लिए वह योजना फायदेमंद है।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, मैं सुमेरपुर कृषि मंडी की बात करूं कि वहां की डीएलसी दरें राजस्थान की अन्य मंडियों से ज्यादा हैं। कृषि मंडी के बाहर जो क्षेत्र है, सामने वाला क्षेत्र है, वहां कॉमर्शियल क्षेत्र है, वहां की डीएलसी भी 900 से 1200 रुपये पर वर्ग फीट है और सुमेरपुर मंडी परिसर में 4800 रुपये पर वर्ग फीट है तो वहां के किसान और व्यापारी जब दुकानों का क्रय-विक्रय करते हैं तो वे रजिस्ट्री नहीं करवाकर, पंजीयन नहीं करवाकर,

(श्री जोराराम कुमावत)

एग्रीमेंट पर ही दुकानों का क्रय-विक्रय करते हैं, जिससे राज्य सरकार की राजस्व हानि होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आसपास के क्षेत्र की समानांतर दरों पर सुमेरपुर कृषि उपज मंडी की डीएलसी दर तय करें। अभी वर्तमान में यह ज्यादा है, इसको कम करने का श्रम करें। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं पशुपालन की बात करूं तो मेरे पाली, जालौर और सिरोही क्षेत्र में ज्यादातर अकाल पड़ता रहता है। वहां के पशुपालकों को ज्यादातर दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है। वहां के रेबारी समाज के और अन्य जातियों के पशुपालक एमपी में धार, झाबुआ, नीमच, मंदसौर, रतलाम और अन्य क्षेत्रों में जाते हैं। वहां पशुपालकों पर कई तरह के हमले होते हैं। वहां के डेरों पर उनके साथ मारपीट होती है। उनके पशु, भेड़-बकरियां उठाकर वहां के शक्तिशाली लोग ले जाते हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि उन पशुपालकों को लाइटवेट बंदूक का लाइसेंस और अन्य हथियारों के लाइसेंस दिए जाएं जिससे वे अपनी आत्मरक्षा कर सकें और वहां जाकर अपना जीवनयापन कर सकें। यह निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में अभी वर्तमान में 14 पशु चिकित्सकों के पद रिक्त हैं और बजट में पिछली साल घोषणा की थी सरकार ने कि प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर एक पशु चिकित्सालय खोला जाएगा तो उनमें से एक भी पशु चिकित्सालय अभी तक वहां नहीं खुला है। मैं आपके मार्फत सरकार और माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जल्दी से जल्दी इसे खोलने की व्यवस्था करें। इसी निवेदन के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री अमित चाचाण (नोहर): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 37 और 39 पर बोलने का अवसर दिया। आज कृषि का विषय पूरे देश में ज्वलंत मुद्दा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आज यह चर्चा की जा रही है। हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। कृषि के माध्यम से पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है। सदियों से किसानों को अन्नदाता, किसानों को भगवान और किसानों को पालनहार कहा गया है। कांग्रेस पार्टी की सरकार

(श्री अमित चाचाण)

जब-जब भी सत्ता में आई उन्होंने सदैव किसान को भगवान और गरीब को गणेश मानते हुए कार्य किया है। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत ने भी जब-जब मुख्य मंत्री का पद सँभाला और अपने बजट भाषणों में किसान की महत्वपूर्ण भूमिका रखते हुए, उन पर फोकस करते हुए बजट घोषणाएं कीं। इस बार बजट में भी किसानों को आगे ले जाने के लिए अनेक घोषणाएं कीं। चाहे हम इसमें बात करें, अलग से कृषि बजट पेश करने की बात करें, चाहे हम कृषक कल्याण कोष की बात करें, चाहे हम मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना लागू करने की बात करें, चाहे हम 200 करोड़ रुपये के मिनी फूड पार्क बनाने की बात करें या एक महत्वपूर्ण कृषि विद्युत वितरण कम्पनी अलग से बनाने की बात करें, ये महत्वपूर्ण घोषणाएं मुख्य मंत्रीजी ने कीं। बिजली पर सब्सिडी जो पूर्व में 12 हजार करोड़ रुपये दी जा रही थी, अब आगामी वर्ष में वह 16 हजार करोड़ रुपये सरकार द्वारा वहन की जाएगी। कृषि उपभोक्ताओं का बिजली बिल जो एक माह में आया करता था, वह आगामी समय में दो माह में आया करेगा।

माननीय सभापति महोदय, आज पूरे देश का अन्नदाता और किसान पार्टीबाजी से ऊपर उठकर, जाति और धर्म से ऊपर उठकर दिल्ली के चारों तरफ बैठा हुआ है। भाजपा का दोहरा चरित्र सबके सामने आया। भाजपा की कथनी और करनी सबके सामने आई। आज भाजपा के नेता, इसका दबी जुबान से समर्थन तो करते हैं, लेकिन जब वे धरातल पर जाते हैं, जब गांव में जाते हैं तो एक भी भाजपा का नेता उसके सदुपयोग नहीं बता पाता, उसकी उपयोगिता नहीं बता पाता, यह बहुत बड़ी कमी की बात है। आज जब ये दबी जुबान से इसका समर्थन करते हैं तो हमें बात याद आती है, जब पूर्व बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने कहा था,

राजा बोला रात है, रानी बोली रात है,

मंत्री बोले रात है, संतरी बोले रात है

लेकिन यह सुबह-सुबह की बात है।

माननीय सभापति महोदय, आज यह सिर्फ भाजपा के नेता अपने मुखिया के दबाव में उनके डर के कारण इन किसान विरोधी बिलों का समर्थन कर रहे हैं लेकिन ये सब जानते हैं कि जिस तरह से ये गांव में जाते हैं तो किस तरह से किसानों का विरोध का सामना करना पड़ता है, ये किसी से

(श्री अमित चाचाण)

छिपा हुआ नहीं है। मैं तो इस आदोलन में जिन किसानों ने शहादत दी, आज अपनी तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। वहीं अहंकार में डूबे घमंड में डूबे, देश का मुखिया, उन किसानों के प्रति एक शब्द नहीं निकाल पाता। मैं कहना चाहता हूं कि घमंड तो रावण का भी नहीं चला था और आने वाले 2024 के लोक सभा चुनाव में ये किसान ही बताएंगे कि जब-जब किसान बोला है, राजसिंहासन डोला है। भाजपा की कथनी और करनी का फर्क बताएगा क्योंकि इन्होंने सदैव मुंह में राम और बगल में छुरी रखकर काम किया है। देश को पूंजीपति घरानों के इशारों पर बेचने का काम कर रहे हैं। आज जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की बात हो, चाहे देश के लोकतंत्र को खतम करने की बात हो, ये तरह-तरह की बातें करते आ रहे हैं। आज देश के विभिन्न राज्यों में चंद विधायकों के जमीर और ईमान खरीदकर और उनको केन्द्रीय एजेंसियों से डराकर सत्ता परितर्वन करने का काम किया। आज हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस आम किसान, मजदूर के दिल में बैठी हुई है, क्योंकि कांग्रेस जब-जब भी सत्ता में आई है, सदैव 36 बिरादरी का मान और सम्मान करने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि किसान सदैव विपरीत परिस्थितियों में काम करता है। आज हम देखते हैं कि जिस तरह से वृक्षों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, बढ़ते प्रदूषण के कारण वर्षा का अभाव रहता है, लेकिन किसान उसमें खेती करता है।

माननीय सभापति महोदय, गत दिनों 9 मार्च की मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं कि 2 दर्जन से अधिक गांवों में भयंकर ओलावृष्टि हुई और किसान की फसल उसकी आंखों के सामने देखते-देखते चौपट हो गई। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बीमा कम्पनियां काफी अनियमितताएं बरतती हैं। जब किसान फार्म भरता है, उसके बाद जो उनको आवेदन पत्र दिया जाता है लेकिन वह दो महीने बाद उनको वापस लौटा दिया जाता है कि इसमें विभिन्न प्रकार की कमियां हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि जब भी इस तरह की कोई ओलावृष्टि हो, अतिवृष्टि हो, कुछ भी आपदाएं हों, आप प्रशासन को तुरंत कहें, चाहे वह कृषि विभाग हो, चाहे राजस्व विभाग हो, वे किसान को बताकर पूरी पूर्ति उस फार्म

(श्री अमित चाचाण)

में करवाएं जिससे किसान को उसका नुकसान नहीं पहुंचे और उसका पूरा मुआवजा मिले।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बात करता हूं पशुपालन की। मुख्य मंत्रीजी ने 108 की तर्ज पर 102 एम्बुलेंस चलाने का काम किया। मुख्य मंत्रीजी ने सदैव गाय को गौ माता माना। भाजपा की तरह से वोट बैंक न मानते हुए उन्होंने गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने की बात की और बिजली दरें अघरेलू दरें लागू होती थीं उनको घरेलू दरें करने की बात भी की, इनका आधा बिल भी राजस्थान सरकार भरेगी, यह बहुत बड़ी घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जहां-जहां भी पशु स्वास्थ्य केन्द्र नहीं हैं, वहां स्वीकृत किए जाएं। पशु उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने का काम करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने आंदोलन करने वाले किसानों को, देश के अन्नदाता किसान को, जिसे भगवान कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ से इन्होंने जो संज्ञा दी, परजीवी की, आंदोलनजीवी की, भाषणजीवी की, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। ऐसे भाजपा नेताओं के खिलाफ जिन्होंने किसान को, अन्नदाता को, भगवान का और पूरे देश का अपमान करने का काम किया है, मैं एक बार पुन: आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से इनको कहना चाहता हूं कि जो तीन विधेयक हम सबने मिलकर यहां पारित किए थे, आप भी अपने मुखिया से कहिए कि उस पर दबाव न डालें और इन तीनों विधेयकों को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भिजवाएं, जिससे कि किसानों को राहत मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र नागर।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन पर मुझे बोलने का मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत महत्वपूर्ण मांग संख्या 37 जो कृषि से जुड़ी हुई है उस पर चर्चा हो रही है। लगभग 70 परसेंट जनता गांवों में निवास करती है और आज यह पूरा देश कृषि प्रधान देश के रूप में जाना

(श्री नरेन्द्र नागर)

जाता है। वर्तमान में जिस प्रकार से कृषि के हालात में जो बदलाव हुआ है पूर्व में जिस प्रकार से खेती होती थी, आज से लगभग 20 से 30 साल पूर्व की बात करें तो जैविक खेती होती थी। रासायनिक खाद का बिलकुल भी उपयोग नहीं होता था। धीरे-धीरे जब रासायनिक खाद का उपयोग होने लगा, किसान रासायनिक खाद लेने से कतराते थे, पर चूंकि डेमो के रूप में व्यापारी द्वारा उस रासायनिक खाद का उपयोग किसानों को करने के लिए दिया जाता था और अच्छी पैदावार धीरे-धीरे होने लगी तो किसान जैविक खेती से रासायनिक खेती से जुड़े। अच्छा खाद और कीटनाशक दवाएं डालकर अच्छी उपज किसान प्राप्त करने लगा लेकिन धीरे-धीरे जिस प्रकार से उसका प्रभाव बढ़ता रहा और वर्तमान की हम बात करें तो धीरे-धीरे जिस प्रकार की स्थिति जिसके बारे में कहते थे कि एक बंजर जमीन होती थी, उस जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ता था।

(16.09 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

अब आज के समय में जो अच्छी किस्म की जमीन होती है, वह धीरे-धीरे बंजर बनती जा रही है और वर्तमान में धीरे-धीरे जिस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है और खाद्यान्न का जिस प्रकार से पूरा देश उपयोग करता है, पहले इस देश में गेहूं का उत्पादन नहीं होता था, गेहूं के लिए कहा जाता था कि त्योहारों में गेहूं खाने को मिलता था। किसी के घर में मेहमान आते थे तो उसे गेहूं की रोटी खिलायी जाती थी। उसके अलावा गेहूं की रोटी नहीं मिलती थी। वर्तमान में खाद्यान्न भी बढ़ा है और उत्पादन में भी निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है, इसके लिए मैं देश और प्रदेश की सरकारों की प्रशंसा करना चाहता हूं, पर जिस प्रकार से इसका दुष्प्रभाव बढ़ा है, वर्तमान में जितनी डिजीज्ड है, जितनी बीमारियां हैं, वास्तव में आज हम जिस प्रकार के खाद्यान्न खा रहे हैं, उनमें किस प्रकार के कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, वह चिंता की बात है। किसान को स्वयं भी पता है कि वह कितना कीटनाशक और दवाइयों का उपयोग कर रहा है, फिर भी वह उनका उपयोग करता है और इसीलिए आज कैंसर जैसी महामारी बढ़ी है। यह वास्तव में एक चिंता का विषय है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राजस्थान सरकार, चूंकि मैं खुद एक किसान हूं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, जैविक खेती पर हमें ध्यान

(श्री नरेन्द्र नागर)

देना चाहिए। मैं आपको यह प्रैक्टिकली कह रहा हूं। मैं स्वयं के लिए कह रहा हूं। सभापति महोदय, जब कभी चने की फसल होती है और खरीफ में सोयाबीन की फसल होती है तो उनमें कीटनाशकों का बहुत बड़ी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। एक स्प्रे में वह फसल पूरी तरह से पक जाती है, तैयार हो जाती है।

मंत्री महोदय, पहली बार मैंने कीटनाशकों की जगह जैविक खाद का उपयोग किया और वास्तव में कीट का प्रकोप बिलकुल नहीं रहा। धीरे-धीरे इस प्रकार से जो हमारे बीज और अनुसंधान केन्द्र हैं, उनमें जैविक खेती के लिए हम किसानों को प्रोत्साहित करें और उन्हें जानकारी दें। मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूं, मैंने जो यह प्रयोग किया तो बहुत सारे किसानों से भी वही करने के लिए कहता हूं। ज्यादा अंतर नहीं है जैविक खाद और कीटनाशक रसायनों में। लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। कीटनाशकों से नुकसान भी होता था, इसलिए हम खुद कतराते थे, क्योंकि उसका जो चारा होता था, उसे हम जानवरों को खिलाते थे। जब गौमाता या भैंस उस चारे को खाती हैं तो उस दूध का भी हम उपयोग करते हैं जो आगे भी नुकसान पहुंचाता है। वास्तव में इससे बहुत नुकसान होता है। किसानों को हमें जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। धीरे-धीरे सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही, किसानों की अच्छी पैदावार हो और कृषि की लागत कम आये, उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

जहां तक सिंचाई से जुड़ा मामला है, सिंचाई का रकबा बढ़े। चूंकि वर्तमान में बहुत-सी जगहों पर ऐसी स्थिति है, किसान चाहते हुए भी अपनी जमीन सिंचित नहीं कर सकता। वहां उसका वाटर लेवल इतना डाउन है कि वह कितने ही प्रयास करे, कितनी ही ड्रिलिंग कराए, होल कराए, उसके लिए सम्भव नहीं हो पाता। हमारे यहां खुद की खेती है, वहां पर 500-600 फीट पर होल किया जाता है, उसके बाद भी वह होल एक-दो साल ही चलता है। उसके बाद वह बिलकुल खतम हो जाता है। फिर दूसरा लगाना पड़ता है, जिससे खेती का खर्चा बढ़ जाता है। उसमें जो मोटर होती है, वह बड़ी होती है, उसमें फिर बड़ा बिजली कनेक्शन लेना पड़ता है। बिजली कनेक्शन की यह स्थिति है कि आसानी से कृषि का कनेक्शन मिलता नहीं है। सभापति महोदय, यदि किसान को कृषि का कनेक्शन न मिले तो वह खेती नहीं कर सकता।

(श्री नरेन्द्र नागर)

इस प्रकार खेती में खर्चा कम हो। किसानों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि उन्हें साल में मात्र तीन महीने- अक्टूबर, नवम्बर, दिसम्बर और ज्यादा से ज्यादा जनवरी, चार महीने कृषि के लिए बिजली की जरूरत पड़ती है। कृषि मंत्री जी ऊर्जा मंत्री जी से भी बात करें और किसी टैम्परेरी व्यवस्था के तहत किसानों को बिजली के अस्थायी कनेक्शन दें ताकि उनकी खेती की लागत कम हो और उन्हें लाभ मिल सके।

साथ ही, हम बात करते हैं कि भावों में बहुत अंतर होता है, कभी-कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि बहुत बड़ा मार्जिन रहता है। पिछली बार जैसे चने की फसल थी तो बाजार में 3800 रुपये का भाव था और समर्थन मूल्य पिछले साल 4875 रुपये था, इस साल समर्थन मूल्य 5100 रुपये हुआ, इस बार तो फिर भी बराबर है, पर कहीं-कहीं जब बहुत बड़ा अंतर होता है और एमएसपी की हम बात करें तो एमएसपी की व्यवस्था हम बैठा नहीं पाते...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): जैसे अभी उप-नेता कह रहे थे कि केन्द्र सरकार द्वारा जो टारगेट तय किये गये, उससे 50 परसेंट टारगेट हम अचीव कर पाये। उससे ज्यादा हम तौल नहीं पाये, क्योंकि हमारे पास संसाधन इतने नहीं हैं। इस प्रकार की स्थिति है कि हम चाहते हुए भी..

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): मैं पशुपालन पर एक निवेदन कर दूं।

श्री सभापति: जल्दी समाप्त करें आप।

श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): हम भले ही अस्पताल वगैरह क्रमोन्नत कम करें, पर जितनी भी पोस्ट हैं, उन्हें भरें। खेती से जुड़ा मामला पशुपालकों का है। खेती के साथ पशुपालन भी किसान करेगा तो दूध के रूप में उसे आय का साधन अर्जित होगा। इससे उसकी वास्तव में आय बढ़ेगी। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): सभापति महोदय, मांग संख्या 37 - कृषि एवं मांग संख्या 39 पशुपालन पर मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आज जिस मांग पर चर्चा हो रही है वह भारत की आत्मा, विश्व का पेट भरने वाले, सर्दी, गर्मी, बरसात में खून-पसीने से कड़ी मेहनत करने वाले उन महान किसानों पर चर्चा है।

(श्री पदमाराम)

सभापति महोदय, पिछले 110-115 दिनों से भारत के किसान दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे हैं। आज हम यहां किसानों की बात कर रहे हैं और सेंटर के माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी को एक मिनट का भी समय नहीं है, क्योंकि पाँच राज्यों के चुनाव आ गये। उन्हें चुनाव जीतना है। उन्हें किसानों की कुछ नहीं पड़ी है, 260 किसानों की मौत हो गयी है। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए इनके पास एक मिनट का भी समय नहीं है। ये कह रहे हैं ये तीन काले कानून किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी कोई गेहूं की बात कर रहा है, कोई चने की बात कर रहा है, डीजल की किसी ने बात नहीं की। उसने भी तो रेटें बढ़ायी हैं। उसकी भी तो बात करनी चाहिए। डीजल की रेट 62 रुपये थी। उस समय पूरा भारत हिल गया था। ''बहुत हो गयी महंगाई की मार, अबकी बार मोदी सरकार।'' अब सौ का आंकड़ा पार हो गया है, पर कोई बात करने वाला नहीं। किसानों को डीजल में सब्सिडी मिल रही थी, उसे बंद कर दिया। उसके बारे में कोई बात करने वाला नहीं। क्यों बात करे, कौन पूछने वाला है, कौन बात करने वाला है? माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि किसान को सब्सिडी मिलती है, परंतु किसान कड़ी मेहनत करके अपनी उपज पैदा करता है, फिर भी उसे मजदूरी तक नहीं मिलती है। अत: मेरा सरकार से निवेदन है कि कृषि को नरेगा में जोड़ा जाए और नरेगा में टांकों या बैरियों में मेड़बंदी के जो पैसे देते हैं, वे पैसे यदि किसानों की तारबंदी के लिए दिये जाएं तो किसानों को बहुत बड़ा सम्बल मिलेगा।

आज गोमाता की बात करने वाले हैं, गोशालाओं की बात करने वाले हैं। आज हर गांव में 400-500 की तादाद में आवारा पशु बनकर बैल, गायों के बछड़े घूम रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। जो गोशाला है, वह एक उद्योग बनकर रह गया है। दुधारू पशु जो दूध देते हों और अच्छी कीमत देने वाले हों, वे ही गोशाला में रखे जाते हैं। आवारा पशुओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। हमारे यहां एक गोशाला है। गांव वालों ने चंदा वगैरह इकट्ठा करके पूरा खर्चा देने की बात कर ली, परंतु ये जो आवारा बैल घूम रहे हैं जिनके कारण एक्सीडेंट्स होते हैं और कई लोगों की जानें चली जाती हैं, उन्हें उन्होंने उस गोशाला में रखने से मना कर दिया।

सभापति महोदय, कृषि मंत्री जी विराजमान हैं। मेरा आपके माध्यम से उनसे निवेदन है कि गौशालाओं को आप अनुदान देते हैं, उसी के तहत यदि

(श्री पदमाराम)

कोई किसान पशुपालन का काम कर रहा है, उसे गवर्नमेंट के रूल के आधार पर अनुदान दिया जाए तो किसान को सम्बल मिलेगा और पशुपालन के अन्दर उनकी रूचि भी बढ़ेगी। आज जो जैविक खेती की बात कर हैं तो यदि किसान पशु पालेगा, वहां से जो खाद पैदा होगी, वह अमृत के रूप में पैदा होगी और उससे पैदा होने वाला अनाज आज आम आदमी के जो तरह-तरह की बीमारियां हैं उनका निवारण करने के लिए काम आएगा।

मेरा निवेदन है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने किसान प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन के गठन और उसके लिए दो हजार करोड़ रुपये की घोषणा की। सभापति महोदय, मैं आपके तहत माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि किसान प्रोड्यूसर आर्गेनाइजेशन जो आप बना रहे हैं उसमें सरकार की तरफ से अध्यक्ष और उसके मैम्बरों की घोषणा करें जिससे किसानों को सम्बल मिलेगा, वे लगन से काम करेंगे और आगे बढ़कर किसान की जो फसल है उसका उचित मूल्य मिलेगा।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि माननीय गहलोत साहब ने जो ऋण माफी, 20 लाख 89 हजार किसानों का ऋण माफ किया। उस समय 2017 के अन्दर नोटबंदी हुई तो कोआपरेटिव बैंक की वसूली नहीं हुई 2018 के अन्दर वसुन्धरा सरकार ने ऋण माफी की तो उस समय भी वसूली नहीं हुई और 2019 के अन्दर कांग्रेस सरकार ने ऋण माफी की, उस समय भी वसूली नहीं हुई। उस समय किसानों से वसूली नहीं हुई और वसूली नहीं होने के कारण किसानों के जो भी पैसे रहे उनको डिफॉल्टर मान लिया जिसके कारण से आज उनके खाते में एक पैसा भी नहीं है फिर भी उनको ऋण नहीं मिल रहा है। सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय, सरकार से निवेदन है कि 2017 में जिस किसान का ऋण बकाया था उसको अवधिपार नहीं मानकर उसको ऋण दिलाने की कृपा करें।

दूसरा मैं मेरे क्षेत्र की बात निवेदन कर रहा हूं कि नर्मदा नहर बन गई, उसके अन्दर पाइपों के करोड़ों रुपये खर्च कर दिए, पम्पसैट लगा दिए परन्तु आज दिन तक सिस्टम स्टार्ट नहीं हुआ है। सिस्टम स्टार्ट नहीं होने के कारण नहर के नजदीक जितने भी खेत हैं वे किसान 24 घंटे पानी ले रहे हैं

(श्री पदमाराम)

और उसके बाद में आगे वाले, टेल में रहने वाले किसान हैं उनको पानी नहीं मिलता है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि वह उन अधिकारियों को पाबंद करे और पाइप लाइन से सबको 5-10-15 घंटे दो, पर सभी किसानों को समय पर पानी मिले। एक किसान को 24 घंटे पानी मिल रहा है और एक किसान को हफ्ते में दो बार मिल रहा है तो उसकी फसल बर्बाद हो रही है तो मेरा निवेदन है कि आप उसको सहयोग करें।

दूसरा निवेदन है जो अमीन साहब ने कहा, मैं भी निवेदन कर रहा हूं कि पालतू पशु गाय, ऊँट, भेड़, बकरी है जो किसान की आत्मा है, किसान उससे अपना भरण-पोषण करते हैं। बरसात नहीं होती है, अकाल पड़ जाता है उस समय उसकी जीविका उपार्जन का वह साधन है। ऊँट को राज्य पशु बना दिया और अब ऊँट की सुध लेने वाला कोई नहीं है और ऊँट एक आवारा पशु बन गया है। खेतों में किसानों की वह फसल खा रहा है, दर-दर की ठोकरें खाता है। सभी ऊंटों के पॉव लग गई, खुजली का रोग लग गया और सरकार ने टैग लगा दिए कि इसको अनुदान मिलेगा या बीमा मिलेगा, पर कुछ भी नहीं मिलने का है, पशु दर-दर की ठोकरें खा रहा है।

पहले बैलों से खेती होती है, बैलों की बिक्री होती थी, पर आज उसके ऊपर प्रतिबन्ध है। कोई भी आदमी, हिन्दुवाद की बात करने वाला कोई भी आदमी अपनी छाती पर हाथ रखकर कह दे कि वह कितने बछड़ों को चरा रहा है, उसके घर में कितने बछड़े हैं और वह किस आधार पर काम कर रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा निवेदन है कि आवारा बैल हैं इनकी व्यवस्था सरकार करे। जहां भी गौशाला है उसके अन्दर पाबन्दी लगाए, एक आदेश निकाले कि आवारा पशु जिस भी गांव में घूम रहे हैं उनकी गोशाला वहां व्यवस्था करे।

सभापति महोदय, मेरा आपके मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन है कि जिस प्रकार से गौशाला को अनुदान दे रहे हैं उसी प्रकार किसानों को भी पशुपालन के रूप में अनुदान दें। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नारायण सिंह जी देवल।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग

(श्री नारायण सिंह देवल)

संख्या 37 और 39 पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। आज सवेरे से ही हमारे कई विद्वान साथियों ने अपने बहुमूल्य विचार यहां दिए। मैं भी इस बारे में कहना चाहूंगा कि अच्छी खेती कैसे हो, इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि अच्छा बीज कैसे मिले और बीज की क्वालिटी अच्छी हो, उन्नत किस्म का बीज मिले। सभापति महोदय, सरकार किसानों को केवल 30 से 35 परसेंट तक का ही बीज उपलब्ध करवा रही है। इसके अलावा कई बार वह अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता है। किसान उस सरकारी बीज को अपनी जमीन में बो तो देता है परन्तु जब फसल निकलती है तब वह माथे पर हाथ रखकर बैठा रहता है। सभापति महोदय, अधिकांश किसान, करीब 60 से 65 परसेंट किसान बीज बाजार से खरीदता है और मेरी मांग है कि अच्छी क्वालिटी का बीज खरीदने के लिए सरकार किसानों को डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में सब्सिडी दे तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा ताकि किसान अच्छी क्वालिटी का बीज खरीद सके। अच्छी फसल कैसे हो, इसके लिए जमीन कितनी उपजाऊ है, इसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि कौनसी जमीन में कौनसा बीज डालने और कितना खाद डालने से उस किसान की फसल अच्छी होगी, उसके लिए देश के प्रधान मंत्री जी ने 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने की घोषणा की थी। 2015 से 2022 तक, अभी तक 22 करोड़ 43 लाख सॉइल हैल्थ कार्ड बन गए हैं, एक हजार करोड़ से ज्यादा इसमें खर्चा हुआ है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे जालौर जिले के अन्दर भी यह मिट्टी परीक्षण की प्रयोगशाला है, पर वहां सारे पद खाली हैं जिसके कारण से वह प्रयोगशाला बन्द है। हमारे जो नमूने हैं, वे नमूने पाली या जोधपुर जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा समय की भी बर्बादी होती है और धन की बर्बादी होती है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर 10 लाख 72 हजार हैक्टेयर कृषि भूमि ऐसी है जो अनउपजाऊ है। उसमें सोडियम सल्फेट बहुत ज्यादा मात्रा में है। इस सोडियम सल्फेट की मात्रा को ठीक कैसे करें, इसके लिए सरकार जिप्सम दे रही है। उस जिप्सम में दो हैक्टेयर तक ही अनुदान देती है और दो हैक्टेयर में करीब 500 किलो जिप्सम मिलता है, लगभग 10 कट्टे, जो किसानों की जरूरत के हिसाब से न के बराबर है। माननीय सभापति महोदय,

(श्री नारायण सिंह देवल)

मैं मंत्री महोदय का ध्यान भी आकर्षित करना चाहूंगा कि 2020-21 में आपको जिप्सम एक लाख छह हजार मैट्रिक टन वितरित करना था, पर आप मात्र 35 हजार 500 मैट्रिक टन ही वितरित कर पा रहे हो तो इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, अभी स्थिति यह हो गई है कि देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, आधुनिकता की होड़ की तरफ हम जा रहे हैं, कृषि भूमि पर कंकर-पत्थर और रेत के महल बनाए जा रहे हैं। 2019-20 के बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बढ़ाने की बात कही गई जिसमें तीन जिलों, बांसवाड़ा, टोंक और सिरोही के 20 हजार किसानों को लेने की बात कही और अभी इस बजट में 15 जिलों के अन्दर 36 हजार किसानों को लाभान्वित करने की बात की गई है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जालौर जिले को भी इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना के तहत जोड़ें।

माननीय सभापति महोदय, खेती के लिए तीसरा सबसे बड़ा आधार है कि उसको पूरा पानी-बिजली मिले। हमारे राजस्थान में जो स्थिति है उसमें बिजली छह घंटे दे रहे हैं और उसमें भी बार-बार ट्रिपिंग होती है। हमारे जालौर जिले का पड़ोसी राज्य गुजरात है वहां करीब 8 घंटे बिजली दी जा रही है और हमारे जालौर जिले में लम्बे समय से किसान खेती के लिए माही-बजाज के पानी की मांग कर रहे हैं तो सरकार इसकी गंभीरता को समझते हुए, इसके लिए ठोस प्रस्ताव बनाए और जालौर जिले को माही-बजाज परियोजना से भी जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, खेती का चौथा आधार है, कृषि उपज का विपणन और किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य। इसके लिए राजस्थान में मंडियां, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसिसिंग यूनिट लगाने चाहिए। हमारे जालौर जिले में जीरा और ईसबगोल बहुत अधिक मात्रा में होता है और सारा जीरा और ईसबगोल, गुजरात में बिकने के लिए जाता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप जालौर के अंदर प्रोसेसिंग सेन्टर खोलें ताकि सरकार को राजस्व भी ज्यादा मिले, जालौर जिले के रानीवाड़ा के अंदर टमाटर, आलू, अनार, खजूर, पपीते की बम्पर पैदावार होती है तो इसके लिए भंडारण की सुविधा हो और फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी खोली जाए ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।

(श्री नारायण सिंह देवल)

मानननीय सभापति महोदय, 2020-21 के बजट में सरकार ने कहा था कि 12500 फार्म पौण्ड बनाएंगे और अभी तक फार्म पौण्ड बने हैं 3100, इसी तरह से 35 हजार सोलर पम्प लगाने की घोषणा भी की थी। मुझे कहते हुए खेद है कि इसमें से मात्र लगाये हैं 5 हजार 100, और इसी तरह से 2019-2020 के बजट में 100 कस्टम हायरिंग केन्द्र खोलने की घोषणा की थी, आज दिन तक एक भी कस्टम हायरिंग केन्द्र नहीं खुला है। इसी तरह से खेती को बढ़ावा देने के लिए जो हमारे कृषि यंत्र हैं, चाहे थ्रेशर हो, रोटावेटर हो, सीड ड्रिल हो, रीपर हो, उनकी अनुदान राशि को बढाया जाए, जिले में टार्गेट ज्यादा किये जाएं, नहीं तो काश्तकार तीन-तीन, चार-चार साल तक इंतजार करता है। इसमें बजट ज्यादा दिया जाए।

मेरे से पहले कई माननीय सदस्यों ने कहा कि खेती को नरेगा से जोड़ा जाए। 2016 के अंदर टांका, मेड़बंदी, कैटल शेड के लिए 3 लाख 48 हजार रुपये की स्वीकृति दी जाती थी और अभी इस बजट में 2020-2021 में वह 3 लाख 48 हजार की जगह 2 लाख रुपये कर दी है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): इन चार सालों में महंगाई बढ़ी है। माननीय सभापति महोदय, दो मिनट में मेरी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें, आपका समय हो गया है।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): दो मिनट में मैं मेरी बात खतम करूंगा। हमारे सत्ता पक्ष के साथी कह रहे हैं कि देश के प्रधान मंत्री जी ने कुछ नहीं किया, देश आजाद होने के बाद 50 साल कांग्रेस की सरकार ने शासन किया है, देश के प्रधान मंत्री जी ने फसल बीमा के तहत अभी तक 47 हजार 600 करोड़ से अधिक की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफर की है। आप 50 साल का हिसाब लेकर आ जाओ और इसकी तुलना में आपने 5 परसेंट राशि नहीं दी, खाली वाहवाही ले रहे हो, पानी पी-पीकर प्रधान मंत्री जी को कोस रहे हो।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): एक मिनट, माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जालौर में कृषि महाविद्यालय खोला जाए और रानीवाड़ा की जो कृषि मंडी है, वहां पर सारी पोस्ट खाली हैं, जालौर में उप निदेशक, कृषि विस्तार और भीनमाल के अंदर सारी पोस्ट खाली हैं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): उनको तुरन्त प्रभाव से भरा जाए, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या-37 कृषि एवं मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। गांधी ने कहा था कि अगर भारत की शांतिपूर्ण और सच्ची प्रगति करनी है तो पैसे वाले यह समझ लें कि किसान में ही भारत की आत्मा बसती है। महोदय, किसान जिंदा रहेगा तो भारत का हर नागरिक जिंदा रहेगा, किसान ही है जो अपनी धरती मां का सीना चीरकर फसल बोता है और अनाज पैदा करता है और हम सब उस अनाज का उपभोग करते हैं।

सभापति महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि सदन में 146 सदस्य हैं, उसमें से 141 माननीय सदस्यों ने अपना व्यवसाय कृषि लिखा है, लेकिन मैं समझता हूं, धरती पुत्र किसान बहुत कम मिलेंगे, किसान की परिभाषा वही है, जो सुबह से शाम तक अपने खेत में काम करता है, रात-दिन मेहनत करता है, अनाज पैदा करता है और धरती पुत्र किसान कहलाता है। इसलिए, हम सब पक्ष व विपक्ष के साथियों को मिलकर इस पर राजनीति नहीं करके, किसानों के हित के लिए सोचना चाहिए कि किसान का भला कैसे हो।

सभापति महोदय, हम गांवों से आते हैं और गांवों में चौपाल पर जब जाते हैं तो किसान खेती पर चर्चा करते हैं और बोलते हैं कि किसान खेती करता है, पैदावार करता है और किसान खेती करके, जब उसको बेचने के लिए बाजार में, मंडियों में जाता है तो उसको बेचने पर जो मूल्य मिलता है, उससे कहीं ज्यादा उस किसान को उस फसल को बोने में और काटने में, पैदावार पर खर्चा आ जाता है। इसलिए किसान खेती से दूर होता जा रहा है। हम सबको किसानों की भलाई के लिए सोचना चाहिए अन्यथा अगर किसान खेती छोड़ देंगे तो हम सबके सामने खाने-पीने की समस्या उत्पन्न हो जाएगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय

(श्री हाकम अली खां)

संचालित है। इसमें कुछ मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कृषि महाविद्यालय के लिए नियमानुसार 30 हैक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है, जो अभी तक इस महाविद्यालय को आबंटित नहीं हुई। अत मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि महाविद्यालय के सामने भेड़ फार्म की भूमि थी, उसे भेड़ फार्म ने अभी खाली कर दिया है तो आप वन विभाग से सम्पर्क करके वह जो भूमि है, जो भेड़ फार्म ने खाली की है, उसको महाविद्यालय को आबंटन करने की कृपा करें।

दूसरी एक समस्या है कि महाविद्यालय जहां संचालित है, वह घने बीहड़ के अंदर संचालित है और वहां छात्र और छात्राओं को आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। छात्राओं के लिए एक छात्रावास बना हुआ है, लेकिन उसकी क्षमता मात्र 44 सीटों की है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस छात्रावास की सीटें बढ़ाई जाएं, क्योंकि उसमें 100 छात्राएं अध्ययनरत हैं, इसलिए उसकी क्षमता बढ़ाई जाए।

सभापति महोदय, जैविक खेती का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है, अत: किसानों के जैविक उत्पादन को बाजार या मंडी में बेचने के लिए मंडी की प्रणाली को और सुदृढ़ किया जाए, ताकि किसान को जैविक उत्पादन का अच्छा मूल्य मिल सके व जैविक खेती को प्रोत्साहन मिलें।

राज्य में स्थापित अन्य केन्द्रों की तर्ज पर कृषि अनुसंधान केन्द्र, फतेहपुर पर सीड-हब बनाने का प्रावधान किया जाए, ताकि क्षेत्र के किसानों को उन्नत किस्म का गुणवत्तायुक्त बीज एक ही जगह पर मिल सके। फतेहपुर क्षेत्र के किसानों को हर वर्ष मौसम की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, सर्दी के मौसम में तापमान माइनस 5 चला जाता है और गर्मी के दिनों में तापमान 48 डिग्री सेन्टीग्रेड से अधिक पहुंच जाता है, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों को मौजूदा फसल आधारित कृषि में फसल उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है एवं आमदनी की अनिश्चितता बनी रहती है। अत: क्षेत्र के किसानों को समन्वित कृषि प्रणाली को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार को योजना बनाने पर फोकस करना चाहिए, जिससे मौसम के विपरीत परिस्थितियों में किसान को लगातार खेती के अलावा, पशुपालन, सब्जी, उत्पाद आदि में भी आत्मनिर्भरता बढ सके।

अब मैं पशुपालन पर बोलना चाहूंगा सभापति महोदय धन्यवाद देना

(श्री हाकम अली खां)

चाहता हूं हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री और कृषि मंत्री जी को कि प्रदेश की गोशालाओं और पशुपालकों को उनके घर पर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा शुरू करने की घोषणा की और गोशालाओं के जो बिजली के बिल कम करने की घोषणाएं की हैं, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

सभापति महोदय, वक्त का ध्यान रखते हुए अब मैं माननीय मंत्री महोदय का मेरे विधान सभा क्षेत्र की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के दो चिकित्सालय हैं फतेहपुर और रामगढ़, दोनों के ही भवन नहीं हैं, इनके भवन बनाए जाएं। इसी तरह 10 पशु चिकित्सालय हैं, उसमें से हरसावा बड़ा, डाबड़ी, ढांढण, तीनों गांवों में भवन नहीं बने हुए हैं और 24 पशु उप केन्द्र हैं, इनमें बाठोंद, बलोद छोटी, बलोद, भाकरां, गांगियासर, गोडिया बड़ा, कारंगा छोटा, मांडेला बड़ा, मडाठू बड़ी, नबीपुरा, पालस, ताकलसर, ठीमोली, टेढ़ी खोटया आदि सभी गांवों में भवन नहीं बने हुए हैं। इन सभी गांवों में भवन बनाने की कृपा करें और सभी केन्द्रों पर जो रिक्त पद हैं, उनको भरा जाए।

अंत में माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पिछले दिनों में मेरे फतेहपुर में एक भेड़ प्रजनन फार्म है, उसको बंद करने के आदेश किये थे। मैं माननीय मंत्री महोदय से मिला और मंत्री महोदय से आग्रह किया कि मंत्री महोदय वह जो केंद्र बना हुआ है वह बंद नहीं किया जाए, उसमें बहुत सारी अच्छी नस्लों की भेड़ और बकरी पैदा की जाती है तो मंत्री महोदय ने मेरी बात के ऊपर ध्यान देते हुए उस आदेश को वापस कराया और उस केंद्र को यथावत चालू रखने के जो आदेश दिए, उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देना चाहूंगा कि फतेहपुर की जनता की भावना और फतेहपुर ही नहीं आस पास के शहरों की सीकर, चूरू, झुंझुनू सब जिलों की जनता की भावनाओं को देखते हुए उस केन्द्र को चालू रखा, उसके लिए धन्यवाद। जय हिंद। जय जवान, जय किसान।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष (अनुपस्थित)। श्री बलवीर लूथरा।

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): सभापति महोदय, मांग संख्या-37 व 39 कृषि एवं पशुपालन पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, हमारे जिले श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ कृषि प्रधान जिले के रूप में जाने जाते हैं। इन दोनों जिलों में खेती के अलावा कोई जीवन यापन का साधन नहीं है। हमारे जिले में किसी भी प्रकार के उद्योग-धंधे नहीं हैं। सभी किसान, मजदूर, व्यापारी कृषि पर निर्भर हैं। सभापति महोदय, पिछले 2 सालों से विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में इस कांग्रेसी सरकार के शासन काल में डिग्गियों का कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किया गया है। लगभग 2,000 किसानों द्वारा पत्रावलियां ऑनलाइन जमा करवाई गई हैं, परंतु विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण किसान डिग्गियों का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। वित्तीय वर्ष 2020-21 में केवल अनुसूचित जाति वर्ग की मात्र 24 डिग्गियों का लक्ष्य आबंटित किया गया था जो कि बहुत कम है। वर्ष 2021-22 में कम से कम तीन हजार डिग्गियों का लक्ष्य आबंटित करने की व्यवस्था की जाए। कृषि विभाग द्वारा पाइप लाइन पर पीवीसी पाइप 35 रुपये प्रति मीटर, एचडीपीएफ 50 रुपये प्रति मीटर अधिकतम 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। अधिक दूरी तक पाइप ले जाने वाले किसानों को पूरा अनुदान नहीं मिल पाता है। इसलिए पाइपलाइन ले जाने वाले किसानों की अधिकतम सीमा कम से कम 3000 मीटर की जाए और पीवीसी व एचडीपीएफ अनुदान लागत के अनुसार बढ़ाया जाए ताकि किसान अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। इससे जल की भी बचत होगी।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में बहुत से खाले कच्चे हैं या फिर बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इससे पानी की छीजत बहुत ज्यादा होती है। कच्चे पड़े खालों को पक्का किया जाए एवं जो खाले जर्जर हो चुके हैं उन सब का सर्वे कराकर एक साथ नाकारा घोषित कर सभी खालों को पक्का किया जाए एवं किसानों द्वारा बनाई जाने वाली डिग्गियों पर अनुदान राशि बढ़ाकर शत-प्रतिशत की जाए। विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में 2 वर्ष पूर्व विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक-एक कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान दिया जा रहा था, परंतु पिछले 2 वर्ष में कस्टम हायरिंग सेंटर पर अनुदान नहीं दिया जा रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर पर पुनः अनुदान की प्रक्रिया चालू की जाए ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके। किसानों को सौर ऊर्जा कनेक्शन अधिक से अधिक दिए जाएं। पिछले 2 वर्षों में किसानों द्वारा की गई ऑनलाइन पत्रावलियों की स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण कृषक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जिन किसानों ने

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

विद्युत विभाग से कृषि कनेक्शन एप्लाई किए थे, वर्ष 2000 के बाद वाले किसानों को आज तक कृषि कनेक्शन नहीं दिए गए हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों के कृषि कनेक्शनों पर लगी रोक को तुरंत हटा कर प्रदेश के सभी किसानों को कृषि कनेक्शन दिए जाएं।

बरसात के मौसम में किसानों को अपनी फसल को ढकने के लिए मूवेबल थ्रेशिंग फ्लोर स्थानीय भाषा में जिसे तिरपाल कहा जाता है, अधिक से अधिक दिए जाएं ताकि बरसात के समय किसानों की फसल को खराब होने से बचाया जा सके।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों की संपूर्ण कर्जा माफी की जाए एवं प्रदेश के प्रत्येक किसान एवं मजदूर को वृद्धावस्था पेंशन देने की योजना शुरू की जाए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग करता हूं कि किसानों के कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाए। किसानों को अंतरराज्यीय भ्रमण करवाया जाए, कृषि की उन्नत तकनीक की जानकारी दी जाए। अनपढ़ किसान खेती को देखकर ही सीखते हैं। वर्तमान में अंतरराज्यीय कृषक भ्रमण योजना तो है मगर लागू नहीं होती है। कृषि विभाग से कृषि विभाग में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि भी बढ़ाई जाए। किसानों को प्रामाणिक व उन्नत किस्म के बीज नि:शुल्क दिए जाएं ताकि गरीब किसान उन्नत किस्म के बीज बो कर बढ़िया उत्पादन ले सकें। किसानों को रोजड़ों व आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए तारबंदी करने के लिए शत-प्रतिशत अनुदान दिया जाए। पर्यावरण व उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कृषि में रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों के अंधा-धुंध प्रयोग को कम करने के लिए जैविक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए एवं इस पर सौ परसेंट सहायता राशि दी जाए। जैविक खेती करने वाले किसानों को पुरस्कृत भी किया जाए। किसानों को खेत की मेड़ पर या खेत में कम या सघन घनत्व के वृक्षारोपण करने एवं नर्सरी विकास छोटी नर्सरी, बड़ी नर्सरी, हाईटेक नर्सरी की इकाई लागत पर 100% अनुदान दिया जाए।

हमारा श्रीगंगानगर जिला कृषि प्रधान जिला है। इस जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की महती आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीगंगानगर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं।

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

हमारा गंगानगर जिला किन्नू उत्पादन के लिए मशहूर जिला है। मैं गंगानगर जिले में एक किन्नू का प्रोसेसिंग प्लांट लगाये जाने की सरकार से मांग करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में रायसिंहनगर मंडी में एफसीआई का खरीद केंद्र नहीं है इससे किसानों को अपना गेहूं बेचने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बारदाना समय पर नहीं मिलता है। किसानों को गेहूं की फसल का भुगतान समय पर नहीं मिलता है। अतः सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से रायसिंहनगर में एफसीआई का खरीद केंद्र शुरू करने की मांग करता हूं। मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रायसिंहनगर में एफसीआई का खरीद केंद्र शुरू करवाया जाए।

सभापति महोदय, प्रदेश में पशुपालकों के पशुधन की सुरक्षा के लिए नि:शुल्क बीमा योजना लागू की जाए। प्रदेश में भारतीय नस्ल की गायों को पालने के लिए प्रोत्साहित कर एवं इनके ऊपर अतिरिक्त अनुदान देकर डेयरी फार्म खुलवाए जाएं। प्रत्येक पंचायत समिति पर नंदी शाला खोलने की सरकार द्वारा की गई घोषणा अनुसार शीघ्र ही प्रत्येक पंचायत समिति में नंदी शाला खोली जाए। पशुओं की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु नयी व आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएं। बेरोजगार एवं छोटे किसानों को मुर्गी, मछली व सूअर पालन के लिए प्रशिक्षित किया जाए। बेरोजगार युवकों एवं सीमांत किसानों को मछली पालन, मुर्गी पालन एवं सूअर पालन हेतु सौ परसेंट अनुदान देकर छोटे-छोटे फार्म खुलवाए जाएं, ताकि बेरोजगारों को रोजगार मिल सके एवं गरीब किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सके। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय मांग संख्या-37 कृषि, मांग संख्या-39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर माननीय मंत्री महोदय के जवाब देने और मांग संख्या-37 और 39 के पारण होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

श्री रूपाराम।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 37 व 39 पर विचार

श्री रूपाराम (जैसलमेर): सभापति महोदय, मांग संख्या-37 व 39 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मानव की उत्पत्ति के साथ-साथ ही शुरुआत में मनुष्य अपने खाने के लिए इधर-उधर भटका करता था। आवश्यकता आविष्कार की जननी है तो आवश्यकता के हिसाब से खेती करनी शुरू की। देश में आजादी से पहले संसाधन बहुत कम थे। या तो ऊंट से या बैल से और जो एकदम गरीब होता था जिसके पास ऊंट और बैल भी नहीं होता था तो घर के परिवार के एक दो आदमी आगे हल को खींचते थे और बाकी बीज बोते थे। इस प्रकार की खेती करते थे। शुरुआती एरिया के हिसाब से जो आवश्यकता थी बाजरा है, गेहूं है, जौ है, ऐसी खेती होती थी और कोई खेती नहीं होती थी।

देश आजाद हुआ, भारत सरकार और राज्य सरकार ने, भारत कृषि प्रधान देश तो था ही और 80% लोग गांवों में रहते थे और खेती और पशुपालन का काम समानांतर चलता था। जो खेती करता है वह पशु रखता ही है, कोई कम रखता है कोई ज्यादा रखता है, पर कोई भी किसान ऐसा नहीं है जिसके पास पशुधन नहीं हो तो दोनों को बढ़ावा देने के लिए समय की आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग योजनाएं आईं और लोगों ने उसका बैनिफिट लिया। जिस हिसाब से उद्योगपति और अन्य व्यवसायियों को फायदा मिला, उस हिसाब से किसान आगे बढ़ नहीं पाया पर खेती में सब्जियां, मसाला, मेडिसिनल प्लांट, अनाज अलग-अलग इस प्रकार की कई प्रकार की खेती आगे बढ़ी। इस मौके पर मैं, बजट के मामले में सब लोग पहले बोल चुके हैं, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। वर्तमान में जो बजट पेश किया गया, दोनों ही मांग पर, वह वर्तमान में स्टेट के रिसोर्सेज, ऊपर कर्जा, कोरोना की स्थिति, सब चीज को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने, मंत्री जी ने इन दोनों मांगों पर जो अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, दिया। उससे अधिक हो नहीं सकता, उससे अधिक संभव नहीं था।

(श्री रूपाराम)

मैं इस मौके पर कृषि के मामले में दो-चार सुझाव देना चाहूंगा। एक तो हमारे बाड़मेर और जैसलमेर में, राजस्थान में शायद और जगह तो नहीं होगी, हमारे यहां जमीन उपलब्ध है, अगर वह आबंटन की जाये। 1975 के बाद में आबंटन बंद है। उस वक्त कोई 16-17 वर्ष का था उसको जमीन आबंटन नहीं हो पाई और अभी वह 60 वर्ष के ऊपर उम्र होकर अभी भूमिहीन के रूप में ही ऊपर चला गया। अभी जहां उपलब्ध भूमि है, बारानी भूमि अधिकतर उपलब्ध है, तो उस आबंटन पर लगी रोक को हटाकर भूमिहीनों को जमीन देनी चाहिये। अभी राज्य में चाहे सरफेस वाटर हो, चाहे भूमिगत वाटर का जो पीने के लिये और खेती के लिये दोहन हो रहा है, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। एक दिन जीरो की स्थिति आ जायेगी। इसमें खेती ड्रिप और फव्वारे से ही हो, यह अनिवार्य कर देना चाहिये और इसके लिये किसान की एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की हालत नहीं है तो इसके लिये सरकार को किसी भी बजट में कटौती करके सभी किसानों को जितनी जमीन उपलब्ध है, या तो फ्री में या 90 परसेंट सब्सिडी देकर यह सुनिश्चित कर लें कि सभी फव्वारा और ड्रिप से ही खेती कर रहे हैं। इजराइल वगैरह में जो खेती होती है, वहां पानी अपन से कम है फिर भी वह तरीके से अच्छा कमा रहे हैं। अपन को भी इसकी एक साथ कार्य योजना बनाकर कर लेना चाहिये। आज बिजली की कमी है और अपन ने जो 3 से 5 एचपी सोलर सिस्टम का दिया है, हमारे वैस्टर्न राजस्थान जहां वाटर लेवल बहुत गहरा है, वहां पर ट्यूबवैल खेत के लिये हैं, वह शुरुआत ही 25 एचपी से होते हैं और 40-45 एचपी तक होते हैं। एरिये के हिसाब से वैस्टर्न राजस्थान या जहां वाटर लेवल गहरा है, बिजली नहीं होने से लोग उत्पादन ले नहीं पाते हैं तो वहां 25 से 30 एचपी का करते हुए जो भी एस्टीमेट कोस्ट आये, अनुदान दिया जाना चाहिये ताकि लोग उसका वास्तविक फायदा उठाएं। वैस्टर्न राजस्थान में कई जगह ऐसी हैं जहां जमीन में पानी तो है लेकिन वह खारा है, उसका उपयोग कुछ नहीं हो रहा है तो वह पानी भूमिगत पड़ा-पड़ा भी किसी काम का नहीं है तो खारे पानी से खेती क्या हो सकती है या उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट करके क्या हो सकती है, वह एक कार्य योजना बनाकर उसके लिये भी किसानों को गाइड करना चाहिये। सरकार उसमें अनुदान भी दे ताकि उस पानी का भी सदुपयोग हो। जैसलमेर जिले में लगभग 12 लाख हैक्टेयर में खेती होती है। हमारे यहां कृषि महाविद्यालय नहीं है। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां जैसलमेर में नहरी

(श्री रूपाराम)

क्षेत्र में लगभग तीन राज्यों के, राजस्थान के 22-23 जिलों के और हमारे यहां के लोकल किसान खेती करते हैं। वहां हर चीज का स्कोप है। मसाले की खेती हो सकती है, अनाज की होती ही है और मेडिसनल प्लांट एलोविरा वगैरह काफी अच्छा होते हैं, तो वहां जैविक खेती के लिये जिले को घोषित कराएं। आज कोविड 19 से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे पूरे विश्व में खाद्य पदार्थों पर, जिसमें पशु धन भी सम्मिलित है, उसमें जो दूध, दही, मांस वगैरह मिलते हैं, इन दोनों चीजों की आज विश्व में बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे कृषि महाविद्यालय खोला जाए। एक खडीन पद्धति है, हमारे उधर काफी जगह पूर्वजों ने बना रखे हैं। अपने राजस्थान में जमीन की स्टेटस को देखते हुए खडीन टेक्नोलोजी जहां पर भी लागू हो सकती है, तीन से चार इंच बरसात होने पर एक ही बरसात में पानी इकट्ठा होने पर गेहूं और चना, हमारे यहां लोग खडीन वाले खेती करते हैं, तो आज इतनी टेक्नोलॉजी डवलप हुई है तो पूरे राजस्थान में सर्वे करवा कर जहां भी संभव हो, एक इंच भी जमीन को छोड़े नहीं और उसके लिये किसान को अनुदान देकर उसको प्रोत्साहित करें ताकि वह खडीन डवलप करें तो एक ही बरसात में अपन जो पानी का दोहन करते हैं, उसकी बचत हो सकती है, किया जाना चाहिये।

पशुपालन के बारे में मैं कहना चाहूंगा। पशुओं की संख्या पूरे भारत में 2012 में करीब 51.21 करोड़ थी और अब 2019 की जो पशु गणना हुई उसमें 53.58 करोड़ है। करीब साढ़े चार परसेंट बढ़ी है। राजस्थान राज्य में 2012 में 5.77 करोड़ थी और अभी 5.68 हुई है, 1.61 परसेंट घटी है। यह संकेत ठीक नहीं है। हमारे यहां तो पहले भी, पूरे राजस्थान में होगा लेकिन मारवाड़ में कोई सगाई समारोह होते थे तो सबसे पहले पूछते थे कि उसके खेती की जमीन है या नहीं है। गायें कितनी हैं, बकरियां कितनी हैं, ऊँट, बाघेला है या नहीं है तो शुरुआत वहीं से होती थी। अच्छा आदमी वो ही है जिसके पास 100-50 गायें हों, भेड़ बकरियां हों, भैंसें हों, घोड़ा हो, इस प्रकार उसका स्टेटस तय होता था कि यह आदमी अच्छा है, जमींदार भी है और पशुपालन भी करता है। अब भेड़ के या बकरे के जो भी पैसे मिलते हैं, आजकल भेड़ और बकरी पालन इकोनॉमिकल वायबल है, फायदेमंद है। अभी जो राजस्थान के आंकड़े हैं वह 2012 के बाद में 2019 में जो पशु गणना हुई उसमें भेड़ें 13 परसेंट कम हुई हैं। बकरियां भी करीब 4 परसेंट कम हुई हैं।

(श्री रूपाराम)

गोवंश में बढ़ोतरी हुई है। सबसे ज्यादा सोचने का विषय है ऊँट प्रजाति 35 परसेंट कम हुई हैं। यह बहुत ही खतरनाक संकेत हैं। आज वैक्सीन ढूंढने के लिये पूरे विश्व के वैज्ञानिक खप गये। हमारे जैसलमेर में तत्कालीन प्रधान मंत्री राजीव गांधी साहब ओसेणा गांव में आये तो वहां उनको कुछ बुजुर्ग लोग मिले तो उनसे पूछा कि आपकी उम्र क्या है तो बुजुर्गों ने बताया कि मेरी 125 वर्ष है, किसी ने कहा 115 वर्ष है तो पूछा कि आपने कभी कोई दवाई वगैरह ली, तो कहा कि नहीं, हमारी उम्र में न तो कभी हमारा माथा दुखा, न बुखार आया, हम यह गोली लेना समझते ही नहीं है तो पूछा कि खाते क्या हो? तो कहा कि हम कुछ खाते ही नहीं हैं, तो जीते कैसे हो? हमारे ऊंटनियां हैं, ऊंटनियों पर जाते हैं, हमारी श्रीमती जी 1-2 किलो आटा साथ में देती हैं, 6 महीने में वापस आते हैं और एक डेढ़ किलो वापस देते हैं, आधा किलो खाते हैं। मतलब ऊंटनी का दूध सीधा ही मुंह में ही, तपेले की जरूरत ही नहीं और पी लेते थे और उनको वास्तव में खाने की आवश्यकता नहीं। पूरी उम्र ऊंटनियां चराना, ऊंटनी का दूध पीना, कोई रोग नहीं। उनको मच्छर खाये तो मच्छर मर जाये लेकिन उनको मलेरिया नहीं होता था।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रूपाराम (जैसलमेर): पशुधन के लिये मैं दो तीन सुझाव देना चाहूंगा। एक तो फेमिन रिलीफ कोड में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लघु और सीमांत किसान की शर्त लगा दी कि उन्हीं को, अपने अकाल तो हर दूसरे साल पड़ता है, यह आम पशुपालक के लिये किया जाना चाहिये। इंडिया में रिलीफ कोड में शायद संशोधन भी होगा। आम पशुपालक को अनुदान दिया जाये न कि लघु और सीमांत। बड़ा किसान होता है, जमीन ज्यादा है तो उसके पशुधन ज्यादा होता है। भेड़ बकरियों के लिये भी रिलीफ फंड में जब अकाल पड़ता है तो अनुदान देना चाहिये। ऊँट-ऊंटनी के लिये पहले टोरडिये के बचाव के लिये 20 हजार रुपये देते थे, वापस शुरू किया जाना चाहिये और इसको भी अकाल में अनुदान देना चाहिये, पहले नहीं है। आवारा पशुधन को चिह्नित करके प्रतिष्ठित गोशालाओं में गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की भी ड्यूटी लगाकर वह अकाल में पले, यह सुनिश्चित किया जाये। धन्यवाद।

(17.00 बजे)

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 और 39 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

भारत एक कृषि प्रधान देश है। साथ ही साथ हम सब भी इस बात को मानते हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने कहा कि 'वास्तव में भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है', लेकिन आज भी कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जब कई समस्याएं किसान के ऊपर आती हैं, कई आपदाएं किसान के ऊपर आती हैं तो किसान अपने आपको ठगा-सा महसूस करता है। हमारा किसान दिन-रात मेहनत करके, कृषि से पैदावार करके अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने का सपना संजोता है और आज हम देख रहे हैं कि नई तकनीक का जमाना है। कृषि में भी बदलाव हुआ है। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब जो देश के प्रधान मंत्री जी ने देखा है, उसमें भी हम लोगों ने नित नये आयाम स्थापित किये हैं और बहुत प्रगति की है, बहुत उन्नति की है। इन सब बातों के बावजूद भी आज हम देख रहे हैं कि डाक्टर का बेटा अपने बेटे को डाक्टर बनाने का ख्वाब देखता है। टीचर यह सोचता है कि मेरा बेटा अच्छा टीचर बने, वकील अपने बेटे को वकील बनाने का ख्वाब देखता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसान अपने बेटे को कभी भी किसान बनाने का ख्वाब नहीं देखता। आखिर इन हालातों के पीछे क्या कारण रहे? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। मैं लगातार सुन रही थी, मेरे पक्ष के बंधु बोल रहे थे, मेरे विपक्ष के बंधुओं ने भी कहा। जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे, ऐसा लग रहा था, मैं सुन रही थी कि जैसे जो कृषि बिल देश के प्रधान मंत्री जी किसान को मजबूत करने के लिए लाये हैं, किस तरह से उनके ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, ऐसा सुनने को मिल रहा था।

माननीय सभापति महोदय, कहने के लिए बातें बहुत सारी हैं। मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा, लेकिन क्या हम इस सदन में किसान की बात को उठाकर किसान को मजबूत करने की बात कर रहे हैं या मात्र वाहवाही लूटने के लिए यहां से भाषण देकर यह सोच लें कि हमारा किसान मजबूत हो गया, ऐसा कतई संभव नहीं है। आज हम कृषि क्षेत्र की बात करें, चाहे हमने कृषि अनुसंधान केंद्र खोले, लेकिन उन केंद्रों की हालत क्या है? हमने कृषि विश्वविद्यालय खोले, लेकिन उनकी आज हालत क्या है? चाहे हम कोटा की बात करें, चाहे हम जोधपुर की बात कर लें, जयपुर की बात कर लें, उसके

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

बावजूद भी आज जो स्थितियां बनी हुई हैं गांव के उस किसान को चाहे हमारा पशुपालक हो या चाहे किसान हो, उसको गांव के अंदर क्या सुविधाएं मिल रही हैं, यह हम सबकी आंखों के सामने है। एक वेटेरिनरी डाक्टर को ढूंढ़ने के लिए हमारा गांव का किसान सब-सेंटरों पर घूमता रहता है, हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर घूमता रहता है। कोटा हैडक्वार्टर की भी हम लोग बातचीत करें तो हमारे वहां पर इतना बड़ा हास्पिटल होने के बावजूद जो पशुओं की सोनोग्राफी होती है, उसकी मशीनें आये दिन खराब पड़ी रहती हैं। ये सब बातें मैंने पहले भी आपको बताने का निवेदन किया, लेकिन ऐसा लगता है कि हम बात यहां बोल दें और उसके बाद किसी तरह से कोई कार्यवाही न हो, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी चिंता की बात है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि देश में जिस तरह से कृषि को मजबूत करने के लिए, किसान को मजबूत करने के लिए काम किये गये, वे राजस्थान की धरती से ही शुरू हुए। चाहे हम मृदा परीक्षण कार्ड की बात करें, चाहे हमारी गवर्नमेंट ने किसान को विद्युत बिलों पर 833 रुपये की सब्सिडी देने का काम किया था, जिससे 5 एचपी से लेकर 7.5 एचपी की मोटर से किसानों को लाभ मिल रहा था। ये जो सब कुछ काम किये गये थे, ये लगातार 26 महीने से बंद पड़े हुए हैं और किसान को इनका कुछ फायदा नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि आज किसानों की क्या हालत हो रही है? किसानों के लगातार फोन आ रहे हैं। आज किसान को पानी चाहिए। मैं मानती हूं कि हमारी कुछ जगहों पर गेहूं की फसल कट रही है, लेकिन हम टेल क्षेत्र पर बैठे हुए हैं, वहां पर आज भी किसान पानी की मांग कर रहा था, तीन दिन पहले भी। एक तरफ तो किसान पानी की मांग कर रहा था और दूसरी तरफ बिजली विभाग वाले उनके ट्रांसफार्मरों को उठाकर ले जा रहे थे। हम किस राजस्थान की कल्पना कर रहे हैं, किस हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे हैं?

इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजस्थान के अंदर की हम बात करें, रामगढ़ अभयारण्य, जहां किसान हर सरकारी योजना से जूझ रहा है। आज केसीसी का लाभ उनको नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ, हम देखें, शुगर मिल, जो कि किसानों की लाइफ लाइन थी। हमारे यहां पर गन्ने का उत्पादन होता है, शुगर मिल बंद पड़ी है। हमारे वहां के किसान

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अनशन पर बैठे हैं। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगी कि आपने चार दिन पहले उनसे चर्चा भी की। उनको अनशन से उठाने का काम भी आपने किया, लेकिन क्या किसान के हित को देखते हुए हम उस शुगर मिल को चालू करने की बात नहीं कर सकते हैं?

(17.05 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

साथ ही साथ, जिस हाड़ौती की धरती से मैं आती हूं, उस हाड़ौती की धरती पर, जहां गेहूं की इतनी पैदावार होती है, आलू की इतनी पैदावार होती है, क्या हमने एक भी आलू की प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का काम किया? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आज हम देख रहे हैं कि किसानों को अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। भले ही कोई कुछ भी बोल दे, लेकिन जिस तरह से ये तीनों बिल किसानों के हित में केंद्र सरकार लेकर आयी है, उससे हमारा किसान मजबूत होगा, किसान को किसी की तरफ ताकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और निश्चित तौर पर इन बिलों को लाने के बाद किसान यह सोचेगा कि मेरा बेटा भी एक सक्षम किसान बने, कृषि के क्षेत्र में रहते हुए एक उद्यमी बने, एक अच्छा उद्योग खेत में लगाये और कहीं न कहीं वह मजबूत बनकर आगे बढ़ने का काम करे। इस बात की कल्पना भी वे कर रहे थे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि हम गुजरात की बात कर लें, हमसे सटा हुआ एरिया है, वहां आठ घंटे जिस तरह से एक ही ब्लॉक में बिजली दी जाती है। आज हम हमारे किसानों को सर्दी में भी तीन-तीन, चार-चार घंटे लाइट दे रहे हैं। आपने घोषणा भले ही कर दी कि हम उनको लगातार दिन में बिजली देंगे, लेकिन रात में, इस ठिठुरन में, हमारा किसान। जिस तरह से हर घंटे में हर दस मिनट में जिस तरह से बार-बार बिजली की ट्रिपिंग होती है, इसमें भी हमें सुधार करना पड़ेगा। यह काम भी हम लोग करें।

बीमे की क्या स्थितियां बनी हैं, वह हम सबको मालूम है। सवेरे भी चर्चा हो रही थी। हमारे सम्माननीय गुलाब जी भाई साहब बोल रहे थे। हमने राजस्थान में कृषि के क्या हालात करके रख दिये हैं, यह हम सब की आंखों के सामने है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हम रामगंज मंडी से कोटा से आगे निकल जाएं तो किस तरह से संतरे की बम्पर पैदावार होती है,

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

लेकिन हम सरकारी अधिकारियों से इस चीज की चर्चा करें कि सरकार स्कीम लेकर आती है, योजनाएं बनाती है, हमने इस योजना के माध्यम से कितने किसानों का भला किया, हमने लहसुन की कितनी प्रोसेसिंग यूनिट लगायी? हमने संतरे की कितनी प्रोसेसिंग यूनिट लगायी? हमारे अधिकारी आफिसों में बैठते हैं और आफिसों में बैठकर स्कीम और योजनाओं की भरपाई कर देते हैं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि जो योजनाएं हम लागू करते हैं, उन योजनाओं को धरातल पर लाकर काम करेंगे तो जनता हमारे लिए कुछ अच्छा कहेगी। हम देख रहे हैं कि वेटरिनरी डाक्टरों की भर्ती नहीं हो पा रही है, उसकी वजह से हमारे गांवों में जो पशुपालक हैं, चाहे हम कोटा क्षेत्र की बात करें, केशोरायपाटन क्षेत्र की बात करें, हमारे किसान को 40-40 किलोमीटर अपने जानवर को गाड़ी में लेकर आना पड़ता है। इन सारी बातों की ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि उपज मंडियों की हालत क्या हो रही है? हमारी बूंदी की कृषि उपज मंडी को देख लें, कोटा की कृषि उपज मंडी को देख लें, केशोरायपाटन की कृषि उपज मंडी को देख लें, खुले में। जब हमारे गेहूं की तुलाई होती है बारिश अचानक आ जाए, फसलें किस तरह से बहकर चली जाती हैं? हम लोगों को आये दिन देखने का मौका मिलता है। साथ ही साथ, मैं निवेदन करूंगी कि हमारे जो कांटे खुलते हैं, उन कांटों से जिस तरह से किसानों की मेहनत पर पानी फिर जाता है, उस ओर भी मैं आपका ध्यान इंगित करवाना चाहूंगी। किसानों के साथ कांटों पर जो लूटखसोट होती है, उसे रोका जाए। चाहे हमारे तिलम संघ के कांटे हों, चाहे राजफैड के माध्यम से चल रहे हों। तीन-तीन, चार-चार साल तक, तिलम संघ और राजफैड के जो कांटे लगे हुए थे, उन किसानों का पेमेंट नहीं होता, इस ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए। साथ ही साथ, अगर एफसीआई भी हमारे गेहूं की तुलाई करती है, किस तरह से माल को उठाना है और उठाकर जगह पर उन्हें पहुंचाना है। जिन कंपनियों का ठेका होता है, वे अपने लालच की वजह से गेहूं को पड़ा रखती हैं। इससे क्या होता है कि 300-400 ट्रौलियों की लंबी लाइन केशोरायपाटन की धरती पर लग जाती है। किसान दाल-बाटी बनाकर तीन-तीन दिन तक सड़कों पर खाता है। इस बात पर भी हमें विचार करना चाहिए, हमारे किसान को हमें मजबूत करना चाहिए।

साथ ही साथ, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि उच्च

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

शिक्षा में तो हम लोग कृषि कॉलेज खोलकर कृषि की पढ़ाई करवाते हैं, सब कुछ करते हैं। किस तरह से हम हमारे किसानों का मजबूत कर सकें, लेकिन आज हम देख रहे हैं। मैं कहूंगी कि अगर एलीमेंट्री एजुकेशन से कृषि का ज्ञान देना हम लोग शुरू करेंगे, तो मैं मानती हूं कि हमारे गांव के अंदर जो हमारे नौजवान हैं, आने वाले समय में किस तरह से उन्नत कृषि की जाए, इस ओर उनका ध्यान जाएगा। यह भी मेरी आपसे मांग है।

साथ ही साथ, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूं कि आज एफसीआई के कांटे खुलने वाले हैं। हम देख रहे हैं कि उनकी संख्या में कहीं न कहीं कटौती हुई है। मैं मांग करती हूं कि अनेकों उपखंड में चार से पांच कांटे लगे हुए है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में चाहे लाखेरी उपखंड हो, चाहे नैनवां हो, चाहे केशोरायपाटन हो, इनमें दो-दो कांटे ही खुले हुए हैं, उनकी संख्या बढ़ाकर चार-चार करेंगे तो निश्चित तौर पर मेरे यहां के किसानों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है।

साथ ही साथ मैं मांग करना चाहूंगी कि हमारे एग्रीकल्चर के जो सेक्रेटरी लगे हुए हैं, उन्हें हम पाबंद करें क्योंकि आए दिन जब प्रकोप आता है, हमने देखा कि टिड्डी दल ने हमला किया। कोटा से एंटर होते हुए केशोरायपाटन में पहुंचे तो हमारे किसान कितने परेशान हो गये। एक बार तो स्थिति यह पैदा हो गयी कि कृषि विभाग के कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए कि हम क्या करें? अचानक से ऐसे हालात हो गये। निश्चित तौर पर हम आगे से हमारे कृषि विभाग के कर्मचारियों को, हमारे सेक्रेटरीज को, हमारे जो और अधिकारी लगे हुए हैं, उन्हें सचेत करके रखें कि इस तरह के हालात पैदा होने पर वह मौके पर मौजूद रहें, न कि किसानों के ऊपर ही हम सारी अला-बला छोड़ दें तभी किसान के साथ न्याय होगा, वरना हम जानते हैं कि किसान किन हालातों से गुजर रहा है।

मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि जो भी हमारी केन्द्र सरकार ने चाहे फसल बीमा योजना के मार्फत किसान को मजबूत करने का काम किया... (समय समाप्ति सूचक घंटी), माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे शॉर्ट समय में बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री आलोक बेनीवाल।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन व चिकित्सा पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कृषि पर अभी काफी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। भारत कृषि प्रधान देश है। देश की आजादी के समय इस देश को अपने खाद्यान्न की पूर्ति करने के लिए बाहर से सहयोग लेना पड़ता था लेकिन ये देश का अन्नदाता ही है जिसने आज दुनिया को अन्न देने की ताकत पैदा की। इसका ही परिणाम है कि आज दुनिया में अगर किसी के पास खाद्यान्न की कमी है तो उसकी पूर्ति करने में हम सक्षम हो पाए। उस किसान को हम नमन करते हैं।

सभापति महोदय, आज के परिप्रेक्ष्य में जो कृषि का क्षेत्र है, वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है चाहे देश का हो, चाहे प्रदेश का हो। समय निकला, किसान की हालत धीरे-धीरे बदली। कृषि के क्षेत्र में नये-नये अनुसंधान हुए। फसल के ऊपर चाहे वह गेहूँ की हो चाहे बाजरे की हो, चाहे सरसों की हो, चाहे चने की हो, चाहे मोठ की हो, प्रति बीघा पर लगातार उसका उत्पादन बढ़ाने का जो अनुसंधान है, वह होता चला गया। हर साल हम उम्मीद करते हैं, सरकार का एक विजन आता है कि अब की रबी की फसल का उत्पादन पिछले साल से इतने लाख टन ज्यादा होगा। अच्छी बात है, लेकिन जो आज किसान के हालात हैं, उस पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे माननीय सदस्य, मैं भी उसी परिप्रेक्ष्य से आता हूं, उसी समाज से आता हूं किसान परिवार से, लेकिन आज खेती करना कितना लाभदायक है, यह आप भली-भांति जानते हैं। अभी माननीय सदस्य जो बातचीत कर रहे थे कि फसल का पूरा दाम मिले। निश्चित रूप से जब कोई किसान पैदावार करता है, बिजाई करता है, उसकी पानी से पिलाई करता है, पेस्टीसाइड का यूज करता है, लेबर लगती है, सब कुछ मिलाकर अगर उस फसल का क्विंटल के भाव से अनुमान लगाया जाए तो जो उसे मिलता है, उसमें कहीं न कहीं वह घाटे में रह जाता है।

मेरा तो यह सोच है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसके लिए अलग से कृषि बजट की घोषणा की है कि अगली बार कृषि का अलग से बजट रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूं और हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत का इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूं कि कहीं न कहीं उनकी इस तरफ सोच है कि किसान को इस मुसीबत से निकाला जाए। जब सरकार आई तब उन्होंने किसान का बिजली

(श्री आलोक बेनीवाल)

का बिल नहीं बढ़ाने की घोषणा की। उसका भी मैं स्वागत करता हूं। साथ ही किसानों की कर्जा माफी भी की। लगभग 14 हजार करोड़ रुपया जो पिछली सरकार का था प्लस हमारा मिलाकर, वह भी किसान को उन्होंने मजबूती और संबल देने का काम किया। 16 हजार करोड़ रुपये सहकारिता के माध्यम से ब्याजमुक्त ऋण देने का काम भी सरकार कर रही है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, जो किसान वर्ग है, जो पैदावार करता है, उसका परिवार कहीं उससे जुड़ा हुआ है वह भी आगे बढ़कर इस खेती की तरफ बढ़े, उसमें कामकाज करने की सोचे, कोई बिजनस उससे तैयार किया जाए जिससे कि खेती को लाभदायक हम बना सकें। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री को ग्रामीण क्षेत्र में डवलप किया जाए जिससे किसान के बच्चों व बच्चियों का जो पलायन है, खासतौर से नौकरियों की तरफ ग्रामीण क्षेत्र में आज जो होड़ मची हुई है, नौकरी की, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो कृषि आधारित काम है, उसकी तरफ से नौजवान पीढ़ी विमुख होती चली जा रही है। वह यह काम नहीं करना चाहती है। हमारे को उसको रोकना होगा। अगर हम उसको नहीं रोकेंगे तो इस समस्या का समाधान होना बड़ा मुश्किल है।

सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी कृषि के क्षेत्र में बहुत नये-नये नवाचार कर रहे हैं। नवाचार के साथ में जो यह आर्गेनिक खेती है, इस पर हमारे को विशेष तौर से ध्यान देने की जरूरत है। आज पैदावार तो हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसमें क्वालिटी क्या आ रही है? उसकी गुणवत्ता क्या है? वह स्वास्थ्य के प्रति कितनी सही है? इसकी भी हमारे को पूरी जानकारी होनी चाहिए कि हम जो चीज उसमें यूज कर रहे हैं, पेस्टीसाइड यूज कर रहे हैं, उसका कहीं नुकसान हमारे स्वास्थ्य पर तो नहीं आ रहा है। इसकी जानकारी, इसका पूरा अनुसंधान होना भी बहुत जरूरी है जिससे हमारे को क्वालिटी मिले। आज के जमाने में हम स्वास्थ्य के प्रति सचेत हैं। स्वास्थ्य से कोई खिलवाड़ नहीं हो, इस तरह की क्वालिटी हमको खाद्यान्न के रूप में मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज हम पशुधन की बात करते हैं। पशुधन आज किसान के लिए एक सपोर्टिव साधन बनकर खड़ा हो गया है। गांव में आप चले जाएं तो पशुधन के द्वारा जो दूध का या अन्य चीजों का व्यापार किया जाता है, डेयरी में दिया जाता है, उससे जो पैसा आता है, उससे निश्चित तौर से उस किसान के परिवार का खर्चा चलता है। उसके साथ में जो इसका

(श्री आलोक बेनीवाल)

कामर्शियलाइजेशन हो रहा है, उसमें जो दूध की गुणवत्ता है, उसके ऊपर भी हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। गुणवत्ता के साथ में जो इसका संकलन है, बीच में कई बार देखा गया, बीच में दूध का संकलन इतना हो गया था, जैसे सरस डेयरी का ही उदाहरण है कि उन्होंने दूध लेना बंद कर दिया था। यह परिस्थितियां क्यों बनती है? आज किसान के पास में दो ही साधन है, या तो खेती है या पशुपालन है। पशुपालन में भी उसका पूरा दारोमदार दूध के ऊपर है। निश्चित रूप से आने वाले समय में पशुपालन के ऊपर और खेती के ऊपर विशेष रूप से सरकार ध्यान दें। केन्द्र सरकार की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, आज चुनौती हमारे सामने खड़ी है।

जयपुर जिले में, आज की तारीख में मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पानी की स्थिति है, वह बहुत विकट हो चुकी है। बहुत सारा एरिया मेरा ड्राई हो चुका है, जहां पर खेती होती नहीं है। बरसात के भरोसे खेती है। आज काश्तकार वहां पर किसी दूसरे कामकाज के अंदर जा चुका है। किसी ने भट्टा लगा लिया, किसी ने ट्रांसपोर्ट का काम कर लिया, किसी ने दुकान कर ली, खेती का जो काम करने वाले लोग हैं, आज वह दूसरी तरफ डायवर्ट हो रहे हैं। जिनको नौकरी नहीं मिली वह छोटा-मोटा धंधा करने लग गये। ये जो आज हालात हैं, इनको कौन देखेगा? बहुत समय से जब से विधान सभा में यहां पर आने का मौका मिला, जब मैं नहीं था विधान सभा में, तब भी सुनते थे कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट जो बना है, वह आशा की किरण था इस पूर्वी राजस्थान के लिए, लेकिन मेरे को लगता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत पैरवी की है। मैं सबसे उम्मीद करता हूं कि पूर्वी राजस्थान के जो हालात हैं, जिसमें हमारा भी विधान सभा क्षेत्र आता है, आने वाले समय में पीने के पानी की समस्या हो गई, सिंचाई की बात तो कहां से करें लेकिन इसके ऊपर भी ठोस आश्वासन कहीं से मिलने की उम्मीद नहीं लग रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पानी की समस्या है, खास तौर से पीने की व सिंचाई की, जयपुर जिला तो बहुत पिछड़ गया इस मामले में। इसलिए उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में, केन्द्र सरकार लाखों, करोड़ों, अरबों रुपये अन्य प्रोजेक्ट्स में खर्च करती है, कम से कम पानी की तरफ करें ताकि पूर्वी राजस्थान में रहने वाले लोगों को, किसानों को, सिंचाई का पानी मिले, पीने का पानी भी मिले। यहां बहुत से पूर्वी राजस्थान से आए हुए माननीय सदस्य बैठे होंगे। आने वाले समय में पानी का संकट सामने आएगा, अगर बरसात

(श्री आलोक बेनीवाल)

की यही स्थिति रही तो। किसान की मांग है, बिना पानी कोई खेती नहीं होती है। इसलिए यह मांग रखी गई है, निश्चित रूप से इसको पूर्ण करने का काम, केन्द्र सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को करना चाहिए। यहां विपक्ष के साथी भी बैठे हैं। पक्ष की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना पक्ष रखा है।

अभी माननीय कई सदस्यों ने कहा कि आज की तारीख में हमारे यहां पद रिक्त हैं। पद तो इसलिए रिक्त हैं कि पिछली सरकार ने एक भी पशुधन सहायक की भर्ती नहीं की। इस सरकार ने, माननीय मंत्री जी के कार्यकाल में लगभग 2133 पदों की भर्ती की गई। मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। कमी तो रहेगी ही, पाँच साल आपने भर्ती नहीं की। पाँच साल की पूर्ति करने के लिए समय तो चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने कम समय में, इतनी बड़ी भर्ती इन्होंने करके कहीं न कहीं पद भरने का काम किया है। एग्रीकल्चर सैक्टर में भी कृषि पर्यवेक्षकों की भर्ती, मैं उनसे चाहूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इनकी भी पूर्ति करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट ही लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद इसलिए भी करना चाहूंगा कि वह किसान परिवार से आते हैं। वह भी बहुत बड़ी खेती का काम करते हैं। उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता होगा कि खेती को कैसे लाभदायक बनाया जाए। मैं मंत्री महोदय से एक ही मांग करूंगा कि खेती को लाभदायक सौदा बना देंगे, उस दिन किसान जिंदा रह जाएगा।

साथ ही, माननीय मंत्री महोदय के सामने अपने विधान सभा क्षेत्र की एक बात जरूर रखना चाहूंगा। मेरा विधान सभा क्षेत्र, जब परिसीमन बना, तो लगभग सात पंचायतें चौमूं की उसमें लगी थीं। आज वह दस बन गई हैं परन्तु उस साइड कहीं भी मंडी नहीं है। उस साइड मंडी हमारे चौमूं ही लगती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरी दस पंचायतों में कहीं भी, जहां आपको सूटेबल लगे, सेंटर प्लेस के अंदर, एक मंडी का निर्माण जरूर करवाएं। वहां कृषि उपज मंडी बनेगी तो हमारे आस-पास के काश्तकारों को लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस मांग के संबंध में आप माननीय मुख्य मंत्री जी को भी बताएंगे, मंत्री जी को भी बताएंगे।

(श्री आलोक बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, एक बात और कहना चाहूंगा। काश्तकार के साथ जब कोई हादसा होता है, कहीं फसल जल जाती है, कहीं आगजनी में जानवर जल जाते हैं, उनको मुआवजा मिलता है। उसकी पटवारी रिपोर्ट बनाता है, पटवारी रिपोर्ट बनाकर तहसीलदार के मार्फत कलक्टर के पास भेजता है। माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक तो उसके अंदर राशि बढ़ाई जाए। उसमें बहुत कम राशि मिलती है। लाख-लाख रुपये की भैंस है, माननीय मंत्री महोदय, उसको कितना सा मिलता है, यह तो आप भली भांति जानते हैं। उसमें समय भी बहुत लग जाता है। दो-दो, तीन-तीन महीने का समय उसके अंदर लग जाता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई बार काश्तकार कृषि कार्य करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसको मंडी के माध्यम से, डेयरी के माध्यम से पैसा मिलता है, उसमें भी बढ़ोतरी करेंगे तो किसान को सहारा मिलेगा। आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री धर्मेन्द्र कुमार मोची।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 व 39 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सम्पूर्ण कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, परन्तु आज काश्तकार कर्जा माफी की तरफ देख रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कर्जा माफी के चक्कर में भूमि विकास बैंक व अन्य कई बैंक रोडा एक्ट के तहत काश्तकारों पर कुर्की की कार्यवाही कर रहे हैं। ज़मीनें नीलाम करने की कर रहे हैं, इसी कारण मेरे क्षेत्र में भी एक-दो किसानों ने आत्महत्या कर ली। सम्पूर्ण कर्जा माफ करोगे तभी काश्तकार समृद्ध बनेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि कर्जा माफी के चक्कर में भूमि विकास बैंक और अन्य बैंक कुर्की की कार्यवाही नहीं करें, उसे रूकवाएं।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर, पहले भारतीय जनता पार्टी के राज में, कृषि कनेक्शन खूब हुए थे। आज कृषि कनेक्शन देने शुरू किए हैं, बीच में बंद कर दिए थे। दिक्कत यह आ रही है कि तीन-चार किश्तों में सामान ले जाना पड़ता है जबकि सामान ले जाने का ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, परन्तु ठेकेदार सामान नहीं लेकर जाता। काश्तकार खुद सामान लेकर जाता है। कभी ट्रांसफार्मर नहीं मिलता, कभी खम्भे नहीं मिलते।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

एक-एक कनेक्शन में, तीन-तीन, चार-चार महीने लग जाते हैं, ऐसी व्यवस्था है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है, यदि उस काश्तकार का कनेक्शन आ गया है तो उसका सारा सामान ठेकेदार लेकर जाए। उसका कनेक्शन ठेकेदार करके आए, ताकि उसको आर्थिक हानि नहीं हो।

किसानों को दिन में आठ घंटे बिजली मिलनी चाहिए, ताकि वे रात में परेशान नहीं हों। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सेमग्रस्त एरिया में तीन पम्प, बडोपल, पीलीबंगा और रावतसर 99 R.D. है, उसमें बिजली की दर 9 रुपये यूनिट आती है, जबकि वह भी काश्तकारों का काम है। सेम की भूमि से पानी चकने का काम करती है। सिंचाई विभाग उसका बिल भरता है। सरकार से पैसे सिंचाई विभाग को उपलब्ध नहीं होने के कारण, पैसों के अभाव के कारण, काश्तकार का पम्पों का कनेक्शन कट जाता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे कृषि बिल के अंदर 90 पैसे यूनिट से आता है, उसी प्रकार से बडोपल, रावतसर 99 R.D., दोलतावाली पम्पों का कनेक्शन सरकार 90 पैसे के हिसाब से वसूल करे ताकि सरकार को बचत होगी। कनेक्शन नहीं कटेंगे, काश्तकारों को परेशानी नहीं होगी।

आधुनिक एवं उन्नत खेती की दिशा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए पीलीबंगा विधान सभा कृषि प्रधान क्षेत्र है। क्षेत्र में फलदार पौधे जैसे खजूर, आंवला, किन्नू, मौसमी, अनार, अंगूर, बेर, आम के पौधे उपलबध करवाए जाएं, ताकि किसानों में बागवानी की तरफ रुझान बढ़ सके। उपरोक्त पौधों को नि:शुल्क उपलब्ध करवाया जाए।

सेम-ग्रस्त क्षेत्र में जो पौधे विकसित किए जाएंगे, उसी के अनुसार कृषि विभाग जैसे बांस इत्यादि के पौधे सरकार नि:शुल्क उपलब्ध करवाए। सेम का प्रभाव कम होगा एवं किसानों की बंजर भूमि में सुधार हो सकेगा।

पीलीबंगा विधान सभा में काफी क्षेत्र सेम के कारण बंजर बन गए हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बंजर भूमि को अभी पानी से खाली हो चुकी है। इसे वापस कृषि योग्य बनाने के लिए काश्तकार की हिम्मत नहीं है। 20-30 सालों से वहां पानी भरा था, परन्तु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार उस बंजर भूमि से मुक्ति दिलाने के लिए सहायता करे, ताकि काश्तकार अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उस जमीन पर काश्तकार वापस काश्त कर सके।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

विधान सभा क्षेत्र में घग्घर नदी बहाव क्षेत्र है। काफी बड़ा क्षेत्र राइस बैल्ट है। इस क्षेत्र को राइस बैल्ट एरिया घोषित किया जाए, क्योंकि यहां अच्छे किस्म के चावलों की पैदावार होती है।

आधुनिक खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहन हेतु कृषि प्रशिक्षण किसान सेवा केन्द्र कस्बा पीलीबंगा, कस्बा रावतसर, कस्बा गोलूवाला, कस्बा डाबली में यह केन्द्र खोला जाए, ताकि काश्तकारों को लाभ मिल सके।

कृषि क्षेत्र होने के नाते विधान सभा क्षेत्र में कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक विद्यालय में कृषि संकाय, माध्यमिक विद्यालय में स्वीकृत किए जाएं, ताकि कृषि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। किसानों की फसल के भण्डारण व्यवस्था में सुधार कर, क्षेत्र में किसानों को अनुदान दिया जाए, ताकि भण्डारण के लिए गोदाम बनाकर तैयार किया जा सके।

कृषि उपज मंडी के अंदर काफी प्रस्ताव आए हैं, जयपुर में। मंत्री महोदय, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गोलूवाला नई कृषि मंडी स्वीकृत हो चुकी है। वहां पर चारदीवारी निर्माण कार्य का बजट भी उपलब्ध है, पर बजट भेजा नहीं जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि नई धान मंडी स्वीकृत हुई है, उसका कार्य शीघ्र करवाया जाए। कृषि उपज मंडी रावतसर में सब यार्ड का विस्तार कर निर्माण करवाया जाए, क्योंकि मंडी में कृषि जिन्सों की बहुतायात से, मंडी में स्थान की कमी रहती है जिनसे फसलें बाहर सड़कों पर डाली जाती हैं। किसानों की फसलें जैसे गेहूं, चना, सरसों, नरमा, कपास, ज्वार, बाजरा, मोठ, मूंग का बिखराव हो जाता है एवं वर्षा इत्यादि से किसानों को नुकसान होता है। वर्ष 2017-18 में नगरपालिका रावतसर ने 9 बीघा भूमि कृषि उपज मंडी रावतसर को आबंटित की थी। उक्त विस्तार भूमि में मिट्टी भर्ती व चारदीवारी का निर्माण कार्य हो चुका है। बजट के अभाव में शेष कार्य दो वर्ष से नहीं हो पा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि कृषि मंडी विस्तार किए जाने से किसानों को हो रही परेशानी से निजात मिलेगी, बजट का प्रावधान करें।

हमारी कुछ सड़कें हैं, रावतसर से नोहर सड़क के मध्य चक 4 AM से 22 AG रोड तक, 1.5 किलोमीटर; खेदासरी से ढेढार लिंक रोड, 1.5 किलोमीटर; चक 5 KWD से चक 10 KWD, 4 किलोमीटर; चक 15 KWD से चक 31 DWD सरकारी स्कूल तक, 3.5 किलोमीटर; चक 3 RWM रोड से

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

चक 1 RWM लुहारावाला चक तक, 3.5 किलोमीटर; चक 14 BPM से चक 4 CYM वंचित सड़क, एक किलोमीटर; इनके प्रस्ताव कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर में स्वीकृति के लिये पड़े हैं। मंत्री महोदय इनको स्वीकृत कराएं।

कृषि उपज मंडी, पीलीबंगा ने नवीन निर्माण कार्यों की स्वीकृति जारी करवाने हेतु 189.64 लाख के तकमीने अनुमोदन के लिये भेजे हैं। मंडी में राशि पड़ी है। ये हैं, सी.सी.टी.वी., 24.76 लाख रुपये; सोफ्टवेयर कम्प्यूटर, 11.90 लाख रुपये; मंडी में साइनिंग बोर्ड, 29.15 लाख रुपये; मंडी में मय गेट विद्युत, 40.13 लाख रुपये; सी.सी. रोड चेक पोस्ट नम्बर 10 से नेशनल हाई-वे तक, 83.70 लाख; और कुछ छोटी सड़कें भी प्रस्तावित हैं। मंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि यह कार्य कृषि विपणन बोर्ड में विचाराधीन पड़े हैं। इनकी स्वीकृति कराएं।

(17.31 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मांग संख्या 39 में, पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। किसानों के परिवारों में, प्रत्येक घर में लगभग अनिवार्य रूप से पशुपालन करते हैं। पशु चिकित्सा में सुधार अभी काफी मात्रा में बाकी है। मेरी मांग है कि विधान सभा क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र स्थापित किया जाए, जिससे पशु चिकित्सा में सुधार हो सके। इसके साथ-साथ सरकार द्वारा नि:शुल्क दवाइयों की व्यवस्था भी की जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र मुख्यालय पर सप्ताह में एक दिन कैम्प लगाकर पशुओं का मुफ्त इलाज किया जाए। छोटे किसानों, पशुपालकों जैसे, भेड़, बकरी, गाय, भैंस इत्यादि पालकों को सरकार द्वारा बिना ब्याज ऋण उपलब्ध करवाये जाने की योजना बनाई जाए ताकि इन्हें बढ़ावा मिल सके व उन्नत किस्म की नस्लें तैयार की जा सकें, जिससे लघु पशुपालकों के जीवन पालन में सुधार हो सके।

सभापति महोदय, पशुपालकों को पशुओं की बीमारी या अन्य दुर्घटना से भेड़, बकरी, गाय, ऊंट की मृत्यु हो जाती है। उसका क्लैम या सरकार द्वारा देय अन्य सहायता मिलने में बहुत कठिनाई होती है, क्लैम बहुत कम मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इससे पशुपालक आर्थिक रूप से टूट जाता है। ऐसे पशुपालकों के सुधार के लिये कुछ ऐसा मद बनाएं, ताकि उनको लाभ मिल सके।

(श्री धर्मेन्द्र कुमार)

अंत में, मैं यह कहूंगा, मंत्री महोदय, हनुमानगढ़ जिले में पहले लगभग हर गोशाला को नियमानुसार अनुदान मिलता था, परन्तु इस बार 26 गोशालाओं का अनुदान बंद कर दिया गया है। इसमें मेरे पीलीबंगा विधान सभा क्षेत्र की काफी गोशालाएं हैं। उनकी जांच करा दीजिए, नियमानुसार सही चल रही हैं। पीछे उनको अनुदान मिलता था, परन्तु अब उनका अनुदान बंद कर दिया है, उनको अनुदान दिया जाए। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर बोलने के लिये आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, समय की सीमा को देखते हुए मैं उन चीजों को रिपीट नहीं करूंगा, उन बिंदुओं को रिपीट नहीं करूंगा जिनके बारे में पक्ष और विपक्ष, दोनों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त कर दिये हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूंगा। राजस्थान में 342 लाख हैक्टेयर कृषि भूमि है, जिसमें से आधी जमीन पर, करीब 49 परसेंट पर खेती होती है। जो यहां पानी उपलब्ध है, उसके करीबन 90 प्रतिशत हिस्से को सिंचाई के रूप में काम में लिया जाता है। देश का जितना भी कृषि का एरिया है, उसका 11 परसेंट राजस्थान में है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों और कृषि के बारे में केवल मात्र बातें करना, उनके बारे में चिन्ता करना ही पर्याप्त नहीं है, किसानों के कल्याण के लिये, कृषि के विकास के लिये, किसानों की आय को बढ़ाने के लिये बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा निवेश की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, हम देखते हैं कि पिछले 20-25 सालों से भी अगर अपन तुलना करते हैं तो किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कीमत में बहुत ज्यादा वृद्धि नहीं हुई है। जहां एम.एस.पी. की बात करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसमें भी पूरी फसल नहीं खरीदी जाती है। जो

(श्री लक्ष्मण मीणा)

एग्रीकल्चर में इनपुट्स काम में लिये जाते हैं उनकी कीमतें 5-5, 7-7 गुना बढ़ गई हैं।

माननीय सभापति महोदय, जब तक हम अधिकतम निवेश करके कृषि क्षेत्र को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक किसी भी हालत में, जो अभी चर्चा चल रही है कि 2022 तक किसानों की इनकम दुगुनी कर दी जाएगी, माननीय सभापति महोदय, 2022 में 9 महीने बाकी बचे हैं, मेरी समझ में ही नहीं आता कि किस तरह से उनकी इनकम दुगुनी हो जाएगी। अगर इतने ही नेक होते तो हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव किसान पंजाब, हरियाणा, यू.पी., राजस्थान के हैं, वे इस तरीके से आंदोलन पर, दिल्ली की सीमाओं पर आकर किसी भी हालत में नहीं बैठते।

माननीय सभापति महोदय, अगर इनकी इनकम दुगुनी करनी है तो 2022 नहीं, अगर 2024 तक भी कर दी जाए तो सबसे पहले राजस्थान में तो सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी। जैसे, शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल की आवश्यकता है। राजस्थान के 13 जिलों में पीने के पानी और सिंचाई का भयंकर संकट है, जो कि आगामी वर्षों में और भी ज्यादा होगा। उसकी चिंता अभी से करनी है। उसके लिये किसी भी तरीके से प्रयास करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में पिछले 30-40 सालों में, यूं कहिए आजादी के बाद में कृषि के क्षेत्र में काफी प्रयास किये गये हैं। सिंचाई के क्षेत्र में भी वृद्धि हुई है। चाहे राजस्थान कैनाल हो, माही डैम हो, आपका जवाई डैम हो, कोटा का जो चम्बल पर डैम बनाया गया है, ये सब करके काफी प्रयास किये गये हैं लेकिन अभी भी पूरे राजस्थान में सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, 1994 में चूरू, झुंझुनूं और सीकर के लिये यमुना नदी से पानी लाने का एक समझौता हुआ था। 24 साल गुजर जाने के बाद भी ताजेवाला हैड से अभी तक इस इलाके को पानी नहीं मिला है। इसके लिये प्रयास किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, ओखला हैड से भरतपुर के लिये पानी आना था, 17 साल में जो देखा गया है, उसका सर्वे किया गया है, उसका 40 प्रतिशत पानी ही भरतपुर को मिल रहा है, 60 परसेंट की चोरी होती है या वहां की सरकार हमारे राजस्थान के हिस्से को नहीं दे रही है।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

माननीय सभापति महोदय, एक सी.ए.डी. और वाटर मैनेजमेंट की एक स्कीम थी। उसको अप्रैल, 2017 से बंद कर दिया गया है, जिसमें 7 योजनाएं, जो सिंचाई की थीं, उसमें राजस्थान को नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का आशय है कि इन तीनों-चारों योजनाओं में, जो मैंने बताईं, इनमें केन्द्र सरकार के बहुत जबरदस्त सहयोग की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा वहां से आर्थिक मदद की आवश्यकता है तो यहां के राजस्थान के किसानों के बारे में चिंता की जाए और इनकी आय दुगुनी करनी है तो ये 4-5 जो योजनाएं हैं, उनमें भारत सरकार मदद करे।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा जो दूसरे इनपुट हैं, आपके बजट का है, जिसमें राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने तो अभी काफी कुछ रखा है। अगले साल से सैपरेट बजट की भी बात कही है।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, मैं जल्दी ही खतम कर रहा हूं।

एक दीर्घकालीन कृषि नीति की आवश्यकता है। कर्ज की सहज उपलब्धता हो, इसकी व्यवस्था करनी है, पानी-बिजली की व्यवस्था करनी है। संकट के समय किसानों को मदद की आवश्यकता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ज्यादा से ज्यादा फसलें खरीदी जाएं, इसकी आवश्यकता है। बाजार तक फसल पहुंचे और उसका उचित मूल्य मिले, इसके लिये APMC का जो ढांचा है, उसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

पशुपालन के बारे में, माननीय सभापति महोदय, यहां राजस्थान का, बेसिन, राजस्थान का हिस्सा है, वह खेती के अनुकूल नहीं है। वहां की मिट्टी और पानी का ऐसा मेल नहीं है, जिससे खेती बहुत अच्छा लाभदायक धंधा हो। इसके लिये जरूरी है कि वहां की जो घास है, सेवण है, धामण है, अंजना है यह प्रोटीनयुक्त घास है, इसको ही डवलप किया जाए और वहां के पशुपालकों को ज्यादा से ज्यादा मदद करें, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे बस्सी के बारे में भी दो बात बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी हमारे कृषि मंत्रीजी और गोपालन मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान में पहला डेयरी और फूड टेक्नोलॉजी महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

दूसरा, माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2013 में एक मंडी का मेरे विधान सभा क्षेत्र में नोटिफिकेशन हुआ था लेकिन आज तक नहीं हुई तो मैं मंत्रीजी से यह गुजारिश करूंगा कि उस मंडी का जल्दी से जल्दी निर्माण करें और उसको चालू किया जाए ताकि किसानों को फायदा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा आपके द्वारा माननीय मंत्रीजी से मैं यह गुजारिश करूंगा कि जब फसल सोइंग का समय हो तो जो आप किट देते हैं उन्नत बीज की, खाद की तो वह समय पर जल्दी दी जाए ताकि लोग सही समय पर उसकी बुआई कर सके।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष बावरी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी वर्ष 2019-20 के बजट में पैरा 4 में प्रस्तुत वक्तव्य में खुशहाल राजस्थान का यह सपना दिखा रहे हैं। जब हमारे प्रदेश के किसान खुशहाल होंगे तब ही खुशहाल राजस्थान का सपना पूरा होगा। किसानों द्वारा अपने खेतों में फसल की बुवाई-बिजाई जब शुरू की जाती है तो अच्छी किस्म का बीज व खाद का उपयोग करना चाहता है लेकिन समय पर खाद-बीज नहीं मिल पाता है तो वह निराश होता है। किसान बिजाई से लेकर फसल कटाई तक दिन रात कठोर मेहनत करता है क्योंकि उसका पूरा परिवार इस फसल पर ही निर्भर है। यदि फसल में कोई रोग हो तो उसके लिए पेस्टीसाइड का उपयोग कर उन्नत फसल प्राप्त करना चाहता है लेकिन जब खेतों में खड़ी फसल, तैयार फसल एक सिंचाई पानी के अभाव में सूख रही हो तो वह बहुत दुखी होता है। किसानों को समय पर सिंचाई का पानी नहीं मिले तो उसके लिए सब व्यर्थ है। मेरी सरकार से यह मांग है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण में एक सिंचाई पानी दिया जाए जिससे किसानों की गेहूं व चने की फसल का

(श्रीमती संतोष)

पकाव हो सके। यदि अभी समय पर सिंचाई का पानी नहीं दिया गया तो किसानों की खड़ी फसलें नष्ट हो जाएंगी। मेरी सरकार से एक मांग है कि बी.बी.एम.बी. में राजस्थान का प्रतिनिधित्व हो ताकि हम अपने हिस्से का पूरा पानी ले सकें और अपनी बात मजबूती से वहां पर रख सकें।

किसानों पर आपदा की स्थिति में सरकार द्वारा किसान हित में तुरंत प्रभाव से फसलों का मुआवजा मिलना चाहिए। यदि फसल खराबे पर सरकार द्वारा दिये गये मुआवजे का आकलन किया जाए तो किसानों को अपनी फसल की बुवाई-बिजाई, बीज एवं बिजली के बिलों का दस प्रतिशत भी मुआवजा नहीं मिलता है और किसान भाई कर्जे में डूबता जाता है। कर्जा लेकर डिग्गियां भी हमारे किसान भाइयों ने बनवाई थीं, उनका भी अभी तक अनुदान नहीं मिला है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन जीविका का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है। पशुपालन, पशुधन से रोजमर्रा के जो अपने खर्चे होते हैं उसकी पूर्ति करता है लेकिन ऐसे लगता है कि सरकार पशुपालकों के हितों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज पशुओं की कीमत की बात करें तो भैंस व गाय की कीमत एक लाख से डेढ़ लाख रुपये के बीच है। 2018 तक पशुओं का भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत बीमा करवाया जा रहा था, जिसमें पशुपालकों को अपने पशुधन की हानि पर मुआवजा मिल जाता था लेकिन दो वर्षों से पशुपालकों ने अपने पशुओं की बीमा नहीं कराई।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यदि आपको बोलना ही है न तो आपका लिखा हुआ पूरा नहीं होगा, मैं आपको टेबल करने की इजाजत दे दूं, आप टेबल करें ताकि पूरा लिखा हुआ यह आ जाए।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): बस, थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है।

श्री सभापति: नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है लेकिन आप फिर पूरा पढ़ नहीं पाएंगी।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, इतना है ही नहीं, मैटर ही थोड़ा-सा है।

श्री सभापति: ठीक है, समाप्त करें।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, भामाशाह पशु बीमा योजना के तहत बीमा करवाया जा रहा था, जिससे पशुपालकों को अपने

(श्रीमती संतोष)

पशुधन की हानि पर मुआवजा मिल जाता था लेकिन दो वर्षों से पशुपालकों को अपने पशुओं के बीमा की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पशुपालकों को सरकार से कोई भी लाभ मिले, इसके लिए पशुपालक भी यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की कई ग्राम पंचायतें हैं जैसे- 9LM, 61GB, 54GB, 74GB, 4KPD, 5PSD, 9PSD, 22RJD, 10DOL, 13DOL, 7KND, 17MD, 3STR, 19GD, 6DD, 5MLD, ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जिनमें पशुपालकों की पशुओं की बीमारी के समय उपचार के लिए पशु चिकित्सा उप केन्द्र भी उपलब्ध नहीं हैं। मेरी सरकार से यह मांग है कि वहां पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत 54GB, 59GB, 61GB, 65GB को कृषि उपज मंडी अनूपगढ़ में जोड़ा जाए जिससे किसान भाइयों को उसका लाभ मिल सके क्योंकि यह ग्राम पंचायतें कृषि उपज मंडी विजयनगर में जुड़ी हुई हैं जिससे लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के कृषि मंत्री और पशुपालन मंत्री को बेहतरीन प्रबंधन के लिए बधाई देना चाहता हूं कि चाहे राजस्थान में बकरियां कम हो गयी हों, भेड़ें घट गयी हों, ऊँट घट गये हों लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने राजस्थान का झंडा बुलंद रखा है।

माननीय सभापति महोदय, दूध के लिहाज से पूरे देश में राजस्थान दूसरे नम्बर का उत्पादक राज्य है, ऊन के लिहाज से पूरे मुल्क में राजस्थान आज भी पहले नम्बर का प्रदेश बना हुआ है और बकरियों का जो बेचने का शेयर है राजस्थान का, वह पूरे देश में 35 परसेंट है। इतना ही नहीं, माननीय कृषि मंत्रीजी ने, पशुपालन मंत्रीजी ने नवाचार भी किया है और बकरी के दूध से साबुन बनाने का नवाचार उन्होंने किया है और जो सेल्फ हैल्प ग्रुप के जरिए सफलता की ओर अग्रसर है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब पाकिस्तान की ओर से टिड्डियों का हमला हुआ तो हमारे मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान के किसानों को अपने विभाग के माध्यम से सचेत किया। रात को जहां पर टिड्डियां आ गयीं तो सुबह होने से पहले हमारे कृषि विभाग के अधिकारी अपने तमाम संसाधन लेकर वहां पर पहुंचे और जो एक बड़े नुकसान का खतरा राजस्थान का किसान महसूस कर रहा था, माननीय सभापति महोदय, यह उनकी लीडरशिप का नतीजा है कि राजस्थान के किसान को उससे बचाया जा सका।

माननीय सभापति महोदय, अभी रानीवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कांग्रेस के पचास साल का हिसाब पूछा। जब यह मुल्क आजाद हुआ तो 200 साल अँग्रेज़ों ने इस मुल्क का लूटा हुआ था, बदहाल हालत में यह था, एक सुई हम पैदा नहीं करते थे और उस वक्त बिजली सिर्फ देश के 20 गांवों में थी, टेलीफोन देश के सिर्फ राजा-महाराजाओं के पास थे, भारत के पास सिर्फ चार विमान थे और 10 टैंक थे। उस हालात से उठाकर आज जो दुनिया की महाशक्ति के रूप में भारत खड़ा है, वह कांग्रेस पार्टी की बदौलत है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा वह समय कि हमारे देश के पास खाने को नहीं था। श्रीमती इंदिरा गांधी अमरीका गेहूं लेने के लिए गयी थीं और सड़ा हुआ गेहूं श्रीमती इंदिरा गांधी को दिया था तो उन्होंने अपने आपको इतना अपमानित महसूस किया कि तुरंत आकर बॉम्बे में योजना आयोग की बैठक बुलाई और उनको यह निर्देश दिये कि मैं देश का विद्युतीकरण करना चाहती हूं और जिस हरित क्रांति की हम बात करते हैं, वह उस श्रीमती इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी की देन है। जो मुल्क, खाद्यान्न के भंडार जिसके खाली थे, आज जिसके खाद्यान्न के भंडार भरे हुए हैं, दुनिया के दूसरे देशों को वह निर्यात कर रहा है, यह सब कांग्रेस पार्टी, पंडित नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रयासों की बदौलत है।

माननीय सभापति महोदय, उसके बाद भी मुल्क को आगे ले जाने के लिए देश के प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंहजी ने सोचा और देश का पहला राष्ट्रीय किसान आयोग बनाया, जिसका प्रतिपक्ष के उप नेता ने स्वामीनाथन आयोग के नाम से जिक्र किया। वह स्वामीनाथन उस आयोग के चेयरमैन थे। उन्होंने यह रिपोर्ट दी, श्री मनमोहन सिंहजी के वक्त में दी और श्री मनमोहन सिंहजी ने उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया और उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा

(श्री संयम लोढ़ा)

जाए, किसान का कैसे फायदा हो तो गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया कि वह सुझाव दे। माननीय सभापति महोदय, श्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्य मंत्री रहते हुए जो रिपोर्ट सौंपी उसमें उन्होंने यह लिखा कि अगर हम किसानों की तरक्की चाहते हैं तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हमको कानून का हिस्सा बनाना चाहिए। यह लिखित में उन्होंने दिया।

अब, माननीय सभापति महोदय, मनमोहन सिंहजी की सरकार की विदाई हो गयी। जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात प्रतिपक्ष के उप नेता कर रहे थे, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि स्वामीनाथन आयोग ने जिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस के फार्मूले को दिया, क्या आपकी सरकार ने उसको लागू किया? क्या सी टू फार्मूले के आधार पर किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस का पैसा मिल रहा है? माननीय सभापति महोदय, देश के किसान को 16 रुपया दिन का दे रहे हैं और कह रहे हैं किसान सम्मान निधि और उसमें भी किसी को पहली किश्त मिली तो दूसरी नहीं मिली। दूसरी मिली तो तीसरी नहीं मिली। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, बीच में नहीं। प्लीज, यह क्या तरीका है? नहीं, आपको नहीं बोलना है कुछ भी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, लाखों किसान ऐसे हैं कि जिनको पूरे छह हजार रुपये नहीं मिले और राजस्थान में भी आप चाहें तो सहकारिता विभाग से उस आंकड़े का अवलोकन कर सकते हैं कि राजस्थान के कितने लाख किसानों को दूसरी या तीसरी किश्त नहीं मिली है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह किसानों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, वह तो भारत नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से किसानों के रास्ते में कांटे बिछाये गये हैं। अब मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि 2019-20 के अंदर जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी, वह 2020-21 में क्या हुई? माननीय सभापति महोदय, धान के अंदर इन्होंने मिनिमम सपोर्ट प्राइस 2019-20 की तुलना में 2020-21 में कितनी बढ़ायी, 53 पैसे प्रति किलो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सपोर्ट प्राइस किलो के हिसाब से बढ़ती है क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप अपने तरीके से आकलन करें, मैं अपने तरीके से बताऊंगा।

श्री सभापति: आप तो अपनी बात रखें। समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे हैं, अब यह 53 से 54 पैसे हो, तो बता देना आप। माननीय सभापति महोदय, ज्वार के अंदर 70 पैसे प्रति किलो पिछले साल की तुलना में और मूंग के अंदर 1.46 पैसे प्रति किलो, उड़द के अंदर 3 रुपये प्रति किलो, गेहूं के अंदर 50 पैसे प्रति किलो और चने के अंदर 2.25 पैसे प्रति किलो। यह किसानों के मसीहा बनना चाहते हैं। आपका तो वादा था कि 2022 के अंदर किसानों की आमदनी दुगुनी कर देंगे। क्या हुआ उस वादे का? यह चार-चार पैसे किसानों के बढ़ाकर देश के किसानों का मखौल बनाना चाहते हैं। उस गरीब को और गर्त में ले जाना चाहते हैं, पाताल में ले जाना चाहते हैं।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि अपनी सरकार आने के बाद कितनी योजनाओं का शेयर 100 प्रतिशत से घटाकर 60:40 पर लाये हैं। NFSM Wheat 100 परसेंट फंडिंग पहले भारत सरकार करती थी, अब 60:40 पर लेकर आये। NFSM Pulses 100 परसेंट फंडिंग पहले भारत सरकार करती थी, अब 60:40 पर लेकर आये हैं। NFSM Commercial Crops 100 परसेंट फंडिंग पहले भारत सरकार करती थी, अब 60:40 पर लेकर आये। NFSM Coarse Cereals 100 परसेंट फंडिंग पहले भारत सरकार करती थी, अब 60:40 पर लेकर आये। National Oil Seeds 75:25 का रेशो था, उसको भी घटाकर अब 60:40 पर लेकर आये। National Oil Seeds and Oil Palm Mission वह भी 75:25 का रेशो था, उसको भी घटाकर अब 60:40 पर लेकर आये। NMAET (Agricultural Extension) 90:10 पर था, उसको भी घटाकर 60:40 पर लाये। ई-गवर्नेंस 100 परसेंट थी, उसको घटाकर 60:40 पर लाये। NMAET (Agricultural engineering) 75:25 थी, उसको 60:40 पर लाये। Seed and Planting Material, 75:25 था, उसको 60:40 पर लाये। Plant Quarantine 100 परसेंट था, उसको 60:40 पर लाये हैं। NMSA (Rain fed area development) 100 परसेंट थी, उसको 60:40 पर

(श्री संयम लोढ़ा)

लाये। NMSA Soil Health Card 75:25 थी, उसको 60:40 पर लाये। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार की सारी योजनाएं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा किसी का। विराजिए। विराजिए। माननीय सदस्य, प्लीज, सहयोग करें। विराजिए आप। सहयोग करिये।

श्री समाराम गरासिया (पिंडवाड़ा-आबू): 000

श्री सभापति: विराजिए आप। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी तो शुरू किया है। मैं दो बातें और कहकर अपनी बात खतम करता हूं। कृषि क्षेत्र के अंदर आलोचना मौजूदा सरकार की करते हैं, पर अपना आईना भी देख लेना चाहिए। दुष्यंत कुमार का एक शेर है -

'कि कहां तो तय था चिराग हर घर के लिये,

कहां चिराग मयस्सर नहीं इस शहर के लिये।।'

पूरे देश का किसान समुदाय आन्दोलित है, लेकिन आपकी जेब से क्या मांग रहा है वह? सिर्फ यह मांग रहा है कि जो फसल पैदा कर रहा है, उस पर इतना मुनाफा होना चाहिए। यह लिखकर कानून का हिस्सा बनाने में आपको क्या एतराज है? अगर आप किसानों का भला करना चाहते हैं तो लिखकर दीजिए। माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र की भागीदारी के दो बिन्दु आपको निवेदन करके अपनी बात खतम करूंगा। राजस्थान में जब अशोक गहलोत साहब की सरकार आयी 2008-09 में, जी एस डी पी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी थी 24.01 परसेंट, पाँच साल सरकार रही। 2013-14 में जब इनको सरकार सौंपी, तो जी एस डी पी में कृषि क्षेत्र की भागीदारी बढ़कर हो गयी 28.24 परसेंट और आपने वापस जब सरकार दी 2018-19 में, तो कृषि क्षेत्र की भागीदारी जी एस डी पी में घटकर रह गयी 25.16 परसेंट। यह तो आपकी पाँच साल की उपलब्धि है। दूसरा, कृषि की वृद्धि दर, 2008-09 में जब आपने सरकार दी, तो कृषि की वृद्धि दर थी, 4.19 परसेंट, जो 2013-14 में जब आपको सरकार सौंपी अशोक गहलोत ने, बढ़कर दी 1.94 परसेंट।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने 2018-19 में जब वापस अशोक गहलोत को सरकार सौंपी तो वह घटकर रह गयी 4.9 परसेंट। माननीय सभापति महोदय, एक लास्ट बात कह रहा हूं।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल। एक मिनट में समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक मछली के बारे में बात कह दूं। माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी, मैंने यह सब बातें तो रख दीं। अब मैं आपसे यह विनती कर रहा हूं कि इनकम घट रही है। पिछले साल जो इनकम थी आपकी 64 करोड़, वह घटकर इस साल रह गयी है 25-26 करोड़। दूसरा, आपके विभाग की जो हालत है, 461 पोस्टें हैं आपके मछली डिपार्टमेंट में, इसमें से 178 ही काम कर रहे हैं। 283 पद खाली पड़े हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, लगातार ठेके गये नहीं हैं। ...(व्यवधान) आपको क्या तकलीफ हो रही है?

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल। प्लीज, माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): राजस्थान सरकार और ज्यादा मछली उत्पादित करे।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, समय तो पूरा करने दें, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? माननीय सदस्य ..(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मछली भी एक जानवर है। वह भी जीव है। समझे आप। इस सनातन धर्म संस्कृति ने प्राणी मात्र के प्रति यह संदेश दिया है, समान व्यवहार का। ..(व्यवधान).

श्री सभापति: प्लीज अब आप विराजिए। सब आप सहयोग कर रहे हैं। अचानक आपको क्या हो जाता है? कोई दौरा पड़ता है? समय पर सारा काम सम्पन्न हो रहा है। हर आदमी सहयोग कर रहा है। श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 37-कृषि, मांग संख्या 39-पशुपालन और चिकित्सा पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज कृषि, पशुपालन और चिकित्सा का। सुबह से लेकर अभी तक पक्ष और विपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने अच्छे-अच्छे विचार भी साझा किये। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की दुर्गति इस प्रदेश के अंदर जो हो रही है, उसके अंदर कोई न कोई ठोस कार्ययोजना बनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय मंत्री महोदय, आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड, यदि किसी मिट्टी की जांच कराते हैं, तब सबसे ज्यादा आवश्यकता माइक्रो न्यूट्रीशन की है

(श्री नारायण बेनीवाल)

और जहां लगातार सिंचित क्षेत्र रहा है, वहां अधिक फर्टिलाइजर की बात वैज्ञानिक कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इसके अंदर सभी माननीय सदस्यों ने जैविक खेती की बात की। पहले जब छोटे थे तब बड़ा अच्छा कार्यक्रम सरकारों ने चलाया था। बेटी बचाने के लिये जरूर यह कहते थे कि 'बहू सबको चाहिए, लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए'। ..(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका मन नहीं लग रहा हो तो बाहर पधारें। शांति बनाकर रखें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): जैविक खेती सबको चाहिए, लेकिन पशुपालन से किसान का जो मोह भंग हुआ है सरकारी नीतियों को लेकर, उस पर कहीं न कहीं ठोस कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बिलकुल अच्छी बात नहीं है। मन नहीं लग रहा तो लॉबी में पधारें। यहां पर शांति से सुनें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मैं माननीय मंत्रीजी से मांग करूंगा कि पशु मेले खतम हो गये। नागौरी नस्ल के बैलों की यदि हम बात करें तो तीन वर्ष से कम आयु के बछड़ों के परिवहन पर जो रोक लगी है और पशुपालन जो घटा है, अभी ऊँट का मुद्दा अधिकतर माननीय सदस्यों ने, जो पश्चिमी राजस्थान से आते हैं, उन्होंने भी उठाया।

(18.00 बजे)

इन सब बातों पर यदि सरकार कहीं न कहीं ठोस कार्य योजना बनाती है तो निश्चित रूप से जनता के अन्दर यह एक मैसेज जाएगा कि हम किसानों के प्रति कहीं न कहीं गंभीर हैं।

माननीय सभापति महोदय, कस्टम हायरिंग सेंटर की बात करें तो मंत्री जी विराजमान हैं, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर प्रदेश की जो समस्त सहकारी संस्थाएं हैं उनको कहीं न कहीं कृषि विभाग के साथ जोड़िये।

रिक्त पदों की बात सब कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पद भरने के बाद कार्य कुशलता की बात कौन करेगा? अभी आपके विभाग ने मुझे एक प्रश्न के जवाब में, मेरे खींवसर विधान सभा क्षेत्र का प्रश्न था और मैंने उसमें पूछा कि कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद रिक्त हैं, तो उसका उत्तर आया तो एक में 23, फिर जिसने आर.टी.आई. लगाई उसमें आया 38 और जो एक लैटर और लिखा

(श्री नारायण बेनीवाल)

उसमें आया 44, तो कहीं न कहीं जो कृषि के बड़े अधिकारी बैठे हैं, उनकी कहीं न कहीं लायबिलिटी फिक्स करने का मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा।

उन्नत बीज, जो अधिकतर माननीय सदस्यों ने मिनी किट की बात कही, मिनी किट की जो क्वालिटी है उसको लेकर पूरा प्रदेश हमेशा चिंतित रहा है। हर समाचार पत्रों के माध्यम से भी बात उठती है और बीज उत्पादकता के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनके अन्दर भारी अनियमितता है। मंत्री जी, मैं आपसे मांग करूंगा कि इस मामले में आप ठोस कार्यवाही ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर करें।

एक, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी को बढ़ाया जाए और प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए क्योंकि जब किसान को आवश्यकता होती है, यदि उसको दो-तीन महीने उसकी प्रक्रिया में ही लग जाएं तो वह निश्चित रूप से बाजार में जाएगा और फिर वह सरकार के भरोसे नहीं रह करके महंगा कृषि यंत्र खरीदेगा तो कहीं न कहीं इस प्रक्रिया में सरलीकरण की बहुत बड़ी आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय, खेती में नवाचार, बूंद-बूंद सिंचाई, फव्वारा, स्प्रिंकलर इत्यादि की बातें सभी माननीय सदस्यों ने कही है। इसके अलावा जिस फसल को ज्यादा पानी चाहिए, अब धीरे-धीरे परंपरागत खेती से हटकर और नये जैसे पेड़-पौधे हैं या औषधीय पादप हैं, जहां की धरती का अच्छा औषधीय पादप या उसका सूटेबल है, उसमें कहीं न कहीं नीति हर जिले और जिलों में भी ब्लॉकवाइज बनाने का मैं आपसे निवेदन करूंगा।

माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग के साथ सामंजस्य की बहुत बड़ी कमी है। अभी आपका जो फसली प्रदर्शन चल रहा है, जो बीज उपचार है, यह हकीकत बात है कि जो बीज उपचार की दवाई है वह तब आती है जब बीज पकने को तैयार हो जाता है तो ऐसे में आपको सहकारी तंत्र के साथ मजबूती से अच्छा सामंजस्य स्थापित करके और हम सबका यह प्रयास रहे कि किसान को संबल मिले, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले।

कृषि विपणन की ठोस कार्य योजना बने। तीनों कृषि कानून जो देश

(श्री नारायण बेनीवाल)

की सरकार लेकर आयी है, अभी जब आप इधर से कहेंगे तब जरूर केंद्र सरकार पर कहीं न कहीं ठीकरा फूटेगा।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्योंकि, माननीय सभापति महोदय, सास तो सास ही होती है इसलिए इस पर भी कहीं न कहीं ठोस कार्ययोजना कृषि विपणन को लेकर बने।

माननीय मंत्री महोदय, पश्चिमी राजस्थान में सूअरों का बहुत बड़ा आतंक है। वहां किसानों की सारी की सारी फसल सूअर और अन्य जो आवारा पशु हैं वह नष्ट कर देते हैं, तो तारबंदी और सुरक्षा दीवार का इसके अन्दर कहीं अनुदान या ऐसी सरकारी सहायता मिले जिससे अपन किसानों की फसल को दोगुना करने की बात तो कह रहे हैं लेकिन उस रास्ते पर चलने की ओर हम अग्रसर हों।

माननीय मंत्री महोदय, इसके अलावा हम सब यह संकल्प लें कि नागौरी नस्ल के जो बछड़े हैं, तीन साल से कम उम्र के बछड़ों पर जो रोक लगाई है, माननीय मंत्री जी भी विराजमान हैं, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में हम एस.एल.पी. दायर करें और इस सदन के अन्दर ऐसा कोई संकल्प पत्र दोनों दल, पक्ष और विपक्ष मिलकर लाएं क्योंकि जो नागौरी नस्ल का बछड़ा था, वह पशु मेले में एक-एक, दो-दो लाख रुपये का बिकता था, तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसके अन्दर भी कोई अच्छी ठोस कार्ययोजना बने।

किसानों और कृषि से जुड़े जन प्रतिनिधियों को अन्तरराज्जीय और मैं तो अन्तरराज्जीय नहीं, वास्तव में ईमानदारी से जो कृषि कार्यों के प्रति समर्पित हैं उन लोगों को यदि आप अन्तरराष्ट्रीय लेवल पर भी लेकर जाओगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं विचारों का आदान-प्रदान होगा।

यदि हम बीमा क्लेम की बात करें तो बीमा क्लेम के अन्दर यदि कोई एक छोटी सी अशुद्धि हो जाती है तो पोर्टल पर उसके अपडेटिंग में बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ऐसे बहुत सारे प्रकरण नागौर जिले के भी पड़े हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से भी आपसे निवेदन कर दूंगा।

इसके अन्दर पेस्टीसाइड और जो रासायनिक खाद आ रहे हैं उसके अन्दर बहुत ज्यादा नकली दवाइयों का और खाद का प्रचलन बढ़ा है, तो ऐसी कोई ठोस कार्ययोजना ऐसा अलग से कोई विभाग के अन्दर कोई मॉनिटरिंग

(श्री नारायण बेनीवाल)

सेल बनाकर और जो नकली पेस्टीसाइड आ रहे हैं उसके अन्दर भी आप कहीं न कहीं ठोस कार्ययोजना बनाएं ताकि किसान के जो अच्छे दिन देखने के सपने हैं वह कहीं न कहीं पूरे हों।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री गणेश घोघरा (अनुपस्थित)। श्री बलजीत यादव।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, 120 जो एफपीओ बात कर रहे हैं, पुराने सहकारिता मंत्री जी भी बैठे हैं, एफपीओ की बजाय यदि सहकारी तंत्र को और केवीएसएस को मजबूत करके किसानों को उनसे जोड़ा जाए तो निश्चित रूप से किसानों को अच्छे दिन देखने को मिलेंगे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 37 और 39 पर बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, देश को आजाद कराया भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे अनेकों अनेक किसान पुत्रों ने अपनी जान की बाजी लगाकर और उन्होंने यह सपना देखा कि जिस अंग्रेज ने हमारे देश में फूट डालकर और देश की जनता को रोने पर मजबूर रखा, उस अंग्रेज सरकार से मुक्त कराकर हिंदुस्तान की जनता को आजादी दिलायेंगे, जहां प्रत्येक व्यक्ति को अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक वर्ग के हक की रक्षा की जाएगी लेकिन अफसोस, देश को आजाद हुए 73 साल हो गये, कोई भी सरकार आये, एक ही राग अलापती है किसान की दशा सुधार देंगे। किसान को बेवकूफ बनाने के लिए वोट के टाइम पर कोई उसको अन्नदाता, कोई मालिक, जाने क्या-क्या कह करके और उसके वोट को ठगा जाता है लेकिन 73 साल बीत जाने के बाद जो स्थिति किसान की उस वक्त थी, वह की वह और मैं तो कहूं, उससे भी बदतर स्थिति में आज किसान आ गया है।

तरक्की हुई, हां हम मानते हैं तरक्की हुई, लेकिन तरक्की हुई अडाणी जैसे चालाक लोगों की। जहां कोरोना में पूरा देश जाम था, सब-कुछ बंद था तब भी अडानी की संपत्ति में 50 परसेंट शेयर में बढ़ोतरी हो गई, 1.2 लाख

(श्री बलजीत यादव)

करोड़ रुपये की इनकम कर लेता है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड 97 परसेंट की कमाई कर लेती है। अडानी एंटरप्राइजेज 87 परसेंट की इनकम में बढ़ोतरी कर लेती है और वह किसान जो पहले कम से कम यह होता था कि साल में दो बार फसल काटता था, फसल घर पर डालता था, बच्चों की शादी कर देता था, बच्चों को कपड़े सिला देता था और कम से कम सुख चैन से पड़ा रहता था, आज हालत यह हो गई है कि उस पर कर्जे का बोझ पर बोझ बढ़ता जा रहा है, तनाव बढ़ता जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, उस पर तरह-तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं और वह रो रहा है और भाषण लोक सभा लो और विधान सभा लो यही होते हैं, यह योजना लायेंगे, वह योजना लायेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं समझता, सभापति महोदय, छोटी-सी बात है अगर सरकार की नीयत साफ हो कि किसान को चाहिए पानी और उसको चाहिए बिजली, वह उसको उपलब्ध करा दे कोई भी सरकार। व्यर्थ पानी नदियों में बह जाता है। बातें होती हैं नदियों को जोड़ेंगे, पानी पहुंचायेंगे, लेकिन इतना बजट होता है, पता नहीं कहां जाता है, उस पर नहीं लगता है।

बात की जाती है किसान के कर्जे को माफ करने की, राजस्थान की ही बात करूं तो बजट के अन्दर लिखा 14 हजार करोड रुपये कर्जा माफ किया राजस्थान की सरकार ने। पिछली सरकार ने कहा कि हमने किसान का 8 हजार करोड़ रुपया माफ किया। सभापति महोदय, बिजली का बिल जो किसान का है पूरे राजस्थान का, वह दो हजार करोड़ समथिंग है, वह पूरा का पूरा माफ करते तो 10 हजार करोड़ में पूरा 5 साल का बिजली का बिल माफ हो जाता, पिछली सरकार करती तो पूरा 5 साल का बिजली का बिल माफ हो जाता लेकिन वह नहीं किये जायेंगे और वीसीआर रूपी डायन छोड़ी जाती है और यह बिजली वाले भ्रष्ट अधिकारी उस को लूट-लूट कर उसकी चमड़ी को नोच-नोच कर खा रहे हैं। इसलिए मैं तो यह चाहता हूं और राजस्थान की इस विधान सभा से राजस्थान के, हिंदुस्तान के किसानों को कहना चाहता हूं कि कोई पार्टी, कोई सरकार कुछ नहीं बदलेगी, कुछ नहीं करने वाले आपका, जैसे अंग्रेजों ने फूट डाली थी, इन राजनीतिक पार्टियों ने किसान कौम के अन्दर फूट डाल दी है कि आप इस पार्टी के हो, आप इस पार्टी के हो, आप इसके पक्ष में मत बोलो, आप इसके पक्ष में मत बोलो। इसलिए अगर बदलना है तो अपने बच्चों के सीने में जो आग है उसकी ज्वाला को तेज करो, अपने बच्चों के जुनून को जगाओ और उनको तैयार करो कि विधान सभा हो चाहे लोक

(श्री बलजीत यादव)

सभा, इन सीटों के ऊपर जाकर किसान पुत्र जब कब्जा करेंगे, जो आई.ए.एस. लोग इन नीतियों को लागू करते हैं उनकी सीट पर जब किसान पुत्र कब्जा करेंगे तब जाकर किसान की दशा सुधरेगी।

एम.एस.पी. पर फसल की बात होती है, एम.एस.पी. पर फसल खरीदेंगे, कोई फसल नहीं खरीदी जाती।

श्री सभापति: दो मिनट में समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): कहते हैं कि पैसा नहीं है। मैंने बहरोड़ में पकड़ा। नैफेड खरीद कर रही है। 50 किलो का सरसों का कट्टा है। सरसों के कट्टे को तुलाया जाता है तो उसका 30 किलो वैट निकलता है। आप अंदाजा लगाओ, 50 किलो में से 20 किलो खा रहा है। वहां के प्रबंधक को सस्पैंड करवाया। जो एफसीआई के गोदाम हैं वहां अनाज सड़ रहा है। उसको सड़ने देते हैं। जब सड़ जाता है तब उसको बिलकुल सस्ते दाम पर जो अपने मित्र होते हैं बीयर बनाने वाले, उनको औने-पौने दाम में बेच दिया जाता है। सड़ गया, खराब हो गया, उनको बेच दिया जाता है।

सभापति महोदय, किसी की नीयत नहीं है। नीयत नहीं है कि किसान की दशा सुधारें। उसका कारण है कि किसान भोला-भाला है। वह मोल भाव नहीं करना जानता। वह सौदा नहीं करना जानता। वह बेईमानी नहीं करना चाहता। वह स्वाभिमानी है। वह किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं जानता। किसान को इसलिए जरूरत स्वयं लड़ने की है। कोई किसी को नहीं देगा। कोई नहीं सुधारेगा।

सभापति महोदय, पशुपालन के लिए कहते हैं। नसबंदी आदमी की कर देंगे। औरत को कहेंगे नसबंदी करो। उसके लिए आप अभियान चलाओगे लेकिन सांड की नसबंदी नहीं करने देंगे। सांड बढ़ने दो। बढ़ने दो सांडों को। वह चाहे किसान की पूरी फसल को चौपट कर जाएं, लेकिन उसकी नसबंदी नहीं करोगे।

ऊँट की बात हो रही है। ऊँट को राज्य पशु बना दिया। वह जो गाड़ी में चलाता था। अपना खेती का काम करता था। उसको अच्छा चारा मिलता था। उसकी देख-रेख होती थी। बीमारी हो तो उसकी देख-रेख होती थी। उसको कह दिया कि अगर इसको किसी भी आदमी ने ऊंटगाड़ी में जोड़ लिया तो फांसी तोड़ देंगे। उसको पुलिस पकड़ ले जाएगी। उसको अगर खेती में काम ले लिया तो उसको पकड़ ले जाएगी।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, हमारा ध्यान है, पहले की बात नहीं है। जब गाय के बछड़ा पैदा होता था तो हर कोई खुश होता था कि हमारी गाय ने बछड़ा दिया है। अगर बछिया होती थी तो कहते थे कि थोड़ा नुकसान हो गया, बछड़ा होना चाहिए था। आज किसी के बछड़ा पैदा हो जाए तो रोने लग जाता है कि इस सांड का क्या करूंगा? उसका कुछ होना जाना नहीं है। उसका कुछ नहीं कर सकते। उससे न कोई काम ले सकते।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बस एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मैं तो इतना कहना चाहूंगा सरकार से कि अगर नीयत सच में साफ है तो किसान को उलझाओ मत। वह योजना नहीं जानता। अनपढ़ आदमी है।

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सीधी-सीधी बात करो। बिजली फ्री, उसके खेत तक पानी पहुंचे। नदियों का जो व्यर्थ पानी बह जाता है, उसको उसके खेत तक पहुंचाया जाए। उसको अच्छी किस्म का बीज दिया जाए। उसको खाद दिया जाए। उसकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए। वही एमएसपी पर जो रेट है, उसी पर मार्केट में फसल बिक रही है, लेकिन ब्लैक मार्केट करने वाले लोग खा जाते हैं। आज ऐसी हालत हो रही है कि जिन्होंने देश को आजाद कराया।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जिन भगत सिंह जैसे लोगों ने आजाद कराया। आज उनके जो बच्चे हैं, वह पड़े हैं। कोई देशद्रोही कहता है। कोई क्या कहता है।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): यह दिन आएगा कि इतने-इतने दिन, आज तक कभी ऐसा आंदोलन देश आजाद हुआ, तब से बता दे कोई जो 100 दिन चल गया।

श्री सभापति: क्रांतिकारी, विराजो अब। अंकित नहीं होगा।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री सभापति: श्री गणेश घोघरा। माननीय सदस्य, सहयोग करें। माननीय सदस्य, आप सहयोग करें। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): 000

श्री सभापति: कभी आप संतुष्ट भी रहते हो किसी भी बात पर? हर वक्त असंतुष्ट। जब आसन आपको बार-बार आग्रह कर रहा है कि विराजें तो विराज जाइए। धुआं है यहां पर निकल रहा है। श्री गणेश घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी को और कृषि मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। लंबे समय से हमारी मांग थी कि डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोला जाए। हमारे कई युवा साथी एग्रीकल्चर सब्जैक्ट लेकर छोड़ देते थे। कृषि महाविद्यालय खुलने से हमारे युवाओं को काफी फायदा मिलेगा। कृषि के बारे में उनको जानकारी मिलेगी और कृषि उपज अच्छी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि पूर्व की सरकार ने तो मक्का के किट बंद कर दिए थे लेकिन हमारी सरकार आई तो हमारे मुख्य मंत्री जी और जनजाति मंत्री ने टीएडी मद से जनजाति कृषकों को नि:शुल्क किट वितरित किए। उसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि मैं क्षेत्र में गया तो वहां कई दूसरे लोगों ने भी ज्ञापन दिया कि एसटी को तो आप मक्का का किट दे रहे हैं। दूसरे बीज नि:शुल्क दे रहे हैं। एससी के, ओबीसी के, जैसे पाटीदार हैं, अन्य वर्ग जो खेती कर रहा है, वह भी चाहते हैं कि हमें भी नि:शुल्क बीज वितरण किया जाए। कृषि मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टीएसपी की तर्ज पर दूसरे भी जो काश्तकार हैं, एससी, ओबीसी के तथा अन्य वर्ग जो खेती कर रहे हैं, उनको भी नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराएं।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ हमारे वहां ऐसा कोई बड़ा तालाब नहीं है जिससे सिंचाई की सुविधा हो सके। वहां छोटे-मोटे तालाब हैं। छोटे-मोटे एनिकट और कुए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि पुराने कुओं को गहरा किया जाए और पक्की मुंडेर की जाए जिससे कि वहां लोगों को सिंचाई की सुविधा हो सके। यहां का समतल एरिया है। हमारे वहां उबड़-खाबड़ जमीन है। वहां क्यारियां भी सही नहीं बन सकती हैं। मैं चाहूंगा कि वहां पर ड्रिप सिस्टम

(श्री गणेश घोघरा)

से, फव्वारा सिस्टम से सिंचाई हो सके, इसके लिए 90 परसेंट अनुदान कृषक को मिले तो अच्छा रहेगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी के साथ जैविक खेती पर जोर दिया जाए। पहले के जमाने में गोबर की खाद डालते थे। अब वह रासायनिक खाद तथा बीजोपचार में कई प्रकार की दवाइयां डालते हैं। इससे जमीन भी बिगड़ रही है। वह अनाज भी बिगड़ रहा है जो कि पैदा हो रहा है। वह ज्यादा डाल देते हैं तो कई प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। किसी को बीपी हो रही है तो किसी को शुगर हो रही है। पहले देशी खाद जो गाय का गोबर था, भैंस का गोबर था, उससे खेती की जाती थी। जोतकर की जाती थी। उससे अच्छी खेती होती थी। अच्छा अनाज भी पैदा होता था। उससे बीमारियां नहीं होती थी। जैविक खेती पर जोर दिया जाए ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे, जिससे किसी प्रकार की बीमारी नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, हमारे यहां सिंचाई की आवश्यकता बहुत है। एक मेवाड़ा बाँध बना हुआ है। इसकी नहरों की रिपेयरिंग होनी चाहिए। सीपेज बहुत है। दाईं और बाईं नहरें अभी अधूरी हैं जिससे कई गांव सिंचाई से वंचित रह जाते हैं। मेवाड़ा बाँध पर जो दाईं और बाईं अधूरी नहरें हैं, इनको पूरी कराई जाए। इसी के साथ अपर बॉडी बाँध है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, एक मिनट।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): एक मिनट।

श्री सभापति: यहां कोई चर्चा नहीं हो रही है। विराजें अब आप।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): इसको भी पूरा किया जाए। सर, एक मिनट। मुझे पहले भी आपने बैठा दिया।

पशु कैटल शैड बनाए जाएं। हमारे वहां एक झोंपड़े में इंसान खाट लगाकर सो रहा है और पशु भी वहीं बाँध रहा है। पशु गोबर भी वहीं कर रहा है, ऐसी स्थिति है। नरेगा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से कैटल शैड बनाए जाएं। जब बारिश आती है तो पशु उसके झोंपड़े के बाहर बंधता है। कभी बिजली गिरती है। बारिश में पशु वहां रहता है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि नरेगा के माध्यम से

(श्री गणेश घोघरा)

कैटल शैड बनाए जाएं। किसी भी माध्यम से बनाए जाएं। पशुओं के रहने के लिए भी मकान होना चाहिए। इंसान के लिए तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में दे दिया। उधर इंदिरा आवास दे दिया। लेकिन कैटल शैड अभी नहीं निकल रहे हैं। ऐसे में मैं मांग करता हूं कि कैटल शैड भी जिस-जिस घर में पशु हैं, उन सभी को मिलें। माननीय सभापति महोदय, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 37 के ऊपर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज किसानों के ऊपर पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बोल रहे थे, इसी तरह से मैं भी मेरे क्षेत्र की मांग रखती हूं। मैं सबसे पहले हमारे मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देती हूं कि 2019 में हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में कृषि मंडी खोली, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। 2012-13 में कृषि मंडी, सब्जी मंडी दोनों की हमारे क्षेत्र में घोषणा हुई थी, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तब कृषि मंडी और सब्जी मंडी दोनों चालू नहीं हुई। कृषि मंडी की जो हमारे यहां घोषणा हुई है, उसका बजट भी दे दिया गया है।

यहां अधिकारीगण भी बैठे हुए हैं तो जल्दी से जल्दी उस मंडी को चालू किया जाए। किस कारण से वह चालू नहीं कर रहे हैं, इससे हमारे किसानों को काफी परेशानी आ रही है तो मैं यहां मांग करना चाहती हूं कि अधिकारियों को निर्देशित कर उस मंडी को चालू किया जाए। वहां जमीन भी पर्याप्त है, उसकी बाउण्ड्री भी बनकर तैयार हो गई है। दूसरी बात मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र में पशु चिकित्सालय है, हमारा एरिया एक पहाड़ी क्षेत्र है, मध्य प्रदेश और गुजरात के बोर्डर पर है, इसलिए वहां अधिकारी आना नहीं चाहते हैं। मेरे क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है और जो नई पंचायतें बनी हैं उन पंचायतों में भवन भी स्वीकृत नहीं हुए हैं। जहां भवन स्वीकृत हैं वहां पर डॉक्टरों की कमी है। हमारे गाय-भैंस बकरियों की दवाई के लिए काफी परेशानी आती है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की ओर से मैं मांग करती हूं कि कुशलगढ़ में जो 13 नई पंचायतें बनी हैं, बड़वास बड़ी, पाटन, बड़ी सरवा, पोटलिया, डूंगरी पाड़ा, काकनवाड़ी, सुड़ादा, इनमें नये भवन बनाये जाएं। सज्जनगढ़ में भी इसी तरह

(श्रीमती रमीला खड़िया)

से जुआखुटा, एजामाल, मसका, इनमें बहुत सारी जगहें खाली पड़ी हैं तो मैं सरकार से मांग करती हूं कि वहां पर चिकित्सालय भवन बनाये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे डूंगरा छोटा में 1990 से भवन बना हुआ है, वह भवन जर्जर अवस्था में है, उस भवन की मांग करती हूं कि वहां वह भवन बनाया जाए, और भी जहां भवन नहीं है वहां पर भवन बनाये जाएं। हमारे आदिवासी क्षेत्र में कपास और सोयाबीन की खेती होती है, तो वहां हमारे ऐसे कोई उद्योग खोला जाए कि वहां का माल वहीं रहे और हमारे किसानों को फायदा मिले।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे क्षेत्र में मैं पहले भी बोल चुकी हूं और उसे पुनः आज यहां दोहराना चाहूंगी और मांग करना चाहूंगी कि माही का पानी गुजरात जा सकता है तो कुशलगढ़ और बागीदौरा उसके बिलकुल नजदीक हैं तो क्यों नहीं कुशलगढ़ क्षेत्र जो बिलकुल सूखा है, मैं बार-बार सदन में यही मांग रखती हूं और हमारे काश्तकारों की विशेषकर मेरे यहां पानी की समस्या है, हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र के किसानों की जब से भारत आजाद हुआ तब से लगातार आज तक मांग है कि माही का पानी हमें दिलाया जाए। माही का पानी बिलकुल हमारे अटैच है, जो बैक वाटर आया हुआ है, वो बिलकुल हमारे पास में होकर निकलता है और यहां से गुजरात जा सकता है तो मैं आपके माध्यम से मैं मांग करती हूं कि इसका सर्वे करके हमारे लिफ्ट के माध्यम से हमारे घाटा क्षेत्र और मेरे कुशलगढ़ क्षेत्र जो बिलकुल सूखा पड़ा है, उस क्षेत्र को पानी दिया जाए। जो हमारे काश्तकारों की काफी लम्बे समय से मांग है उसे पूरी की जाए जिससे हमारे काश्तकारों को दर-दर पानी के लिए नहीं भटकना पड़े।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करती हूं कि जिस तरह से मेरे भाई गणेशजी, माननीय सदस्य ने मांग रखी कि पशु कैटल शैड के बारे में, मेरी भी यही मांग है कि हमारा पहाड़ी इलाका है और हमारे ग्रामीणों की मांग है कि हमारे यहां कैटल शैड दिए जाएं, ये नरेगा के माध्यम से दें या टीएडी के माध्यम से दें, लेकिन हमारे कुशलगढ़ क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा कैटल शैड दें, कुएं दें ताकि हमारे काश्तकारों को फायदा मिल सके। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: मांग संख्या 37-कृषि एवं मांग संख्या 39-पशुपालन पर माननीय सदस्य श्री जगदीश चन्द को अपना वक्तव्य टेबल करने की अनुमति देता हूं।

(मा. सदस्य श्री जगदीश चन्द्र द्वारा सदन पटल पर रखे गये लिखित वक्तव्य के लिए कृपया परिशिष्ट-04 देखें)

माननीय मंत्री महोदय।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में मांग संख्या 37 कृषि और मांग संख्या 39 पशुपालन एवं चिकित्सा पर सार्थक चर्चा हुई। कृषि से सम्बन्धित 208 तथा पशुपालन एवं चिकित्सा से सम्बन्धित 190 कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए। मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि 24 घंटे के अंदर-अंदर सभी के जवाब भिजवा दिए जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, कुल 35 माननीय सदस्यों ने आज चर्चा में भाग लिया और अपने अमूल्य सुझाव सदन के सामने रखे। मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि उन पर गौर करके किसान और पशुपालकों के हित में जो निर्णय लिए जा सकते हैं, विभाग उन पर अमल कर आगे बढ़ने का काम करेगा।

माननीय सभापति महोदय, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3 करोड़ 42 लाख हैक्टेयर है। राज्य का मुख्य व्यवसाय कृषि है। राज्य में खेती मुख्यत वर्षा पर निर्भर करती है। प्रदेश में खरीफ की फसल सामान्यत: 140 से 160 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बोयी जाती है और रबी की फसलों की बुवाई सामान्यत: 70 से 95 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में की जाती है जिसमें से लगभग 60 से 65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित है। राज्य में खरीफ के अंतर्गत 90 प्रतिशत क्षेत्र में बारानी फसलें बोई जाती है जो पूर्णत: वर्षा पर निर्भर है।

माननीय सभापति महोदय, कृषि विभाग और पशुपालन विभाग, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, जैसा कि माननीय सदस्य पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से जो सुझाव आए और मैं यह मानकर चलता हूं कि देश की आजादी के बाद में जितनी मजबूती के साथ में इस देश और प्रदेश को खड़ा करने का काम किया वह किसान वर्ग ने किया। मुझे खुशी है इस बात की कि कोराना

(श्री लालचन्द कटारिया)

काल में भी जीडीपी को रोकने का काम, विकास की गति को बढ़ाने का काम इस देश और प्रदेश के किसानों ने किया। मैं किसी भी प्रकार की दलगत राजनीति में नहीं जाता पर यह जरूर कहूंगा कि जितने भी माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए, वो सभी किसान वर्ग से हैं और यहां जितने भी माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं यह मानता हूं कि उनका सभी का किसी न किसी तरह से किसान परिवारों से वास्ता है। हमारे विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रदेश में जितनी भी योजनाएं चलती हैं, वो भारत सरकार के सहयोग से चलती हैं। जिनमें पाँच मुख्य योजनाएं हैं और ये 60:40 में चलती हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन, राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। इन योजनाओं में हम अपना प्लान बनाकर भारत सरकार को देते हैं और वे 60:40 के रेशो में पैसा मंजूर करते हैं और फिर हम उसे जिलों में लागू करते हैं। अन्य स्कीमों में जो योजनाएं हैं, वे राज्य सरकार की हैं। करीब 19 योजनाएं हैं। उस मद में भी कृषि के क्षेत्र में पैसा खर्च किया जाता है।

माननीय सभापति महोदय, पुराने जमाने में परम्परागत खेती की बात सभी ने कही और यह बात सही थी कि आज के मुकाबले पहले हमारे संसाधन सीमित थे। उस जमाने में बैलों से खेती होती थी। नागौर के बैल प्रसिद्ध थे। ऊंटों से खेती होती थी। कहीं भैंसे भी काम में लिये जाते थे, पर समय और शिक्षा के साथ में जो परिवर्तन आया और किसान पुत्र जब शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ने लगे तो निश्चित तौर पर किसान परिवारों की खेती में भी परिवर्तन आया।

वर्तमान स्थिति में किसान भी तीन प्रकार के हो गये हैं। एक हलधारी किसान हैं। जो पहले बैलों से खेती करते थे, उन्होंने अब ट्रैक्टर ले लिये। आज जितनी भी बुआई-जुताई की जाती है, किसान अपने ट्रैक्टर रखता है। चाहे वह लोन पर ले या अपने स्वयं के पैसे से ले, पर ज्यादातर उपयोग ट्रैक्टरों का हो रहा है और उनसे बुआई-जुताई की जा रही है। उसके साथ में वह आधुनिक संसाधन भी काम में लेता है।

दूसरे किसान हैं छत्ताधारी। ये वे किसान हैं जो खेत में तो जाते हैं, जिनके बड़े-बड़े फार्म हाउस हैं, पर दूसरे लोग खेती करते हैं वहां और वे खड़े-खड़े उनसे वहां दिन-भर मजदूरी करवाते हैं। वह भी खेती का एक तरीका है और वह खेती भी अभी प्रदेश में चल रही है। तीसरे हैं बंगलाधारी किसान। वे

(श्री लालचन्द कटारिया)

स्वयं खेतों पर नहीं जाते। उन्होंने मुनीम रख रखे हैं। बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं। वे मुनीम जाकर साइट देखते हैं कि दिन में चार मजदूर लग रहे हैं कि पाँच लग रहे हैं। जो भी लेखा-जोखा, जमा-खर्च उन्हें किसानी से करना होता है, वे उससे करते हैं।

राजस्थान में लगभग 60 परसेंट हलधारी किसान हैं जो लघु और सीमान्त की श्रेणी में आते हैं और जिनके पास मात्र दो हैक्टेयर तक की जमीन है। छत्ताधारी किसान 8 से 10 परसेंट हैं जो खेत में जाकर छत्ता लगाकर खड़े रहते हैं और मात्र आधा-एक परसेंट बंगलाधारी किसान हैं जो कहने के लिए दिखावा मात्र हैं और जो जमा-खर्च करते हैं।

सभापति महोदय, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में हम सभी को पता है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति अलग-अलग तरह की है। एक तरफ हमारे पास हनुमानगढ़ और गंगानगर जैसे जिले हैं। इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़ हैं। एक तरफ हमारे पास बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही, सांचौर, पाली, अजमेर का पूरा इलाका है। इधर पूर्व की तरफ देखें तो अलवर, भरतपुर, वगैरह हैं। यह जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार सब जगह खेती की जाती है।

सभापति महोदय, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने इसी बजट सत्र में कहा कि अगली बार कृषि का एक अलग बजट पेश किया जाएगा जो अपने आपमें एक नयी पहल है और हमारे कई साथियों ने उसका स्वागत भी किया है। सभापति महोदय, खेती के लिए मुख्य रूप से चार-पाँच बातें मैं सदन से कहना चाहूंगा। पहला है कि हम बरसाती पानी का संरक्षण करें, क्योंकि हमारे सामने जो चुनौती है, वह पानी की है। खेती तब होगी, जब आपके पास पानी होगा। आज पानी तो पीने के लिए नहीं है। भारत सरकार भी चिंतित है और राज्य सरकार भी चिंतित है। पीने के पानी की अलग-अलग योजनाएं बनायी जा रही हैं।

खेती तब होगी, जब हमारे पास पानी प्रचुर मात्रा में होगा। उसके लिए हम फार्म पॉन्ड, पुराने तालाब, हमारी नदियों में जो रुकावट है, इन सब पर ध्यान देकर पानी बचाने का काम करेंगे। प्रदेश की सरकार इसमें काम कर भी रही है। मैं यह कह सकता हूं कि आने वाले समय में लगातार, मैं पिछली सरकार को भी इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उस टाइम के तत्कालीन मंत्री सैनी जी ने कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। मैं उनकी कई योजनाएं देखकर आया हूं।

(श्री लालचन्द कटारिया)

वर्तमान सरकार ने फार्म पॉन्ड्स, डिग्गियां बनाने का काम हाथ में लिया और पिछली सरकार का जो बकाया था, उसे पूरा करने का काम और नयी योजनाएं लाकर पानी को इकट्ठा करने का काम किया ताकि लोग ड्रिप और फव्वारा पद्धति का ज्यादा उपयोग करें। इससे हमारी जोत भी बढ़ी है। नागर साहब बैठे हैं, इनके दूदू क्षेत्र में पिछले पाँच-सात साल में काफी जोत बढ़ी है। लोगों को अच्छा मुनाफा हुआ है मैं वहां जाकर आया हूं। दूसरा है, उपलब्ध जल सिंचाई का पूर्णत: उपयोग। हम ज्यादा से ज्यादा उसका उपयोग करें। तीसरा, किसान की खेती के कार्य में दक्षता बढ़ाने के लिए आधुनिक मशीनरी का प्रयोग करें।

सभापति महोदय, यह हमारी खेती के लिए वर्तमान समय में सबसे अहम है। एक जमाना था, आप तो खुद भी जानते हैं कि सीकर में बरसात से पहले जब हल चलते थे, एक-आधी कोई बारिश हो जाती थी तो ऊंटों से हल जोतते थे। फिर ट्रैक्टर आये तो ट्रैक्टरों से पाँच-पाँच जोत करके फिर बिजाई होती थी। आधुनिक वर्तमान समय में जो संयंत्र आये हैं, जैसे रोटावेटर है, आप पाँच जोत करें या एक बार रोटावेटर लगाएं, एक ही बात है। उस रोटावेटर में सीडल और लगा दी अभी। यह नया प्रयोग अभी पंजाब के किसानों ने किया है कि नीचे रोटावेटर चलेगा और पीछे बिजाई होती जाएगी उसी ट्रैक्टर से और उसी मशीन से ताकि किसान जो पाँच जोत करता था, उसकी जगह वह एक ही जोत में अपना काम चलाएं। इससे किसान का पैसा बचेगा, डीजल का पैसा बचेगा और उसकी मेहनत भी कम लगेगी। ये जो नवाचार दुनिया में, देश में और प्रदेशों में हो रहे हैं, उन्हें अपनाने का काम किसान करे ताकि उसकी कम लागत में ज्यादा पैदावार हो सके।

चौथा है, लागत कम करने के लिए खेती में गैर परम्परागत ऊर्जा के स्रोत सोलर पावर को बढ़ाना। सभापति महोदय, भारत सरकार पैसा दे रही है, राजस्थान सरकार भी उसी रेशो में पैसा खर्च कर रही है और यह इतना बढ़िया काम है कि सबसे ज्यादा काम यदि हमें आगे जाकर करना है तो सोलर पैनल पर करना है, सौर ऊर्जा पर करना है। सौर ऊर्जा में भी आजकल बहुत आधुनिक किस्म के पैनल आ गये हैं। आज से तीन-चार साल पहले केवल लोग छतों पर लगाकर लाइट-पंखा चलाने का काम करते थे। अभी वर्तमान में जो सोलर पैनल आये हैं, उनसे कुएं का ट्यूबवैल चलेगा। उनसे कुट्टी काटने की

(श्री लालचन्द कटारिया)

मशीन जिससे पशुओं के लिए चारा काटते हैं, वह भी चलेगी। उसी सोलर पैनल से आजकल हमारी माताएं-बहनें छाछ भी मशीन से बनाती हैं। अब वह पुराना जमाना बिलौना वाला है नहीं। उसी सोलर पैनल से छाछ की मशीन भी चलेगी, यानी कि उसी सोलर पैनल से चार-पाँच काम किसान के परिवार में होंगे। इससे फायदा क्या होगा कि उसका जो बिजली का खर्चा आता था, उसकी सीधी-सीधी बचत होगी और जितनी भी लागत लगे, आने वाले कुछ ही सालों में उस लागत को किसान पूरा करके उसका लम्बा उपयोग कर पाएगा।

पांचवां है, खेती के परम्परागत तरीकों के साथ-साथ आधुनिक तकनीकें, जैसे- Green house, Shade net house, mulch, Low tunnel एवं Hydroponic खेती को बढ़ावा। सभापति महोदय, ये जो तकनीकें हैं, मेरे ख्याल से ज्यादातर माननीय सदस्य जानते हैं, आजकल गांवों में खूब लग रहे हैं। ग्रीन हाउस भी लग रहे हैं, शेड नैट हाउस भी लग रहे हैं, मल्च और लो टनल भी लग रहे हैं। सभापति महोदय, ये किसानों के लिए रामबाण सिद्ध हो रहे हैं। अभी सर्दी पड़ी, कड़कड़ाती सर्दी में यदि किसान जागरुक है और वह समझता है तो लो टनल का उपयोग करके वह अपनी फसल को बचा सकता है और जब मार्केट में अच्छा भाव रहे, क्योंकि सीजन में इतना फर्क हो जाता है, सर्दियों में और इसमें कि एक बार मार्केट में सब्जियां अचानक एक साथ आ जाती हैं तो भाव गिर जाते हैं। किसान अब इतना समझदार हो गया है कि वह सर्दी में पहले बीज लगाकर लो टनल से उसे ढक देता है और जैसी ही थोड़ी गर्मी आती है तो उसे निकाल देता है। इससे सब्जी तुरंत तैयार मिलती है और मार्केट में अच्छा भाव मिलता है। इन चीजों पर हमें लगातार मेहनत करनी होगी। मैं विभाग को यह विश्वास दिलाता हूं, ये जितने भी तरीके खेती के हैं, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इनसे किसान की आय बढ़ेगी। हाइड्रोपॉनिक्स एक नया कंसेप्ट आया है विदेश से और इसकी सबसे पहले जो यूनिट लगी है वह दिल्ली के पास में लगी है और मैं वहां जाकर आया हूं। करीब 16 करोड़ की लागत से 4 एकड़ के अन्दर उन्होंने नीदरलैंड सरकार की तरफ से यूनिट लगाई है। सभापति महोदय, इसमें तो 100 परसेंट पानी की बचत है। उनमें जो पानी काम में आता है वह वापस री-साइकिल होता रहता है। अपने जो जूट आता है नारियल के ऊपर वाला छिलका, उसमें पौधे लगाते

(श्री लालचन्द कटारिया)

हैं। वह पानी चलता रहता है, उसमें न्यूट्रीशन वे डालते रहते हैं और जितना पानी उसको चाहिए उतना वह पानी ले लेता है और बाकी पानी जैसे ही उसकी नाली से नीचे जाएगा, री-साइकिल होकर दुबारा उसमें आता जाएगा। अभी इसकी लागत थोड़ी महंगी है। अभी हाल ही में डेनमार्क के राजदूत जयपुर आए थे तो उन्होंने पशुपालन और इस पर, दोनों पर सीएम साहब से बात की। मैंने उसमें सुझाव दिया है कि हमारी जो जोबनेर यूनिवर्सिटी है उसमें दोनों के छोटी लागत के मॉडल तैयार करके दें ताकि हम किसानों को दिखा सकें कि यह भी एक खेती का नया तरीका है।

सभापति महोदय, कृषि के क्षेत्र में राजस्थान के कृषकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों से कृषि क्षेत्र में राज्य ने देश में नए आयाम स्थापित किए हैं। राजस्थान देश में विभिन्न फसलों के उत्पादन में अपना एक विशेष स्थान रखता है। राज्य बाजरा, सरसों, पौष्टिक अनाज, ग्वार, ईसबगोल तथा मेहंदी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। राज्य दलहन, तिलहन, जीरा, मेथी, लहसुन तथा सौंफ उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। राज्य सोयाबीन, अजवायन, धनिया तथा मसालों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। हमारे किसान राज्य को कृषि में अग्रणी बनाने की विलक्षण क्षमता रखते हैं। सभापति महोदय, इसमें एक बात और करना चाहूंगा कि यह जो विलक्षण क्षमता वाला मामला है, इसमें मैं उन तीन किसानों के नाम कोट करना चाहूंगा जिनको अच्छी खेती और परम्परागत खेती के लिए भारत सरकार ने 2019 और 2020 में पद्मश्री दिया है। ये राजस्थान के तीन किसान हैं। सुण्डाराम वर्मा दांतारामगढ़, सीकर के हैं, आप तो शायद जानते होंगे।

श्री सभापति: जानता हूं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): इनको पद्मश्री मिला है। दूसरे हैं हुकुम चन्द पाटीदार निवासी मानपुरा, झालावाड़, इनको भी पद्मश्री मिला है और तीसरे फिर आपके सीकर के हैं और सभापति महोदय, उनका नाम है जगदीश चन्द पारीक। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों में जो जागृति आई है और जिसके परिणाम हैं। सभापति महोदय, पद्मश्री मिलना कोई छोटी बात नहीं है किसान परिवारों को और भारत सरकार ने 2019 और 2020 में दिए हैं। हमारा सपना है कि हमारे प्रदेश का किसान कृषि में नवीन तकनीक अपनाकर खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े।

(श्री लालचन्द कटारिया)

सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। वर्ष 2018-19 में कृषि विभाग की स्कीम संशोधित बजट प्रावधान में 2 हजार 111 करोड़ 96 लाख था जो 2020-21 के संशोधित बजट में बढ़कर रुपये 3 हजार 646 करोड़ 72 लाख हो गया। सभापति महोदय, हमारा सपना है कि हमारे प्रदेश का किसान कृषि में नवीन तकनीक अपनाकर खुशहाली के मार्ग पर आगे बढ़े। सदन को यह जानकर हर्ष होगा कि कृषि राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। ये वे ही आंकड़े आ गए।

सभापति महोदय, मैं प्रधान मंत्री फसल बीमा के बारे में बात करना चाहूंगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा में वर्तमान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में अब तक 4 हजार 295 करोड़ रुपये के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान किया गया है जिसमें गत सरकार के समय के 1 हजार 135 करोड़ रुपये के बकाया दायित्व का भी भुगतान किया गया है। योजना में रबी 2019-20 तक के समस्त राज्यांश प्रीमियम राशि का भुगतान बीमा कम्पनियों को कर दिया गया है। खरीफ 2020 में बीमा कम्पनियों द्वारा 1 हजार 735 करोड़ रुपये की राज्यांश प्रीमियम की मांग के विरुद्ध आज दिनांक तक 980 करोड़ रुपये के राज्यांश प्रीमियम का भुगतान बीमा कम्पनियों को कर दिया गया है, शेष राज्यांश भुगतान प्रक्रियाधीन है। हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान जनवरी 2019 से अब तक 56 लाख 95 हजार किसानों को राशि रुपये 8 हजार 483 करोड़ के बीमा क्लेम का भुगतान करवाया गया है जो कि अपने आप में एक नवीन कीर्तिमान है। वर्तमान राज्य सरकार कृषकों के हितों के प्रति पूर्णतया सजग है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अन्तर्गत 2020-21 में राज्यांश प्रीमियम मद में 2303.22 करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध कराया गया है जो कि आज तक का सर्वाधिक है।

सभापति महोदय, आज सुबह से कई माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई और सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि वर्तमान समय में ओलावृष्टि हुई है कोटा, बारां, झालावाड़ और जिन जिलों में हुई हैं वहां तुरन्त प्रभाव से हमने जितनी भी बीमा कम्पनियां थीं, वहां के जिलाधीश महोदय और कृषि विभाग के अधिकारियों को कह दिया गया है। बार-बार यह बात उठी कि पटवारी हड़ताल पर हैं। यह बात सही है, पर उसके अलावा भी हमने व्यवस्था

(श्री लालचन्द कटारिया)

करायी है और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नियम बने हुए हैं, जो 72 घंटे का टाइम है उसमें उनका आकलन होगा और जैसे-जैसे रिपोर्ट आएगी, हम राज्यांश जमा कराएंगे और किसानों को तुरन्त राहत देंगे क्योंकि कई माननीय विधायकों ने चिंता व्यक्त की कि इनको तुरन्त लाभ मिलना चाहिए और यह बात भी सही है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ही इसीलिए।

कृषकों को समय पर बीमा क्लेम का भुगतान कराये जाने के उद्देश्य से 2019-20 एवं 2020-21 में कृषक कल्याण कोष से 1750 करोड़ रुपये अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये। खरीफ 2018 में बीमित क्षेत्रफल 46 लाख 34 हजार हैक्टेयर था जो कि खरीफ 2020 में बढ़कर 73 लाख 34 हजार हो गया। खरीफ 2019 तथा रबी 2019-20 में राज्य में मोबाइल एप के द्वारा 1 लाख 49 हजार से अधिक फसल कटाई प्रयोग किए गए, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। इससे विवादों में कमी आई तथा समय-समय पर किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान सुनिश्चित हुआ।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो प्रक्रिया हमने अपनाई है इसमें पाली वाले माननीय सदस्य हैं उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। ये लगातार भारत सरकार के सम्पर्क में रहते हैं और यह हमने नया प्रयोग किया है और फसल कटाई प्रयोग में हमें काफी लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा के विभिन्न क्षेत्रों में राज्य द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र भी दिया गया है। इस मौके पर मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को कहना चाहूंगा कि - 'खेती करना जिसका काम है, मेहनत उसकी पहचान है।' बिना मेहनत के खेती हो नहीं सकती।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने 2019-20 के बजट में घोषणा की थी कि ईज ऑफ डूईंग बिजनस की तर्ज पर हम किसानों के लिए ईज ऑफ डूईंग फार्मिंग की दिशा में पहल करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी के इस विजन को साकार करने के लिए सिंगल विण्डो के रूप में एक इंटीग्रेटेड पोर्टल राज किसान साथी विकसित किया गया है। इसमें कृषि, उद्यानिकी, कृषि विपणन विभाग, कृषि विपणन बोर्ड, बीज निगम, बीज प्रमाणीकरण संस्था आदि शामिल किए गए हैं। सभापति महोदय, इसमें हमने

(श्री लालचन्द कटारिया)

काफी बड़ा काम किया है और जितनी भी हमारे विभाग की योजनाएं हैं उन सबको भारत सरकार के जो पोर्टल हैं उनके साथ जोड़ने का काम किया है ताकि बार-बार स्कीमों में जो विसंगतियां आती हैं, जैसे सबसे बड़ी प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना है, कृषि विपणन के मामले हैं, बीज निगम के मामले हैं, इनमें हम आने वाले दो-तीन महीनों में जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो मैं यह मानकर चलता हूं कि किसानों की, जो बार-बार विसंगतियां होती हैं कि भारत सरकार के पोर्टल पर यह विसंगति है, इसकी यह शिकायत है, उसकी वह शिकायत है, ये करीब-करीब खत्म हो जाएंगी और यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस पोर्टल के माध्यम से कृषि विभाग ने सम्पूर्ण आवेदन प्रक्रिया को सुगम एवं पेपरलैस बनाया है। अब किसान को अपने घर से नजदीकी ई-मित्र से जनाधार के जरिये आवेदन की सुविधा उपलब्ध होगी। दूर-दराज के गांवों में रहने वाले हमारे किसानों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के बाद अब विभाग के कार्यालयों में चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। वे ऑनलाइन अपने आवेदन पत्र की स्थिति में जा सकते हैं, साथ ही आवेदन पत्र की विभिन्न स्थितियों की जानकारी आवेदक के मोबाइल पर एसएमएस के माध्यम से दी जा सकती है। हम उसमें सूचना देने का भी काम करेंगे। किसी ने तारबंदी के लिए हमारे उसमें एप्लाई किए तो हम उसकी वरीयता सूची बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीजें उसमें रहेंगी।

इस पोर्टल के माध्यम से व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं, जैसे-फार्म पौण्ड, डिग्गी, जल हौज, कृषि पाइपलाइन, फव्वारा, ड्रिप स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर, बीज उत्पादकों का पंजीकरण, कृषि यंत्रों के अनुदान, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं की शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि आदि योजनाओं को ऑनलाइन किया जा चुका है। अब तक राज किसान साथी पोर्टल पर 1 लाख 17 हजार से ज्यादा आवेदन विभिन्न गतिविधियों के लिए प्राप्त हो चुके हैं।

कृषि विपणन बोर्ड की कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी योजना, भाड़द अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रारम्भ की जा चुकी है। हमारे किसानों को बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध कराने वाले दूर-दराज के गांव और कस्बों के व्यापारियों को उर्वरक, कीटनाशक व बीज के

(श्री लालचन्द कटारिया)

लाइसेंस, ये भी एक बहुत बड़ा झमेला था, हमेशा व्यापारियों की शिकायत रहती थी कि कृषि अधिकारी परेशान कर रहे हैं, लाइसेंस रिनुअल नहीं कर रहे हैं और वे कृषि विभाग के चक्कर लगाते रहते थे। अब वे ऑनलाइन एप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही उनको लाइसेंस दे दिया जाएगा, ताकि जिस प्रकार की विसंगतियां रही हैं, वे आगे इसमें नहीं रहें। पंजीकरण के लिए भी सुविधा विकसित की जा चुकी है।

किसानों को विभागीय योजनाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए राज किसान सुविधा मोबाइल एप, जैविक उपज क्रेता-विक्रता के लिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है साहब। आज जैविक खाद और जैविक रसायन की हमने बात की, उसके लिए बहुत जरूरी जैविक उपज के क्रेता-विक्रेता के लिए राज किसान जैविक मोबाइल एप तथा टिड्डी के हॉपर्स के सर्वेक्षण एवं निगरानी के लिए भी मोबाइल एप विकसित किया गया है। टिड्डी दल आपने तो देखा ही है, आपके चूरू तक पहुंच गया था सभापति महोदय टिड्डी पर जितना काम भारत सरकार के साथ मिलकर राजस्थान के कृषि विभाग ने किया, उसी का परिणाम है कि आज हम टिड्डी को खतम कर पाए। बहुत बड़ा चैलेंज था, पूरा राजस्थान कवर होने के बाद में मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और गुजरात तक टिड्डियों ने मार की और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि भारत सरकार ने हैलीकॉप्टर उपलब्ध कराए, ड्रोन उपलब्ध कराएं और हमने पूरे प्रयास किये और हमने 18 करोड़ रुपये लगाकर, रसायन फ्री देने का काम किया और जितने भी जिला कलेक्टर हैं, उनको कहा कि ट्रैक्टर उपलब्ध करके, जो माउंटेड स्प्रे मशीनें हैं, उनके द्वारा भी टिड्डियों को मारने का काम किया, उसमें दोनों ने मिलकर जो सफलता पाई, उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान से टिड्डी गायब है।

उर्वरक एवं बीज की गुणवत्ता परीक्षण के लिए भी नमूनों के आहरण से लेकर उनकी प्रयोगशाला में जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने तक के लिए बार कोड आधारित राज एग्री क्यूसी मोबाइल एप विकसित किया गया है। इस एप के माध्यम से अब तक 14 हजार के लगभग नमूने लिये जा चुके हैं।

कृषि एवं संबंधित विभाग के 10 हजार से अधिक कार्मिकों का पंजीकरण पोर्टल पर किया जा चुका है तथा इन समस्त कार्मिकों के सेवा अभिलेख का विवरण ऑनलाइन किया जा चुका है। राज किसान साथी पोर्टल

(श्री लालचन्द कटारिया)

को ई-मित्र, प्रधानमंत्री किसान सम्मान पोर्टल से भी जोड़ा गया है। जन-आधार पोर्टल, आधार पोर्टल, पे-मैनेजर पोर्टल, ई-धरती पोर्टल आदि से इंटीग्रेट किया जा चुका है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि डिजिटल क्रांति जो पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है, का लाभ प्रदेश के किसानों को मिले, इसके लिए हम भरपूर प्रयास कर रहे हैं। टिड्डी के बारे में तो मैंने बोल ही दिया। टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के...

श्री सभापति: कितनी देर का और रह गया।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अभी बोल देता हूं, कर रहा हूं, सर। टिड्डी नियंत्रण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की और भारत सरकार चेतावनी संगठन के प्रयासों की संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन के वरिष्ठ अधिकारी श्री कीथ किसमैन ने भी प्रशंसा की है कि हम टिड्डी को प्रदेश में खतम कर पाए।

सभापति महोदय, पिछले वर्ष कोविड महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान भी कृषकों को सरकार द्वारा राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक कदम उठाये गये हैं। खेतिहर मजदूरों की कमी के कारण, किसानों को फसल कटाई में परेशानी नहीं हो, इसी दृष्टिकोण से कोविड-19 महामारी के सख्त लॉकडाउन के दौरान भी पड़ोसी राज्यों से समन्वय स्थापित कर फसल कटाई हेतु कम्बाइंड हार्वेस्ट की राज्य में निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की गई। खरीफ 2020 के दौरान कोविड-19 के चलते कृषकों को राहत के उद्देश्य से 10 लाख 90 कृषकों को संकर मक्का बीज मिनी किट, 8 लाख 21 हजार कृषकों को संकर बाजरा बीज मिनी किट कृषकों को नि:शुल्क वितरित किये गये।

सभापति महोदय, कोविड महामारी के दौरान विभाग ने एक नया नवाचार करते हुए, टैफे कम्पनी के सहयोग से प्रदेश के तीस जिलों में 27 हजार 379 लघु एवं सीमांत किसानों को 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक 1 लाख 3 हजार 16 घंटों की नि:शुल्क ट्रैक्टर व कृषि यंत्रों की सेवाएं उपलब्ध कराई गईं। ये टैफे कम्पनी ने कोरोना के अंदर सरकार की मदद की, ताकि किसानों को यह नि:शुल्क किया गया।

(श्री लालचन्द कटारिया)

सभापति महोदय, कृषि विभाग द्वारा रिक्त पदों की भर्ती हेतु प्राथमिकता से कार्यवाही करते हुए 2020-21 में कृषि पर्यवेक्षक के 1 हजार 941 पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी है तथा 882 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाकर योग्य अभ्यर्थियों से दिनांक 17.03.2021 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। सहायक कृषि अधिकारी के 287 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 176 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। सांख्यिकीय अधिकारी के 12 पदों व सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के 26 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं। इसके साथ ही कृषि अन्वेषक के 70 पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। कृषि अधिकारी के 97 रिक्त पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संवीक्षा परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। अनुसंधान संवर्ग के विभिन्न 77 पदों की भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संवीक्षा परीक्षाओं का आयोजन किया जा चुका है। विभाग में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों को भरने हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी 102 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा अन्य 38 पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थना प्रशासनिक सुधार विभाग को भिजवाई जा चुकी है। विभाग में शीघ्रलिपिक 3 एवं वाहन चालक के 18 रिक्त पदों की भर्ती हेतु अभ्यर्थनाएं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भिजवाई जा चुकी हैं। इस प्रकार कृषि विभाग में 2 हजार 368 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये जा चुके हैं तथा 1 हजार 409 पदों पर भर्ती की कार्यवाही, भर्ती एजेंसियों के स्तर पर प्रक्रियाधीन है।

सभापति महोदय, कस्टम हायरिंग सेन्टर के बारे में कई माननीय सदस्यों ने अपनी बात कही। माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार द्वारा लघु एवं सीमांत कृषक उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपकरण किराये पर उपलब्ध कराने हेतु गत दो वर्षों में 426 कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट घोषणा के अंतर्गत सहकारिता विभाग के माध्यम से 98 क्रियाशील एवं सक्षम क्रय-विक्रय सहकारी समितियों, ग्राम सेवा सहकारी समितियों पर कस्टम हायरिंग सेन्टर की स्थापना की गई।

(श्री लालचन्द कटारिया)

सभापति महोदय, यह पहला नवाचार किया गया है। इसमें जो जीएसएस और केवीएस है अपने, उनके अंदर हमने ट्रैक्टर और संसाधन उपलब्ध कराए हैं कि गांव का कोई भी गरीब आदमी कम रेट पर ट्रैक्टर ले जाए, अपनी जुताई करे और उस ट्रैक्टर को सेन्टर पर खड़ा कर दे या जीएसएस वाला कोई ड्राइवर रखे अपने यहां और यदि रैगुलर उस ट्रैक्टर को चलाता है गांव में और उस क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर जो कई माननीय सदस्यों ने कहा कि किसानों को कृषि यंत्रों पर पूरा अनुदान देना चाहिए, उसी के तहत हमने यह पहला प्रयोग किया है। करीबन 98 सेन्टर हमने चालू किये हैं। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उनको बढ़ाने की बात भी की है। हमारी सरकार द्वारा दो वर्षों में किसानों को 18 हजार 632 कृषि यंत्र अनुदान पर उपलब्ध कराये गये हैं।

राज्य में विगत दो वर्षों में किसान को 53 लाख 73 हजार मैट्रिक टन यूरिया तथा 17 लाख 32 हजार मैट्रिक टन डीएपी उपलब्ध कराया गया है। रबी 2019-20 में रिकॉर्ड बुआई क्षेत्र 1 करोड़ 13 लाख हैक्टेयर होने के बावजूद भी यूरिया, उर्वरक की कमी नहीं होने दी गई। इस प्रकार राज्य के किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। राज्य में मांग के अनुरूप, उर्वरक की पर्याप्त आपूर्ति एवं अग्रिम भंडारण हेतु कुल 2 लाख 13 हजार मैट्रिक टन यूरिया एवं 87 हजार मैट्रिक टन डीएपी का भंडारण किया गया है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के तहत, विगत दो वर्षों में 5 हजार 900 कृषक बीज उत्पादक समूहों द्वारा 2 लाख 23 हजार क्विंटल बीज उत्पादित करवाकर 2 लाख 97 हजार किसानों को लाभान्वित कराया गया है।

सभापति महोदय, अब जल प्रबंधन पर, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जल प्रबंधन के तहत नहरी क्षेत्र में 4 हजार 120 डिग्गियां सिंचित क्षेत्र में, 1 हजार 116 जल हौज, वर्षा जल के संग्रहण हेतु 8 हजार 233 फार्म पौण्ड का निर्माण कराया गया है एवं कुए से खेत तक होने वाले जल के अपव्यय को बचाने के लिए 16 हजार 975 किलोमीटर लम्बी सिंचाई पाइपलाइन स्थापित कराई गई है। वर्ष 2020-21 में प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण सामान्य श्रेणी अन्तर्गत 4 हजार

(श्री लालचन्द कटारिया)

173 फार्म पौण्डों की राशि 31 करोड़ 5 लाख रुपये राज्य मद से व्यय किये जाने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाकर जिलों को आबंटन किया जा चुका है। एवं भुगतान किया जा रहा है।

(19.00 बजे)

सभापति महोदय, वर्ष 2018-19 में निर्मित 4120 डिग्गियों का अनुदान भुगतान केंद्रीयांश राशि के अभाव में लंबित चल रहा था। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 2020-21 में राज्य मद से राशि रुपये 92 करोड़ 20 लाख स्वीकृत कर जिलों को आबंटन कर दिया गया है जिसका भुगतान कृषकों को किया जा रहा है। बस खतम कर रहा हूं, यह सभापति महोदय, पुरानी सरकार का मामला था और टारगेट से ज्यादा फार्म पॉन्ड बन गए थे गंगानगर, हनुमानगढ़ और इधर, उनका पेमेंट केंद्र सरकार ने यह कहकर मना किया, हमने बार-बार संपर्क किया, उन्होंने कहा कि जब टारगेट था ही नहीं तो आपने जो योजना भेजी उसका पैसा हम दे चुके हैं, अब आप अपने हिसाब से चाहे कितने ही बनाओ तो अब उसका यह फैसला लिया गया है कि राज्य मद से हमने 50 करोड़ का भुगतान तो कर दिया, टोटल 92 करोड़ 20 लाख हैं। मंजूर 92 करोड़ ही कर दिए हैं 50 लाख का भुगतान किया जा चुका है और 42 करोड़ का भुगतान प्रक्रियाधीन है, वह भी कुछ ही दिनों में किसानों को मिल जाएगा।

सभापति महोदय, अब माननीय सदस्य जितने बोले हैं उनके मैं नाम बोल देता हूं, मैंने सब का लिखा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): ठीक है, नाम बोल दो।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): नाम बोल देता हूं। सबसे पहले तो आप ही बोले हैं तो आप तो मेरे साथ चलना विधान सभा के बाद में। मैं खेती करता हूं कि नहीं करता हूं मैं मेरे फार्म हाउस पर ले कर चलूंगा आपको और वहीं बैठकर आपको खाना खिलाऊंगा और आपको जो सब्जियां आप कहोगे, वह तोड़-तोड़ कर खिलाऊंगा और वहां मेरे पास तीन तरह के मुर्गे भी हैं कड़कनाथ और यह।

माननीय सभापति महोदय, नरेंद्र नागर जी ने जैविक खेती की बात की और यह बात सही है, सभापति महोदय, कि हम जितने भी सदस्य मौजूद हैं, जिस प्रकार से कैंसर महामारी का रूप ले चुका है, हमारे को परंपरागत

(श्री लालचन्द कटारिया)

खेती पर आना ही पड़ेगा। आदमी कितना ही सम्पन्न हो, कितनी ही धन दौलत हो पर जिस प्रकार से यह कैंसर बढ़ रहा है उससे इस जैविक खेती की तरफ ध्यान देना आवश्यक है और इसका प्रचार और प्रसार करने के लिए हमारे विभाग ने पूरी मेहनत कर रखी है और मैं तो माननीय सदस्यों से भी कहना चाहूंगा कि हम जन प्रतिनिधि हैं, हम सब जगह गांव में जाते हैं, हम लोगों को समझाएं। एक साल पहले मुझे एक 80 साल के किसी किसान ने जब मैं भाषण दे रहा था गांव में, तो पकड़ कर उन्होंने मुझे कहा कि भैया पहले इधर आ। मैंने पूछा कि क्या बात हो गई तो बोला कि आज से 35 साल पहले जो दूसरे नेता आते थे वह कृषि पर्यवेक्षकों को लेकर आते थे और हमारे को यह कहा कि डीएपी का उपयोग करो, यूरिया का उपयोग करो, पोटाश दो और यूरिया इतनी बार दो तो बोला कि मैं जवान था तो मैंने सारा उपयोग किया और वही कृषि पर्यवेक्षक अब रिटायरमेंट के नजदीक हैं और मेरे ही गांव में पोस्टिंग हो गई उसकी, वह कहता है कि जैविक खेती का उपयोग करो और यह गोबर काम में लो, गोमूत्र काम में लो तो आदमी करे तो क्या करे, यह तो बताओ। यह बात सही है, उस किसान की बात मुझे भी जमी। मैं तो उस समय था नहीं पर वह कह रहा था कि मेरी उम्र उस समय खेती लायक थी। अब आप लोगों को समझा रहे हो कि जैविक खेती का उपयोग करो, गोबर की खाद काम में लो, अच्छे बीज काम में लो तो यह तो हम पहले कर ही रहे थे, पर आप लोगों ने शिक्षा के साथ में जो किया कि यूरिया डालो, डीएपी डालो, यह डालो तो हमने डाला, पैदावार भी बढ़ी, पर अब आप ही कह रहे हो कि कैंसर बढ़ गया उन्हीं चीजों से तो यह जैविक खेती के बारे में नागर साहब का जो सुझाव था, वह बढ़िया सुझाव था, हम इस पर काम कर रहे हैं।

पदमाराम जी चौहटन, आपने ऋण माफी की बात की है। नारायण सिंह जी देवल साहब रानीवाड़ा, आपके सुझाव मेरे पास हैं। हाकम अली जी, बलवीर लूथरा जी डिग्गियों के बारे में आपने बात कही है, खालों के निर्माण के बारे में आपने बात कही है। रूपाराम जी जैसलमेर, इनका तो वही मामला है भेड़, बकरी और ऊंट वाला। अमीन खां जी ने भी कहा। ऊंट के बारे में सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, हमने एक कमेटी बनाई है और यह बात सही है कि ऊंटों की हालत यदि यही रही तो आने वाले समय में ऊंट तो प्रदेश से खतम हो जाएंगे तो मैं आप लोगों से भी सुझाव चाहूंगा और वह सुझाव आप भेजो तो उस कमेटी में हम जो फैसला लें उसके

(श्री लालचन्द कटारिया)

बाद में आपको अवगत कराया जाएगा और निश्चित तौर पर ऊंट पालकों के लिए बहुत बड़ा संकट है। हमने उनका पैसा भी बंद कर दिया था। अब नयी कार्य योजना बनाई है 23 करोड़ की आरकेवीवाई से, वह जल्दी ही हम लागू करके और उनको जो 10000 रुपये मिलते थे वह तो उनको मिले और उसके बाद में...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): गधों का भी बता दो।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): गधों का तो मेला ही बंद हो गया, वह तो आपके टाइम ही बंद हो गया था। वह यहीं भरता था।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): गधे भी गायब कर दिए।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): वह भी गायब कर दिया आपने। ऊंट गायब हो रहे हैं वैसे वह गायब हो गए लूनियावास में। चन्द्रकान्ता जी ने भी अपने अच्छे सुझाव दिए हैं, टेल पर पानी नहीं मिल रहा है, शुगर मिल बंद पड़ी है। आलोक बेनीवाल जी, आपके सुझाव भी हैं। धर्मेंद्र कुमार मोची जी पीलीबंगा, लक्ष्मण जी बस्सी ...(व्यवधान)... सबके ले रहा हूं। सुरेश सिंह जी रावत पुष्कर, हरीश चंद्र मीना जी, जगसी राम जी रेवदर, पानाचंद जी मेघवाल, श्रीमती कल्पना जी लाडपुरा कोटा, बलवान पूनियां जी आपने तो केवल कृषि बिलों पर ही भाषण दिया है। अशोक खंडार जी, कालूराम जी डग साहब, चेतन चौधरी जी, रूपा राम जी मकराना साहब, जय हो तेजाजी महाराज की, आपने भी ... (व्यवधान)... हां, सुनाया साहब, इन्होंने तेजाजी का। जोराराम जी कुमावत सुमेरपुर ...(व्यवधान) दिव्या मदेरणा जी ने शुरुआत की।

श्री कालूराम (डग): ....(व्यवधान) ग्रीन हाउस के टारगेट बढ़ाये जाएं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): वह बढ़ाएंगे, सर। कन्हैया लाल जी मालपुरा, बाबूलाल जी नागर साहब ...(व्यवधान)... कह रहा हूं। बिहारीलाल जी नोखा, अमीन खां जी, संतोष जी, संयम लोढ़ा जी और नारायण बेनीवाल जी, बलजीत यादव जी, गणेश घोघरा जी, रमीला खड़िया जी, आप सभी के मैंने नोट किए हैं। अब मैं पशुपालन के बारे में भी 2 मिनट बोल देता हूं, सभापति महोदय।

श्री सभापति: इनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल कर लेना आप।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की महत्वपूर्ण भूमिका है। लघु एवं सीमांत किसानों, कृषि श्रमिकों एवं ग्रामीण गरीब लोगों की बहुत बड़ी संख्या लाभप्रद रोजगार हेतु पशुधन पर

(श्री लालचन्द कटारिया)

आश्रित हैं। वर्ष 2019 की पशु गणना के अनुसार राज्य में 5 करोड़ 66 लाख पशुधन तथा 1 करोड़ 46 लाख कुक्कुट संपदा है। प्रदेश का काफी बड़ा भाग मरुस्थलीय एवं जनजाति बहुल पर्वतीय क्षेत्र है। राज्य में स्वदेशी पशुधन के लिए प्रसिद्ध है यहां के नागौरी बैल, जिनकी बात नागौर वाले माननीय सदस्य कह रहे थे नागौरी बैल, गिर, राठी, थारपारकर व कांकरेज गायें, मालानी घोड़े, बीकानेरी एवं जैसलमेरी ऊँट, जखराना, सिरोही एवं मारवाड़ी नस्ल की बकरियां तथा चोखला, मारवाड़ी नाली एवं पूगल नस्ल की भेड़ें अपने आप में एक विशिष्ट स्थान रखती है। देश में पशुधन संख्या के आधार पर राजस्थान का द्वितीय स्थान है। ऊन उत्पादन में प्रथम व दुग्ध उत्पादन में देश में द्वितीय स्थान पर है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का लगभग 12% व बकरा मांस का 35% एवं ऊन का 30 प्रतिशत उत्पादन राज्य में होता है। राज्य के कुल सकल घरेलू उत्पाद आय में 11% का योगदान है। सभापति महोदय, मैं यह पहले बता चुका हूं कि वर्तमान समय में यदि खेती करनी है और जिस जैविक खेती की बात हो रही है, उसके लिए पशुपालन बहुत जरूरी है पर इसमें भी किसान परिवारों की जो टूटत हुई है, एकल परिवार हो गए। पुराने जमाने में परिवार इकट्ठे रहते थे तो दो-चार लोग मिलकर के खेती का काम करते थे, पशुधन का काम करते थे। इसके लिए भी हमारे को कोई नीति बनानी पड़ेगी कि जो जैविक खेती है उसकी बातें तो हम करते हैं पर उसके लिए गोबर, गोमूत्र और जितनी हरी पत्तियां हैं उनको गला कर जो प्रयोग में लिया जाए, उसी से हम हमारी उर्वरक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार हमने कई स्कीमें पशुपालन में चला रखी हैं और राज्य में ऊंट के बारे में मैंने बता दिया है।

प्रदेश में बर्ड फ्लू रोग की रोकथाम के नियंत्रण कक्ष की स्थापना की गई है तथा समय-समय पर पर्याप्त प्रबंध करते हुए इसका सफल नियंत्रण कराया गया है जिससे इस रोग को मुर्गियों में आने से रोका जा सके और मुर्गी पालकों को आर्थिक हानि से बचाया जा सके। सर, यह बहुत बड़ी समस्या आ गई थी। अभी कुछ दिनों पहले तो भारत सरकार के माननीय पशुपालन मंत्री महोदय से मैंने खुद ने बात की और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि एक लैब हम क्योंकि हमारे सैंपल हम बाहर भेजते थे तो उन्होंने कहा कि आप इसकी पूरी एक बनाकर भेजो डीपीआर और मुझे उन्होंने आश्वस्त किया कि आने वाले समय में एक लैब हम जयपुर में स्थापित करेंगे क्योंकि जिस प्रकार

(श्री लालचन्द कटारिया)

से यह बर्ड फ्लू फैला तो कोरोना साथ में था ही और जिस प्रकार से मीडिया में खबरें आई तो एक बार तो पूरे प्रदेश में घबराहट हुई कि यह नई तरह का मामला है। वह तो ठीक रहा कि समय रहते वह बर्ड फ्लू खतम हो गया। खतम करूं या और बोलूं? क्योंकि मुझे खुद को पता है कि मुझे भी शादी में जाना है और कई लोग मुझे पहले कह चुके हैं।

श्री सभापति: मांग पारित कराओ।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अब मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव विचार इस सदन में रखे हैं। हमारी सरकार का भरपूर प्रयास रहेगा कि जो कुछ किसानों व पशुपालकों के हित में संभव है, वह प्रदेश में लागू हो। साथ ही मैं कोरोना महामारी के विपत्तिकाल में कृषि एवं पशुपालन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के लिये उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं एवं मैं उन समस्त जन प्रतिनिधियों व मीडिया के उन सभी साथीगण को साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कोविड19 से लड़ाई लड़ने में अपनी सार्थक भूमिका का निर्वहन किया।

सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 37-कृषि और मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा को पारित किया जाए।

मांग संख्या 37-कृषि का पारण

श्री सभापति: कोई घोषणा वगैरह नहीं है क्या?

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37-कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,56,94,11,000/-(सैंतीस अरब छप्पन करोड़ चौरानवे लाख ग्यारह हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के

(श्री सभापति)

निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 18,29,58,64,000/- (अठारह अरब उनतीस करोड़ अट्ठावन लाख चौंसठ हजार) तक की राशि प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 19.12 बजे मंगलवार, दिनांक 16 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

ओसियां में लम्बित श्रम कार्ड

265. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में विगत पांच वर्षों में कितने श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये गये व वर्तमान में विभाग के पास कितने श्रमिक कार्ड लंबित हैं? पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि लंबित श्रमिक कार्ड अब तक जारी नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त कार्ड अब कब तक जारी कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में श्रमिक कार्ड से विगत दो वर्षों में कितने श्रमिकों को लाभ मिला? पंचायतवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र ओसियां के विगत 5 वर्षों में बनाये गये श्रमिक कार्डों का ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र ओसियां में विभाग के पास लम्बित आवेदनों का ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-2 पर है।

(2) आवेदनों का नियमानुसार एवं नियमित निस्तारण फीफो पद्धति पर वरीयता के आधार पर किया जाता है, जो एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(3) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में मण्डल द्वारा विगत दो वर्षों में हुए लाभान्वितों का ग्राम पंचायतवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

बांसवाड़ा में जिला श्रम अधिकारी का पदस्थापन

281. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या पूर्व में श्रम कार्ड पंचायत समिति स्तर पर बनाये जाते थे एवं वर्तमान में उक्त व्यवस्था में परिवर्तन कर उक्त कार्ड जिला श्रम अधिकारी के माध्यम से बनाये जाते है?

(2) क्या सरकार उक्त कार्ड पुन: पंचायत समिति स्तर पर बनाने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बांसवाड़ा जिले में विगत पांच वर्षों में जिला श्रम अधिकारी के पद पर कौन-कौन कब-कब रहे एवं वर्तमान में उक्त पद कब से रिक्त है? क्या सरकार उक्त अधिकारी व कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नही, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। निर्माण श्रमिकों का पंजीयन करने हेतु प्रदेश के विकास अधिकारियों को अधिसूचना दिनांक 05.08.2013 द्वारा अधिकृत किया गया था। वर्तमान में पंजीयन का समस्त कार्य संबंधित जिले के श्रम कार्यालय में अधिकृत पंजीयन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा हैं।

(2) जी नहीं। पंचायत समिति स्तर पर अधिकृत विकास अधिकारियों द्वारा निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा योजना आवेदनों के निस्तारण में वांछित रूचि नहीं लिये जाने के कारण दिनांक 31.12.2018 के पश्चात् पंजीयन का कार्य विभाग द्वारा अपने स्तर पर निस्तारित करने का निर्णय भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के स्तर से लिया गया। विभाग द्वारा फीफो (पहले आओ, पहले पाओ) पद्दति से आवेदनों का निस्तारण नियमित रूप से किया जा रहा है।

(3) बांसवाड़ा जिले में विगत पांच वर्षो में पदस्थापित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

वर्तमान में सहायक श्रम आयुक्त, बांसवाड़ा के पद पर अधिकारी पदस्थापित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फलौदी में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद

282. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में विभाग के भवन कहां-कहां पर बने हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं तथा वर्तमान में कौन-कौन, कहां-कहां कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि विभाग के निर्मित भवनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कृषि पर्यवेक्षकों के स्वीकृत पदों, रिक्त पदों तथा वर्तमान में पदस्थापन स्थान का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर में सी एस आर फण्ड से स्थानीय युवाओं को रोजगार

283. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बाड़मेर में कैयर्न वेदांता कंपनी द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल कितने बैरल तेल का उत्खनन किया गया एवं इससे केंद्र एवं राज्य सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कंपनी द्वारा अपने सीएसआर फंड से जिला बाड़मेर में कहां-कहां कितनी राशि व्यय की गई? कार्य के नाम व स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कंपनियों के सीएसआर फंड से स्थानीय बेरोजगार युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर एवं जन प्रतिनिधियों की एक कमेटी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि कैयर्न वेदान्ता कम्पनी द्वारा बड़े स्तर पर किए जा रहे उत्खनन से हो रहे पर्यावरणीय प्रदूषण की क्षतिपूर्ति में पौधे

(श्री मेवाराम जैन)

लगाने के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है? यदि हां, तो कंपनी द्वारा विगत पांच वर्षों में कितने पौधे लगाए गए एवं इनमें से वर्तमान में कितने जीवित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाड़मेर में वेदांता लिमिटेड कम्पनी द्वारा वर्ष 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में कुल 160.07 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल का उत्पादन किया गया। वर्षवार क्रूड ऑयल के उत्पादन तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार को प्राप्त राजस्व की सूचना परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) भारत सरकार के दिशा-निर्देश अनुसार, राज्य सरकार द्वारा सी.एस.आर. फण्ड की मॉनिटरिंग किये जाने के प्रावधान नहीं है तथा कम्पनियों को सी.एस.आर. व्यय का विवरण उपलब्ध कराने हेतु सी.एस.आर. नियमों के तहत राज्य सरकार द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता है। उक्त अवधि में कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार बाड़मेर जिले में सी.एस.आर. के तहत 60.42 करोड़ का व्यय किया गया है। कार्य का विवरण एवं व्यय की गई राशि का ब्यौरा परिशिष्ट-2 एवं कार्य के स्थान का विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(3) जी नहीं। सी.एस.आर. हेतु बनाये गये नियमों व अधिसूचनाओं के आधार पर कम्पनियों के सी.एस.आर. फण्ड से किये जाने वाले कार्यों हेतु जिले के किसी जन प्रतिनिधि अथवा जिला प्रशासन द्वारा बनायी गई कमेटी के माध्यम से करवाये जाने का कोई विधिक प्रावधान नहीं हैं।

(4) जी नहीं। वेदांता लिमिटेड द्वारा यह सूचित किया गया है कि पिछले 5 वर्षों में उनके द्वारा 74,872 पौधे लगाये गये तथा क्षेत्र में जीवित पौधो की संख्या 1,39,334 हैं। कम्पनी को राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रदत्त "कन्सेंट टू ऑपरेट" में 33 प्रतिशत क्षेत्र को हरित पट्टे के रूप में विकसित करने की शर्त रखी गई थी। वृक्षारोपण के रेण्डम सत्यापन हेतु दिनांक 11.02.2021 व 14.02.2021 को 10 स्थानों का निरीक्षण राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अधिकारियों द्वारा किया गया। निरीक्षण में वृक्षारोपण की संख्या उद्योग द्वारा दर्शाई गई संख्या से कम पाये जाने पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 23.02.2021 के पत्र से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद

284. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत चार वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कितनी राशि किस-किस फसल की खरीद पर व्यय की गयी?

(2) प्रदेश में जनवरी, 2019 से अब तक कौन-कौन सी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की गई खरीद की फसलवार मात्रा एवं खरीद राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

रबी विपणन वर्ष 2017-18

क्र.सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै.टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	गेहूं	1244872.00	2004.03

खरीफ विपणन वर्ष 2017-18

क्र.सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै. टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	मूंग	262216.60	1461.86
2.	उड़द	130969.38	707.23
3.	सोयाबीन	1627.32	35.46
4.	मूंगफली	146339.16	651.21
	योग	551152.46	2855.76

रबी विपणन वर्ष 2018-19

क्र.सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै. टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	सरसों	471737.48	1886.95
2.	चना	580018.68	2552.08
3.	गेहूं	1532133.00	2652.99
	योग	2583889.16	7092.02

(सहकारिता मंत्री)

खरीफ विपणन वर्ष 2018-19

क्र.सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै. टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	मूंग	239073.53	1667.54
2.	उड़द	77557.44	434.32
3.	सोयाबीन	2957.80	10.05
4.	मूंगफली	232488.66	1136.87
	योग	552077.43	3248.78

रबी विपणन वर्ष 2019-20

क्र.सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै. टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	सरसों	608576.47	2556.02
2.	चना	120398.31	556.24
3.	गेहूं	1411016.00	2595.68
	योग	2139990.78	5707.94

खरीफ विपणन वर्ष 2019-20

क्र.सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै. टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	मूंग	121669.07	857.77
2.	उड़द	26.50	0.15
3.	सोयाबीन	0.00	0.00
4.	मूंगफली	193080.23	982.78
	योग	314775.80	1840.70

रबी विपणन वर्ष 2020-21

क्र. सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै. टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	सरसों	346891.86	1535.00
2.	चना	615716.88	3001.62
3.	गेहूं	2224571.00	4271.14
	योग	3187179.74	8807.76

(सहकारिता मंत्री)

खरीफ विपणन वर्ष 2020-21

क्र.सं.	फसल का नाम	क्रय मात्रा (मै. टन)	क्रय राशि (करोड़ में)
1.	मूंग	12,020.06	86.50
2.	उड़द	0.00	0.00
3.	सोयाबीन	0.00	0.00
4.	मूंगफली	74,104.37	390.90
	योग	**86,124.43**	**477.40**

(2) राज्य में जनवरी 2019 से अब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर क्रय की गई फसल का विवरण निम्नानुसार है:-

1. रबी विपणन वर्ष 2019-20 में सरसों, चना व गेहूं की खरीद की गयी थी जिसके पेटे कुल 5,707.94 करोड रु. का भुगतान किया गया है।

2. खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूंग, उड़द व मूंगफली की खरीद की गयी थी जिसके पेटे कुल 1,840.70 करोड रु. का भुगतान किया गया है।

3. रबी विपणन वर्ष 2020-21 में सरसों, चना व गेहूं की खरीद की गयी थी जिसके पेटे कुल 8,807.76 करोड रु. का भुगतान किया गया है।

4. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में मूंग व मूंगफली की खरीद की गयी है जिसके पेटे कुल 477.40 करोड रु. का भुगतान किया गया है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को रेलवे की तर्ज पर प्रोफेशनल बनाने की कार्ययोजना

285. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को पब्लिक सेवा के साथ-साथ रेलवे की तर्ज पर प्रोफेशनल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

राजस्थान परिवहन निगम की स्थापना सड़क परिवहन निगम अधिनियम 1950 (केन्द्रीय अधिनियम) के अधीन की गई है। सड़क परिवहन

(परिवहन मंत्री)

निगम अधिनियम 1950 में वर्णित प्रावधानानुसार राजस्थान परिवहन निगम का उद्देश्य राज्य में जन सामान्य को आवश्यकता वाले स्थानों हेतु समन्वित बेहतर, सस्ती एवं सुलभ यातायात सुविधा उपलब्ध करवाना है।

लाभ/हानि के संबंध में उक्त एक्ट के अध्याय "चतुर्थ" के नियम 22 में निम्नानुसार प्रावधान भी किया हुआ है :-

22- General Principle of Corporation's Finance :

It shall be the general principle of a Corporation that in carrying on its undertaking, it shall act on business principles.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

कुसुम योजना के तहत किसानों को राशि का आबंटन

279. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में कुसुम योजना के तहत अब तक कितने किसानों को सोलर पम्प सैट उपलब्ध करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में उक्त योजना के तहत सरकार द्वारा कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम) के कम्पोनेंट "बी" अन्तर्गत स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र लगवाने हेतु तीन आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से जिले के लक्ष्यों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की वरीयता में दो कृषकों का चयन कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। कृषकों द्वारा संयंत्र की लागत राशि का 40 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि जमा कराने के बाद कार्यादेश जारी कर लाभान्वित किया जा सकेगा।

(2) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना (पीएम कुसुम) के कम्पोनेंट "बी" अन्तर्गत स्टैण्ड अलोन सौर ऊर्जा पम्प सयंत्र स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 में राशि 115 करोड़ 20 लाख 61 हजार रुपये का प्रावधान रखा गया है।

झालावाड़ में जैविक खेती हेतु बजट का आबंटन

280. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कौन-कौनसी योजनाएं चलायी जा रही हैं? विगत दो वर्षों मे झालावाड़ जिले में किस-किस योजना में कितना-कितना बजट जारी किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु कृषि विभाग द्वारा

(कृषि मंत्री)

परम्परागत कृषि विकास योजना एवं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना चलाई जा रही है, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत गत दो वर्षों में झालावाड़ जिले में निम्नानुसार बजट जारी किया गया है:-

(राशि रु. लाख में)

नाम जिला	आबंटित बजट राशि		
	वर्ष 2018-19	वर्ष 2019-20	योग
झालावाड़	70.95	113.50	184.45

जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्यान विभाग द्वारा केन्द्रीय प्रवर्तित योजना- राष्ट्रीय बागवानी मिशन एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वर्मी कम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

विगत दो वर्षो के दौरान झालावाड़ जिले में योजनावार आबंटित बजट का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**योजना का नाम**	**आबंटित बजट राशि (राशि लाख में)**		
		वर्ष 2018-19	**वर्ष 2019-20**	**योग**
1.	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	445.81	423.00	868.81
2.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	345.12	516.80	861.92
3.	राज्य योजना	131.54	171.24	302.78
4.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	-	36.35	36.35
5.	राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धात्मक परियोजना (मनोहर थाना)	88.64	181.00	269.64

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

उपज बढ़ाने हेतु संचालित योजनाएं

281. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती संतोष)

(1) प्रदेश में कृषि विस्तार हेतु कृषि अनुसंधान द्वारा अधिकाधिक उपज हेतु कौन-कौनसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषकों को सुविधाएं प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के कृषकों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कृषि विकास हेतु राज्य के कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा कृषि अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, अखिल भारतीय समन्वित कृषि अनुसंधान योजनाओं एवं नेटवर्क परियोजनाओं के अन्तर्गत राज्य की मुख्य फसलों - मक्का, ज्वार, गेहूं, मूंगफली, चना, कपास, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, उद्यानिकी फसलों, मशरूम, डेयरी पशु तथा मुर्गीपालन पर अनुसंधान किये जा रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट - 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य में परम्परागत कृषि विकास योजना के अन्तर्गत कृषकों को भूमि का जैविक परिवर्तन, परम्परागत जैविक आदान इकाई का निर्माण, फसल पद्धति एवं जैविक बीज, वर्मी कम्पोस्ट इकाई का निर्माण, जैव उर्वरक/जैव कीटनाशी/वेस्ट डिकम्पोजर, फॉस्फेट रिच ओर्गेनिक मैन्योर (प्रौम) आदि गतिविधियों पर तथा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजनान्तर्गत कृषक प्रशिक्षण एवं आदान उत्पादन इकाई हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत देय सहायता का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य योजनान्तर्गत जैविक खेती में उत्कृष्ट कार्य करने वाले तीन कृषकों को राज्य स्तर से प्रतिवर्ष 1-1 लाख रुपये की राशि से पुरस्कृत किया जाता है।

(3) विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के कृषकों को परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

गढ़ी में वन भूमि पर अतिक्रमण

282. श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी माइनिंग एरिया पालोदा, आसोदा में मार्बल खदान संचालित है एवं मालिकों ने वन विभाग की कई एकड़ जमीन पर वैस्टेज पत्थर डालकर क्षेत्र में जमीन रोक रखी है जिससे वन, वृक्ष व पर्यावरण नष्ट हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को रिक्त करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में पालोदा एवं आसोदा में खनिज मार्बल के 50 खनन पट्टे स्वीकृत हैं, जिनमें से 43 खनन पट्टे राजकीय भूमि में, 6 खनन पट्टे पूर्ण/आंशिक वन भूमि में तथा 01 खनन पट्टा खातेदारी भूमि में है। इन खान मालिकों द्वारा वन विभाग की जमीन पर वैस्टेज पत्थर डालकर क्षेत्र में जमीन नहीं रोक रखी है। वन भूमि में मार्बल खनन कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 4.6,921 हैक्टेयर वन भूमि के प्रत्यावर्तन की विधिवत रूप से स्वीकृति जारी की गई है जिसके क्रम में खान मालिकों द्वारा खनन कार्य भारत सरकार द्वारा वन भूमि में स्वीकृत किये गये खनन क्षेत्र में ही किया जा रहा है एवं इसका मलबा पूर्व से निर्धारित किए गये स्थान पर ही डाला जा रहा है।

बस्सी के ग्राम पृथ्वीपुरा में अवैध स्टोन क्रेशर पर रोक लगाने की योजना

283. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम पृथ्वीपुरा में स्थित डायमण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी का स्टोन क्रेशर बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये तथा खान आबंटन से संबंधित सुरक्षा के मापदण्डों की अवहेलना करके संचालित है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्रेशर को बंद करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि कृष्णा ग्रीट उद्योग-स्टोन क्रेशर सिंचाई विभाग के दूबली बांध के बहाव क्षेत्र में बनाया गया है तथा आवेदन पत्र में सभी तथ्यों को छुपाकर स्टोन क्रेशर लगाया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकार के सभी प्रकरणों की जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर स्टोन क्रेशर को बंद करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्रीट, रोड़ी की ओवर लोडिंग होने के कारण एक तरफ तो रायल्टी की चोरी होती है साथ ही सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो रही हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र बस्सी के ग्राम पृथ्वीपुरा जिला जयपुर में डायमण्ड कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के नाम से कोई स्टोन क्रेशर स्थापित नहीं है एवं न ही उक्त कम्पनी के नाम कोई खननपट्टा/ अल्पावधि अनुमति पत्र है।

उक्त ग्राम में गावर कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से दो स्टोन क्रेशर स्थापित हैं, जो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से संचालन सम्मति प्राप्त कर संचालित हैं। उक्त कम्पनी के पक्ष में खान विभाग द्वारा 3 अल्पावधि अनुमति पत्र जारी किये हुए हैं, जिनमें नियमानुसार खनन कार्य किया जा रहा है।

(2) जी नहीं। कृष्णा ग्रीट उद्योग का स्टोन क्रेशर सिंचाई विभाग के दूबली बांध के बहाव क्षेत्र में स्थापित नहीं है। उक्त क्रेशर हेतु 1.01 हैक्टर कृषि भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ (स्टोन क्रेशर) संपरिवर्तन उप खण्ड अधिकारी बस्सी द्वारा जल संसाधन विभाग के संबंधित कार्यालय से दिनांक 02.08.2013 से प्रमाण पत्र प्राप्त कर आदेश दिनांक 14.08.2013 से किया गया। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा दिनांक 27.09.2013 से स्थापना सम्मति जारी की गई। इस प्रकार उक्त क्रेशर विधिवत वांछित अनुमतियां प्राप्त कर स्थापित किया गया।

(3) ग्रीट/रोड़ी की ओवरलोडिंग होने के कारण रॉयल्टी चोरी नहीं होती है। प्रदेश में खनिज का निर्गमन ई-रवन्ना/ई-टीपी के माध्यम से होता है जिनका कन्फर्मेशन विभाग में इम्पैनल्ड वेब्रिज पर होता है। तुलाई के समय

(खान मंत्री)

सीसीटीवी फुटेज भी दर्शित होता है, जिसमें खनिज के वजन/रॉयल्टी चोरी की संभावना लगभग नगण्य है। प्रदेश में ओवरलोडिंग के कारण सड़कों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना रहती हैं। प्रदेश में ओवरलोडिंग रोकने की दृष्टि से माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2019-20 में खान विभाग के सॉफ्टवेयर ""ई-रवन्ना"" को परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर ""वाहन"" के साथ एकीकृत की घोषणा की गई। उक्त घोषणा के क्रम में खान विभाग एवं परिवहन विभाग के सॉफ्टवेयर का एकीकरण दिनांक 01.01.2020 से कर लिया गया है। उक्त एकीकरण से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों में भार क्षमता से 5 प्रतिशत से अधिक परिवहन करने पर प्रत्येक ओवरलोड वाहन की सूचना रीयल टाइम बेसिस पर परिवहन विभाग को उपलब्ध हो रही है। उक्त सूचना के आधार पर परिवहन विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

डेगाना में नन्दी शाला की स्थापना

284. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पंचायत समिति स्तर पर आवारा पशु की समस्या से निजात दिलाने के लिये नन्दी शालाएं स्थापित किये जाने की बजट में घोषणा की गई थी? यदि हां, तो जिला नागौर की कौन-कौनसी पंचायत समिति स्तर पर नन्दी गौशालाएं स्थापित की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 में नन्दी शालाओं में कितने आवारा पशुओं को रखा गया है तथा उक्त के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2019-20 में आवारा पशुओं की समस्या से निजात पाने के लिए प्रत्येक पंचायत समिति पर नन्दी शालाएं स्थापित करने बाबत घोषणा की गई थी। बजट घोषणा अनुरूप पंचायत समिति स्तर पर नन्दी शालाएं स्थापित करने बाबत योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किया जाएगा।

वर्तमान तक नागौर जिले की किसी भी पंचायत समिति स्तर पर नंदी शालाएं स्थापित नहीं की गई है।

(गोपालन मंत्री)

जिला नागौर में जिला स्तरीय नंदी शाला स्थापित किये जाने हेतु राशि रु. 45.00 लाख आबंटित की गई है।

(2) वित्तीय वर्ष 2020-21 में पंचायत समिति स्तर पर नंदी शाला स्थापित नहीं होने के फलस्वरूप इनमें संधारित नर गौवंश की संख्या शून्य है।

प्रदेश में वर्तमान तक 16 जिलों को जिला स्तरीय नंदी शाला स्थापना के लिए प्रत्येक नंदी शाला हेतु राशि रु. 45.00 लाख राशि आबंटित की गयी है। इन जिला स्तरीय नंदी शालाओं में कुल 8,705 नर गौवंश संधारित हैं, जिसमें से नागौर जिले की जिला स्तरीय नंदी शाला में 200 नर गौवंश संधारित है। विधान सभा क्षेत्र डेगाना में पंचायत समिति स्तर पर कोई नंदी शाला स्थापित नहीं होने के फलस्वरूप इनमें संधारित नर गौवंश की संख्या शून्य है। इनके रख-रखाव हेतु किसी प्रकार की राशि जारी नहीं की गयी है।

सुमेरपुर में रबी की फसलों हेतु किसानों को ऋण

285. श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2016 से 2020 तक रबी व खरीफ की फसलों हेतु किस-किस अवधि में ऋण दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2018, 2019 व 2020 में कृषि ऋण देने में अत्यन्त देरी हुई? यदि हां, तो क्या सरकार आगामी वर्षों में फसलों की बुवाई के प्रारम्भ में ही कृषि ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि किसानों को फसली ऋण की सीमा 1.50 लाख रुपये है? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि विगत दो वर्षों से किसानों को फसली ऋण 25-30 हजार रुपये ही दिया जा रहा है? क्या सरकार इस वर्ष किसानों को 1.50 लाख रुपये का ऋण देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक

(सहकारिता मंत्री)

पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक लि. पाली द्वारा खरीफ व रबी की फसलों हेतु दिये जाने वाले ऋण की अवधि निम्नानुसार रही:-

वर्ष	**खरीफ**	**रबी**
2016-17	मई से अगस्त	अक्टूबर से फरवरी
2017-18	मई से अगस्त	अक्टूबर से फरवरी
2018-19	मई से अगस्त	अक्टूबर से फरवरी
2019-20	जुलाई से सितम्बर	अक्टूबर से मार्च
2020-21	मई से अगस्त	अक्टूबर से मार्च

नोट- वर्ष 2019-20 में ऋण वितरण में देरी होने के कारण अवधि एक माह (सितम्बर तक) बढ़ायी गयी।

(2) जी नहीं। वर्ष 2018-19 एवं 2020-21 में वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही ऋण वितरण प्रारंभ कर दिया गया, तथापि वर्ष 2019-20 में राज्य में खरीफ, 2019 से सहकारी फसली ऋण ऑनलाइन पंजीयन एवं वितरण योजना, 2019 प्रथम बार आरंभ की गई जिसके कारण ऋण वितरण में आंशिक देरी हुई एवं योजनान्तर्गत जुलाई, 2019 से ऋण वितरण प्रारंभ हुआ।

(3) जी नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत कृषकों को अधिकतम 3 लाख रु. तक का ऋण 7 प्रतिशत रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध करवाये जाने के प्रावधान हैं। राज्य सरकार की ब्याज मुक्त फसली ऋण योजनान्तर्गत अधिकतम रु. 1.50 लाख तक के ऋण उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार द्वारा दो लगातार ऋण माफियों की राशि किस्तों में देने के फलस्वरूप केन्द्रीय सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के मध्यनजर खरीफ 2019 में अधिकतम राशि रु. 50,000 या कृषक की अधिकतम साख सीमा जो भी कम हो, के आधार पर ऋण वितरण किया गया। तत्पश्चात् रबी 2019-20 से गत सीजन में वितरित फसली ऋण में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी कर ऋण वितरित किया गया। वर्तमान में कृषकों को फसली ऋण वितरण कृषक की अधिकतम साख सीमा तथा सहकारी बैंकों के पास उपलब्ध संसाधनों एवं तरलता के आधार पर किया जा रहा है।

लूणी में नवीन कृषकों को ऋण वितरण

286. श्री महेन्द्र बिश्नोई (लूणी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री महेन्द्र विश्नोई)

विधान सभा क्षेत्र लूणी में वर्ष 2019-20 में कितने नये कृषकों को सहकारी ऋण वितरित किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र लूणी में जोधपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से वर्ष 2019-20 में 3,603 नये कृषकों को राशि रुपये 8.19 करोड़ का सहकारी ऋण वितरण किया गया। किसानवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. द्वारा लूणी विधान सभा क्षेत्र से एक नये कृषक को ऋण वितरण किया गया है। विवरण निम्न प्रकार है:-

श्रीमती करुणा सिंह पत्नी श्री जगदीश सिंह ग्राम नन्दवान, लूणी जोधपुर। ऋण राशि- 5,00,000/- (पांच लाख रुपये)

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी।)

ईसीएचएस के तहत गौरव सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए नवीन अस्पताल खोलने की योजना

287. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत गौरव सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिये अस्पताल खोलने हेतु मानदण्ड निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत गौरव सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिये अस्पताल खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार चार प्रकार के पॉलीक्लीनिक ई.सी.एच.एस के तहत खोलने का प्रावधान है। अस्पताल खोलने हेतु ई.सी.एच.एस के कार्ड धारकों की संख्या पर निर्धारण किया जाता है:-

1. टाइप-ए का पॉलीक्लीनिक खोलने हेतु कार्डधारकों की संख्या 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए।

(सैनिक कल्याण मंत्री)

2. टाइप-बी हेतु 10,000 से ज्यादा एवं 20,000 से कम

3. टाइप-सी हेतु 5,000 से ज्यादा एवं 10,000 से कम

4. टाइप-डी हेतु 2,500 से ज्यादा एवं 5,000 से कम

कार्ड संख्या के अतिरिक्त प्रतिदिन आने वाले मरीजों की संख्या को भी मध्यनजर रखा जाता है।

2. शेरगढ में टाइप-डी का ई.सी.एच.एस पॉलीक्लीनिक पूर्व से ही संचालित है।

सवाई माधोपुर में पंजीकृत मदरसे

288. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सवाई माधोपुर में कितने मदरसे पंजीकृत हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत मदरसों में कितने छात्र किस-किस कक्षा में तालीम हासिल कर रहे हैं? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त मदरसे किस-किस तिथि को पंजीकृत हुए तथा किस-किस दिनांक से प्रारम्भ हुए? मदरसावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) सरकार द्वारा उक्त मदरसों में क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं एवं किस-किस स्तर के कर्मचारी लगे हुए हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त पंजीकृत किस-किस मदरसों के लिए पर्याप्त भवन उपलब्ध नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त जिले में नये मदरसे पंजीकृत कर प्रारम्भ करने हेतु किस-किस स्थान के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान मदरसा बोर्ड से जिला सवाई माधोपुर में 147 मदरसे पंजीकृत हैं, जिनका विधान सभा वार विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) मदरसों में अध्ययनरत कक्षावार छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(3) राजस्थान मदरसा बोर्ड में मदरसे के पंजीयन होने की दिनांक से

(अल्पसंख्यक मामलात मंत्री)

ही मदरसे को संचालित (प्रारम्भ) माना जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है।

(4) उक्त मदरसों में सरकार द्वारा नि:शुल्क पाठय पुस्तकें, मिड-डे मील (Mid day Meal) बैठने के लिए दरी पट्टी, शिक्षण सामग्री, कम्प्यूटर, स्पोर्ट्स सामग्री, ड्यूल डेस्क एवं बैंच तथा स्टील फर्नीचर आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं।

मदरसा सुविधा अनुदान योजनान्तर्गत 20 या 20 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्तर के मदरसे को 5,000 व उच्च प्राथमिक स्तर के मदरसों को 12,000 रु. दिये जाने का प्रावधान है। उक्त मदरसों में राजस्थान मदरसा बोर्ड द्वारा संविदा पर शिक्षा सहयोगी/पैराटीचर लगे हुए हैं।

(5) राजस्थान मदरसा पंजीयन नीति के अनुसार पर्याप्त भवन उपलब्ध होने पर ही राजस्थान मदरसा बोर्ड के द्वारा मदरसों का पंजीयन किया जाता है। पंजीयन नीति परिशिष्ट-"4" पर संलग्न है।

(6) सवाई माधोपुर जिले से नये मदरसों के पंजीयन हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजस्थान अल्पसंख्यक विकास निगम में रिक्त पदों पर भर्ती

289. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान अल्पसंख्यक विकास निगम में कितने कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं और वर्तमान में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कार्य कर रहे हैं तथा कितने कर्मचारी संविदा एवं प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत पांच साल में जिलेवार वितरित किये गये ऋण का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विगत दो वर्षों में उदयपुर संभाग की प्रत्येक तहसील से कितने आवेदन ऋण हेतु प्राप्त हुए हैं तथा कितनों को दिया गया व कितने आवेदन निरस्त किये व कितने प्रक्रियाधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम में प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले कुल 21 पद स्वीकृत हैं। वर्तमान में कुल 06 कर्मचारी/अधिकारी/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं तथा कुल 05 कर्मचारी/अधिकारी संविदा सेवा पर कार्यरत है तथा शेष-10 पद रिक्त है। विस्तृत विवरण परिशिष्ट-"1" पर संलग्न है।

(2) निगम द्वारा पिछले पांच साल में वितरित किये गये ऋणों का जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-"2" पर संलग्न है।

(3) विवरण परिशिष्ट-"3" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

आंगनबाड़ी केन्द्रों में दूध वितरण की योजना

290. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को वितरित किये जाने वाला दूध बंद कर दिया है? यदि हां, तो कब से व क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत आयु वर्ग 03-06 वर्ष एवं गर्भवती/धात्री महिलाओं के लिए सप्ताह में 3 दिन स्किम्ड मिल्क पाउडर दूध उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री अमृताहार योजना का दिनांक 06.10.2018 से प्रथम 3 माह (अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2018) में संचालन किया गया। तत्पश्चात् योजना के लिए मंत्रीस्तरीय समिति का अभिमत व वित्तीय प्रावधान नहीं मिलने के कारण जनवरी, 2019 से उक्त योजना को बन्द कर दिया गया।

इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की लाभार्थी महिलाएं

291. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूसरी संतान के जन्म पर लाभान्वित किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त को क्या लाभ दिए जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती इन्दिरा देवी)

(2) विधान सभा क्षेत्र मेड़ता की कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में कितनी-कितनी महिलाओं को कितनी-कितनी राशि से लाभान्वित किया गया? ग्राम पंचायतवार लाभान्वित महिलाओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्ष 2020-21 में उक्त योजना के अंतर्गत दूसरी संतान की उत्पत्ति के समस्त लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है? यदि नहीं, तो कौन-कौन सी ग्राम पंचायतों में किन-किन महिलाओं को लाभ दिया जाना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के चार जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संचालित है। योजना का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) राज्य के चार जनजातीय जिलों प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं उदयपुर तथा सहरिया बहुल जिला बारां में ही योजना का लाभ देय है।

(3) इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के शुभारम्भ कार्यक्रम के दौरान कुल 29 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। पात्र महिलाओं को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार लाभान्वित किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

कपासन में संचालित कौशल विकास केन्द्र

292. श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा कौशल विकास केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कौशल विकास केन्द्र कहां-कहां संचालित हैं व उक्त केन्द्रों में वर्ष 2015 से 2020 तक कितने लाभार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया? प्रशिक्षित लाभार्थियों में से कितने को रोजगार प्राप्त हुआ? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त योजना को किसी कंपनी के माध्यम से संचालित किया जाता है? यदि हां, तो चितौड़गढ़ जिले का दायित्व किसके पास है, उसका कार्य क्षेत्र क्या है, संचालित केन्द्रों का कितनी बार निरीक्षण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा तीन राज्य पोषित कौशल प्रशिक्षण योजनाएं क्रमशः रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (ELSTP), नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम (RSTP) एवं मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना (MMYKY) एवं दो केन्द्र पोषित योजनाएं क्रमशः दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU GKY) तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का संचालन राज्य में किया जा रहा है।

जिले एवं योजना के अनुसार क्रियाशील कौशल विकास केन्द्रों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र कपासन में वर्तमान में कोई कौशल विकास केन्द्र क्रियाशील नहीं है। वर्ष 2015 से 2020 तक विधान सभा क्षेत्र कपासन में विभिन्न कौशल विकास केन्द्रों द्वारा 1,222 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। इन प्रशिक्षित लाभार्थियों में से 555 लाभार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये। योजनावार एवं कौशल विकास केन्द्रवार प्रशिक्षित किये गये लाभार्थियों एवं नियोजित लाभार्थियों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) जी हां। निगम द्वारा सभी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन निगम के अंतर्गत अभिरूचि की अभिव्यक्ति (EOI) के द्वारा निजी क्षेत्र के सूचीबद्ध प्रशिक्षण प्रदाता संस्थानों के माध्यम से किया जाता है। प्रशिक्षण प्रदाता सम्पूर्ण राजस्थान में कहीं भी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने हेतु आवेदन कर सकता है, तथापि प्रशिक्षण प्रदाता की नियुक्ति जिलेवार नहीं की जाकर प्रशिक्षणार्थियों की उपलब्धता एवं स्थानीय रोजगार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण केन्द्रों का आबंटन किया जाता है। चित्तौड़गढ़ जिले में वर्तमान में दो कौशल विकास केन्द्र क्रियाशील हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है। जिला कौशल समन्वयक द्वारा कौशल विकास केन्द्रों का 6 नवम्बर, 2020 के उपरांत 26 बार निरीक्षण किया जा चुका है जिसका विवरण परिशिष्ट-'द' पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

मसूदा में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना

293. श्री राकेश पारीक (मसूदा): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री राकेश पारीक)

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां पर संचालित हैं? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मसूदा में 01 राजकीय एवं 01 निजी आईटीआई संचालित हैं, जिनका नामवार विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों एवं बजट की उपलब्धता के आधार पर आईटीआई खोले जाने का निर्णय किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

प्रतिभावान खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की कार्ययोजना

294. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि खेलों की प्रतिभाएं गांवों में तलाशने के अभाव के कारण ग्रामीण क्षेत्र खेलों में पिछड़ रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत मुख्यालय पर खेल मैदान तैयार करवाकर व उचित कोच उपलब्ध करवाकर ग्रामीण क्षेत्र में अच्छे प्रतिभावान खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों हेतु तैयार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त की क्या कार्ययोजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। बजट एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पंचायत मुख्यालयों पर खेल मैदान तैयार करने का निर्णय किया जाता है।

ग्रामीण क्षेत्रों से खेल प्रतिभाओं की खोज कर आगे लाने के लिए ब्लॉक स्तरीय एवं जिला स्तरीय खेलों का आयोजन किया जाएगा।

खाजूवाला में श्रमिक कल्याण की कार्ययोजना

295. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोविन्द राम)

(1) सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण हेतु कौन-कौनसी योजनाएं चलाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं? श्रमिक कार्डों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

दौसा में लम्बित श्रमिक कार्डों का निस्तारण

296. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला दौसा में कितने श्रमिक कार्ड बने हुए हैं? विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2020 तक श्रमिक कार्ड हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? इनमें से कितने श्रमिक कार्ड बन गए एवं कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लम्बित आवेदनों का निस्तारण कब तक कर दिया जाएगा? उक्त का अब तक निस्तारित नहीं किये जाने के कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दौसा जिले में 53,356 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हुआ है। विधान सभा क्षेत्रवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) दौसा जिले में दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2020 तक की अवधि में प्राप्त, स्वीकृत एवं लम्बित पंजीयन आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विभाग द्वारा पंजीयन आवेदनों का नियमानुसार एवं नियमित निस्तारण फीफो पद्धति पर वरीयता के आधार पर किया जाता है, जो एक निरन्तर प्रक्रिया है।

(राज्य मंत्री, श्रम)

पंजीयन आवेदनों के लम्बित रहने के निम्न कारण मुख्य हैं:-

· आवेदक द्वारा अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत करना।

· अस्पष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करना।

· वांछित दस्तावेजों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं करना।

· उपयुक्त समय में हिताधिकारी द्वारा आक्षेपपूर्ति नहीं किया जाना।

· कोरोना के कारण घोषित लॉकडाउन

· विभिन्न चुनाव के कारण घोषित आचार संहिता

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

किशनगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त पंजीकृत श्रमिकों को सहायता

297. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में विभाग के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों में से किसी श्रमिक अथवा श्रमिक के परिजन की वर्ष 2019 व 2020 में दुर्घटना में मृत्यु हुई है? यदि हां, तो कितनों की? नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त श्रमिकों के परिजनों को उनके आवेदन अनुसार विभाग द्वारा सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई है? यदि हां, तो किन-किनको व कितनी-कितनी? राशि, लाभार्थियों के नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मण्डल में पंजीकृत श्रमिक के आश्रित द्वारा मृत्यु सहायता आवेदन करने पर ही योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्रता पाये जाने पर सहायता राशि दी जाती है। विभाग द्वारा पंजीकृत श्रमिक अथवा उसके परिजन के मृत्यु का रिकार्ड संधारित नहीं किया जाता है।

(2) वर्ष 2019 एवं 2020 में मण्डल स्तर से मृतक आश्रितों को दी गई नाम, पते व सहायता राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया।)

पंजीकृत होम गार्ड जवानों को रोजगार देने की योजना

298. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में प्रदेश में गृह रक्षा के कितने जवान पंजीकृत हैं तथा उनमें से कितने जवानों को प्रतिमाह रोजगार मिलता है तथा उक्त जवानों को रोजगार दिये जाने का क्या प्रावधान किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष में उक्त जवानों को सिर्फ 3 माह ड्यूटी मिलती है तथा 9 माह बेरोजगार रखा जाता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों की भांति प्रदेश में भी गृह रक्षा के जवानों को पूरे वर्ष रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान गृह रक्षा विभाग में 26,582 स्वयंसेवक पंजीकृत हैं। नियोजन की संख्या निश्चित नहीं है एवं अन्य एजेंसियों द्वारा मांग अनुसार स्वयंसेवकों का नियोजन किया जाता है। शेष स्वयंसेवकों को रोटेशन के आधार पर ट्रेनिंग हेतु कॉल-अप किया जाता है। उक्त अवधि में 200 रुपये प्रतिदिन प्रशिक्षण भत्ता देय है।

भारत सरकार की नीति एवं होम गार्ड नियम, 1962 के नियम 17 के प्रावधानुसार विभिन्न राजकीय/संस्थान/उपक्रमों/पुलिस की मांग के अनुसार प्रदेश के जिला स्तर पर गृह रक्षकों को नियोजित किया जाता है।

(2) जी नहीं। गृह रक्षा के स्वयंसेवकों के नियोजन की कोई समयावधि निर्धारित नहीं है। विभिन्न राजकीय/संस्थान/उपक्रमों/पुलिस की मांग के अनुसार प्रदेश में गृह रक्षकों को नियोजित किया जाता है। मांग प्राप्त न होने के कारण होम गार्डों को वर्षभर नियमित ड्यूटी नही मिल पा रही है।

(3) जी नहीं। बिन्दु संख्या 02 के अनुसार।

टीएसपी क्षेत्रों में होम गार्डों की भर्ती

299. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामलाल मीणा)

(1) क्या सरकार राजस्थान होम गार्ड नियम, 1962 में संशोधन कर होम गार्ड को स्थाई करने का विचार रखती है? क्या होम गार्ड को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में होम गार्ड को कितना वेतन एवं कौन-कौनसे परिलाभ व सुविधाएं दी जा रही हैं? क्या सरकार होम गार्डों का वेतन पुलिस कर्मचारियों के समकक्ष करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला प्रतापगढ़ में पुलिस कर्मियों की कमी को देखते हुए क्या सरकार सभी होम गार्ड को नियमित रूप से 12 माह ड्यूटी देने का विचार रखती है?

(4) क्या सरकार टीएसपी क्षेत्रों के लिए अलग से होम गार्ड की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) जिला प्रतापगढ़ में होम गार्ड के कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। गृह रक्षा नियम, 1962 में संशोधन एवं स्वयंसेवकों को स्थाई किये जाने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जी नहीं। वर्तमान में होम गार्ड को नियमित करने के लिए कोई कमेटी गठित नही की गयी है। होम गार्ड अधिनियम 1963 की धारा 2 के अन्तर्गत स्वयंसेवी सगंठन के रूप में होम गार्ड्स का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अन्तर्गत गृह रक्षा स्वयंसेवक (होम गार्ड) को 5 वर्ष के लिये नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। इन नियमों में होम गार्ड स्वयंसेवकों को स्थायी नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

(2) जी हां। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार वर्तमान में राजस्थांन होम गार्ड्स स्वयंसेवक तथा वाहन चालक स्वयंसेवक को पुलिस कानिस्टेबल के न्यूनतम वेतन (मूल वेतन) के समकक्ष कार्य अनुसार रु. 693/- दैनिक ड्यूटी भत्ता एवं इनके अतिरिक्त अन्य ड्यूटियों हेतु रु. 590/-प्रति दिवस की दर से मानदेय दिया जा रहा है।

इनके अतिरिक्त सभी होम गार्ड स्वयंसेवकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता देय है।

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा)

वर्तमान में गृह रक्षा स्वयंसेवकों को निम्नानुसार परिलाभ दिये जा रहे हैं-

1. स्वयंसेवकों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 25 प्रतिशत किराये में छूट दी जाती है।

2. कल्याण कोष से स्वयंसेवकों के चिकित्सा बिलों का पुनर्भरण किया जाता है।

3. स्वयंसेवक की मृत्यु होने पर इनके परिवार के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है तथा साथ ही आश्रितों में एक सदस्य को स्वयंसेवक के तौर पर गृह रक्षा की सदस्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

4. स्वयंसेवक की 55 वर्ष आयु पूर्ण होने पर लघु उद्योग प्रारम्भ करने हेतु इन्हें एकमुश्त राशि दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

(3) जी नहीं। वर्तमान में जिला प्रतापगढ़ में होम गार्ड स्वयंसेवकों की सीमित मांग होने के कारण होम गार्ड को नियमित रूप से ड्यूटी दिया जाना सम्भव नहीं है।

पुलिस विभाग एवं अन्य एजेन्सियों की मांग के अनुसार स्वयंसेवकों का नियोजन किया जाता है।

(4) जी नहीं। गृह रक्षा विभाग द्वारा टीएसपी क्षेत्रों के लिए स्वयंसेवकों का नामांकन करने हेतु नियमानुसार आरक्षण दिया जा रहा है।

(5) प्रतापगढ़ जिले में होम गार्ड स्वयंसेवकों की नफरी का विवरण निम्नानुसार है:-

1. स्वीकृत नफरी- 330

2. रिक्तियां - 46

परिशिष्ट-01

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं जिन्हें पढ़ा हुआ माना गया

घड़साना नई मण्डी को नगरपालिका बनाया जाना

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत घड़साना नई मण्डी (24 AS-C) को नगरपालिका नहीं बनाये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित कर रही हूं।

महोदय, अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में घड़साना नई मण्डी ग्राम पंचायत व कृषि का क्षेत्र होने के साथ-साथ यहाँ की कृषि उपज मण्डी राजस्थान की बड़ी मण्डियों में भी शामिल है। घड़साना की आबादी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। घड़साना का सुनियोजित विकास पंचायत के माध्यम से सम्भव नहीं है। तहसील स्तर के सभी कार्यालय यहां स्थित हैं। एसडीएम कार्यालय भी स्थित है। आस पास के गांवों के लोगों के पलायन से घड़साना की आबादी 35,000 के आस पास हो चुकी है। घड़साना में पंचायत समिति मुख्यालय के अलावा जलदाय विभाग व विद्युत विभाग का सहायक अभियन्ता कार्यालय भी संचालित है। घड़साना नई मण्डी (24 AS-C) पंचायत परिसीमन से एक पंचायत और 3STR बनाई गई है। घड़साना नई मण्डी (24 AS-C) को नगरपालिका बनाने के लिए 2005 से लगातार घोषणाएं की जाती रही हैं, लेकिन अभी तक घोषणाओं के अलावा धरातल पर कोई कार्य नहीं हुआ है। घड़साना की जनसंख्या को देखते हुए नगरपालिका बनाया जाना समय की माँग है। मैं सदन के माध्यम से एवं स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास मंत्री जी का ध्यान शीघ्र ही घड़साना नई मण्डी को नगरपालिका बनाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित कर रही हूँ।

सधन्यवाद।

संतोष

(अनूपगढ़)

मांगलियावास पीएचसी के भवन हेतु भूमि का आबंटन व स्टाफ़ का पदस्थापन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वर्ष 2020-21 में ग्राम मांगलियावास, जिला अजमेर में सरकार द्वारा पीएचसी खोल दी गई है, जिसके लिए मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। उक्त पीएचसी को भवन नहीं होने के कारण अभी तक पूरी तरह से प्रारम्भ नहीं किया गया है। वर्तमान में केवल एक डॉक्टर व एक ए.एन.एम. को ही लगाकर संचालित किया जा रहा है जिसके कारण ग्रामवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है एवं उनको पीएचसी खोले जाने का लाभ भी नहीं मिल रहा है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि ग्राम मांगलियावास जिला अजमेर में खसरा नं. 1,162 8 बीघा 07 बिस्वा खाली भूमि जो कि सरकारी भूमि है, को अविलम्ब पीएचसी भवन निर्माण करवाने के लिये आबंटित कराने के साथ ही पीएचसी में पूर्ण स्टाफ लगवाने का श्रम करें, ताकि ग्राम मांगलियावास के आमजन लाभान्वित हो सकें।

रामस्वरूप लाम्बा

(नसीराबाद)

मनोहर थाना में नए माइक्रो डैम, एनिकट व तालाबों का निर्माण

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना सिंचाई के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जो अधिकांश पहाड़ी क्षेत्र पर बसा हुआ है, जिसके अंतर्गत सिंचाई हेतु पूरे क्षेत्र में मात्र तीन डैम बने हुए हैं। काली खाड, गुलैण्डी एवं छापी डैम जो कि सिंचाई हेतु बहुत कम एवं पेयजल हेतु ज्यादा काम आते हैं। इस कारण से सिंचाई हेतु माइक्रो डेम, नदियों पर एनिकट तथा तालाबों का निर्माण कराया जाए, जिससे सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सके। निम्नलिखित माइक्रो डेम, एनिकट एवं तालाब हैं:-

01. देवरी चंचल-खाल की रपट पर
02. डूंगरगांव- मोठपुरिया के नीचे
03. भालता- छापी नदी में सरखेडा घाट पर
04. गरडा-डेंडी नदी पर
05. भीलखेडा-नाका के खाल पर

06 खेरदन्ता-माताजी का डाबरा पर

07. खेजडा-लेवड़ा में

08. खड़ीबोर नदी पर

09. सोहन लाल का पुरा-पुराने घाट पर

10. सांडस-नारिया का बेदरा पर

11. मोग्याबेह-घोडा पछाड़ नदी पर

12. पीथापुरा जोडली खेजड़ी के पास

13. नारहेडा-नदी पर

14. गोरिया खेडा-बड़ी बीहड़ के नीचे

15. पछेटा-फाटी कराड

16. रामपुरिया-पाडामार

17. लसुडिया गेंद-नाले में

18. चारखेडा-रेलवाला खोयरा

19. बामला बेह-खोयरा में

20. दांगीपुरा-साल की डेरिया

21. टोडा खेडा-खोयरा में

22. पाटलिया लोढ़ान-सलोतिया का खोयरा

23. देवरी मंदिर-बड़ा खोयरा

24. घोड़ा खेड़ा-खाल पर

25. बावडी खेड़ा-इमली वाला खोयरा

तालाब निर्माण निम्नलिखित हैं:-

01. जूनापानी-सुरमार में

02. नेस गुजरान-विद्यालय के ऊपर की तरफ

03. आम्बा का पुरा-टांडा वाला खोयरा

04. पाटलिया लोढानन-झरी का खोयरा

05. मुंज का पुरा-देव का खोयरा

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त माइक्रों डैम, एनिकट एवं तालाबों का निर्माण करवाकर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाकर राहत प्रदान करने की कृपा करें।

गोविन्द प्रसाद

(मनोहर थाना)

सीता माता अभयारण्य में लगने वाले प्रवेश शुल्क की समाप्ति

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है। सीता माता अभयारण्य में भगवान श्रीराम चन्द्रजी ने राज कार्य का निर्वहन करते हुए भ्राता लक्ष्मण जी को माता सीता को वन में छोड़ने का आदेश दिया था। लक्ष्मण जी ने माता सीता को जहां पर छोड़ा था, यह वही स्थान है। यही वन सीता माता अभयारण्य है, जहां पर माता सीता ने महर्षि वाल्मीकिजी के सानिध्य में अपना समय व्यतीत किया था। यहीं पर माता सीता ने अपने दो बेटे लव व कुश को जन्म दिया था। यही वह स्थान है, जहां पर भगवान राम द्वारा अश्वमेध यज्ञ में छोड़े गये अश्व को लव और कुश द्वारा पकड़ा गया था। माता सीता का अंतिम समय यहीं पर बीता था। जब लक्ष्मणजी माता सीता को वापस अयोध्या ले जाने के लिये आते हैं, उसी समय माता सीता की प्रार्थना पर जमीन फटती है और माता सीता यहीं पर जमीन में समा जाती हैं।

यहां पर कुछ वर्षों पहले तक शिला पानी में तैरती थी। यहां पर लोग अभयारण्य देखने नहीं आते थे। जनता इस स्थान को पवित्र मानते हुए सीता माता के दर्शन करने आती है। महर्षि वाल्मीकि जी की पवित्र साधना स्थल के दर्शन करने आते हैं। अभी यहां पर बस 330/- रुपये, कार-जीप 220/- रुपये, ऑटो रिक्शा 70/- रुपये, मोटरसाइकिल 35/- रुपये तथा भारतीय व्यक्ति के 55/- रुपये, विदेशी पर्यटकों के 330/- रुपये, विद्यार्थी के लिये 25/- रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाता है, जो कि गलत है।

अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि उक्त पवित्र एवं प्राकृतिक स्थान पर लगने वाले प्रवेश शुल्क को बन्द करने का आदेश प्रसारित कर, आम जनता एवं आगन्तुक पर्यटकों को राहत प्रदान करने की कृपा कराएं।

ललित कुमार ओस्तवाल

(बड़ी सादड़ी)

इटावा के सिविल न्यायालय का एसीजेएम न्यायालय में क्रमोन्नयन तथा एडीजे न्यायालय का कैम्प कोर्ट का प्रारम्भ

महोदय,

कोटा जिला मुख्यालय से उपखण्ड मुख्यालयों में सर्वाधिक दूरी 100 किलोमीटर पर स्थित उपखण्ड मुख्यालय इटावा सबसे दूरस्थ एवं अलग-थलग

अवस्थित होने से क्षेत्र के 245 ग्रामों के निवासियों को उनके नियमित एवं अपीलीय दीवानी, फौजदारी एवं अन्य विभिन्न प्रकार के काफी संख्या में दर्ज प्रकरणों की सुनवाई के लिए कोटा शहर में जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है जिसके चलते क्षेत्रवासियों को समय, श्रम एवं धन का अपव्यय तथा आवागमन में होने वाली परेशानी का सामना करना पड़ता है।

क्षेत्र की जनता एवं विशेषतः पुलिस थाना इटावा, खातौली, बूढ़ादीत, अयाना एवं सुल्तानपुर क्षेत्र के निवासियों को सीधे तौर पर सुलभ एवं सस्ता न्याय प्रदान करने के लिए इटावा मुख्यालय पर अवस्थित सिविल न्यायालय को ए.सी.जे.एम. कोर्ट में क्रमोन्नत किया जाना एवं ए.डी.जे. कोर्ट कैम्प प्रारम्भ किया जाना जन हित में अति आवश्यक है। सी.ए.डी. कॉलोनी इटावा में उक्त न्यायालय सृजित कर स्थापित किये जाने के लिए न्यायालय के स्वामित्व एवं आधिपत्य में लगभग 50,000 वर्ग फीट से अधिक भूमि परिसर में उपलब्ध है जिसमें 8,500 वर्गफीट में दुमंजिला नवनिर्मित भवन है। इसी परिसर में ग्राम न्यायालय स्थापित हैं। यहाँ पर अधिकारीगण के आवास के लिए भी पर्याप्त राजकीय भूमि उपलब्ध है। ए.सी.जे.एम. एवं ए.डी.जे. न्यायालयों के नव सृजन से जिला मुख्यालय पर स्थित विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का भार कम होगा, जिससे त्वरित न्याय प्राप्ति हो सकेगी।

अतः अनुरोध है कि जन हित के मद्देनजर उपखण्ड मुख्यालय इटावा पर वर्तमान में संचालित सिविल न्यायाधीश न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायालय में क्रमोन्नत करने एवं ए.डी.जे. कैम्प कोर्ट प्रारंभ करवाने की कृपा करें।

रामनारायण मीना

(पीपल्दा)

लाडपुरा में बंजारा समाज के व्यक्तियों को नवजीवन योजनान्तर्गत रोजगार की उपलब्धता

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में नवजीवन योजना के तहत अवैध शराब निर्माण व भण्डारण में लिप्त समुदायों के शैक्षणिक विकास, आर्थिक विकास व अन्य संसाधनों के माध्यम से मूलभूत सुविधाओं को प्रदान करने के लिए कसार, रामनगर, कलम का कुआं, बावडीखेडा और हनोतिया का चयन हुआ था। नवजीवन योजना के अंतर्गत

हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020 तक के लिए ग्राम कलम का कुआं में अवैध शराब में लिप्त बंजारा समाज के 25 परिवारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए मत्स्य पालन हेतु बंध आलनिया को आजीविका का साधन बनाया, परंतु 31 मार्च 2020 के बाद सरकार ने इन परिवारों से मत्स्य पालन का रोजगार छीनकर वापस अवैध शराब के दलदल में धकेल दिया है। बंध अलनिया में मत्स्य कृषकों को 5 वर्ष हेतु आबंटन व नवीनीकरण करने की अनुशंसा की हुई है किंतु इसके पश्चात् भी मत्स्य विभाग के अधिकारी एवं सरकार बंध अलनिया का नवीनीकरण न करके ग्राम कलम का कुंआ, लाडपुरा के बंजारा समाज के 25 परिवारों की रोजी रोटी छीनने पर आमादा है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि नवजीवन योजना के अंतर्गत बंध आलनिया का पुनः नवीनीकरण कर ग्राम कलम का कुआं, कोटा के अवैध शराब के व्यापार को छोड़ चुके बंजारा समाज को रोजगार से जोड़ा जाए जिससे उन्हें अवैध शराब के दलदल से बचाया जा सके।

कल्पना देवी

(लाडपुरा)

तालेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय की स्थापना

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र बून्दी तालेड़ा पंचायत मुख्यालय पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट, पंचायत समिति सहित सभी प्रमुख कार्यालय हैं। यहां पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय केशोरायपाटन लगता है जो यहां से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यह कस्बा एनएच 52 पर मुख्य कस्बा है। यहां से मात्र 4-5 किलोमीटर दूर जमीतपुरा गांव है जो अति संवेदनशील गांव रहा है। तालेड़ा व केशोरायपाटन का विधान सभा क्षेत्र भी अलग-अलग है तथा दोनों कस्बों के बीच दो रेलवे क्रोसिंग हैं जिसमें तत्काल पुलिस इमदाद चाहने पर बाधा उत्पन्न रहती है।

यहां पर पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की मांग विगत 10-15 सालों से की जा रही है। तालेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक कार्यालय खोले जाने की मांग इस क्षेत्र को प्रमुख मांग है जिसको पूरा होने पर क्षेत्र में कानून व व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार होगा।

अतः बून्दी विधान सभा क्षेत्र के तालेड़ा में पुलिस उप अधीक्षक

कार्यालय अतिशीघ्र खोला जाए ताकि क्षेत्र में त्वरित कानूनी मदद मिल सके, साथ ही कानून व व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हो सके।

अशोक डोगरा

(बूंदी)

माही परियोजना में स्वीकृत खमेरा सब-माइनर का अपूर्ण निर्माण कार्य

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे क्षेत्र में माही परियोजना के माध्यम से भुगडा कैनाल निकाली है उससे 15 वर्ष पहले सब-माइनर खमेरा बूंद-बूंद सिंचाई हेतु स्वीकृति की, मगर आज तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने से गांव उण्डवेला सादडी, भगोरा का खेड़ा, रूपजी का खेड़ा, हरेंगजी का खेड़ा, कन्ठाव पंचायत का ऊपरी हिस्सा असिंचित है, जिससे किसानों में आक्रोश है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि खमेरा सब-माइनर बनाने वाली कंपनी को निर्देशित कर खमेरा सब-माइनर निर्माण शीघ्र करवाने की कृपा करें।

हरेन्द्र निनामा

(घाटोल)

डोडा पोस्त के अवैध व्यापार पर रोकथाम

महोदय,

अफीम की खेती प्रदेश के कुछ जिलों में आजादी से पूर्व से होती आ रही है। आज भी प्रदेश के कुछ जिलों में अफीम की खेती भारत सरकार की नीति अनुसार हो रही है। अफीम नीति के अनुसार वर्ष 2016 तक किसानों से डोडा पोस्त विभाग द्वारा खरीदा जाता था। इसका सेवन आज भी नशे के रूप में प्रचलित है। इसकी उपलब्धता अब नहीं होने पर अब दुगुनी-तिगुनी राशि खर्च कर ब्लैक में इसका सेवन करने वाले इसे प्राप्त कर रहे हैं। अपराध जगत में डोडा पोस्त का अवैध व्यापार अत्यन्त लाभकारी धंधा बन गया है। भारत सरकार द्वारा NDPS Act, 1985 की धारा 74 (A) के तहत राज्य सरकार को जारी आदेश दिनांक 07.03.2012 की अनुपालना में राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2016 के पश्चात् चिरा हुआ डोडा पोस्त किसी भी प्रकार से मानव उपयोग के लिए अनुमत नहीं माना है। अफीम काश्त में से अफीम निकालने के पश्चात् चिरे हुए डोडा पोस्त को जिला आबकारी अधिकारी (नोडल

अधिकारी) के पर्यवेक्षण में काश्तकारों के खेतों में ही नष्ट किए जाने का प्रावधान है। अफीम की खेती वाले किसान, आबकारी विभाग को डोडा नष्ट नहीं करने में ही भारी लाभ दिखाई देता है। यहीं से अवैध डोडा पोस्त व्यापार का खेल आरम्भ होता है। वर्तमान में समाज में प्रचलित भ्रष्ट व्यवस्था में इसे रोकना असंभव है। यही कारण है कि डोडा पोस्त का धंधा प्रदेश में खूब पनप रहा है। भ्रष्ट व्यवस्था में इस पर नियंत्रण असंभव दिखाई देता है। राजस्थान सरकार को भारत सरकार से यह माँग करनी चाहिए कि दिनांक 07.03.2012 का आदेश वापस लें या फिर अफीम की खेती पूर्ण रूप से बंद करें।

भरत सिंह कुन्दनपुर

(सांगोद)

ग्राम पंचायत पर नंदीशाला की स्थापना

महोदय,

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बेसहारा पशुओं की संख्या प्रदेश में बढ़ती जा रही है। काश्तकारों को दिन रात खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। काश्तकार घण्टे या दो घण्टे भी खेत में न रहें तो फसलों को पशु चौपट कर देते हैं। पशुधन हेतु मैंने प्रथम बार 15वीं विधान सभा के पहले सत्र में बेसहारा पशुओं से किसानों को निजात दिलाकर राहत प्रदान करने का अनुरोध किया था।

मैंने सदन में सुझाव दिया था कि हर पंचायत या गांव में गोशाला बनाने की मांग की थी और साथ में सुझाव दिया था कि हो सकता है कि कई गांवों में भूमि उपलब्ध ना हो तो जिले में बहुत जगह रकबा राज पड़ा है व इसके अलावा गोचर भूमि भी उपलब्ध है, जोहड़ पायतन की भूमि व नर्सरी की जगह भी खाली पड़ी है एवं वन विभाग की प्रस्तावित भूमि पड़ी है जिसमें पेड़ पौधे भी नहीं लगे हुए हैं। इसके अलावा सरकार को गोशाला खोलने हेतु पैसा चाहिए तो विपक्ष भी आपका साथ देगा। शराब पर टैक्स लगाओ, स्टाम्प ड्यूटी बढ़ा दो, सौन्दर्यीकरण के साधनों पर, ग्रेनाइट, मार्बल पर टैक्स लगाओ, विपक्ष साथ देगा। सरकार को मैंने यह भी कहा था कि मंडी में जो किसान एक लाख रुपये से ज्यादा का माल बेचे, उन किसानों पर 25, 35 या 40 रुपये का टैक्स लगाना चाहिए, बशर्ते एक भी पशु गांव में नहीं घूमना चाहिए, सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सरकार ने मेरे सुझाव के अनुरूप टैक्स तो लगा दिया, परंतु सरकार पंचायतों को छोड़ कर पंचायत समिति के स्तर पर नंदीशाला खोलने की बात कर रही है।

अतः मेरी मांग है कि प्रत्येक पंचायत के अंतर्गत एक-एक नंदीशाला खोली जाये. जिससे किसानों को राहत मिल सके।

रामप्रताप कासनियां

(सूरतगढ़)

जायल के राजस्व गांवों में श्मशान घाट व मृत पशु डालने की जगह का आबंटन

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) में कई गाँवों में श्मशान भूमि पूर्वजों से तय की हुई है लेकिन ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे नहीं बनने के कारण कई प्रकार की परेशानियां आ रही हैं। पट्टे के अभाव में अतिक्रमी उस भूमि पर कब्जे कर लेते हैं। कई गाँवों में श्मशान भूमि के रास्ते का भी अभाव है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि श्मशान की आवश्यकता सभी को हैं गरीब, अमीर, सवर्ण, शूद्र। अतः प्रत्येक रेवेन्यू विलेज में श्मशान भूमि सुरक्षित हो, ऐसी व्यवस्था माननीय राजस्व मंत्री महोदय कराएं तथा जहाँ रास्ते की समस्या है वहाँ कटाणी रास्ता बनाए। साथ ही मेरा निवेदन है कि वर्तमान समय में अतिक्रमी बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि जमीन आबादी के अनुपात में घटती जा रही है जिसके कारण गांवों में मृत पशु डालने की जगह बहुत से गांवों में नहीं है। जो जगह परम्परागत होती थी वहाँ पर कब्जे कर लिये गये हैं और मृत पशु डालने की जगह को लेकर गाँवों में लड़ाइयां व झगड़े होते रहते हैं जिसके कारण पशु निश्चित जगह पर नहीं डालकर जगह-जगह डाले जाने लगे हैं जिसके कारण दुर्गन्ध व वातावरण दूषित हो रहा है। अतः माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि विशेष निर्देश जारी कर सभी रेवेन्यू विलेज में मृत पशु डालने की जगह तय करवाई जाये, साथ ही उपरोक्त दोनों विषयों को गम्भीर लेते हुए शीघ्र निस्तारण करवाने का श्रम कराएं।

मंजु देवी

(जायल)

सुमेरपुर के गांवों में जल जीवन मिशन योजनान्तर्गत शुद्ध पेयजल की उपलब्धता

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में मणिहारी, डरी, भावरी, गोदावास, काणदरा, गुरहाई, गुडा प्रतापसिंह पादरला,

लच्छेश्वरधाम, डेन्डा, मादरी बाला, कुरना, किरवा, जेतपुरा, आईचिया, बुधवाडा, गिरदाडा, गुलाबपुरा, केरला, बल्दों की ढाणी, रूपावास, दयालपुरा, मुलीयावास, राऊनगर, चवरडा, टेवाली, सापुनी, पादरली तुर्कान, सोडावास, गुड़ा-नारकान, नेतरा, पराखिया, साकदडा, सुन्देलाव, भावनगर, साली, पेणावा, सिन्दरू, खिन्दारागांव, आकदडा, केनपुरा, धणा, बडली, बालराई, बसंत पावा. हिंगोला, गुडीया, बलाना, पिचावा, लापोद, अनोपपुरा, बडगांवडा, बाबागांव, दौलपुरा, बापूनगर, चाणोद खिमाडा, खांगडी, बांगडी, जाणा, धनापुरा, ऐन्दलावास, नवागुडा, खुनीगुडा, मांडल आदि गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या है। आगामी गर्मी के मौसम में और भी गंभीर संकट इन गांवों में होने की संभावना है। कई गांवों में घर घर कनेक्शन नहीं है जिससे ग्रामवासियों को हैंडपम्पों का पानी पीने पर मजबूर होना पड़ रहा है। आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज इन गांवों में बहू-बेटियों को सिर पर उठाकर पानी लाना पड़ता है। इन गांवों की जल जीवन मिशन में घर घर कनेक्शन देने की योजना को स्वीकृत करवाने की आवश्यकता है। इन सभी गांवों की स्कीमें चीफ इंजीनियर जलदाय विभाग, जयपुर के ऑफिस में पड़ी हैं।

अतः जन हित में निवेदन है कि उपरोक्त सभी गांवों में जल जीवन मिशन की योजनाएं बनवाकर शीघ्र स्वीकृत करवाने का श्रम कराएं जिससे सभी ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल घर-घर उपलब्ध करवाया जा सके।

जोराराम कुमावत

(सुमेरपुर)

अलवर शहर में बंद पड़ी रोड लाइटों का दुरुस्तीकरण

महोदय,

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में नगर परिषद् अलवर द्वारा शहर में लगभग 30 हजार रोड लाइटें लगाई हैं। इनमें से करीब 6 हजार से ज्यादा रोड लाइटें बंद पड़ी हुई हैं। रोड लाइट व्यवस्था देख रही कंपनी का सरकार के ऊपर करीब 11 करोड़ 44 लाख 69 हजार 58 रुपये बकाया चल रहा था जिसमें से सरकार द्वारा उक्त कंपनी को मात्र 2 करोड़ 33 लाख 2 हजार 836 रुपये का ही भुगतान किया गया है। कंपनी को पूरा बकाया भुगतान नहीं करने के कारण कंपनी द्वारा रोड लाइटों की व्यवस्था का काम बंद कर दिया है जिसके कारण

अलवर शहर के प्रमुख चौराहों पर रात में अंधेरा होने के कारण क्षेत्र की आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अलवर शहर के पुराना दिल्ली रोड से स्टेशन तक, कालीमोरी से भवानी तोप रोड तक, कृषि उपज मण्डी के पीछे, एनईबी श्मशान घाट से अग्रसेन सर्किल तक, 60 फीट रोड, अंबेडकर नगर, भीम नगर, खुदनपुरी, ट्रांसपोर्ट नगर, टेल्को चौराहे से बहरोड़ रोड तक, हसन खां मेवात नगर, बुद्ध विहार, विजय नगर, धोबी घट्टा, गणेश गुवाड़ी, जेल चौराहे से दाई की गुमटी, स्कीम नं. 10 व 10 बी, फुटी खेल, तिजकी रोड, ऐरोड्रम रोड, स्टेशन रोड, मोती डूंगरी एमएमडी सर्किल, कुश मार्ग, काला कुआं, लाल डिग्गी का क्षेत्र, नयाबास, मनुमार्ग, हाउसिंग बोर्ड, जोहड मौहल्ला, सुभाष चौक, बजाज बाजार, मालाखेडा बाजार, काशीराम सर्किल, प्रतापबास, स्कीम नम्बर 1 व 3 तथा शिवाजी पार्क आदि क्षेत्रों में रोड लाइटें बिलकुल बंद पड़ी हैं जहां पूरी तरह से रात में अंधेरा होने के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं माननीय नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री जी से मांग कर निवेदन करना चाहता हूं कि जन हित में मेरे विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर के प्रमुख चौराहों की बंद पड़ी रोड लाइटों को शीघ्र चालू किया जाए।

संजय शर्मा

(अलवर शहर)

उदयपुर ग्रामीण में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर माइंस द्वारा खातेदारी जमीनों पर अवैध कब्जा

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में खातेदारी जमीनों की बिना मुआवजा चुकाये हिंदुस्तान जिंक लि. जावर माइन्स उदयपुर द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर रखा है एवं माइन्स से निकलने वाले कैमिकलयुक्त पानी को कृषि भूमि में छोड़ दिया गया है। कब्जे वाली जमीन एवं माइन्स परिसर के आस-पास बाहर की खातेदारी जमीनें जिन पर कैमिकलयुक्त पानी जाने से जमीनें खराब हो रही हैं। जावर माइन्स प्रबंधन द्वारा पर्यावरण को अनदेखा किया जा रहा है, जिसका दुष्परिणाम जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ब्लास्टिंग कंपन, कैमिकल से हो रही जटिल बीमारियों आदि समस्याओं से क्षेत्रवासी जूझ रहे हैं। इसके बावजूद पीड़ित श्रमिकों को जबरन नौकरी से निकाला जा रहा है। पूर्व में ग्राम पंचायत से लिखित

समझौता कर आस-पास की जमीनें इस शर्त पर एक्वायर की गई थीं कि स्थानीय निवासियों के परिवार के सदस्यों को स्थायी नौकरी पर रखेंगे, परंतु लॉकडाउन के बाद पावर कम करने के बहाने से प्रबंधकों द्वारा स्थानीय निवासियों को नौकरी से निकाल दिया है। इसके पश्चात् 30 अगस्त, 2020 को जावर माइन्स में धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया गया, जिसके पश्चात् हिंदुस्तान जिंक लि. के प्रबंधन द्वारा 15 दिवस के अंदर स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी पर पुनः लगवाना व जमीन का मुआवजा देने का आश्वासन दिया गया, परंतु आज दिन तब इस आश्वासन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि खातेदारी की जमीनों को कब्जे से मुक्त करवाने की कार्यवाही कराएं एवं नौकरी से निकाले गए लोगों को पुनः कंपनी द्वारा रोजगार पर रखने के निर्देश प्रदान करवाकर आम जन को राहत प्रदान करने की कृपा करें।

फूल सिंह मीणा
(उदयपुर ग्रामीण)

इंदिरा गांधी नहर एवं भाखड़ा नहर प्रणाली में अनकमाण्ड भूमि का कमाण्ड क्षेत्र में परिवर्तन

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इंदिरा गांधी नहर प्रणाली एवं भाखड़ा नहर प्रणाली में अनकमाण्ड भूमि को काश्तकारों ने स्वयं अपने खर्चे से समतल कर कमाण्ड किया। जो पूर्व में कागजों में अनकमाण्ड भूमि थी, लगातार भूमि को सुधार कर समतल किया। लंबे समय से उक्त भूमि को कमाण्ड घोषित नहीं किया जा रहा है जिससे किसानों को भारी हानि होती है। जैसे कृषि ऋण में लाभ नहीं मिल पाता है, क्रय एवं बेचान में काफी नुकसान होता है। सिंचाई सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। राज्य सरकार के द्वारा ऐसी भूमि को कमाण्ड घोषित करने पर राजस्व में बढोतरी होगी एवं कृषि उपज मण्डियों की आय भी बढ़ेगी।

अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे क्षेत्र को कमाण्ड क्षेत्र में घोषित की रोक को तुरंत हटाकर किसानों के हितों का ध्यान रखा जाए जिससे भाखड़ा एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों की भूमि भी सिंचित हो सके एवं उन्हें लाभ मिल सके।

धर्मेन्द्र कुमार
(पीलीबंगा)

आहोर में अग्निशमन वाहन की व्यवस्था

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर में आए दिन आगजनी की घटना होती रहती है। आहोर पंचायत समिति या उपखण्ड स्तर पर एक भी दमकल नहीं होने से कई गांवों में करोड़ों का सामान एवं पशु चारा जल चुका है एवं कई बार जान पर भी आ पड़ी है। दमकल की व्यवस्था जालौर में है जो रोडला, कंवला, पावटा घाणा, बरवा जैसे गांवों की दूरी 60-70 किमी. है, जिससे जब तक दमकल वहां पहुंचती है तब तक सब माल चाहे वो मकान हो, चारा हो या अन्य सामान जलकर भस्म हो जाते हैं। मैंने इस बारे में पूर्व में संबंधित मंत्री महोदय को इसकी जानकारी दी। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया था, लेकिन आज दिन तक मेरे विधान सभा क्षेत्र आहोर को अग्निशमन यंत्र नहीं मिला है। मुझे इसका जवाब भी यही मिलेगा कि इसका रखरखाव कौन करेगा।

माननीय अध्यक्ष जी, आगजनी की घटना से जन हानि, धन हानि होती है। इसकी रखरखाव की यदि सरकार जवाबदारी नहीं लेगी तो कौन लेगा? पूर्व में भी पंचायत समिति स्तर पर दमकल की व्यवस्था की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक मेरे विधान सभा में एक भी दमकल नहीं है। इसका एक कारण मेरे विधान सभा क्षेत्र में नगरपालिका भी नहीं है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र आहोर में भी एक दमकल की व्यवस्था कराएं, जिससे बड़ी आगजनी घटनाओं से बचा जा सके और आम जन को राहत मिल सके।

सधन्यवाद।

छगनसिंह

(आहोर)

बानसूर के विद्यालयों में कृषि विज्ञान संकाय की स्थापना

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहती हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र बानसूर क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहां बड़े कस्बों में सीनियर सैकण्डरी विद्यालयों में अनेक ऐसे विद्यालय हैं जिसमें किसानों के बच्चे पढ़ते हैं। यहां किसानों की अधिक आबादी है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से सम्बन्धित रोजगार के रास्ते खुलेंगे और छात्र-छात्राओं की जैविक

खेती और कृषि के उद्योग धन्धों को बढ़ावा मिलेगा। बानसूर में कृषि विज्ञान अनुसंधान केन्द्र भी खुला हुआ है। अत: ये विषय खुलते हैं तो कृषि कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। बड़े कस्बों के विद्यालयों में कृषि विज्ञान विषय खोलने की आवश्यकता है। कृपया कृषि विज्ञान विषय अधिक से अधिक खोलें जिससे छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो सके। इससे ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के रास्ते उपलब्ध होंगे।

शकुन्तला रावत

(बानसूर)

फतेहपुर में दुर्घटना संभावित स्थानों पर सर्किल या ओवरब्रिज का निर्माण

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा के कार्य एवं प्रक्रिया संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर पुलिस थाने के पास में एक चौराहा है। एक सड़क शहर के अंदर जाती है और एक पेट्रोल पंप की ओर जाती है। इस लिंक रोड से शहर के अंदर आने वाले वाहन और पेट्रोल पंप की ओर से आने वाले वाहन हाईवे को क्रोस करते हैं। यहां आए दिन कई दुर्घटनाएँ होती रहती है। गत 5 वर्षों में काफी मौतें हो चुकी हैं। अनेक घायल हो चुके हैं। इस जगह की स्थिति को देखते हुए कभी कोई बहुत बड़ा हादसा होने की पूरी संभावना है। अतः इस चौराहे पर सर्किल और ओवरब्रिज बनाना बहुत ही आवश्यक है।

इसी प्रकार रामगढ़ शेखावाटी से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 पर रामगढ़ बाईपास पर एक सड़क सालासर से आती है तथा दूसरी शहर के अंदर से आती है। यह शहर की मुख्य सड़क है। यहां भी एक चौराहा है। यहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजरने वाले भारी वाहन गुजरते हैं। यहां भी आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। जब से राष्ट्रीय राजमार्ग चालू हुआ है तब से आज तक 25 लोगों की मृत्यु दुर्घटनाओं में हो चुकी है तथा 100 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उक्त दोनों दुर्घटना संभावित स्थानों पर सर्किल या ओवरब्रिज बनाया जाए ताकि प्रतिदिन होने वाली जनहानि को बचाया जा सके।

धन्यवाद।

हाकम अली खां

(फतेहपुर)

परिशिष्ट-02

मांग संख्या 37-कृषि पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या - 37 कृषि के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. जिला श्रीगंगानगर में कृषकों को शीघ्र लघु कृषि कनेक्शन, सम्पूर्ण कर्ज माफी, कृषि विपणन बोर्ड के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण एवं कृषि उपज मण्डियों में सुधार कर सब-यार्ड के निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

2. प्रदेश के किसानों को कृषि कार्ड से ब्याज मुक्त ऋण देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. प्रदेश में कृषि कनेक्शनों पर लगी रोक हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. प्रदेश के लघु कृषकों के विद्युत बिल माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर):

5. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में किसानों के खेतों में पक्के खालों का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

6. किसानों को उपज का उचित मूल्य दिलाने, कृषि मण्डियों के विकास/नई मण्डियों के विकास करने, किसानों के कल्याण संबंधी योजनाएं संचालित करने, सेड़वा/चौहटन में कृषि सेवा केन्द्र (कृषि विज्ञान केन्द्र) खोलने तथा कृषि पर्यवेक्षकों के पद को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

7. धौलपुर जिले में आलू के लिए कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़):

8. शेरगढ़ में छोटे किसानों को बिजली नि:शुल्क देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा):

9. शाहपुरा के किसानों के ऋण/ब्याज माफ करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना):

10. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में नवीन कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

11. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के पंचायत मुख्यालय प्रतापगढ़ एवं खो-दरीबा में सब्जी मंडी यार्ड खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

12. किसानों से एम.एस.पी. पर खरीद के लिए ज्यादा तौल केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।
13. सीमान्त व लघु सीमान्त किसानों को अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चेतन सिंह चौधरी (डीडवाना):

14. प्रदेश में कृषि के पिछड़ेपन के कारणों के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

15. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
16. सवाई माधोपुर जिले में किसानों का उत्पादन बढ़ाने, बागवानी से जोड़ने एवं फूड प्रोसेसिंग इकाइयां लगाने हेतु विशेष छूट देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

17. राजस्थान राज्य बीज निगम में कथित अनियमितताओं के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।
18. अलवर जिले में प्याज की काला बाजारी में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के संबंध में चर्चा के लिये।

19. प्रदेश में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. राजस्थान राज्य भण्डारण निगम, राज्य बीज निगम, कृषि विपणन बोर्ड, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित सभी संस्थाओं को कृषि विभाग के अधीन किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

21. राज्य बीज निगम में वित्तीय व्यवस्था एवं आंतरिक अंकेक्षण को सुदृढ़ करने के लिए कम्पनी सचिव का एक नवीन पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

22. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

23. उदयपुर ग्रामीण क्षेत्रों में बून्द-बून्द सिंचाई योजना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. किसानों के लिए खेत समतलीकरण करने, चेक डेम बांध कर इनकी फसलों की कमाई व जमीन उपजाऊ करने का प्रबन्ध करने के संबंध में चर्चा के लिये।

25. प्रदेश में किसानों को खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. प्रदेश में किसानों का फसल बीमा समय पर करने एवं फसल बीमा का लाभ समय पर दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

27. प्रदेश में किसानों की फसलों को आवारा पशुओं से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

28. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा की प्रत्येक ग्राम पंचायत पर कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उप खण्ड मालपुरा में कृषि महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गुरदीप सिंह (संगरिया):

30. प्रदेश में पुरानी बनी डिग्गियों का वर्ष 2018 से 2020 तक का बकाया भुगतान शीघ्र करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

31. सलूम्बर नगरपालिका क्षेत्र में कृषकों को अपनी फसलों को रोजड़ों (नीलगाय) व सूअरों से बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में किसानों को समय पर बीज, खाद एवं यूरिया उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

33. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा एवं सेमारी के लम्बित विद्युत कृषि कनेक्शन शीघ्र देने के संबंध में चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर-सराड़ा एवं सेमारी के तहसीलों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

35. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सलूम्बर-सराड़ा एवं सेमारी में समय पर कीटनाशक दवाइयों का वितरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पब्बाराम (फलौदी):

36. विधान सभा क्षेत्र फलौदी में फलौदी मुख्यालय पर उप जिला स्तरीय कृषि कार्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

37. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा अन्तर्गत गोलुवाला कृषि उपज मण्डी का निर्माण कार्य कराने, कृषि उपज मण्डी रावतसर में सब-यार्ड का विस्तार कराने, कृषि विपणन बोर्ड के तहत सड़कों का निर्माण कराने, किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ करने एवं कृषि क्षेत्र में बागवानी को बढ़ावा देने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

38. कृषि मण्डी बाड़मेर में सुविधाओं के विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

39. सरकार द्वारा बाड़मेर में अनार, अंजीर, खजूर की खेती को प्रोत्साहन देने के संबंध में चर्चा के लिये।

40. तहसील बाड़मेर के ग्राम पंचायत दूदाबेरी में बाजरा अनुसंधान केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

41. कृषि मण्डी बाड़मेर के अन्तर्गत डामर सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

42. विधान सभा क्षेत्र दौसा के तहसील मुख्यालय सैंथल में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

43. प्रदेश में ओर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में बागवानी खेती को प्रोत्साहन देने, अनार उत्पादन को बढ़ावा देने एवं अनार मण्डी स्थापित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि सेवा केन्द्र निर्माण के साथ ही कृषि पर्यवेक्षक के पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. कृषि विभाग द्वारा किसानों को विभिन्न कृषि यन्त्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में M.S.P. पर सभी केन्द्रों के ऊपर किसानों की फसल खरीदने एवं निर्धारित समय पर किसानों को राशि भुगतान किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

48. सोजत में उत्पन्न होने वाली मेहंदी को कृषि जिंस में शामिल करने के संबंध में चर्चा के लिये।

49. प्रदेश में किसानों को तालाब बनाने के लिए 100% सब्सिडी देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र सोजत के पश्चिम क्षेत्र सोजत में अनावृष्टि के कारण हुए फसलों के नुकसान का मुआवजा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

51. मेहंदी को कृषि जिंस में शामिल नहीं करने से किसानों को होने वाले नुकसान से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

52. पाली जिले के सोजत शहर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं):

53. झुंझुनूं जिले में बागवानी को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

54. विधान सभा क्षेत्र झुंझुनूं की विभिन्न पंचायतों में कृषि पर्यवेक्षक भवनों को धन राशि आबंटन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

55. झुंझुनूं जिले में कृषि विभाग द्वारा स्थपित ए.टी.सी. को प्रभावी रूप से संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. झुंझुनूं जिले में व्यापारिक फसलों को बढावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

57. विधान सभा क्षेत्र निवाई में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

58. उदयपुर जिले में औषधीय महत्व के पौधों व वनस्पति की कृषि को प्रोत्साहन की योजना की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र मावली में कृषि क्षेत्र में नवाचार व कृषक उन्नयन के लिए किसान प्रशिक्षण व परामर्श केन्द्र की स्वीकृति के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला):

60. सरकार द्वारा बारानी जमीनों का किसानों को उपभोग करने के लिए आबंटित करने एवं किसानों को कृषि सेवाओं में अधिक से अधिक सहयोग/सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

61. नागौर जिले में कृषि से जुड़े उत्पादों के विक्रय के लिए सरकार के स्तर से हाट बाजार स्थापित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

62. नागौर जिले में बहुतायत में उत्पदित होने वाली पान मैथी का किसानों को समुचित मूल्य दिलवाने हेतु नीति बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के किसानों द्वारा कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं व कार्यों में सब्सिडी आदि के लिए प्राप्त व लम्बित आवेदनों का शीघ्रता से निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

64. नागौर जिला मुख्यालय पर स्थित कृषि महाविद्यालय में मूंग का अनुसंधान केन्द्र प्रारम्भ करने के संबंध में चर्चा के लिये।

65. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पड़े पदों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

66. पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर के किसानों को वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के फसल बीमा क्लेम विभाग द्वारा समय पर नहीं दिलवाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

67. कोटा जिले में उर्वरक कारखानों एवं विक्रेताओं से उर्वरक सैम्पल लेकर जांच कार्यवाही के नाम पर हो रही लीपापोती से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

68. रबी सीजन 2020-21 के लिए गेहूं, दलहन, चना आदि के अनुदानित बीज उपलब्ध करवाने में पंचायत समिति क्षेत्र इटावा, सुल्तानपुर एवं बून्दी के किसानों के साथ हुई उपेक्षा के संबंध में चर्चा के लिये।

69. कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय श्रीपुरा (कोटा) पर किसान सेवा केन्द्र एवं ग्राम ज्ञान केन्द्र निर्माण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

70. आधुनिक एवं उन्नत खेती तथा उद्यानिकी प्रोत्साहन की दिशा में चलायी जा रही योजनाओं में पंचायत समिति क्षेत्र इटावा व सुल्तानपुर के किसानों की हो रही अनदेखी के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री लाखन सिंह (करौली):

71. करौली जिले में जिला हैडक्वार्टर पर एग्रीकल्चर कॉलेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता प्रतिपक्ष):

72. उदयपुर में फल-सब्जी मण्डी के थोक व्यापार हेतु नये कैम्पस के निर्माण की आवश्यकता है जिससे सम्पूर्ण संभाग के किसानों को उचित मूल्य एवं लेन-देन की सुविधा दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

73. उदयपुर में नये कृषि मण्डी यार्ड का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

74. कृषि मण्डी द्वारा निर्मित सड़कों की मरम्मत कराने हेतु बजट उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा पूर्व में जिन किसानों ने प्राप्त कर ली है, भविष्य में उनके स्थान पर नये किसानों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

76. राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 से खरीफ एवं रबी फसल का बीमा नहीं कराये जाने से किसानों को लाभ नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

77. प्रदेश के किसानों को कर्जे से बचाने हेतु फसल की बुआई की गिरदावरी के आधार पर प्रति हैक्टेयर कृषि भूमिके अनुसार अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

78. प्रदेश में किसानों को जलवायु और भौगोलिक स्थिति के अनुसार उन्नत किस्म के बीज नि:शुल्क वितरित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र दूदू के D.D.P. ब्लॉक दूदू व ब्लॉक फागी के कार्य क्षेत्र में कृषि हेतु जल संरक्षण के संसाधन बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

80. कृषि विभाग द्वारा स्वीकृत किये जा रहे खेत, तलाई, फार्म पौन्ड में डिग्गी बनाने में दिये जा रहे अनुदान के समान अनुदान दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

81. विधान सभा क्षेत्र दूदू के ब्लॉक दूदू व फागी में हाईटेक कृषि के लिए ग्रीन हाउस/पोली हाउस का लक्ष्य बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

82. चित्तौड़गढ़ के किसानों की गेहूं, मक्का, सोयाबीन व सरसों की फसल की खरीद न्यनूतम समर्थन मूल्य पर करने के संबंध में चर्चा के लिये।

83. जिला चित्तौड़गढ़ में किसानों की खरीफ की खराब फसलों पर मुआवजा उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

84. किसानों को नवीन व आधुनिक कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

85. किसानों को रोजड़ों (नीलगाय) से निजात दिलाने हेतु विशेष कार्य योजना बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा):

86. विधान सभा क्षेत्र राजाखेड़ा में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

87. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में नवीन कृषि उपज मण्डियां खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. प्रदेश में कृषि के आधुनिकीकरण करने हेतु नवाचारों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

89. LTSP क्षेत्र में पुराने कुएं गहरे कराये जाने, पक्की मुण्डेर बनायी जाने एवं नवीन कुएं खुदवाने का प्रावधान किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

90. टीएसपी जनजाति क्षेत्र में जैविक खेती पर जोर दिये जाने, नि:शुल्क बीज-उपकरण दिये जाने एवं टीएसपी क्षेत्र में कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पड़े पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहौर):

91. किसानों को कृषि यंत्र पर 100% अनुदान दिये जाने, तारबंदी, ट्रैक्टर से जुताई करने हेतु संयंत्र एवं कृषि हेतु अनुदानित उपचारित बीज की मात्रा बढ़ाई जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र आहोर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 72 घण्टे में किसानों द्वारा सूचना देने के उपरान्त भी उन्हें फसल बीमा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र आहोर में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में गिरदावरी नहीं होने से किसानों को अनुदान नहीं मिलने के संबंध में चर्चा के लिये।

94. विधान सभा क्षेत्र आहोर में किसानों द्वारा ज्ञापन देने के बावजूद उप

खण्ड अधिकारी द्वारा क्षेत्र में किसानों को आश्वस्त करने के उपरान्त भी ग्राम कंवला, रोडला, भूति बांकला, तोडकी, गोवन्दिला छापरिया, हरजी में फसल खराब होने के कारण अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र आहोर में आहोर, चान्दराई, भाद्राजून, सियाणा, हरजी इत्यादि में दो जगह पर कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

96. विधान सभा क्षेत्र कपासन के किसानों को उन्नत किस्म के पर्याप्त खाद-बीज समय पर उपलब्ध कराने एवं पानी की व्यवस्था कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

97. प्रदेश में कृषि कार्यों के उपयोग में आने वाले कृषि उपकरणों पर अधिक अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

98. प्रदेश में सरकार द्वारा किसानों की फसलों को समर्थन मूल्य पर आवश्यक रूप से खरीदने के संबंध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र कपासन में कृषि विभाग में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

100. प्रदेश में कृषि कार्य निराई-गुड़ाई, हकाई, फसल कटाई व फसल परिवहन के कार्यों को मनरेगा योजना में जोड़ कर स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

101. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के काश्तकारों को जल हौज, फार्म पौण्ड, डिग्गी व फव्वारा सिंचाई पर प्रदत्त अनुदान राशि का भुगतान समय पर नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

102. प्रदेश में किसान कॉल सेन्टर को जिला स्तर पर क्रियान्वित किये जाने एवं कृषकों को नवीनतम कृषि तकनीक उपलब्ध नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

103. प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषकों के हितों को नजर अंदाज किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

104. प्रदेश में जैविक उत्पादन एवं उत्पादकता को बनाये रखने के लिए

रसायन मुक्त जैव उत्पादन को बढावा नहीं देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

106. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में सिवायचक भूमि को गरीब-निर्धन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को आबंटित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में मेज नदी पर कृषि कार्य में सिंचाई हेतु एनिकटों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में स्थित किसानों के लिए कृषि कार्यो हेतु सहकारी समितियों के माध्यम से ऋण की सीमा बढ़ाकर समय पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के किसानों को कृषि कार्यों में काम आने वाली मशीनरी पर राज्य सरकार द्वारा नियमानुसार अनुदान समय पर उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

110. विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के किसानों को गन्ने की खेती हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शुगर मिल केशोरायपाटन को चालू कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

111. नागौर जिले में गत वर्ष में खरीफ फसलों के खराबे से किसानों को होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र मकराना में गौण कृषि मण्डी गच्छीपुरा के संबंध में चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्राम पंचायत बूड़सू में गौण कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र मकराना के ग्रामीण क्षेत्रों में आवारा पशु एवं नीलगाय से होने वाले नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

115. नागौर जिले में किसानों को कृषि कार्य हेतु सिंगल फेज विद्युत कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

116. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में किसानों को उन्नत खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र बामनवास के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर किसान सेवा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

119. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में किसानों को खाद, बीज तथा कीटनाशक दवाइयों का समय पर वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषि उपज मण्डी से सड़कें बनाने के संबंध में चर्चा के लिये।

121. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में कृषि उपज मण्डी खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

122. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के बडगांव क्षेत्र के टमाटर एवं अनार, पपीता, खजूर आदि फल उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु रानीवाड़ा में नवीन फल व सब्जी मण्डी यार्ड खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

123. प्रदेश के अवधिपार ऋणी किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा में कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

125. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम सेवा सहकारी समितियों हेतु गोदाम निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

126. कृषि उत्पादों का किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए प्रोसेसिंग इकाइयां स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

127. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के तूंगा कस्बे में कृषि उपज मण्डी समिति की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिये।

128. कृषकों की आय बढ़ाने हेतु कृषि जिंसों के निर्यात को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

129. कृषकों को समय पर उन्नत किस्म के बीज, खाद तथा अन्य इनपुट उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

130. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत कृषि शीड में किटों की आबंटन संख्या बढाये जाने, ग्राम गणेशपुरा व खेडी के तालाब को गहरा करना तथा नहर निर्माण कर पानी डालने के संबंध में चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत कृषि यंत्रों यथा पाइप लाइन (फव्वारा) स्प्रिंकलर की खरीद हेतु विभाग को आबंटित बजट की राशि बढ़ाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा):

132. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के किशनपुरा व बालापुरा लिफ्ट परियोजना की जर्जर पाइप लाइन को बदलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम गलाना के माल को सिंचाई परियोजना में सम्मिलित करने के संबंध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की प्रत्येक पंचायत में एक तुलाई केन्द्र खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

135. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के मण्डाना क्षेत्र को चम्बल नदी से सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा की नहरों की सफाई एवं मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

137. जैसलमेर जिले में नहरी एवं नलकूप क्षेत्र में हो रही खेती में आवश्यक सुधार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियाँ (सादुलपुर):

138. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के स्कूलों में कृषि संकाय खोलने एवं बजट में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा):

139. कृषि विभाग द्वारा मण्डावा में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

140. विधान सभा क्षेत्र कामां में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

141. कामां व पूरे प्रदेश में जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

142. किचन गार्डन/रूम गार्डन हेतु जैविक एवं उन्नत किस्म की सब्जियों की पौध आमजन को आई.एच.आई.टी.सी. के माध्यम से न्यूतम दर पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

143. राजस्थान राज्य बीज निगम में अनियमितताओं पर नियंत्रण रखने के लिए कम्पनी सचिव के नये पद स्वीकृत करने के संबंध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कृषि विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में फुलेरा, सांभर तथा किशनगढ-रेनवाल में किसान विकास केन्द्र की स्थापना करने के संबंध में चर्चा के लिये।

146. प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा देने हेतु नवीन योजना शुरू करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

147. बारां जिला कृषि प्रधान जिला होने पर भी कृषि महाविद्यालय नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी):

148. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में कृषि महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु आवश्यक वित्तीय स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

149. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में फल, सब्जी एवं फूल उत्पादन हेतु

गांवों में कृषि विशेषज्ञों द्वारा कैम्प आयोजित कराने के संबंध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में नई नहरी क्षेत्र में किसानों के हित में नई डिग्गी निर्माण की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

151. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में किसानों के हित में कृषि हेतु जल हौज के नये निर्माण की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

152. कृषि उपज मण्डी सुमेरपुर में स्थित दुकानों व भू-खण्डों की डीएलसी दरें मण्डी परिसर के बाहर स्थित समानान्तर वाणिज्य क्षेत्र से चार गुना ज्यादा होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ, डेरी व भावरी में गौण मण्डी स्वीकृत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. किसानों की खरीफ व रबी की सभी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई कमाण्ड के किसानों की कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सेई बांध की सुरंग चौड़ी करने की स्वीकृति प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के किसानों को कृषि भूमि की सिंचाई के लिए जवाई बांध का पानी कम हो जाने के कारण जवाई बांध की पुनर्भरण योजना स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

157. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में कृषि महाविद्यालय के लिए जमीन आबंटित कर उसमें कृषि महाविद्यालय भवन का निर्माण करने तथा स्टाफ लगाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

158. प्रदेश के समस्त किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई कर राहत प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिकतम लाभ दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. राज्य सरकार की घोषणानुसार प्रदेश के समस्त किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

160. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसान पथ (सड़क) का निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. कृषि उपज मण्डी समिति (फल-सब्जी) के अधीन गौण मण्डी यार्ड माकडवाली में भू-खण्डों का आबंटन शीघ्र कराकर व्यापार संचालन प्रारम्भ कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. प्रदेश के किसानों द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर विशेष प्रयास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

163. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में वर्तमान रबी फसल में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा दिलाने के संबंध में चर्चा के लिये।

164. प्रदेश में नेशनल होर्टिकल्चर मिशन में सामुदायिक जल स्रोतों की अनुदान राशि बढ़ाई जाने तथा विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के नेशनल होर्टिकल्चर मिशन योजना के तहत लम्बित पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

165. प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर कृषि अधिकारी के पद सृजित कर पदस्थापन करने व विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कृषि पर्यवेक्षकों के रिक्त पद भरने के संबंध में चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कृषि संयंत्रों का बजट बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में कृषि विभाग से स्वीकृत फार्म पौण्ड निर्माण के लिए लाभार्थियों को समय पर अनुदान राशि का भुगतान नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

168. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कृषि अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के किसानों को आधुनिक कृषि हेतु प्रशिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में कोल्ड स्टोरेज एवं अन्य कृषि उत्पादों के क्रय-विक्रय केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. सीमावर्ती जिले बाड़मेर, जैसलमेर एवं जालौर में अनुकूल जलवायु के अनुसार खजूर, अनार आदि फलदार फसलों के साथ ही इमारती एवं औषधीय पौधों की खेती हेतु किसानों को प्रशिक्षित करने एवं सरकारी सहायता प्रदान कर उत्पादन को बढ़ावा देने की योजना बनाने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

172. कृषि यंत्रों व किसानों के सिंचाई क्षेत्र में हौज बनाने की सब्सिडी बढ़ाने एवं किसानों को नि:शुल्क बीज उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

173. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) की कृषि उपज मण्डियों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

174. विधान सभा क्षेत्र नोहर में दिनांक 09 मार्च, 2021 को हुई ओलावृष्टि से हुए फसलों के नुकसान का कृषकों को मुआवजा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र नोहर में खजूर की खेती को प्रोत्साहन करने के लिए पूर्ववर्ती अनुदान में पौधों की लागत पर 90% छूट देने के संबंध में चर्चा के लिये।

176. विधान सभा क्षेत्र नोहर में कृषि उपजों के खराबे पर बकाया बीमा क्लेम दिलवाने के संबंध में चर्चा के लिये।

177. विधान सभा क्षेत्र नोहर के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कृषि पर्यवेक्षक के पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

178. विधान सभा क्षेत्र नोहर में कृषि भूमि पर फव्वारा सिंचाई व ड्रिप पद्धति के विस्तार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

179. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में कृषि उपयोगार्थ जल स्रोतों की अनुदान राशि बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में कृषि अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

181. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में किसानों के हित में कृषि कुओं का निर्माण कराये जाने एवं कृषि संबंधी विभिन्न समस्याओं के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

182. प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसानों को सोलर पम्प सैट पर अनुदान नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

183. राज्य में कृषि के क्षेत्र में नवाचार और शोध को बढ़ाने के लिये उचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

184. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत फसल कटाई सम्मिलित नहीं होने से किसानों को हो रहे नुकसान के संबंध में चर्चा के लिये।

185. किसानों को कृषि यंत्रों पर अनुदान स्वीकृति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. प्रदेश के कृषकों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की पुख्ता व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

187. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में किसान विकास केन्द्रों की स्थापना कराने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

188. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में किसान विकास केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

189. प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा एवं गेहूं की खरीद करने तथा भावान्तर राशि का किसानों केा भुगतान करने के संबंध में चर्चा के लिये।

190. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्रत्येक किसान को अगले वित्तीय वर्ष में माह मई से पूर्व दिलाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

191. विधान सभा क्षेत्र नोखा में सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पद भरने एवं नोखा में कृषि अधिकारी का पद सृजित कर कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

192. विधान सभा क्षेत्र नोखा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बकाया क्लेम जारी करने के संबंध में चर्चा के लिये।

193. प्रदेश में एमएसपी पर बाजरे की खरीद शुरू करने एवं मोठ का एमएसपी तय करने हेतु प्रदेश स्तर पर मोठ कमीशन की स्थापना करने की विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

194. नोखा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने व कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

195. प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने एवं जैविक उत्पादों को बाजार में उपलब्ध करवाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

196. विधान सभा क्षेत्र जालौर में कृषि शिक्षा महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

197. विधान सभा क्षेत्र जालौर की उपजाऊ कृषि भूमि को बरसाती कटाव से रोकने हेतु आवश्यक उपाय किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

198. विधान सभा क्षेत्र जालौर में कृषि कुओं का जल स्तर और अधिक नीचे जाने से रोकने के लिए नदियों एवं नालों में पर्याप्त संख्या में बेसफ्लो बनाये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

199. जालौर जिले में NSC एवं RSC द्वारा तैयार बीजों की उपलब्धता कम होने के कारण अन्य कम्पनियों से बीज खरीदने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

200. विधान सभा क्षेत्र चूरू में तारानगर तहसील के किसानों के खरीफ, रबी 2020 में जिन किसानों को प्रीमियम राशि का 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के अन्तर्गत कम्पनी के पोर्टल पर बैंकों की लापरवाही से समय पर दर्ज नहीं होने के कारण किसानों के फसल मुआवजे से वंचित रहने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

201. चूरू तहसील में बजट घोषणा 2020-21 के अनुसार कृषि उपकरण, कस्टम हायरिंग केन्द्र स्वीकृत किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये।

202. विधान सभा क्षेत्र चूरू में वर्ष 2020-21 में राजस्थान राज्य बीज निगम द्वारा प्रमाणित बीज वितरित नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

203. मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत चूरू तहसील को सम्मिलित नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

204. राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन के अन्तर्गत जल हौज निर्माण में चूरू तहसील के किसानों की स्वीकृति जारी नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढी):

205. विधान सभा क्षेत्र गढी एवं बांसवाड़ा जिले में कृषकों को कृषि उपकरण, कृषि यंत्र देने के लक्ष्य बढ़ाने, पाइप लाइन एवं कृषि में अनुदान (सब्सिडी) नई दरों पर दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

206. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में अत्यधिक अन्न उत्पादन एवं विभिन्न प्रकार की फसलों एवं सब्जियों का उत्पादन क्षेत्र होने के कारण यहां पर पर्याप्त भण्डारण के लिए कृषि उपज मण्डी गढ़ी में मुख्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिये।

207. बांसवाड़ा जिला जनजाति बहुल क्षेत्र में विभाग द्वारा मुफ्त बीज वितरण के लक्ष्यों को बढ़ाकर एवं बुवाई के निर्धारित समय से पहले वितरण करने के संबंध में चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

208. सिरोही में कृषि महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-03

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-39 **पशुपालन एवं चिकित्सा** के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये, इस आशय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि:-

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़):

1. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ में पशु चिकित्सा विभाग में रिक्त पड़े चिकित्सकों/कम्पाउण्डरों के पदों को भरने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में समय-समय पर पशु चिकित्सा कैम्प लगाकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर):

2. बानसूर के छीन्द व पहाड़ी क्षेत्र में भैंसों का टीकाकरण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
3. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम सामोता दहिया, ग्वाडा, बबेडी आदि में पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पदमाराम (चौहटन):

4. विधान सभा क्षेत्र चौहटन में पशु चिकित्सकों/पैरा मेडिकल (LSA) के रिक्त पदों को भरने तथा भवन रहित पशु चिकित्सालयों/उपकेन्द्रों के भवन बनवाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री आलोक बेनीवाल (शाहपुरा):

5. विधान सभा क्षेत्र शाहपुरा के बड़े गांव जो कि पंचायत हैड क्वार्टर नहीं है, पर पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुरेश मोदी (नीम का थाना):

6. विधान सभा क्षेत्र नीम का थाना में शेष रहे भवन विहीन पशु चिकित्सालयों के भवन निर्माण के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़):

7. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ के अधिक पशुधन वाले गांवों में पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां):

8. विधान सभा क्षेत्र ओसियां में नये पशु चिकित्सालय/पशु उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी):

9. विधान सभा क्षेत्र थानागाजी के पंचायत मुख्यालय सकल अजबगढ़ में 'ए' श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी):

10. विधान सभा क्षेत्र बाड़ी के सिगोरई पशु चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा):

11. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पशु चिकित्सा विभाग में स्टाफ की कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में पशुओं का टीकाकरण करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अशोक (खण्डार):

13. विधान सभा क्षेत्र खण्डार में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर):

14. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों एवं चिकित्सालयों में पशुधन सहायक/पशु चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

15. विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में मोबाइल वेटेरिनरी सेवा उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

16. राज्य में ऊंटों की घटती संख्या की रोकथाम एवं संवर्धन हेतु कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

17. पशु चिकित्सा को सुदृढ़ करने हेतु दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं मोनिटरिंग की ऑनलाइन व्यवस्था करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. भामाशाह पशु बीमा योजना के अन्तर्गत अधिकाधिक पशुओं का बीमा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर):

19. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र से वंचित ग्राम पंचायतों में सब सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर कस्बे में पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण):

21. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के जनजाति क्षेत्र में पशुपालन के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाकर पशुपालकों को रोजगार उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के सभी पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पशु चिकित्सा विभाग के भवन बनाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमीन खां (शिव):

24. राज्य में ऊंट एवं अन्य पशुओं के बचाव हेतु कार्य योजना तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कन्हैया लाल (मालपुरा):

25. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के ग्राम हिण्डोला, डेठावी व बागड़ी में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

26. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड टोडारायसिंह व मालपुरा में बीमार पशुओं को लाने ले जाने हेतु पशु एम्बुलेन्स वाहन उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

27. विधान सभा क्षेत्र मालपुरा के उपखण्ड मालपुरा में ''अ'' श्रेणी का पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर):

28. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने एवं नवीन पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

29. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशुओं में फैलती बीमारियों की रोकथाम के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

30. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशुधन नि:शुल्क दवा योजना में पशुपालकों को पर्याप्त दवाएं नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में पशुधन बीमा योजना को लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में प्राकृतिक आपदाओं से पशु की मृत्यु होने पर मुआवजा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा):

33. विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के ग्राम भैरूसरी, चक 15-16 KWD तथा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर नवीन राजकीय पशु चिकित्सालय खोलने, नि:शुल्क दवा उपलब्ध करवाने एवं ग्रामीण क्षेत्र में पशु चिकित्सा कैम्प लगाकर पशुओं की चिकित्सा करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर):

34. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ग्राम पंचायत चूली, सरली, जालीपा, गरल, महाबार, लंगेरा में पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

35. राज्य पशु ऊंट का संरक्षण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मुरारी लाल (दौसा):

36. विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्राम थूमडी, महेश्वरा कलां एवं प्यारीवास में नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना):

37. प्रदेश में दुग्ध डेयरी लगाने वाले किसानों के लिए बाड़मेर जिले के लिए 'गिर' गाय की नस्ल को भी सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

38. पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन बीमा योजना बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

39. प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. राजस्थान के राज्य पशु ऊंट के लिए कल्याणकारी योजना पर एवं ऊंटनी के प्रजनन पर देय अनुदान राशि को बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

41. ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित गौशालाओं को अनुदान दिये जाने, आवारा गौवंश गाय-नन्दी को उस क्षेत्र में संचालित गौशालाओं में शामिल किये जाने एवं नन्दी गौशाला समिति मुख्यालय पर खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शोभा चौहान (सोजत):

42. कैटल शैड योजनान्तर्गत सरकार द्वारा वित्तीय स्वीकृति किये जाने के बावजूद प्रार्थियों को लाभ नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

43. पशुधन बीमा योजना पुन: शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

44. राज्य पशुधन ऊंट प्रजनन पर मिलने वाली सहायता राशि 10 हजार रुपये पुन: प्रारम्भ करने पर चर्चा के लिये।

45. पाली जिले के सोजत शहर में आधुनिक सुविधाओं सहित पशु चिकित्सालय स्थापित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनू):

46. पशु पोली क्लिनिक झुंझुनूं में पशु चिकित्सा हेतु और सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

47. प्रदेश में देसी नस्ल की गायों की नस्ल को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. ग्राम पदमपुरा पंचायत समिति चिड़ावा एवं ग्राम चिड़ासन पंचायत समिति चिड़ावा में पशु उपस्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई):

49. विधान सभा क्षेत्र निवाई में पशु चिकित्सकों के कार्यालय में पशु चिकित्सक/स्टॉफ के उपस्थित न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

50. विधान सभा क्षेत्र निवाई में पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली):

51. मावली उपखण्ड मुख्यालय पर सुविधायुक्त 'अ' श्रेणी पशु चिकित्सालय की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

52. विधान सभा क्षेत्र मावली के प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर पशु चिकित्सा केन्द्र की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

53. उदयपुर जिले में पशुपालन विभाग के 695 विभिन्न रिक्त पदों को नवीन भर्ती से भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

54. मावली उपखण्ड मुख्यालय पर वेटेरिनरी कॉलेज की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर):

55. प्रदेश में बछड़ों के विक्रय पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

56. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में स्वीकृत विभिन्न श्रेणी के पशु चिकित्सालयों व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु बजट जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र खींवसर के संखवास ग्राम में स्थित राजकीय पशु चिकित्सालय को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में स्थित विभिन्न श्रेणी के पशु चिकित्सालयों व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों में निःशुल्क दवा योजना के अन्तर्गत पशुपालकों को सम्बन्धित चिकित्सा संस्थानों द्वारा दवाइयां उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र खींवसर में स्थित विभिन्न श्रेणी के पशु चिकित्सालयों व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा):

60. पंचायत समिति इटावा एवं सुल्तानपुर में पशु चिकित्सा संस्था विहीन ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने में की जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

61. पशु चिकित्सा उप केन्द्र कोटड़ा दीपसिंह, पड़ासलिया, तलाव एवं पशु औषधालय बिनायका हेतु भवन निर्माण में बरती जा रही उपेक्षा पर चर्चा के लिये।

62. पशु चिकित्सालय खातोली व बूढ़ादीत को प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

63. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में संचालित पशु चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पदों के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. अक्रियाशील पशु चिकित्सा उपकेन्द्र बम्बूलिया कलां को क्रियाशील करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू):

65. प्रदेश में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय कार्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अधिक दूध देने वाले उन्नत नस्ल के गाय, भैंस, बकरी एवं भेड़ खरीद के लिए अनुदान की राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

67. दूदू में पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री दुग्ध सम्बल योजना में दिये जा रहे अनुदान को प्रति लीटर दो रुपये के स्थान पर चार रुपये करने व समय पर भुगतान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में गुणवत्तायुक्त पशु आहार कानून लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़):

70. विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में नवीन पशु औषधालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. चित्तौड़गढ़ में पशुओं की नस्ल सुधार हेतु विशेष कार्ययोजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. चित्तौड़गढ़ में पशु चिकित्सालय एवं पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों में आधुनिक मशीनों से युक्त भवन निर्माण करवाये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. चित्तौड़गढ़ में पशु स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा):

74. प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु नवीन योजनाएं बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर):

76. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के पंचायत स्तर पर पशु चिकित्सा शिविर लगाकर पशुओं का इलाज करने एवं दवाइयां उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में पशुओं को पालने के लिए पशु कैटलशैड बनाने तथा विधवा एवं बी.पी.एल. परिवारों को नि:शुल्क बकरी, भेड़ व मुर्गी उपलब्ध करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री छगनसिंह (आहोर):

78. सभी पशुओं का समय पर टीकाकरण कर गम्भीर मौसमी बीमारियों से बचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

79. प्रदेश के गौ-पालकों का पटवारी से सर्वे करवाकर उन्हें अनुदान देकर गौ-वंश को बचाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. पंचायत समिति आहोर एवं सियाणा में जिला स्तर का पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. पंचायत समिति आहोर की ग्राम पंचायतें आईपुरा, अजीतपुरा, बिठुडा, बांकली, बावड़ी, चवरछा, डोडीयाली, कवराड़ा, पावटा, पांचोटा, सुगालिया जोधा, वलदरा एवं वेडिया में पशु चिकित्सा संस्थान खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र आहोर के गुड़ा गांव के पशु चिकित्सा केन्द्र को क्रियाशील किये जाने, 6 पशु चिकित्सा केन्द्र और खुलवाये जाने, एस.वी.ओ. के 3, वी.ओ. के 5 पद एवं VA/LSA के 12 रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन):

83. दुर्घटना में घायल होने वाले पालतू एवं आवारा पशुओं की चिकित्सा के संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

84. पशु चिकित्सालयों में रिक्त चल रहे चिकित्सकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने तथा पशु चिकित्सकों एवं अन्य स्टॉफ के पद स्वीकृत करने तथा भवन निर्माण के लिए राशि आबंटन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. पशुपालन पर विशेष अनुदान राशि देकर दुग्ध व्यवस्था को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. अच्छी नस्ल के पशुपालन करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़):

88. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ की ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सा उप केन्द्र नहीं होने से पशुपालकों को हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र अनूपगढ़ के पशु स्वास्थ्य केन्द्रों पर पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजनान्तर्गत नि:शुल्क दवाइयां उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

90. नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अन्तर्गत बीमित पशुपालकों को अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. अनुसूचित जाति/जनजाति एवं बीपीएल परिवारों के पशुपालकों को पशु बीमा करवाने के उपरांत भी अनुदान नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

92. सूअर पालन योजना में उन्नत नस्ल के सूअरों के प्रजनन एवं शुकर पालन में अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग एवं बेरोजगारों को चयनित कर योजना से लाभान्वित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन):

93. प्रदेश के पशुपालन विभाग में नई संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

94. प्रदेश में मुख्यमंत्री पशुधन चल चिकित्सा इकाई के संचालन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

95. बून्दी व कोटा जिले में नये पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

96. बून्दी व कोटा जिले में स्थित पशु चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवाइयां सम्पूर्ण मात्रा में समय पर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

97. बून्दी व कोटा जिले में स्थित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत चिकित्सकों व अन्य स्टॉफ के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रूपा राम (मकराना):

98. नागौर जिले में गौ-वंशों की दुर्दशा को रोकने हेतु देशी गायों का दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़ाने एवं नागौर नस्ल के बछड़ों के ऊपर लगी रोक हटाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र मकराना में पशु चिकित्सालय बुड़सू को क्रमोन्नत करने व सभी ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास):

100. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों के रिक्त पदों को भरने, नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने तथा उनके भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

101. विधान सभा क्षेत्र बामनवास में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. विधान सभा क्षेत्र बामनवास की प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोपाल लाल मीना (जमवारामगढ़):

103. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों एवं पशु चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवाओं की कमी को पूरा करने तथा रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र

खोलने एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में पशुओं की विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल यूनिट संचालित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा):

106. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा की ग्राम पंचायत रामपुरा, बामनवाड़ा, धामसीन, तावीदर, सिंगावास, जालेराखुर्द, कुड़ा, चाटवाड़ा, राजपुरा, राजीकावास, कलापुरा, कोटड़ा, भाटीप, आखराड़ एवं राजीव नगर में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

107. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पशु चिकित्सा उप केन्द्र सिलासन एवं सेवाड़ा को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के तहसील मुख्यालय रानीवाड़ा पर सहायक पशुपालन सूचना अधिकारी का नवीन पद सृजित किए जाने एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के पशु चिकित्सालय मालवाड़ा, करडा, धानोल, सरनाऊ एवं मौखातरा को प्रथम श्रेणी चिकित्सालय में क्रमोन्नत किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

110. प्रदेश में पशुधन के कृत्रिम गर्भाधन हेतु सैक्स सॉर्टेड सीमन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी):

111. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) में दुग्ध संकलन केन्द्र स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

112. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने तथा वर्तमान में संचालित उप स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण कराने के सम्बन्ध में विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

113. दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा उत्पादकों को आय बढ़ाने के लिये वर्तमान में देय अनुदान में वृद्धि कर पांच रुपये प्रति लीटर करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

114. विधान सभा क्षेत्र बस्सी (जयपुर) की गौशालाओं को आर्थिक सहायता देने तथा नंदीशाला बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर):

115. उपखण्ड रोटडी के अन्तर्गत स्थित पशु चिकित्सालय भवन के निर्माणाधीन हेतु बजट के आबंटन तथा ग्राम पंचायत थापडेल में नवीन पशु चिकित्सा केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

116. उपखण्ड जहाजपुर के ग्राम बोरानी एवं ग्राम पंचायत गाडौली में पशु चिकित्सालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रूपाराम (जैसलमेर):

117. जैसलमेर जिले में पशुओं की बहुतायत को देखते हुए आवश्यक पशु सुधार कार्य करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कृष्णा पूनियॉ (सादुलपुर):

118. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पशुपालकों की अधिक संख्या को देखते हुए बड़े गांवों में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

119. विधान सभा क्षेत्र कामां के बड़े गांवों में पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र कामां के प्रत्येक कस्बे के पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा):

121. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के ग्राम खेड़ीराम में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

122. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पशुपालन विभाग के रिक्त पदों को शीघ्र भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के मण्ढ़ा भीमसिंह के पशु चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी के पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

124. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल के पशु चिकित्सालय का भवन जीर्ण-शीर्ण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू):

125. बारां जिले में पशु चिकित्सकों के पास पशुओं के ऑपरेशन के लिये पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्रीमती जाहिदा खान (कामां):

126. विधान सभा क्षेत्र कामां के समस्त पशु चिकित्सालयों को 'A' श्रेणी चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री सुमित गोदारा (लूणकरणसर):

127. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के राजकीय पशु चिकित्सालय बम्बलू का भवन निर्माण कराये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

128. विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के ग्राम पंचायत मुख्यालय शेरपुरा व बालादेसर में पशु चिकित्सालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोराराम कुमावत (सुमेरपुर):

129. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में डेन्डा सहित सभी पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

130. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के पशुपालक जो कि मध्यप्रदेश राज्य में पशुपालन हेतु जाते हैं, को आत्मरक्षार्थ बन्दूक व अन्य हथियारों के लाइसेन्स दिलाने हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

131. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु चिकित्सालय व नन्दी शालाएं खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के सुमेरपुर व तखतगढ़ कस्बों में बेसहारा पशुओं के संरक्षण हेतु नंदीशाला खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

133. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के ग्राम रूपावास के पशु चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री पुखराज (भोपालगढ़):

134. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के पशु चिकित्सालय में मूलभूत सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल):

135. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के समस्त कार्यरत पशु चिकित्सालय को 'अ' श्रेणी में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर):

137. विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में पशु चिकित्सालय व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सकों/कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने एवं पशु चिकित्सालय व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर):

138. विधान सभा क्षेत्र अजमेर उत्तर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पदों को भरने एवं उनके भवन निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. राज्य सरकार की घोषणानुसार प्रदेश में पंचायत समिति स्तर पर नंदीशालाओं की स्थापना शीघ्र कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

140. सरकार द्वारा गोशालाओं को देय अनुदान राशि का भुगतान समय पर कराने व अनुदान राशि में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

141. सरकार की घोषणानुसार बीमार पशुओं के इलाज हेतु पंचायत स्तर पर चल पशु चिकित्सालय की व्यवस्था करने एवं पहले से स्वीकृत समस्त मोबाइल इकाइयों का संचालन प्रारंभ कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

142. प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास व पशुपालकों को प्रोत्साहित करने वाली योजनाएं लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता):

143. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के समस्त पशु चिकित्सालयों को 'अ' श्रेणी में तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

144. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के समस्त पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों की कमी से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में पशु चिकित्सालयों के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा):

146. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के वंचित ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

147. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में भवन रहित पशु चिकित्सा संस्थाओं का भवन निर्माण करवाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

148. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पशु चिकित्सा संस्थाओं में विभिन्न श्रेणी के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

149. प्रदेश में राज्य पशु ऊंट की उपयोगिता बढ़ाने एवं उनके संवर्धन एवं संरक्षण हेतु ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

150. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा के पशुपालकों को पशुओं की नस्ल सुधार एवं दुग्ध उत्पादन बढ़ाने हेतु नई तकनीक आदि का प्रशिक्षण देने एवं सरकारी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़):

151. विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) के पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमित चाचाण (नोहर):

152. पशुधन आरोग्य नि:शुल्क दवा योजना के अन्तर्गत दवाइयां नियमित रूप से उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

153. विधान सभा क्षेत्र नोहर की ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

154. पशुओं की बीमा योजना पुन: शुरू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

155. पशुपालन केन्द्रों को खोलने के लिये प्रेरकों (लाइव स्टॉक असिस्टेंट) की नियुक्ति करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

156. विधान सभा क्षेत्र नोहर में पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने, पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने एवं नोहर नोडल क्षेत्र में कम्प्यूटर मय मशीन मैन एवं पशु चिकित्सा अधिकारी का पद सृजित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज):

157. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) के पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र के रिक्त पदों को भरने एवं उनके भवनों का निर्माण करवाने के लिये विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

158. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पशु चिकित्सालय में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

159. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज (शाहबाद) में पशु चिकित्सा संस्थाओं में पशुपालकों को पशुओंकी नस्ल में सुधार एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने की जानकारी देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सतीश पूनियां (आमेर):

160. प्रदेश में ऊंटों के संरक्षण हेतु विशेष कार्य योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

161. विधान सभा क्षेत्र आमेर की आमेर एवं जालसू पंचायत समिति में'ए' श्रेणी के पशु चिकित्सालय खुलवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

162. विधान सभा क्षेत्र आमेर के पशु चिकित्सा केन्द्रों पर पशु चिकित्सक एवं अन्य कार्मिकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

163. प्रदेश में नये पशु चिकित्सा केन्द्र खोले जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद भी क्रियान्विति नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

164. प्रदेश में निराश्रित गौवंश हेतु विशेष कार्ययोजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़):

165. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण कराये जाने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

166. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के पशु चिकित्सा केन्द्रों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

167. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़):

168. अजमेर सम्भाग मुख्यालय पर पशु चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

169. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में मोबाइल वेटेरिनरी वैन सेवा संचालित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

170. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में नये पशु चिकित्सा उप केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

171. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के विभिन्न पशु चिकित्सा उप केन्द्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

172. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थानों के नवीन भवन निर्माण कराने हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बिहारीलाल (नोखा):

173. विधान सभा क्षेत्र नोखा में बिना भवन संचालित पशु चिकित्सालयों व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण एवं इनकी भूमि का भू-स्वामित्व पशुपालन विभाग को देने के सम्बन्ध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

174. विधान सभा क्षेत्र नोखा में संचालित पशु चिकित्सालयों व पशु उप स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

175. विधान सभा क्षेत्र नोखा के पशु चिकित्सालयों में कृत्रिम गर्भाधान हेतु सैक्स सोर्टेड सीमन के उपयोग की योजना प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

176. राजस्थान की दुधारू गायों की नस्लों (राठी एवं थारपारकर) के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं उत्थान के लिए दुग्ध प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने एवं प्रोत्साहन राशि देने के लिए विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

177. राजस्थान में पशुपालकों के पशुधन की सुरक्षा के लिए नि:शुल्क बीमा योजना या सौ रुपये प्रति पशु बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर):

178. प्रदेश में भारतीय नस्ल की गायों को पालने वाले पशुपालकों को प्रोत्साहित किए जाने हेतु अतिरिक्त अनुदान दिए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

179. प्रदेश में सड़कों पर आवारा घूमते पशुओं के मालिकों की पहचान कर उन्हें पाबन्द किए जाने के सम्बन्ध में विभागीय पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

180. विधान सभा क्षेत्र जालौर के पशु चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों, पशुधन सहायकों एवं अन्य पदों को शीघ्र भरे जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

181. पशुओं की जानलेवा बीमारी गलघोंटू के टीके तुरन्त लगवाने की व्यवस्था किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

182. पशुओं की खुरपका एवं मुंहपका बीमारियों के टीके अभी तक नहीं लगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):

183. चूरू जिले में उष्ट्र पालकों को उष्ट्र प्रजनन पर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2020-21 में प्रोत्साहन राशि उपलब्ध नहीं करवाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

184. विधान सभा क्षेत्र चूरू में भवन रहित संचालित पशु चिकित्सालय व पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र के भवनों के निर्माण हेतु विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

185. विधान सभा क्षेत्र चूरू के अन्तर्गत 70 प्रतिशत पशु चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

186. चूरू तहसील के गांव नाकरासर की पंजीकृत गोशाला का अनुदान अकारण रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

187. बहु उद्देशीयपशु चिकित्सालय चूरू में पशु रोगी वाहन उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री कैलाशचन्द्र मीणा (गढ़ी):

188. पशुपालन विभाग द्वारा जनजाति क्षेत्र जिला बांसवाड़ा एवं विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में कृषकों को उन्नत नस्ल के गाय, भैंस, भेड़ एवं बकरी आदि अनुदान पर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

189. विधान सभा क्षेत्र गढ़ी में आवश्यकतानुसार पशु स्वास्थ्य उप केन्द्र क्रमोन्नत करने, नए पशु उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने तथा चिकित्सकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही):

190. प्रदेश में पशुओं का बीमा नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-04

लिखित वक्तव्य

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर) का मांग संख्या 37-कृषि व मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा पर सदन पटल पर रखा गया वक्तव्य

1. मांग सं. 37 व 39 के संबंध में मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंधित मैं अपनी मांग को टेबल करता हूं। मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में आने वाली गेहूं की फसल के लिए खरीद केन्द्र पर्याप्त नहीं है। क्रय केन्द्र बढ़ाए जाएं, जिसमें हिन्दूमल कोट फतोही, चुनागढ़, मनियावली, लालगढ़ जाटानं, जोदेवाला (सागरवाला), मिर्जावाला, 15जेड, ततारशहर, अलीपुरा, करढ़वाता आदि ग्राम पंचायतों में क्रय केन्द्र खोलने का प्रस्ताव करता हूं।

2. राजस्थान सरकार द्वारा गेहूं की खरीद पर गिरदावरी अनिवार्य की गई है, जिससे किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गिरदावरी की बाध्यता को तुरंत प्रभाव से खतम करें ताकि किसानों को अपनी फसल को बेचने में बाधा न हो।

3. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के निम्नलिखित गांवों में पशु चिकित्सालय खोलने का प्रस्ताव करता हूं- गांव धोलाचक, ग्राम प. बहरामपुरा बोदला, जोदेवाला, ग्रा.पं. सादेवाला, जोगीवाला केराचक, ग्रा.पं. पशु चिकित्सालय सादुलशहर को क्रमोन्नत किया जाए।

4. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कृषि उपज मण्डी के माध्यम से सड़कों का निर्माण किया जाए। मुख्य रूप से खाटसजवार से दोदाबींचड कालूवासिया से मनियावली, अलीपुरा से नूरपुरा, श्याम सिंहवाला से धर्मसिंह वाला तक आदि।

5. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में नील गायों की बहुत भारी समस्या है। किसानों की आए दिन फसलों की बर्बादी हो रही है, जिसका सरकार द्वारा उपाय किया जाए।

6. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मांग करता हूं।

7. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में किन्नू की पैदावार को देखते हुए सरकारी वैक्सीन प्लांट लगाए जाने की मैं मांग करता हूं।

8. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में सरकारी बीज केन्द्र खोलने की मैं मांग करता हूं।